दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अगस्त, 2018

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- पैनल ने ओबीसी उप-वर्गीकरण की जाँच के लिये तीसरे विस्तार की मांग की 11
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आखिरी मसौदा जारी 12
- कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) 13
- भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है : अध्ययन 13
- मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों को बहाल करने के लिये विधेयक को मंजूरी दी। 14
- उच्च शिक्षा के नामांकन में कम होता लैंगिक अंतराल 15
- ज़िला अदालतों का बुनियादी ढाँचा 15
- 'स्वास्थ्य के लिये कनेक्टिविटी' परियोजना 16
- एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित 16
- लोकसभा ने मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये विधेयक पारित किया 17
- स्वच्छ भारत के ग्रामीण घटक की डब्ल्यूएचओ ने की सराहना 18
- संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस इंडेक्स के शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ भारत 19
- बीसी पैनल को मिलेंगी और अधिक शक्तियाँ 20
- तीन पूर्वोत्तर राज्य नए एचआईवी हॉटस्पॉट के रूप में उभरे 21
- राज्य सभा के उप-सभापति का चुनाव 22
- रेलवे सुधार दिग्भ्रमित 23

नोट :

- स्क्रब टाइफस : पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस का प्रमुख कारण 23
- जेल संबंधी मामलों की जाँच के लिये एक पैनल का गठन 24
- व्यभिचार के लिये दंड व्यावहारिक नहीं 24
- एनआरआई (NRI) को प्रॉक्सी द्वारा वोट देने की अनुमति के लिये विधेयक पारित 25
- सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों में किया बदलाव 25
- भारत की भुगतान संतुलन स्थिति का आकलन 26
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 27
- पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से केंद्र का इनकार 28
- राज्यसभा चुनाव में NOTA का इस्तेमाल नहीं 29
- स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये नीति आयोग 30
- तेलंगाना ने कृष्णा नदी जल विवाद को ट्रिब्यूनल को सौंपने की मांग की 31
- धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने पर आजीवन कारावास 31
- माब लिंचिंग पर समिति ने रिपोर्ट सौंपी 32
- दिल्ली में अखिल भारतीय आरक्षण नियम 32

आर्थिक घटनाक्रम **33**

- सरकार ने लगाया आयातित सौर सेल पर 25 प्रतिशत सुरक्षात्मक शुल्क 33
- रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों में की बढ़ोतरी 33
- ट्राई द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री को मंज़ूरी 34
- निधि उपयोग के निर्णय में राज्य सरकारों का अत्यधिक हस्तक्षेप 35
- बेनामी अधिनियम के तहत अभियोजन का मामला फिर अटका 35
- दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात व्यवसाय हेतु सबसे अच्छे राज्य 36

नोट :

- द्वीपों के विकास हेतु भारत वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करेगा 37
- विदेशियों की अंडमान तक पहुँच हुई आसान 38
- भारत की मज़बूत अर्थव्यवस्था करेगी वैश्विक विकास का नेतृत्व : IMF 38
- नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच साझेदारी 39
- मेघालय देगा देशी सामुदायिक पशु-फार्म को बढ़ावा 40
- सेबी को फोन टैप करने का अधिकार देने की सिफारिश 41
- केंद्र ने दी मंज़ूरी : सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर सस्ती मिलेंगी दालें 42
- भारतीय रिज़र्व बैंक का आवक प्रेषण सर्वेक्षण 43
- एक जनपद एक उत्पाद समिट' 44
- महाराष्ट्र सरकार करेगी योग्य किसानों को ऋण छूट योजना में शामिल 45
- पिंक बॉलवार्म से निपटने के लिये महाराष्ट्र सरकार तैयार 45
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस 2.0 46
- घरेलू संवृद्धि दर मज़बूत बनी रहेगी 47
- 88% ग्रामीण परिवारों के पास बचत बैंक खाता लेकिन पेंशन और बीमा तक पहुँच कम: नाबार्ड 47
- वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक - 2018 49
- ऋणग्रस्त हैं आधे कृषक परिवार: नाबार्ड 50
- बढ़ सकता है भारत का चालू खाता घाटा : मूडीज़ 51
- रुपए के मूल्य में गिरावट के मायने 52
- डब्ल्यूटीओ के घेराव हेतु पूंजीगत सामानों का शुल्क मुक्त आयात 53
- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत को सख्त मज़दूरी नीति लागू करने की ज़रुरत : आईएलओ 54
- मोबाइल बैंकिंग को अपनाने में दक्षिण भारत शेष भारत से आगे : रिपोर्ट 56
- 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की वृद्धि की उम्मीद : मूडीज़ 57

नोट :

- ट्राइब्स इंडिया ने दी अहमदाबाद, उदयपुर और कोलकाता हवाई अड्डों पर आउटलेट खोलने की मंज़ूरी 58
- 2020 तक शुरू हो जाएंगी 5जी सेवाएँ : 5जी स्पेक्ट्रम रिपोर्ट 59
- नीति आयोग ने लॉन्च की हिमालयन क्षेत्र में सतत विकास हेतु पाँच थीमेटिक रिपोर्टें 60
- राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस : मोटे अनाजों को प्रोत्साहन 61
- भुगतान बैंक द्वारा ग्राहकों की सेवा हेतु कई उपायों पर ज़ोर 62
- कंपनी अधिनियम, 2013 के दंड विषयक प्रावधानों की समीक्षा समिति के सुझाव 63
- बेहतर पूंजी प्रवाह के लिये रिज़र्व बैंक ने नियमों को तर्कसंगत बनाया 64

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **66**

- रूस से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध से मिलेगी छूट, अमेरिकी सीनेट ने पारित किया बिल 66
- भारत और म्याँमार दे सकते हैं 'भूमि' वीज़ा मानदंडों में राहत 67
- यूनाइटेड किंगडम में अंग दान के लिये नया कानून 68
- यूएस-चीन व्यापार युद्ध भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धी बना सकता है : सीआईआई रिपोर्ट 68
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी: भारत के हित में व्यापार संधि का आकलन करेगी कमेटी 69
- एलओयू और एलओसी सुविधा की होगी पुन: बहाली 70
- अमेरिका ने ईरान पर फिर से लगाए प्रतिबंध : क्या हैं इन प्रतिबंधों के मायने 71
- भारत के सामने RCEP के प्रति वचनबद्धता के संदर्भ में बड़ी चुनौती 72
- यूनाइटेड किंगडम को आव्रजन के लिये एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा 73
- मालदीव चीन की उपस्थिति के कारण भारत को कम महत्त्व दे रहा है 73
- भारत ने डीएनए परीक्षणों पर यू.के. प्रस्ताव को खारिज़ किया 74
- आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय की नई केंद्रीय योजना 75
- तुर्की में मुद्रा संकट 75

नोट :

- नेपाल-भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन-2018 77
- क्या है अमेरिकी अंतरिक्ष बल? 78
- नेपाल का नया क्रिमिनिल कोड बनाम प्रेस की स्वतंत्रता 78
- इंडोनेशियाई द्वीप लोम्बोक घातक भूकंप से 10 इंच ऊपर उठा 79
- एन. रघुराम अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के पहले भारतीय-एशियाई अध्यक्ष 80
- सुरक्षा उपाय पर WTO का निर्णय अमेरिका के पक्ष में 81
- ग्रीस यूरोज़ोन के बेलआउट से बाहर निकला 82
- बिम्सटेक देशों के राजदूतों के लिये वार्ता का प्रमुख बिंदु: एफटीए 82
- कैंसर के जोखिम को कम करने के तरीके 83
- बिम्सटेक का चौथा शिखर सम्मेलन नेपाल में 84
- भारत और मोरक्को के बीच हवाई सेवाओं के समझौते को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी 85

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी **87**

- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहल 87
- शोधकर्त्ताओं ने ज़िका वायरस से होने वाले माइक्रोसेफली के कारणों का पता लगाया 87
- गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिये नीति-रूपरेखा 88
- साइबर हमलों को रोकने के लिये नई प्रौद्योगिकियों में निवेश 89
- नीति आयोग ने किया मूव हैक का शुभारंभ 90
- DTAB ने की ऑक्सीटॉसिन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश 91
- चीन ने BRI की निगरानी के लिये लॉन्च किया उच्च रेजोल्यूशन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 91
- भारत का रक्षक मिसाइल 92
- FOXP2 जीन 93

नोट :

- उर्जा दक्षता उपायों में आंध्र प्रदेश सबसे आगे 93
- बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली 94
- मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंज़ूरी दी 94
- भारत 2022 तक करेगा तीन गुना अधिक एथेनॉल का उत्पादन 95
- भारत 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता: क्रिसिल रिपोर्ट 95
- इसरो ने अपना टीवी चैनल लॉन्च करने के लिये सेट तैयार किया 96
- ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं कोरल रीफ 97
- इसरो वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजेगा 98
- भारत का पहला आनुवंशिक संसाधन बैंक 98
- भारतीय टेलीस्कोप ने खोजी दूरस्थ रेडियो गैलेक्सी 99
- चंद्रयान -1 ने चंद्रमा पर पानी की पुष्टि करने में मदद की 100
- उड़ान की पहुँच दक्षिणपूर्व एशियाई स्थलों तक 101
- चीन से भारतीय साइटों पर किये गए सर्वाधिक साइबर हमले 102
- ड्रोन पॉलिसी 103
- लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना 104
- गगनयान-भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 105
- पृथ्वी विज्ञान की ओ-स्मार्ट योजना को मंज़ूरी 106

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 108

- किंग पेंगुइन की सबसे बड़ी बस्ती में 90% की कमी 108
- जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान 108
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये भारत का पहला राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक 109

नोट :

- तेलंगाना के नलगोंडा में चमगादड़ों के लिये काली रात 110
- पर्यावरण निष्पादन सूचकांक – 2018 अस्वीकृत 110
- 'हॉटहाउस' बनने की कगार पर पृथ्वी 111
- कूकिंग आयल को जैव ईंधन में परिवर्तित करने की पहल 112
- भारत में 3 से 9 मिलियन लोग हेपेटाइटिस C से संक्रमित : स्वास्थ्य मंत्रालय 112
- गृह मंत्रालय ने प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल के विरुद्ध परामर्श जारी किया 113
- मृदा अपरदन से वर्ष 1990-2016 के दौरान भारत की एक तिहाई तट रेखा का विनाश 114
- जैव विविधता प्रदर्शन केंद्र 115
- केंद्र ने केरल की बाढ़ को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित किया 115
- संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये काजीरंगा नेशनल पार्क का विभाजन 116
- गंभीर आपदा के बाद केरल के पुनर्निर्माण की चुनौती 117
- अत्यधिक वर्षा के कारण जलाशयों का संचालन करना गंभीर चुनौती 118
- शहरी परिवहन संबंधी प्रदूषण: कोलकाता बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ 119
- पंबन जल-संधि पर होगा आठ लेन वाले पुल का निर्माण 120
- पोषक तत्त्वों में कमी का कारण कार्बन डाईऑक्साइड 120

सामाजिक मुद्दे **122**

- अधिकांश शिशु जन्म के बाद पहले घंटे में स्तनपान नहीं कर पाते 122
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में भिक्षावृत्ति को गैर-आपराधिक माना है 123
- राज्यसभा द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन पारित 123
- कार्यबल में महिलाओं की घटती संख्या 124
- प्रधानमंत्री हेल्थकेयर स्कीम 25 सितंबर को होगी लॉन्च 124

नोट :

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये कोई क्रीमी लेयर मानक नहीं 125
- यौन हिंसा पर शिकायतों को ट्रैक करने के लिये एनसीआरबी की बैठक 126
- खुले में मूत्रत्याग को रोकना होगा सरकार का अगला कदम 127

आंतरिक सुरक्षा **129**

- शिथिल पनडुब्बी प्रशिक्षण 129
- एनजीटी द्वारा ई-कचरे पर तीन महीने में कार्य-योजना की मांग 130
- राजद्रोह पर पुनर्विचार 131

विविध **132**

- पार्किंसन रोग 132
- भारतीय मूल के गणितज्ञ ने जीता फ़ील्ड्स मेडल 133
- साथी पहल 134
- ई-पशुधन हाट योजना 135
- आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता में सबसे आगे 137
- प्रोजेक्ट मौसम 137
- स्वामीनाथन गुरुमूर्ति तथा सतीश काशीनाथ मराठे 138
- तीसरा ब्रिक्स फिल्म समारोह 139
- 'निर्यात मित्र' मोबाइल एप 140
- वैश्विक नवाचार सूचकांक 'जीआईआई-2018' को भारत में लॉन्च किया गया 141
- शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ज़ेडबीएनएफ) 141
- जम्मू और त्रिपुरा में स्थापित होगा स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर 142
- पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का निधन 143

नोट :

- न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर बनी विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष 145
- अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018) 146
- वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक – 2018 148
- पीएफआरडीए ने साइबर सुरक्षा से निपटने के लिये एक स्थायी समिति 149
- कैनाइन डिस्टेंपर वायरस 150
- कुलदीप नैयर 152
- छठा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 153
- विश्व हिंदी सम्मलेन 154
- प्रथम जैव-ईंधन उड़ान 156
- हस्तसाल मीनार 157
- वोस्टोक – 2018 158
- बुद्धमाल महोत्सव 158
- अफ्रीकी स्वाइन बुखार 158
- अरनमुला नौका दौड़ 158
- सह्याद्रि ककाडू-2018 अभ्यास में शामिल 160
- ककाडू अभ्यास 160
- छठी RCEP मंत्री स्तरीय बैठक सिंगापुर में आरंभ 160
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) 161
- नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग 161
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवाचार प्रकोष्ठ 161

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

पैनल ने ओबीसी उप-वर्गीकरण की जाँच के लिये तीसरे विस्तार की मांग की

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की जाँच करने के लिये गठित आयोग ने कोटे के भीतर कोटा निर्धारण हेतु राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये तीसरे विस्तार हेतु नवंबर 2018 तक का समय मांगा है।

प्रमुख बिंदु

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक, आयोग ने चार महीने का समय मांगा है और कहा है कि इससे अधिक डेटा संकलित करने में मदद मिलेगी। इस विस्तार को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा।
- अक्टूबर 2017 में गठित पाँच सदस्यीय इस पैनल को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल 5000-विषम जातियों के उप-वर्गीकरण के कार्य को पूरा करना है ताकि केंद्र सरकार की नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में अवसरों के "अधिक न्यायसंगत वितरण" को सुनिश्चित किया जा सके।
- इस पैनल की रिपोर्ट को तीन महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना था। पैनल के गठन के बाद इसने कार्य की 'विशाल' प्रकृति का हवाला देते हुए दो बार विस्तार की मांग की और इसे स्वीकृत किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा दिये गए 'अंतिम विस्तार' के अनुसार, इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2018 को प्रस्तुत की जानी थी।
- पिछले कुछ वर्षों से आरक्षण के इन लाभों को ज़्यादातर प्रभावशाली ओबीसी समूहों द्वारा लिया जा रहा है, उप-वर्गीकरण पैनल रिपोर्ट से ओबीसी के भीतर अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिये निर्धारित उप-कोटा की सिफारिश किये जाने की उम्मीद है।
- पिछड़े वर्गों के संदर्भ में राष्ट्रीय आयोग ने 2015 में कहा था कि "असमानता के साथ समान व्यवहार" नहीं किया जा सकता और अनुशंसा की जाती है कि ओबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत किया जाए"।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में 11 राज्य पहले ही अपनी ओबीसी सूची में उप-वर्ग बना चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलगांना, पुद्दुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र , तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।
- नज़ीर बन चुके 1992 में दिये गए इंद्रा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय यह व्यवस्था दे चुका है कि ओबीसी को पिछड़ों एवं अति पिछड़ों में विभाजित करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है और यदि सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है।
- ओबीसी जातियों को तीन उप-वर्गों में विभाजित करने की सिफारिश राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पहली बार 2011 में की थी। 2012, 2013 व 2014 में विभिन्न संसदीय समितियों ने भी इसकी सिफारिश की थी।
- आयोग के मुताबिक केंद्रीय ओबीसी सूची के लिये एक समान पद्धति तैयार की जानी चाहिये। आयोग ने इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार की नौकरियों में पाँच लाख विषम ओबीसी से संबंधित डेटा की मांग की है।

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

- संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत केंद्र सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का फैसला किया था। इसके लिये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और उसे संवैधानिक दर्जा दिये जाने के प्रावधान वाला एक विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने इस 123वें संविधान संशोधन विधेयक, 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक, 2017 को कुछ संशोधनों के साथ पारित किया।

नोट :

- 123वें संविधान संशोधन विधेयक 2017 के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के हितों को और प्रभावी रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक परिस्थिति के साथ राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आखिरी मसौदा जारी

चर्चा में क्यों ?

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) का दूसरा और आखिरी मसौदा जारी कर दिया गया। इसके तहत 2.90 करोड़ लोगों को राज्य का वैध नागरिक माना गया है। करीब 40 लाख लोग अपनी नागरिकता के वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में नाकाम रहे हैं। इससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिनका नाम सूची में नहीं है उन्हें फ़िलहाल विदेशी घोषित नहीं किया जाएगा।
- एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम-पते और फोटो हैं जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है।
- राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह हमेशा लोगों की यादों में बना रहेगा। राज्य में एहतियातन सभी 33 ज़िलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
- असम में वैध नागरिकता के लिये 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 2,89,83,677 लोगों के पास ही नागरिकता के वैध दस्तावेज़ मिले।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा मसौदा पिछले वर्ष दिसंबर में जारी किया गया था। इसमें केवल 1.9 करोड़ लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना गया था।
- नागरिक रजिस्टर बनाने की पूरी प्रक्रिया सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संपन्न की गई है।

नाम दर्ज कराने का मिलेगा मौका

- NRC के अनुसार यह अंतिम मसौदा है, फाइनल लिस्ट नहीं। छूट गए लोगों के नाम दर्ज करने के लिये 2500 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है।
- इन गठित ट्रिब्यूनल में 25 मार्च, 1971 से पहले के नागरिकता संबंधी वैध दस्तावेज़ पेश करने होंगे। इसके लिये उन्हें एक फॉर्म भरना होगा।
- इसके बाद उन्हें अपने दावे को दर्ज कराने के लिये अन्य निर्दिष्ट फॉर्म भरना होगा, जो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। फाइनल लिस्ट 31 दिसंबर तक जारी होगी।

किन्हें अवैध करार दिया गया

- जो एनआरसी में वैध दस्तावेज़ संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं कर सके।
- जिनके पास 25 मार्च, 1971 से पहले की नागरिकता के कानूनी दस्तावेज़ नहीं हैं।
- चोरी-छिपे बांग्लादेश से आए लोग भी भारतीय दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए।
- संदिग्ध मतदाताओं, उनके आश्रितों, विदेशी न्यायाधिकरण में गए लोगों और उनके बच्चों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

पृष्ठभूमि

- असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिये सबसे पहले 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) बनाया गया था।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे लोगों की सही तरह पहचान कर उन्हें वापस उनके देश भेजना है।
- घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिये पहला आंदोलन 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद ने शुरू किया। इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और करीब 6 साल तक चला। इसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई।

नोट :

- 1985 में केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद के नेताओं की वार्ता हुई।
- इस वार्ता में 1951 से 1971 के बीच भारत आए लोगों को नागरिकता देने और 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों को वापस भेजने की बात तय हुई। लेकिन यह वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में विभिन्न पदों पर मेधावी वैज्ञानिकों की भर्ती में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (Agricultural Scientists' Recruitment Board -एएसआरबी) को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- एएसआरबी में अब तीन सदस्यों के स्थान पर चार सदस्य होंगे। बोर्ड में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।
- एएसआरबी के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की (जो भी पहले हो) तक होगी।
- स्वायत्तता, गोपनीयता, उत्तरदायित्व और एएसआरबी के कारगर संचालन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसे आईसीएआर से पृथक कर दिया जाएगा तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जोड़ दिया जाएगा।
- एएसआरबी का बजट भी आईसीएआर से पृथक करके कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया जाएगा। एएसआरबी का सचिवालय में अपना प्रशासनिक स्टॉफ होगा और उसका स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

लाभ

- एक अध्यक्ष और तीन सदस्यों वाले चार सदस्यीय संस्था के गठन से एएसआरबी के कामकाज को दुरुस्त किया जाएगा।
- इसके परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आएगी, जो कृषि समुदाय और कृषि के लिये फायदेमंद होगी।
- इसके अलावा देश में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा संबंधी प्रमुख एजेंसी आईसीएआर में विभिन्न वैज्ञानिक पदों पर प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की भर्ती पारदर्शी और कुशल तरीके से संभव होगी।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के बारे में

- नवंबर 1973 में सरकार ने कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड की स्थापना को मंज़ूरी दी थी, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति शामिल थी।
- इसके तहत कृषि अनुसंधान सेवा एवं अनुसंधान पदों पर विभिन्न वैज्ञानिकों की नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में काम करना तय किया गया था।
- एएसआरबी के कामकाज में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रस्ताव को अक्तूबर 1986 में मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी थी जिसके तहत सदस्यता एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई थी।
- 1986 में हुए एएसआरबी के पुनर्गठन के बाद से बोर्ड का कामकाज बढ़ता गया और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उसकी भूमिका भी बढ़ गई। तद्नुसार बोर्ड के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके मद्देनज़र अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को विशेषज्ञता के आधार पर शामिल किया जाना तय हुआ।

भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है : अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस के विश्व जनसंख्या कार्यक्रम के वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर उतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी कि मौजूदा मॉडलों से आँकी जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों के बीच विविधता और शिक्षा के स्तर में अंतर से अधिक सटीक आँकड़े प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं ने कहा कि सटीक जनसंख्या अनुमान भारत और उसके कार्यबल को प्रति व्यक्ति उच्च जीडीपी वाले अधिक विकसित एशियाई देशों की बराबरी करने में मदद कर सकता है।
- भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण उपमहाद्वीप है। एक देश होने के कारण इसे यूरोप के समान इकाई नहीं माना जाना चाहिये।
- आने वाले दशकों में भारत का पूर्वानुमान काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि विविधता के किन स्रोतों को मॉडल में शामिल किया जाएगा।

पाँच आयामी मॉडल

- 2025 तक भारत उच्च प्रजनन दर और युवा आबादी के कारण चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की ओर अग्रसर है।
- भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विविधता के संबंध में शोधकर्त्ताओं ने एक अध्ययन तैयार किया है। इसमें भारत की जनसंख्या विविधता को समझने के लिये पाँच आयामी मॉडल को शामिल किया गया।
- इन आयामों में निवास, राज्य, आयु, लिंग और शिक्षा स्तर के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र शामिल हैं। इस मॉडल का इस्तेमाल जनसंख्या अनुमान परिवर्तन को दिखाने के लिये किया गया जो इन कारकों के विभिन्न स्तरों को जोड़ती है।
- उदाहरण के लिये, एक मॉडल के बहुत अधिक जनसंख्या अनुमान जो समग्र राष्ट्रीय अनुमान की तुलना में अलग-अलग राज्यों से प्राप्त डेटा को जोड़ता है, क्योंकि उच्च प्रजनन दर वाले राज्य अंततः उच्च राष्ट्रीय आबादी अनुमान में शामिल होते हैं।
- यदि अनुमान (projection) केवल उम्र और लिंग के आधार पर किया जाता तो प्रभावशाली कारक जैसे-उच्च शिक्षा, कम प्रजनन क्षमता से जुड़े कारक छूट जाते।
- इस प्रकार अशिक्षा और ग्रामीण महिलाओं की वर्तमान में उच्च प्रजनन दर के आधार पर एक अनुमान भविष्य में वृहद् रूप से बड़ी आबादी की भविष्यवाणी करता है।

मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों को बहाल करने के लिये विधेयक को मंजूरी दी।

चर्चा में क्यों ?

केंद्र ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिये एक विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्च में दिये गए निर्णय में निष्प्रभावी कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- संशोधन विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद तीन नए खंडों को सम्मिलित करने की कोशिश की गई है।
- पहला, इस अधिनियम के उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि "किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रारंभिक जाँच के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की आवश्यकता नहीं है।
- दूसरा यह बताता है कि इस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- जबकि तीसरा कहता है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का प्रावधान जो कि अग्रिम जमानत से संबंधित है, किसी भी अदालत के किसी भी फैसले या आदेश के बावजूद इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होगा।
- उल्लेखनीय है कि 20 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत मनमाने तरीके से गिरफ्तारी को रोकने के लिये कई दिशा-निर्देश जारी किये थे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार-
  - सरकारी कर्मचारियों को केवल नियुक्त प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि निजी कर्मचारियों के मामले में संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बाद ही गिरफ्तारी की अनुमति होनी चाहिये।
  - साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर पंजीकृत होने से पहले यह जाँच करनी चाहिये कि मामला इस अधिनियम के दायरे में आता है या नहीं।

नोट :

- गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के इसी फैसले के विरोध में 2 अप्रैल को दलित समूहों द्वारा देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था जिसमें हिंसा की कई वारदातें देखने को मिली थीं। हालाँकि, अदालत ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
- इसके पश्चात् दलित संगठनों ने 20 मार्च को निर्णय देने वाले न्यायधीश ए. के. गोयल के सेवानिवृति के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का भी विरोध किया था।

उच्च शिक्षा के नामांकन में कम होता लैंगिक अंतराल

चर्चा में क्यों ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर किये गए सर्वेक्षण में सकल नामांकन के संदर्भ में लैंगिक अंतराल में कमी का उल्लेख किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- "सकल नामांकन अनुपात" के संदर्भ में उच्च शिक्षा में नामांकन बताता है कि यह पिछले सात वर्षों में पात्र आबादी के 1/5 से 1/4 हो गया है।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन पात्र आबादी (18-23 आयु वर्ग) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, यह 2010-11 के 1 9 .4% से बढ़कर 2017-18 में 25.8% हो गया है।
- जबकि सकल नामांकन अनुपात पुरुष छात्रों का लगातार उच्च रहा है लेकिन महिला छात्रों के बीच अधिक वृद्धि देखी गई है।
- सर्वेक्षण में कम-से-कम नौ महीने की अवधि और 12 साल की स्कूली शिक्षा के बाद या कम-से-कम 3 साल की अवधि और स्कूली शिक्षा के 10 साल बाद प्राप्त शिक्षा को उच्च शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है।

ज़िला अदालतों का बुनियादी ढाँचा

चर्चा में क्यों ?

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और डी. वाई. चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अपने 16 पेज के आदेश में कहा है कि देश भर में कि ज़िला अदालतों का बुनियादी ढाँचा वेंटिलेटर पर है और इसे बचाने की ज़रूरत है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन (All India Judges Association) द्वारा बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिये सुविधाओं हेतु सन 1989 में दायर याचिका पर निर्णय देते हुए दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा है कि "मज़बूत आधारभूत संरचना एक दृढ़ और स्थिर न्यायिक प्रणाली की धुरी है।"
- इस तरह मज़बूत बुनियादी ढाँचे के बिना न्यायपालिका अपने इष्टतम स्तर पर काम नहीं कर पाएगी।
- सर्वोच्च अदालत के अनुसार, देश भर की ज़िला अदालतों को निम्नलिखित सुविधाओं से लैस किये जाने की ज़रूरत है-
  - ट्रांसजेंडर के लिये अलग शौचालय
  - एमबीए की डिग्री के साथ 'कोर्ट मैनेजर्स'
  - ब्रेल और रंग-संकेतों से युक्त चेतावनी संकेतक
  - भीड़ प्रबंधन व्यवस्था
  - शिशुगृह या क्रेच की व्यवस्था
  - वादियों को सलाह देने के लिये फ्रंट डेस्क की सुविधा

नोट :

- अदालत ने राज्य के मुख्य सचिवों को एक समिति बनाने का आदेश दिया है जिसमें अदालतों के विकास के लिये योजना बनाने हेतु एक सदस्य के रूप में विधि विभाग के सचिव भी शामिल होना चाहिये।
- यह समिति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक अधिकारी को भी शामिल करेगी।
- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित ज़िला अदालतों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये राज्यों द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्ट और योजनाओं की जाँच के लिये 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

'स्वास्थ्य के लिये कनेक्टिविटी' परियोजना

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 'स्वास्थ्य के लिये कनेक्टिविटी' परियोजना हेतु एक साथ मिलकर काम करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण इलाकों को सरकारी अस्पतालों के साथ जोड़ना है ताकि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जाने-माने डॉक्टरों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
- इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान करने के लिये एक विशेष ब्रॉडबैंड लाइन के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- सरकार द्वारा पहले से ही 'डिजिटल इंडिया' पहल के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे- ई-हास्पिटल जो कि एक ओपन सोर्स स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली है।
- इस परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिये केवल बीएसएनएल और रेलटेल पर निर्भर होने की बजाय भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों को भी वर्तमान में उनकी ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर पहुँच के कारण भाग लेने की अनुमति दिये जाने पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
- हाल ही में MietY और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में तीन लाख आम सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिये भी करार किया है।
- आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है, जिसमें द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये 5 लाख रुपए (प्रति परिवार प्रतिवर्ष) तक कवरेज प्राप्त करने वाले 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) शामिल होंगे।
- समझौते के मुताबिक, लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिये अपने नज़दीक के सीएससी में जा सकते हैं। सीएससी लाभार्थी को स्वास्थ्य मंत्रालय डेटाबेस में उसके नाम और योजना के लिये उसकी पात्रता की पहचान करने में मदद करेगा।

एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी। सदन ने राज्यसभा द्वारा विधेयक में किये गए संशोधनों को निरस्त करते हुए संशोधनों के साथ 'संविधान (123वाँ संशोधन) विधेयक, 2017' पारित कर दिया।

विधेयक में मुख्य बदलाव

- एक दिन पूर्व ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दी थी।
- लोकसभा द्वारा यथापारित तथा संशोधन के साथ राज्यसभा द्वारा लौटाए गए विधेयक में पृष्ठ एक की पंक्ति एक में 'अड़सठवें' के स्थान पर 'उनहत्तरवें' शब्द प्रतिस्थापित करने की बात कही गई है।

नोट :

- इसमें कहा गया है कि खंड तीन के पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3 का लोप किया जाए तथा इसके स्थान पर राज्यसभा द्वारा किये गए संशोधनों में पृष्ठ 2 और 3 पर निम्नलिखित संशोधन अंत:स्थापित किया जाए ।
- संविधान के अनुच्छेद 338क के बाद नया अनुच्छेद 338ख अंत:स्थापित किया जाएगा। इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक नया आयोग होगा।
- संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं पदावधि के संबंध में नियम राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किये जाएंगे।
- आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। आयोग को संविधान के अधीन सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जाँच और निगरानी करने का अधिकार होगा।
- इसके अलावा आयोग पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भाग लेगा और इस संबंध में अपनी सलाह देगा, जबकि पहले सिर्फ सलाह देने की बात कही गई थी।
- संघ और प्रत्येक राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे। इसमें पृष्ठ एक की पंक्ति चार में 2017 के स्थान पर 2018 प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा प्राप्त नहीं है। यह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। 1993 में संसद में पारित कानून के तहत मौजूदा आयोग का गठन किया गया था।
- इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में नागरिकों को सम्मिलित करने और हटाने संबंधी शिकायतों को निपटाने तथा उनकी जाँच के बारे में सरकार को सलाह देना है।
- अधिनियम में प्रावधान है कि सरकार आयोग के परामर्श को मानने के लिये साधारणतया बाध्य होगी।

लोकसभा ने मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये विधेयक पारित किया

चर्चा में क्यों ?

खेल शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित एक विधेयक हाल ही में लोकसभा में ध्वनि-मत से पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक (SPORTS BILL) , 2018, 31 मई को जारी एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। यह विधेयक पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सका था।

प्रमुख बिंदु

- खेल प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिये 524 करोड़ रुपए की लागत से मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
- विधेयक को इससे पहले लोकसभा में अगस्त 2017 में पेश किया गया था, लेकिन इसे पारित नहीं किया जा सका था। इसलिये सरकार को एक अन्य अध्यादेश जारी करना पड़ा था।
- प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद देश में खेल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे – खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण आदि में व्याप्त अंतर को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018 के तहत मणिपुर खेल विश्वविद्यालय के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति होगी।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- विश्वविद्यालय का कुलपति एक खिलाड़ी को बनाया जाएगा जबकि इसकी अकादमिक परिषद में खेल से जुड़े लोग शामिल होंगे।
- यह विधेयक मणिपुर में एक विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये लाया गया है, जो खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्रों में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा।

नोट :

- इसके अलावा, प्रस्तावित विश्वविद्यालय सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर चुनिंदा खेल विषयों के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा।
- अन्य प्रावधानों के अलावा यह विधेयक देश भर में 'बाह्य कैंपस' स्थापित करने के लिये विश्वविद्यालय को सशक्त बनाने का प्रस्ताव करता है।
- विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि 'अकादमिक कार्यक्रमों और शोध के अलावा विश्वविद्यालय और इसके बाहरी कैंपस भी उच्च श्रेणी के एथलीटों, खेल अधिकारियों, रेफरी तथा अंपायरों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और खेल की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित होंगे।'
- विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय संस्थान बनाने तथा पाठ्यक्रम, अनुसंधान सुविधाओं और प्रयोगशालाओं के विकास के लिये सरकार ने दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों- कैनबरा विश्वविद्यालय और विक्टोरिया विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

खिलाड़ियों को दी जाएगी सभी प्रकार की मदद

- देश के सभी पदक विजेताओं को राष्ट्रीय खेल विकास कोष से आर्थिक मदद प्रदान की गई है, इस कोष में सभी नागरिक योगदान दे सकते हैं।
- सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भोजन और अन्य विभिन्न खर्चों के लिये भत्ते के अलावा मासिक वेतन भी प्रदान किया गया है। सरकार ने खेल प्रशिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की है।
- खेल टूर्नामेंट द्वारा युवा प्रतिभाओं का पता लगाने के लिये एक मंच प्रदान किया गया है और ऐसे कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने हेतु सांसदों के लिये एक विशेष निधि तय होनी चाहिये।

खेल क्षेत्र में काफी कुछ किये जाने की ज़रूरत

- 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत को केवल आठ पदक मिले और ये सभी पदक हॉकी में प्राप्त हुए थे। ऐसा इसलिये है कि खेल संघों को आवंटित धन का उचित उपयोग नहीं किया जाता है।
- स्कूल से ही खेल शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो चुनाव खर्चों से धन कम किया जाए और खेल पर अधिक खर्च हो क्योंकि हमारे खिलाड़ी तब तक विश्व कप नहीं जीत सकते जब तक उन्हें पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं मिलती।
- भारत के पूर्वी हिस्से को सरकार ने उपेक्षित कर दिया है। खेल बजट में बड़ी वृद्धि की आवश्यकता है। भारत का खेल बजट 2,000 करोड़ रुपए का है, जबकि ब्रिटेन का खेल बजट 9,000 करोड़ रुपए तथा अमेरिका का 12,000 करोड़ रुपए का है।
- दूरदर्शन ने केवल दो या तीन खेलों पर ध्यान केंद्रित किया है और अन्य खेलों को उपेक्षित किया है। विज्ञापन की मांग सभी खेलों के लिये की जानी चाहिये।
- चीन ने 1993 में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्तमान में यहाँ 20 शीर्ष श्रेणी के खेल विश्वविद्यालय हैं। इस लिहाज से हम चीन से 25 वर्ष पीछे हैं।
- क्रोएशिया की आबादी 40 लाख है जो उन लोगों के बराबर है जिनका नाम असम के एनआरसी में नहीं है। लेकिन क्रोएशिया ने महान फुटबॉल खिलाड़ियों को उत्पन्न किया है और हम ऐसा करने में असफल रहे।
- हमारे देश में कार रेसिंग के लिये भी आधारभूत संरचना होनी चाहिये। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MOLAD) के फंड को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिये भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- उम्मीद है कि निकट भविष्य में देश में अधिक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किये जाएंगे। सरकार को नई खेल नीति तैयार करनी चाहिये क्योंकि 2001 में बनाई गई खेल नीति काफी पुरानी हो चुकी है।

स्वच्छ भारत के ग्रामीण घटक की डब्ल्यूएचओ ने की सराहना

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के परिणामस्वरूप 2014 से अक्टूबर 2019 के बीच दस्त और साथ ही प्रोटीन-ऊर्जा के अभाव के कारण कुपोषण के चलते तीन लाख से ज़्यादा मौतों की रोकथाम की जा सकेगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- डब्ल्यूएचओ ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित SBM-G के माध्यम से स्वच्छता कवरेज से संभावित स्वास्थ्य प्रभाव पर प्रगति रिपोर्ट में कहा है कि भारत का ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2 अगस्त तक 89.07% तक बढ़ गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीएम-जी के तहत 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त (Open Defecation Free-ODF) घोषित किया गया है और 7.9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है, जबकि 421 ज़िले ओडीएफ घोषित किये गए हैं। इसके अलावा, देश में 4.9 लाख से अधिक गाँवों को ओडीएफ घोषित किया गया है।
- डब्ल्यूएचओ की अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक एसबीएम-जी की शुरुआत से पहले असुरक्षित स्वच्छता को सालाना दस्त के 199 मिलियन मामलों का कारण बना दिया और यही कारण है कि 2019 तक इस पहल का उद्देश्य 100% स्वच्छता कवरेज हासिल करना है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वच्छता और स्वास्थ्य एक-दूसरे से गहराई से संबंधित हैं और बेहतर स्वास्थ्य कवरेज के लिये मंत्रालय द्वारा कई सामानांतर योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

जोखिम आकलन

- रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2014 और 2019 के बीच 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (Disability Adjusted Life Years-DALY) से बचा जा सकता है।
- स्वास्थ्य प्रभाव का डब्ल्यूएचओ आकलन तुलनात्मक जोखिम मूल्यांकन (Comparative Risk Assessment-CRA) विधियों पर आधारित है।

स्वच्छ भारत मिशन

- सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज के प्रयासों में तेज़ी लाने और स्वच्छता पर बल देने के लिये प्रधानमंत्री ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी।
- दो उप मिशन-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिये मिशन समन्वयकर्त्ता पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव हैं।
- दोनों मिशनों का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगाँठ को सही रूप में श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य की प्राप्ति करना है।
- इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में वृद्धि होगी और गाँवों को खुले में शौच मुक्त (ODF), स्वच्छ तथा शुद्ध बनाया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस इंडेक्स के शीर्ष 100 देशों में शामिल हुआ भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ई-गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को शीर्ष 100 देशों में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत ने इस सूचकांक में 22 अंकों की छलांग लगाई है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत नें 96वाँ स्थान हासिल किया है।
- वर्ष 2014 में भारत इस सूचकांक में 118वें स्थान पर था।
- भारत ने ई-पार्टिसिपेशन के सब इंडेक्स में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में क्रमश: 95.65 तथा 90.61 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं।
- 193 काउंटी के सूची सर्वेक्षण में 0.9551 के कुल स्कोर के साथ भारत को शीर्ष 15 देशों में रखा गया है। इस श्रेणी में भारत सब-रीजन के लीडर के रुप में उभरा है।

नोट :

- डेनमार्क ई-गवर्नेंस इंडेक्स और ई-पार्टिसिपेशन सब इंडेक्स दोनों में पहले स्थान पर है।

ई-गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप 10 देश		
क्र.सं.	देश	इंडेक्स
1.	डेनमार्क	0.9150
2.	ऑस्ट्रेलिया	0.9053
3.	कोरिया गणराज्य	0.9010
4.	यूनाइटेड किंगडम	0.8999
5.	स्वीडन	0.8882
6.	फ़िनलैंड	0.8815
7.	सिंगापुर	0.8812
8.	न्यूज़ीलैंड	0.8806
9.	फ्राँस	0.8790
10.	जापान	0.8783

संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस इंडेक्स

- संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह सर्वे प्रत्येक दो साल में जारी किया जाता है।
- यह मुख्य रूप से ई-गवर्नेंस के विकास का आकलन करता है तथा सेवाओं को वितरित करने के मामले में विभिन्न देशों में किये जाने वाले सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की माप करता है।
- यह सूचकांक ऑनलाइन सेवाओं की विस्तार क्षमता तथा गुणवत्ता, दूरसंचार संबंधी बुनियादी ढाँचे की स्थिति और मौजूदा मानव क्षमताओं का आकलन करता है।
- ई-गवर्नमेंट सूचकांक सामान्यत: तीन सूचकांकों के भारित औसत पर आधारित एक समग्र सूचकांक है :
  - दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (Telecommunication Infrastructure Index): यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Index) द्वारा प्रदान किये आँकड़ों पर आधारित है।
  - मानव पूंजी सूचकांक (Human Capital Index) : यह यूनेस्को (UNESCO) द्वारा प्रदत्त आँकड़ों पर आधारित है।
  - ऑनलाइन सेवा सूचकांक (Online Service Index) : यह UNDESA (United Nations Deparartment of Economic and Social Affairs) द्वारा आयोजित किये जाने वाले स्वतंत्र सर्वेक्षण प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किये गए आँकड़ों पर आधारित है। इसमें देशों की राष्ट्रीय ऑनलाइन स्थिति का आकलन किया जाता है।

बीसी पैनल को मिलेंगी और अधिक शक्तियाँ

चर्चा में क्यों ?

अन्य पिछड़ा वर्गों के लोग जल्द ही अपनी शिकायतों के निवारण के लिये संवैधानिक स्थिति के साथ पिछड़ा वर्ग के लिये एक नए राष्ट्रीय आयोग (NCBC) के साथ संपर्क करने में सक्षम होंगे।

प्रमुख बिंदु

- लोकसभा द्वारा 123वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद यह पैनल अस्तित्व में आ जाएगा जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (SEBC) को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों को लागू करने और उनकी शिकायतों का निवारण करने में सक्षम होगा।

नोट :

- वर्तमान एनसीबीसी आरक्षण के लाभ के लिये केवल ओबीसी सूची से जातियों को शामिल करने, बहिष्करण करने और इन जातियों के बीच आय के स्तर के आधार पर "क्रीमी लेयर" को कम करने की सिफारिश कर सकता है।
- अब तक अनुसूचित जातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग ओबीसी की शिकायतों पर चर्चा करता था।
- संविधान के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच के लिये संविधान के अनुच्छेद 338 जो कि "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष अधिकारी" की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, स्पष्ट रूप से कि एससी / एसटी (SC/ST) "अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा"।
- इसलिये 1990 के दशक में ओबीसी आरक्षण एक वास्तविकता बनने के साथ, एससी आयोग का अधिकार बढ़ा दिया गया। ये कार्य अब नए पैनल में स्थानांतरित हो जाएंगे।
- आरक्षण, आर्थिक शिकायतों, हिंसा इत्यादि के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के मामले SEBC श्रेणी के लोग आयोग को स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे।
- विधेयक की धारा 3 (5) प्रस्तावित आयोग को अधिकारों और सुरक्षा उपायों के वंचित होने की शिकायतों की जाँच करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 3 (8) इसे एक सिविल कोर्ट के समान मुकदमों की सुनवाई की शक्ति देती है और यह किसी को भी समन भेजने की अनुमति देती है। इसके लिये दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना होता है।

तीन पूर्वोत्तर राज्य नए एचआईवी हॉटस्पॉट के रूप में उभरे

चर्चा में क्यों ?

अच्छी खबर यह है कि भारत में एचआईवी (HIV) मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। वहीँ, बुरी खबर यह है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा एचआईवी के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्रालय ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों में एचआईवी की घटनाओं में वृद्धि का कारण इन्जेक्टिंग ड्रग यूज़र (IDU) और असुरक्षित यौन संबंध के उच्च जोखिम वाले व्यवहार को ज़िम्मेदार ठहराया।
- मिज़ोरम के चार और त्रिपुरा के एक स्थान पर IDU के कारण एचआईवी का प्रसार अधिक पाया गया, जो देश के शेष भाग का 6.3% है। ऐजवाल, चम्फाई और कोलासिब में कम-से-कम तीन स्थानों पर IDU के कारण एचआईवी का प्रसार क्रमश: 37.44%, 33.06% और 38.14% था।
- महिला सेक्स वर्कर्स के बीच एचआईवी का प्रसार चार स्थानों पर, त्रिपुरा में दो तथा मिज़ोरम और मेघालय में एक-एक स्थान पर सर्वाधिक था।
- मिज़ोरम के ऐजवाल ज़िले में एक स्थान पर एचआईवी का प्रसार देश के अन्य जगहों के 1.6% की तुलना में 24.68% अधिक था।
- दिसंबर 2017 में किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, मिज़ोरम में छह, मेघालय में दो और त्रिपुरा में एक केंद्र पर भारत में अन्य स्थानों पर प्रसव पूर्व क्लीनिक (ANC) पर जाने वाली गर्भवती महिलाओं के मामले में 0.28 प्रतिशत एचआईवी प्रसार की तुलना में एक प्रतिशत से अधिक एचआईवी का प्रसार दर्ज किया गया है।
- एचआईवी सेंटीनेल सर्विलांस (HIV Sentinel Surveillance-HSS), नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (NACO) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अध्ययन, जनसंख्या के उच्च जोखिम समूहों में एचआईवी से निपटने वाला दुनिया का सबसे बड़ा नियमित अध्ययन है।
- HSS ने अपने अध्ययन में उल्लेख किया था कि मिज़ोरम (1.19%), नगालैंड (0.82%), मेघालय (0.73%), त्रिपुरा (0.56%) और मणिपुर (0.47%) में पूर्वोत्तर राज्यों में ANC के संदर्भ में एचआईवी प्रसार सबसे ज़्यादा था।
- एचआईवी से संक्रमित व्यक्तियों (PLHIV) जो एंटी-रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट (ART) ले रहे हैं, के संबंध में नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टिट्यूट (NARI) के अनुसार, लगभग 12.28 लाख लोग एआरटी ले रहे हैं। एआरटी के तहत भारत में एचआईवी संक्रमण वाले 21 लाख लोगों में से 90% को ART के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

नोट :

एआरटी की प्रभावकारिता

- दिलचस्प बात यह है कि एआरटी, वायरस को प्रभावी ढंग से दबाने और संक्रमित व्यक्ति से एचआईवी के संचरण को कम करने में मदद करता है।
- PLHIV के मामले में जो व्यक्ति एआरटी पर हैं उनमें महाराष्ट्र (सबसे अधिक 2.03 लाख) के बाद आंध्र प्रदेश (1.78 लाख) और कर्नाटक (1.58 लाख) हैं।

राज्य सभा के उप-सभापति का चुनाव

चर्चा में क्यों ?

जल्द ही राज्यसभा (RAJYSABHA) के उपसभापति पद के लिये चुनाव होना है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के अंतिम उपसभापति प्रोफेसर पी.जे. कुरियन (निर्विरोध) थे, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो चुका है तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष में उम्मीदवार के नाम पर सहमति न बनने के कारण चुनाव कराना अनिवार्य हो गया है।

प्रक्रिया

- राज्यसभा के सभापति और उप सभापति का पद एक संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत किया गया है।
- कार्यालय से इस्तीफा देने या पद से हटाए जाने या राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर यह पद रिक्त हो जाता है।
- राज्यसभा का कोई भी सांसद इस संवैधानिक स्थिति के लिये एक सहयोगी के नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।
- साथ ही, प्रस्ताव को आगे बढ़ाने वाले सदस्य को सांसद द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसका कि वह नाम प्रस्तावित कर रहा है यानी जो सांसद निर्वाचित होने पर उप सभापति के रूप में सेवा करने को तैयार है।
- प्रत्येक सांसद को केवल एक प्रस्ताव को स्थानांतरित करने या समर्थन करने की अनुमति है।
- उपसभापति पद के लिये सांसद के नाम का प्रस्ताव पेश होने के बाद राज्यसभा इस पर विचार करती है।
- यदि एक से ज़्यादा सांसदों के नाम के प्रस्ताव किये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मतविभाजन या वोटिंग के ज़रिये विजेता उम्मीदवार का फैसला होता है।
- हालाँकि, सदन में किसी सांसद के नाम पर सहमति बनने के बाद उसे सर्वसम्मति से राज्यसभा का उपाध्यक्ष चुनने की भी व्यवस्था है।

पृष्ठभूमि:

- राज्यसभा के उपसभापति पद के लिये पहला चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था।
- कॉन्ग्रेस के एस.वी.कृष्णमूर्ति राव को लगातार दो अवधियों (1952-56 और 1956-62) के लिये सर्वसम्मति से चुना गया था।
- अब तक राज्यसभा के उपसभापति पद हेतु 19 बार चुनाव हो चुके हैं।
- वर्ष 1969 में पहली बार इस पद हेतु दो सांसदों के बीच विवाद ने जन्म लिया जब RPI के खोबरागड़े ने राज्यसभा में मतविभाजन के ज़रिये जीत हासिल की थी।
- हालाँकि, इसके बाद कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.जे. कुरियन ने अगस्त 2012 में निर्विरोध उपसभापति पद का चुनाव जीता था।
- उल्लेखनीय है कि उप-सभापति का चुनाव पूरी तरह से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- उप-सभापति का पद केवल इसलिये महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह अध्यक्ष/उपराष्ट्रपति के पदरिक्त होने पर कार्य करता है, बल्कि वह सदन के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नोट :

रेलवे सुधार दिग्भ्रमित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्रेनों की आवाजाही को सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं को दूर न कर स्टेशनों का आधुनिकीकरण एक मुखौटा के समान है। साथ ही इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा गया है कि यह यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता की जाँच करने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण मानकों में से एक है।

प्रमुख बिंदु:

- कुछ महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ जैसे - लंबी गाड़ियों के आसान बोर्डिंग के लिये पर्याप्त लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म निर्माण, ट्रेनों को सक्षम बनाना और स्टेशनों में उनके रखरखाव के लिये पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करना और पर्याप्त यार्ड क्षमता, ट्रेनों के समय पर आगमन एवं प्रस्थान में महत्त्वपूर्ण योगदान करती है।
- 15 चयनित स्टेशनों पर मौजूदा बुनियादी ढाँचे की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षक ने देखा कि प्लेटफार्म, स्टेशनों पर वॉशिंग पिट लाइनों और स्थिर लाइनों जैसे बुनियादी ढाँचे को स्टेशनों पर संचालित होने वाले ट्रेनों की संख्या के अनुसार नहीं बढ़ाया गया है।
- पर्याप्त वॉशिंग पिट लाइनों और स्थिर लाइनों के अभाव में रखरखाव के उद्देश्य से खाली ट्रेनों की आवाजाही को बढ़ावा मिलता है जिससे लाइनों में अवरोध उत्पन्न होता है।
- इस तरह स्पष्ट है कि स्टेशनों के आधुनिकीकरण / पुनर्विकास और नई इमारतों का निर्माण किये जाने से पहले से अधिक प्लेटफॉर्म जोड़कर स्टेशनों के आगे विस्तार की संभावना पर विचार किया जाना चाहिये।
- स्टेशनों के आधुनिकीकरण / पुनर्विकास के क्रम में बुनियादी ढाँचा संबंधी अवरोधों, अतिरिक्त प्लेटफार्मों का निर्माण, वॉशिंग पिट लाइनों तथा स्थिर लाइनों का विकास और यार्ड की रीमॉडलिंग आदि को शामिल किया जाना चाहिये।

स्क्रब टाइफस : पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस का प्रमुख कारण

संदर्भ

गोरखपुर के बाबा राघव दास (BRD) मेडिकल कॉलेज के तीन साल के आँकड़ों से पुष्टि हुई है कि प्रत्येक वर्ष अगस्त और अक्तूबर के बीच अस्पताल में भर्ती होने वाले तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (Acute Encephalitis Syndrome -AES) वाले बहुत से रोगियों में स्क्रब टाइफस होता है।

खोज का महत्त्व

- यह खोज इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती दौर में इसकी पहचान हो जाने पर स्क्रब टाइफस का इलाज आसानी से किया जा सकता है।

स्क्रब टाइफस Scrub Typhus

पिस्सुओं के काटने से होने वाली इस बीमारी में भी डेंगू की तरह प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। यह बीमारी स्वयं संक्रामक नहीं है लेकिन इसमें शरीर के कई अंगों में संक्रमण फैलने लगता है। यह बीमारी ओरिएंटा सुसुगामुशी नामक जीवाणु के कारण होती है।

पृष्ठभूमि

- स्क्रब टाइफस की भूमिका का पहला संकेत कर्नाटक के मणिपाल सेंटर फॉर वायरल रिसर्च (Manipal Centre for Viral Research) के शोधकर्त्ताओं द्वारा BRD में 2014 के दौरान किये गए एक अध्ययन के दौरान मिला था। लेकिन तब इस परिकल्पना के बारे में बहुत संदेह था।
- हालाँकि इसके बाद अन्य शोधकर्त्ताओं ने इसी तरह के कुछ और निष्कर्षों की सूचना दी। 2015 में चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (Chennai's National Institute of Epidemiology) की एक टीम ने पाया कि सितंबर-अक्तूबर माह के दौरान परीक्षण किये गए 370 AES रोगियों में से 63% रोगियों में स्क्रब टाइफस के लिये एंटीबॉडी मौजूद थी। ये निष्कर्ष 'जर्नल ऑफ इंफेक्शन' में प्रकाशित किये गए।

नोट :

आँकड़े

- वर्ष 2016 में इसी अवधि के दौरान 407 AES रोगियों में से 65% को यह बीमारी थी।
- इसके अलावा, जब सभी AES रोगियों को स्क्रब टाइफस के उपचार के लिये एज़ीथ्रोमाइसिन (azithromycin) दिया गया तब 35% गैर-स्क्रब-टाइफस रोगियों की मृत्यु हो गई, जबकि स्क्रब रोगियों में से केवल 15% की मृत्यु हुई, जो यह दर्शाता है कि एज़ीथ्रोमाइसिन प्रभावी था। ये निष्कर्ष इस साल मई में बाल चिकित्सा संक्रामक रोग जर्नल (Pediatric Infectious Disease Journal) में प्रकाशित हुए थे।
- अंत में, 2017 में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा साझा किये गए आँकड़ों के मुताबिक, अगस्त-सितंबर के दौरान BRD में भर्ती रोगियों में से 50% से अधिक में स्क्रब टाइफस सकारात्मक पाया गया।

पिस्सुओं (Mites) का अध्ययन

- स्क्रब टाइफस की भूमिका के संदर्भ में और अधिक साक्ष्य चेन्नई के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर (Vector Control Research Centre -VCRC) द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ट्रॉम्बिकुलिड (trombiculid) के अध्ययन से प्राप्त हुए हैं।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ये पिस्सु ओरिएंटा सुसुगामुशी (Orientia tsutsugumashi) बैक्टीरिया (जो स्क्रब टाइफस का कारण बनता है) को स्थानांतरित करते हैं।
- यह अध्ययन जुलाई 2018 में वेक्टर बोर्न और ज़ूनोटिक डिज़ीज़े में प्रकाशित हुआ था।
- यह अध्ययन बताता है कि क्यों मॉनसून के दौरान टाइफस की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि होती है।

जेल संबंधी मामलों की जाँच के लिये एक पैनल का गठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जेलों में होने वाली अत्यधिक भीड़ और इससे निपटने के उपायों सहित अन्य समस्याओं की जाँच के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेल सुधार समिति में भारत सरकार के दो या तीन अधिकारी भी होंगे, जो देश भर की जेलों में बंद महिला कैदियों की समस्याओं सहित अन्य मामलों की जाँच करेंगे।
- न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर, एस.अब्दुल नज़ीर और दीपक गुप्ता की एक खंडपीठ ने रोष प्रकट किया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भारी राशि एकत्र की है लेकिन उस धन का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- उच्चतम न्यायालय ने 5 अगस्त को अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि कई राज्यों ने अभी तक उन आगंतुक बोर्डों को नियुक्त नहीं किया है जो नियमित रूप से जेलों का निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों के अनुसार चल रहे हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय देश भर के 1,382 जेलों में प्रचलित अमानवीय स्थितियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है।
- न्यायालय ने इससे पहले देश भर की अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जेलों के मामले में भी कड़ी आपत्ति दर्ज़ कराई थी और कहा था कि कैदियों के पास भी मानवाधिकार है और उन्हें "जानवरों" की तरह जेल में नहीं रखा जा सकता है।
- इससे पहले भारत भर में जेलों में अप्राकृतिक मौत और जेल सुधारों पर कई दिशा-निर्देश पारित किये गए हैं।

व्यभिचार के लिये दंड व्यावहारिक नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि व्यभिचार के कारण किसी व्यक्ति को पाँच वर्ष के लिये जेल भेजना व्यावहारिक नहीं है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

पाँच न्यायाधीशों की संविधानिक पीठ की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि व्यभिचार को दंडनीय अपराध के रूप में भी नहीं माना जा सकता है और अधिक से अधिक इसे नागरिक दोष कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने तलाक को व्यभिचार के लिये एक नागरिक उपाय बताया।

- व्यभिचार एक ऐसा संबंध है जिसे महिला की सहमति से स्थापित किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई तीसरा पक्ष किसी अन्य की पत्नी के साथ टीका-टिप्पणी या छेड़छाड़ करता है तो इसे बलात्कार के बराबर माना जाता है, जो कि अपराध है।
- किंतु यदि महिला की सहमति से संबंध स्थापित किया जाता है तो इसे किस प्रकार अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। यदि दो वयस्कों के बीच सहमति है तो पत्नी के प्रेमी को क्यों दंडित किया जाए?
- उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय सरकार के विरोध में आया है। इस संदर्भ में सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि व्यभिचार को भारतीय दंड संहिता में रखा जाना चाहिये क्योंकि ऐसा करना लोकहित में उचित होगा और यह विवाह की पवित्रता को सुनिश्चित करता है।
- इसके उत्तर में न्यायालय ने कहा कि विवाह को बचाए रखने की ज़िम्मेदारी संबंधित दंपति की होती है और यदि वे इसमें असफल होते हैं तो इसके लिये नागरिक समाधान मौजूद है। विवाह विच्छेद में लोकहित का मुद्दा कहाँ है?

एनआरआई (NRI) को प्रॉक्सी द्वारा वोट देने की अनुमति के लिये विधेयक पारित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा में गैर-निवासी भारतीयों (NRI) को प्रॉक्सी के माध्यम से चुनाव में मतदान करने की इज़ाज़त देने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पारित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- कई अनिवासी भारतीयों ने पूर्व में यह शिकायत की थी कि वे चुनाव में मतदान करने में "असमर्थ" हैं और इस प्रकार सरकार ने उनके लिये प्रॉक्सी मतदान की अनुमति देने का फैसला किया था।
- विपक्ष के कई सदस्यों ने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की कि क्या एनआरआई द्वारा चुना गया प्रॉक्सी एनआरआई की पसंद के अनुसार मतदान करेगा?
- इस पर भी प्रश्न उठाया गया कि चूँकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक वोट देने की अनुमति देता है, तो ऐसे में प्रॉक्सी को फिर से मतदान करने का मौका कैसे मिलेगा और एक अकेला प्रॉक्सी कितने एनआरआई के लिये वोट दे सकेगा?
- प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति देने से मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता और चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं का सटीक पंजीकरण सुनिश्चित करने से संबंधित सवाल भी लोकसभा में उठाया गया।
- केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने इन प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नियमों को तैयार करते समय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों में किया बदलाव

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा समिति की 'एक राज्य-एक मत' सिफारिश को खारिज करते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के लिये नए संविधान को अंतिम रूप दिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीसीसीआई के बड़े पदाधिकारियों के लिये विश्राम अवधि (कूलिंग–ऑफ़ पीरियड) में भी बदलाव किया गया है।
- सिफारिशों में शिथिलता बरतते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ लोढ़ा समिति की इस सिफारिश से असहमत थी कि क्रिकेट केवल तभी समृद्ध हो सकता है जब बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व हर राज्य और संघ शासित प्रदेश द्वारा किया जाए।
- पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा ने सहयोगी क्रिकेट संघों की सदस्यता को खारिज कर दिया था।
- इसकी बजाय, न्यायालय ने गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के सभी क्रिकेट संघों की बीसीसीआई की पूर्ण सदस्यता बहाल कर दी। इन क्रिकेट संघों में महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र, मुंबई और विदर्भ क्रिकेट संघ और गुजरात राज्य में बड़ौदा और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ शामिल हैं।
- न्यायालय ने अपने फैसले का कारण बताते हुए कहा कि बहिष्कार के आधार के रूप में क्षेत्रीयता का उपयोग करना समस्या उत्पन्न कर सकती है क्योंकि यह क्रिकेट और इसकी लोकप्रियता के विकास में इस तरह के संगठनों द्वारा किये गए योगदानों और उनके इतिहास को अनदेखा करता है।

लोढ़ा समिति और सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में अंतर

- लोढ़ा समिति के अनुसार, एक कार्यकाल के बाद कूलिंग-ऑफ़ पीरियड का सुझाव दिया गया था जिसे न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले के बाद अब लगातार दो कार्यकाल के बाद कर दिया जाएगा।
- जहाँ लोढ़ा समिति के अनुसार, 'एक राज्य-एक मत' की सिफारिश की गई थी, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के सभी क्रिकेट संघों को पूर्ण सदस्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है।
- राज्यों से अलग किसी क्रिकेट संघ को लोढ़ा समिति द्वारा पूर्ण सदस्यता देने से इनकार किया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत रेलवे, सेना और भारतीय विश्वविद्यालय आदि के क्रिकेट संघों को पूर्ण सदस्यता प्रदान की जाएगी।
- लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार, बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों में पद का कार्यकाल कुल 9 वर्ष और आयु सीमा 70 वर्ष तय की गई थी, जबकि न्यायालय द्वारा इन मुद्दों पर निर्णय लिया जाना अभी बाकी है।

भारत की भुगतान संतुलन स्थिति का आकलन

चर्चा में क्यों ?

- भारतीय रिज़र्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार 2017-18 के लिये भारत का भुगतान संतुलन यह प्रदर्शित करता है कि चालू खाता घाटा (CAD) 48.72 बिलियन डॉलर है जो कि 2012-13 के रिकॉर्ड 88.16 बिलियन डॉलर के बाद से सर्वाधिक है।
- हाल ही में स्विस निवेश बैंक क्रेडिट सुईस ने 2018-19 में भारत के लिये 55 बिलियन डॉलर के शुद्ध पूंजी प्रवाह की भविष्यवाणी की है जो कि 75 बिलियन डॉलर के अनुमानित चालू खाता घाटे से कम है। इस कारण से 2011-12 से लेकर अब तक पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने की संभावना है।
- रिज़र्व बैंक के आँकड़े पहले ही यह प्रदर्शित करते हैं कि 8 जून, 2018 को विदेशी मुद्रा भंडार 413.11 बिलियन डॉलर रहा, इसमें मार्च 2018 की समाप्ति के स्तर से 11.43 बिलियन डॉलर की कमी आई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2018 तक 424.55 बिलियन डॉलर का था जो कि विश्व में आठवाँ सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, इससे 10.9 माह की आयात ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है।
- इस दृष्टिकोण से आर्थिक तंगी का कोई भी संकेत पूरी तरह गलत होगा क्योंकि रिज़र्व बैंक का वर्तमान मुद्रा भंडार तत्काल आयात ज़रूरतों और रुपए पर आने वाले संकट दोनों को टालने के लिये पूर्णत: पर्याप्त है।
- सामान्यत: सभी राष्ट्र आयातों की तुलना में निर्यातों से अपने मुद्रा भंडार को संचित करते हैं। निर्यात के मुकाबले वाणिज्यिक वस्तुओं के आयात की कीमतों के साथ भारत को हमेशा अपने पण्य व्यापार खाते पर घाटे का सामना करना पड़ा है। परंतु उसी दौरान देश को परंपरागत रूप से अपने अदृश्य खाते पर अधिशेष का लाभ मिला है।

नोट :

- अदृश्य खाते में मूलत: सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात से प्राप्तियाँ, प्रवासी श्रमिकों द्वारा आवक प्रेषण और पर्यटन तथा दूसरी तरफ बैंकिंग, बीमा और शिपिंग सेवाओं के अलावा ब्याज भुगतान, विदेशी ऋण पर लाभांश एवं रॉयल्टी, निवेश और प्रौद्योगिकी/ब्राण्डों को शामिल किया जाता है।
- लेकिन अदृश्य अधिशेष 2001-02 से 2003-04 के तीन वर्षों के अलावा व्यापार घाटे से अधिक नहीं है इसके परिणामस्वरूप देश लगातार चालू खाता घाटा दर्ज कर रहा है।
- चालू खाता घाटा 2012-13 के 88.16 बिलियन डॉलर से घटकर 2016-17 में 15.30 बिलियन डॉलर हो गया, इसका मुख्य कारण भारत के तेल आयात बिल में लगभग आधे की कमी होना है जो कि 164.04 बिलियन डॉलर से घटकर 86.87 बिलियन डॉलर हो गया।
- हालाँकि, 2017-18 में चालू खाता घाटा 48.72 बिलियन डॉलर हो गया और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पुन: बढ़ोत्तरी के कारण इस वित्त वर्ष में इसके 75 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होने की उम्मीद है।
- भारत के संदर्भ में अब पूंजी प्रवाह के कम होते जाने के संकेत मिल रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1 अप्रैल से भारतीय इक्विटी और ऋण बाजारों में 7.9 बिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री की है। यह अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की 2018 के अंत तक अपने मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम को समाप्त करने की योजना के फलस्वरूप उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में एक बड़े बिकने वाले पैटर्न का हिस्सा है।

भारत द्वारा चालू खाता घाटे का प्रबंधन

- एक देश का विदेशी मुद्रा भंडार न केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से संचित होता है बल्कि विदेशी निवेश, वाणिज्यिक उधारियाँ या विदेशी सहायता के रास्ते पूंजी प्रवाह से भी प्राप्त होता है।
- इसी वजह से कई वर्षों से चालू खाता घाटा होने के बावजूद भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बना हुआ है क्योंकि अधिकांश वर्षों में भारत में शुद्ध पूंजी प्रवाह, चालू खाता घाटे से ज़्यादा रहा है। यही पूंजी प्रवाह का अधिशेष विदेशी मुद्रा भंडार के निर्माण में सहायक होता है।
- इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण वर्ष 2007-08 में देखने को मिला, जब शुद्ध विदेशी पूंजी अंतर्वाह 107.90 बिलियन डॉलर था, जो 15.74 बिलियन डॉलर के चालू खाता घाटे से काफी अधिक हो गया, जिससे एक वर्ष के दौरान ही विदेशी मुद्रा भंडार में 92.16 बिलियन डॉलर की अभिवृद्धि हो गई।
- हालाँकि, 2008-09 और 2011-12 जैसे कुछ वर्ष भी रहे हैं, जहाँ अपर्याप्त शुद्ध पूंजी प्रवाह के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी गई जिससे चालू खाता घाटे का वित्तपोषण भी संभव नहीं था।

भुगतान संतुलन के संबंध में भारत की विशेष स्थिति

- भारत और ब्राजील अर्थव्यवस्थाओं के अद्वितीय मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने भुगतान संतुलन के चालू खाते की बजाय अपनी पूंजी की ताकत पर बड़े स्तर के विदेशी मुद्रा भंडार बनाए हैं। भारत इस मामले में और भी विशेष है क्योंकि ब्राज़िलियन मुद्रा रियाल के विपरीत इसकी मुद्रा अपेक्षाकृत स्थिर है और लगातार कारोबारी उतार-चढ़ाव से होने वाले जोखिम से सुरक्षित है।
- सिद्धांतत:, एक देश तब तक चालू खाता घाटे को वित्तपोषित करने के लिये पूंजीगत प्रवाह को आकर्षित कर सकता है जब तक इसकी विकास संभावनाएँ अच्छी हों और निवेश वातावरण भी समान रूप से बेहतर हो।
- हालाँकि, यदि ऐसा विदेशी निवेश सामान्य उत्पादन या घरेलू बाजार के लिये आयात करने के विपरीत अर्थव्यवस्था के विनिर्माण और सेवाओं की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में किया जाता है,तो भी सहायक होगा। लंबे समय तक यह चालू खाता घाटे को अधिक टिकाऊ स्तर तक सीमित करने में मदद कर सकता है।

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया। इसके अंतर्गत होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।

नोट :

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने के एक वर्ष के भीतर केंद्रीय परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा और केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पद रिक्त हो जाएंगे।
- केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें अधिकतम सात सदस्य होंगे, जो होम्योपैथी तथा होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति-प्राप्त और सत्यनिष्ठा वाले होंगे ये केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या उसके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पदेन सदस्य होंगे जिनमें से एक का चयन केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के सभापति के रूप में किया जाएगा।
- शासी बोर्ड का सभापति और अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे।
- सभी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिये उपबंध करना।
- विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये है।

संशोधन की आवश्यकता क्यों है ?

- परिषद में गंभीर दुराचार के मामले सामने आए हैं जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा की क्वालिटी में गिरावट आई है। केंद्रीय सरकार ने परिषद के कार्यकरण को कारगर बनाने और परिषद के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने के लिये विभिन्न कदम उठाए हैं। तथापि परिषद ने केंद्रीय सरकार की ऐसी सभी पहलों को बाधित किया है।
- परिषद के बहुत से सदस्य अपनी पदावधि पूर्ण होने के बाद भी लंबे समय से परिषद में बने हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त परिषद के सभापति के विरुद्ध गंभीर कदाचार के कई आरोप भी सामने आए हैं जो कि पदावधि की समाप्ति के पश्चात् भी परिषद के सदस्य के तौर पर कार्य कर रहे थे, इसका मुख्य कारण यह है कि नए पदाधिकारी के चयन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की जा सकी।

पृष्ठभूमि

- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1974 को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के गठन, होम्योपैथी रजिस्टर के रख-रखाव तथा उससे संबंधित विषयों के लिये अधिनियमित किया गया था।
- वर्ष 2002 में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को नए महाविद्यालय स्थापित करने और विद्यमान महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने या प्रवेश क्षमता बढाने हेतु संशोधित किया गया था।

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से केंद्र का इनकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने पटाखों पर राष्ट्र स्तरीय प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया और दिवाली के दौरान प्रदूषण को रोकने के वैकल्पिक उपायों के रूप में प्रमुख शहरों में "हरित पटाखों" के उत्पादन, सामुदायिक रूप से पटाखे फोड़ने और श्रृंखला में पटाखों या लड़ियों के उत्पादन पर नियंत्रण का सुझाव दिया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सुझाए गए अन्य सुझावों में कहा कि राज्य सरकारों द्वारा पूर्व निर्धारित जगहों पर भी पटाखे फोड़े जा सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय आपातकालीन आधार पर प्रदूषण से निपटने के लिये किसी भी प्रकार के पटाखों और फुलझड़ियों के उपयोग, निर्माण, लाइसेंसिंग, बिक्री, पुनर्विक्रय या वितरण पर पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग से संबंधित शिकायतों के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था।
- पटाखा निर्माताओं ने अदालत से इस साल दिवाली का मौसम शुरू होने से पहले अगस्त में केंद्र द्वारा दिये गए सुझावों को गति देने का आग्रह किया।

नोट :

केंद्र सरकार द्वारा दिये गए महत्त्वपूर्ण सुझाव

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रदूषण की समस्या से निपटने और दिवाली के दौरान प्रदूषण का मुकाबला करने के लिये अल्पकालिक उपायों को तैयार करने के तरीकों का सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पाँच पृष्ठ का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।
- केंद्र सरकार ने दिवाली के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI), पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) जैसे संस्थानों को एक साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया।
- सरकार ने कच्चे माल की निरूपण सुविधाओं (Raw Material Characterization Facilities-RMCF) की स्थापना का सुझाव दिया ताकि पटाखों में बिना जली सामग्री, आंशिक रूप से जली हुई सामग्री की उच्च मात्रा या गन पाउडर में खराब गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की उपस्थिति की जाँच हो सके।
- केंद्र सरकार ने 'कम उत्सर्जन वाले पटाखे या उन्नत पटाखों' का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा। ये पटाखे "30-35% तक PM कमी के साथ निम्न ध्वनि व निम्न प्रकाश उत्सर्जक हैं और निम्न प्रदूषणकारी के रूप में अंतर्स्थाने (इन-सीटू) जल उत्पादन के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड में महत्त्वपूर्ण कमी करते हैं तथा निम्न लागत वाले ऑक्सीडेंट्स के कारण कम लागत के हैं।"
- सरकार ने कहा कि PESO से यह सुनिश्चित करने के लिये संपर्क किया जा सकता है कि पटाखों में स्वीकृत रसायनों और निर्धारित किये गए डेसीबल स्तरों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं। PESO लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, सीसा, पारा जैसे प्रतिबंधित पदार्थों के लिये परीक्षण शुरू कर सकता है।
- CPCB और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 14 दिनों (दिवाली से सात दिन पहले और दिवाली के सात दिन बाद तक) के लिये पटाखा फोड़ने के संबंध में सीपीसीबी द्वारा प्रस्तावित अल्पकालिक वायु गुणवत्ता परिवेश के विरुद्ध नियामक मानकों के अलावा एल्युमीनियम, बेरियम, आयरन के मानकों के लिये अपने शहरों में अल्पकालिक निगरानी करेंगे।

राज्यसभा चुनाव में NOTA का इस्तेमाल नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यसभा चुनावों के लिये नोटा (उपर्युक्त में से कोई भी) विकल्प के उपयोग को रद्द कर दिया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने वर्ष 2014 और 2015 में दो अधिसूचनाएँ जारी करके राज्यसभा चुनाव में नोटा को लागू किया था।

'नोटा' क्या है ?

- इसका अर्थ है 'इनमें से कोई नहीं'।
- भारत में नोटा के विकल्प का उपयोग पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिये गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ, विदित हो कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत सरकार मामले में शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिये नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए।
- इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वाँ देश बन गया।
- नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा (NONE OF THE ABOVE-NOTA) के उपयोग के लिये गुलाबी रंग का बटन होता है।
- यदि पार्टियाँ ग़लत उम्मीदवार खड़ा करती हैं तो नोटा का बटन दबाकर पार्टियों के प्रति जनता अपना विरोध दर्ज करा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- यह महत्त्वपूर्ण फैसला गुजरात कॉन्ग्रेस के नेता और मुख्य सचेतक शैलेश मनुभाई परमार द्वारा दायर की गई याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए.एम. खानविलकर और डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनाया है।
- इस याचिका में राज्यसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा नोटा विकल्प लागू करने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।
- न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की एक बेंच ने कहा कि यह विकल्प केवल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष चुनावों के लिये है, न कि हस्तांतरण योग्य वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा आयोजित राज्यसभा चुनावों के लिये।

नोट :

- कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से एक मत के औसत मूल्यांकन की धारणा नष्ट होगी और इससे भ्रष्टाचार और दल-बदल को भी बढ़ावा मिलेगा।
- कोर्ट ने राज्यसभा चुनावों में होने वाले मतदान की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यहाँ एक सचेतक होता है और मतदाता पार्टी के आदेश का पालन करने के लिये बाध्य होता है।
- दरअसल, इस तरह के चुनाव में पार्टी अनुशासन अत्यधिक महत्त्व रखता है, क्योंकि पार्टियों का अस्तित्व इन्हीं के सहारे होता है।
- ऐसा भी कहा जा सकता है कि संसदीय लोकतंत्र के लिये यह आवश्यक है।
- कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से न सिर्फ संविधान की दसवीं अनुसूची में दिये गए अनुशासन संबंधी नियमों का हनन होता है बल्कि दल-बदल कानून में अयोग्यता के प्रावधानों पर भी विपरीत असर पड़ता है।
- र्ट ने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करना पहली नज़र में बुद्धिमत्तापूर्ण कदम प्रतीत होता है, लेकिन अगर इसकी पड़ताल की जाए तो यह आधारहीन लगता है।
- ऐसे चुनाव में मतदाता की भूमिका को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी आती है।

स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये नीति आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने ओडिशा विकास सम्मेलन-2018 को संबोधित करते हुए बताया कि आयोग ने तीन प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों-स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य की पहचान की है।

ओडिशा से संबंधित प्रमुख तथ्य

- उन्होंने यह भी कहा कि "बच्चों को कुपोषित रहते हुए जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं।"
- उल्लेखनीय है कि देश में लगभग 38% बच्चे कुपोषित हैं जबकि 50% माताएँ एनीमिक हैं।
- ओडिशा राज्य में एसटी और ईसाई आबादी की महिलाओं और बच्चों के बीच एनीमिया सबसे ज्यादा है।
- मुस्लिमों को छोड़कर सभी जाति और सामाजिक समूहों में 50% से अधिक महिलाएँ ओडिशा में एनीमिया से पीड़ित हैं।
- इसके अलावा ओडिशा की कुल आबादी के लगभग एक-तिहाई लोग रोज़गार के लिये अन्य राज्यों में प्रवास को मज़बूर हैं और लगभग 40% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग विकास के दायरे से बाहर हैं।
- राज्य ने 'शिक्षा के सार्वभौमीकरण' का लक्ष्य तो हासिल कर लिया है, किंतु अभी गुणवत्ता पैरामीटर पर राज्यों का आकलन करना बाकी है।
- इसी संदर्भ में नीति आयोग शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर राज्यों को रैंकिंग हेतु एक तंत्र तैयार कर रहा है।
- इसी प्रकार, केंद्र सरकार भी देश भर में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है क्योंकि मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक से काम नहीं कर रहे थे।
- उल्लेखनीय है कि कि नए स्वास्थ्य केंद्रों में अन्य आधुनिक उपकरणों के अलावा टेली-मेडिसिन की सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी।

ओडिशा विकास सम्मेलन-2018

- ओडिशा विकास सम्मेलन का दूसरा संस्करण 24-26 अगस्त, 2018 को भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है
- इससे पूर्व पहला संस्करण वर्ष 2016 में संपन्न हुआ था।
- यह सम्मेलन सरकार, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट घरानों, पंचायती राज संस्थानों, अकादमिक संस्थानों और सामुदाय-आधारित संगठनों को राज्य की प्रमुख चुनौतियों से निपटने हेतु सहयोग और सहभागिता द्वारा रणनीतिक रूप से एक आम एजेंडे के साथ आगे आने का अवसर प्रदान करेगा।
- यह सम्मेलन व्यापक विकास दृष्टिकोण पेश करेगा जो नीति निर्माताओं और प्रशासकों को प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर राज्य को आगे बढ़ाने के लिये मार्गदर्शन करेगा।

नोट :

तेलंगाना ने कृष्णा नदी जल विवाद को ट्रिब्यूनल को सौंपने की मांग की

चर्चा में क्यों ?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया है कि कृष्णा नदी के जल बँटवारे को लेकर विवाद को अधिकरण को सौंप दिया जाए ताकि राज्य के लोगों को न्याय मिल सके।

प्रमुख बिंदु:

- तेलंगाना द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार अनुरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति बृजेश कुमार ट्रिब्यूनल की अवधि बढ़ा दी थी और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार मामले को संदर्भित किया गया था।
- चूँकि अधिनियम की धारा 89 का दायरा काफी सीमित था जो तेलंगाना के उचित मांगों के साथ न्याय करने में नहीं सक्षम होता। इसलिये यह अनिवार्य हो गया था कि मामले को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाए।
- एक अलग अनुरोध में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीता राम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को एक नई परियोजना के बजाय गोदावरी नदी पर चल रही एक पुरानी परियोजना के रूप में माना जाए ताकि परियोजना को आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद समय पर पूरा किया जा सके।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश की पूर्व सरकार ने परियोजना को ₹ 1,681 करोड़ की लागत वाली राजीव दुमुगुडेम लिफ्ट सिंचाई योजना और ₹ 1,824 करोड़ लागत की इंदिरासागर रूद्रमकोटा लिफ्ट सिंचाई योजना के रूप में मंजूरी दे दी।
- तदनुसार इन दो परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया था और राज्य के विभाजन के समय क्रमश: ₹ 871.8 करोड़ और ₹ 899.36 करोड़ खर्च किए गए थे।
- हालाँकि परियोजना को फिर से डिज़ाइन किया जाना था क्योंकि इंदिरासगर परियोजना का मुख्य कार्य शेष आंध्र प्रदेश में चला गया था और इसका सीमांकन कार्य वन्यजीव अभयारण्य के कोर क्षेत्र से होकर गुजर रहा था।
- गौरतलब है कि अंतर्राज्यीय मुद्दों से बचने के लिये सरकार ने परियोजना के मुख्य कार्य को तेलंगाना के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया।

धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने पर आजीवन कारावास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से सभी धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने के खिलाफ आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करने के लिये भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु विधेयक पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2018 के तहत धारा 295 AA को समाहित किया गया है।
- इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति द्वारा गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद्भगवद्गीता, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबिल या अन्य किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जानबूझ कर क्षति, नुकसान और आघात पहुँचाया जाता है जिससे लोगों की धार्मिक भावना आहत होती है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया जाएगा।

निवारक कार्रवाई

- पंजाब सरकार ने राज्य में हाल के दिनों में घटित कुछ घटनाओं जिसमें पवित्र धार्मिक ग्रंथों को क्षति पहुँचाकर राज्य की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, को देखकर यह कदम उठाया है।
- इस तरह पंजाब सरकार का यह कदम राज्य में शांति व सहिष्णुता को कायम करने के मार्ग में एक निवारक कार्रवाई के रूप में है।

नोट :

माब लिंचिंग पर समिति ने रिपोर्ट सौंपी

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में माब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल गठित किया गया था। समिति ने इस विषय पर विचार – विमर्श कन्र के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता कर रहे राजनाथ सिंह को सौंप दी है।

प्रमुख बिंदु

- पैनल ने लिंचिंग की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 'समयबद्ध तरीके' से कार्य करने की आवश्यकता है।
- फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मिडिया प्लेटफॉर्मों के संज्ञान में लाए जाने के बाद विद्वेषपूर्ण पोस्ट और वीडियो को प्रतिबंधित नहीं करने पर उन्हें उत्तरदायी बनाया जाएगा और सरकार के आदेशों का पालन न करने पर देश में कार्यरत संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रमुख पर प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले विभिन्न हितधारकों से इस संबंध में चर्चा भी की थी।

कानून में ऐसा प्रावधान है जो सरकार को आपत्तिजनक सामग्री को हटाने, वेबसाइटों को ब्लॉक करने आदि कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। इस तरह कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इन आदेशों को आगे बढ़ाने और अधिक सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है। इसके लिये सोशल मीडिया के साथ संबंधों को भी आगे बढ़ाना होगा।

- इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिये विभिन्न सरकारी आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में एक रिपोर्ट दी गई थी। इसे बेहतर बनाने और समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने पर वे सहमत हैं।
- कुछ देशों में गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवकों के माध्यम से इंटरनेट की निगरानी की जाती है, वहीं पैनल द्वारा इसके लिये एक पोर्टल बनाने की बात कही गई है जहाँ लोगों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री और विडियो के संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी जिसे राष्ट्रीय अपराध ब्यूरों द्वारा संबंधित राज्य को उचित कार्रवाई के लिये भेजा जा सकेगा।

विशेष कार्य बल

- केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले में पुलिस अधीक्षक के स्तर पर एक अधिकारी नियुक्त करने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिये एक विशेष कार्य बल गठित करने और बच्चों की चोरी या मवेशियों की तस्करी के संदेह में लोगों पर भीड़ द्वारा किये जाने वाले हमलों को रोकने के लिये सोशल मिडिया पर निगरानी रखने के लिये कहा गया है।

दिल्ली में अखिल भारतीय आरक्षण नियम

चर्चा में क्यों ?

एक वाद में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण राज्य विशिष्ट है, लेकिन दिल्ली एक 'लघु भारत' है जहाँ "अखिल भारतीय आरक्षण नियम" लागू होता है।

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अगुवाई में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह कहा कि रोज़गार या शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवासित किसी अन्य राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति का नहीं माना जा सकता है।
- न्यायाधीश ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ राज्य/संघ शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। इसके संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची को समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एन .वी रमण, आर. भानुमति, एम.एम. शांतनगौदर और एस. अब्दुल नज़ीर शामिल थे।
- लेकिन न्यायमूर्ति भानुमति बहुमत से इस बिंदु पर कि दिल्ली के लिये अखिल भारतीय आरक्षण का नियम " संघीय राजनीति की संवैधानिक संरचना के अनुकूल है", असंतुष्ट दिखे।
- न्यायमूर्ति बनुमथी ने कहा कि यदि दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेशों में अखिल भारतीय आरक्षण का नियम लागू होता है तो इससे अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान की संविधान की योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
- हालाँकि, न्यायमूर्ति भानुमथी ने इस पर सहमति व्यक्त की कि आरक्षण राज्य-विशिष्ट होना चाहिये।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

सरकार ने लगाया आयातित सौर सेल पर 25 प्रतिशत सुरक्षात्मक शुल्क

चर्चा में क्यों ?

भारत ने चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल पर दो साल के लिये सुरक्षात्मक शुल्क लगाया है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा यह कदम बड़ी मात्रा में हो रहे आयात को देखते हुए घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिये उठाया है।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह शुल्क 12 महीने तक (30 जुलाई, 2018 से 29 जुलाई 2019) 25 प्रतिशत, उसके अगले 6 महीने तक (30 जुलाई 2019 से 29 जनवरी 2020) 20 प्रतिशत और उसके बाद 6 महीने तक (30 जनवरी 2020 से 29 जुलाई 2020) 15 प्रतिशत लगाया गया है।
- आयातित सौर सेल पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यापार उपचार महानिदेशालय (Directorate General of Trade Remedies -DGTR) ने की थी।
- इस शुल्क का सबसे अधिक असर चीन से आने वाले सोलर पैनलों पर पड़ेगा क्योंकि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 85 प्रतिशत से ज़्यादा चीन के पैनलों की भूमिका है।

सुरक्षात्मक शुल्क का प्रभाव

- हालाँकि, इस कदम का उद्देश्य घरेलू सौर सेल विनिर्माण क्षेत्र की मदद करना है लेकिन यह सस्ते आयात पर निर्भर मौजूदा परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है।
- इस शुल्क के लागू होने से सौर ऊर्जा के दाम लगभग 3 रुपए/यूनिट हो जाएँगे जिसके कारण हाल में बोली लगाई गई परियोजनाओं के साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं की बिजली दरों में बदलाव करना पड़ेगा।
- शुल्क में बदलाव की वज़ह से नियामकीय प्रक्रिया और बिजली दर महँगी होने पर राज्यों द्वारा बिजली खरीद समझौते को रद्द किया जा सकता है जिसका असर 7,000 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं पर पड़ सकता है। साथ ही शुल्क लगाए जाने से सौर ऊर्जा परियोजना की लागत बहुत बढ़ जाएगी।
- सुरक्षात्मक शुल्क का बोझ खरीदारों पर डाला जा सकता है और परियोजना डेवलपर बिजली की बिक्री के अंतिम मूल्य में इसका समायोजन कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन (ISMA) ने पाँच भारतीय उत्पादकों- मूंदड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड, इंडोसोलर लिमिटेड, जुपिटर सोलर पावर, वेबसोल एनर्जी सिस्टम तथा हेलिओर फोटो वोल्टिक की तरफ से DGTR को आवेदन दिया था। आवेदन में दावा किया गया था कि सेल के आयात में वृद्धि से घरेलू कंपनियाँ प्रभावित हो रही हैं।
- महानिदेशालय द्वारा की गई जाँच में भी पाया कि सौर सेल का आयात बढ़ने से घरेलू उत्पादों को नुकसान हुआ है।

रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों में की बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं का हवाला देते हुए पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार 25 आधार अंकों के साथ ब्याज दरें बढ़ा दीं, जिससे बेंचमार्क रेपो दर 6.5% पर पहुँच गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह वृद्धि घरों और कारों की खरीद को वित्तपोषित करने की इच्छा रखने वाले उपभोक्ताओं से लेकर पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ऋणों पर निर्भर व्यवसायों तक सभी उधारकर्त्ताओं के लिये ऋण की लागत को बढ़ाएगी।

खुदरा मुद्रास्फीति

- आरबीआई ने कहा कि जून में खुदरा मुद्रास्फीति के 5% तक बढ़ जाने के बाद इसे नियंत्रित रखने के लिये यह कदम उठाना ज़रूरी था और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता सहित घरेलू और वैश्विक अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी को इसकी पृष्ठभूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- केंद्रीय बैंक ने अपने नीति वक्तव्य में कहा, "आगामी महीनों में घरेलू मुद्रास्फीति में आने वाली अनिश्चितता की निगरानी की जानी चाहिये।"
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 7.4% की आर्थिक वृद्धि के लिये अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा और अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के विस्तार की गति 7.5% तक पहुँच जाएगी।

रेपो रेट

- जैसा कि हम जानते हैं, बैंकों को अपने काम-काज़ के लिये अक्सर बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। बैंक इसके लिये आरबीआई से अल्पकाल के लिये कर्ज़ मांगते हैं और इस कर्ज़ पर रिज़र्व बैंक को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं।
- रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव
- अक्तूबर 2013 के बाद यह पहली बार होगा कि लगातार दूसरी समीक्षा बैठक में ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले इस वर्ष जून में भी ब्याज दरें बढाई गई थीं।
- ब्याज दरों में हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। रेपो रेट के बढ़ने से बैंकों से लिये गए होम लोन और ऑटो लोन समेत अन्य कर्ज़ महँगे हो जाएंगे। लोगों की ईएमआई भी महँगी हो जाएगी।

ट्राई द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की बिक्री को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश में पहली बार 5G सेवाओं की पेशकश के लिये लगभग 492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज़ के एक अखिल भारतीय आरक्षित मूल्य पर स्पेक्ट्रम की नीलामी की सिफारिश की।

प्रमुख बिंदु

- अपनी सिफारिशों में ट्राई ने उच्च गति सेवाओं के लिये लोकप्रिय 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमतों में भी 43% से अधिक की कटौती की मांग की है।
- 2016 की नीलामी में उच्च मूल्य निर्धारण के कारण इसे कोई खरीदार नहीं मिला। 700 मेगाहर्ट्ज़ के लिये अनुशंसित अखिल भारतीय आरक्षित मूल्य पिछली बार के 11,500 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज़ की तुलना में इस बार 6,538 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज़ है।
- आगामी बिक्री में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को नीलामी में रखे जाने की अनुशंसा करते हुए ट्राई ने सुझाव दिया कि "नीलामी में देरी या स्पेक्ट्रम को वापस रखने में कोई समझदारी नहीं है।"
- सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई इन सिफारिशों के आधार पर नीलामी के अगले चरण के लिये आधार मूल्य और समय को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- स्पेक्ट्रम के लिये आखिरी नीलामी अक्तूबर 2016 में हुई थी, जिसमें लगभग 60% स्पेक्ट्रम बिना बिके रह गए थे, सरकार ने इस नीलामी से 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की थी।
- वर्ष 2016 से दूरसंचार उद्योग में मज़बूत समेकन देखा गया है, केवल तीन मुख्य प्रतिस्पर्द्धी- भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और रिलायंस जियो ही मैदान में बचे हैं।

नोट :

स्पेक्ट्रम के लिये प्रस्तावित कीमतें

- व्यापक रूप से ध्वनि सेवाएँ प्रदान करने हेतु उपयोग किये जाने वाले 1,800 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिये 3,285 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य की सिफारिश की गई है।
- 800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड और 2500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड स्पेक्ट्रम के लिये आरक्षित मूल्य क्रमश: 4651 करोड़ रुपए, 1622 करोड़ रुपए, 3399 करोड़ रुपए, 960 करोड़ रुपए, और 821 करोड़ रुपए रखा गया है।
- 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़ और 3300-3600 मेगाहर्ट्ज़ की कीमतें अनपेक्षित स्पेक्ट्रम के लिये हैं।

लेखा परीक्षा की आवश्यकता

- ट्राई ने यह भी बताया कि वाणिज्यिक और विभिन्न पीएसयू तथा सरकारी संगठनों को आवंटित स्पेक्ट्रम सहित सभी आवंटित स्पेक्ट्रम के लेखा परीक्षा की "तत्काल आवश्यकता" है। यह कार्य नियमित आधार पर एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिये।
- 5G वायु तरंगों यानी 3300-3600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिये, ट्राई ने कहा कि इसे 20 मेगाहर्ट्ज़ के ब्लॉक आकार में नीलामी में रखा जाना चाहिये। इस बैंड के एकाधिकार से बचने के लिये प्रति बोलीदाता 100 मेगाहर्ट्ज़ की सीमा होनी चाहिये।
- ट्राई ने कहा कि दुरुपयोग से बचने के लिये 2 साल के विपरीत 5 साल की लॉक-इन अवधि के बाद इस बैंड में स्पेक्ट्रम व्यापार की अनुमति दी जानी चाहिये।

निधि उपयोग के निर्णय में राज्य सरकारों का अत्यधिक हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE) द्वारा ज़िला खनिज फाउंडेशन पर किये गए अध्ययन में यह समझने के लिये कि डीएमएफ ट्रस्ट कैसे काम करते हैं; ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 12 शीर्ष खनन राज्यों में 50 खनन जिलों की समीक्षा की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस अध्ययन के अनुसार किसी भी ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) ने खनन प्रभावित लोगों को इसके लाभार्थियों के रूप में नहीं पहचाना है; ज़्यादातर राज्यों में डीएमएफ प्रशासन में नौकरशाहों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रभुत्व है।
- उचित प्रशासनिक ढाँचे की अनुपस्थिति के कारण योजना के कार्यान्वयन में स्पष्टता का अभाव है तथा डीएमएफ फंडों का उपयोग कैसे किया जाएगा इसका निर्णय लेने में बहुत अधिक सरकारी हस्तक्षेप है।
- अध्ययन में बताया गया है कि कहीं भी लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से खान या खनन से संबंधित गतिविधियों के स्थान के आधार पर क्षेत्र का विकास करना है।
- जबकि खानों के आस-पास रहने वाले लोग निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण लाभार्थियों को छोड़ देता है, जैसे खनन के कारण विस्थापित हुए लोग और खनन के लिये अपनी आजीविका (वन-आधारित आजीविका सहित) खोने वाले लोग।
- अध्ययन में कहा गया है कि किसी भी राज्य के डीएमएफ में ग्रामसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व की व्यावहारिक रूप से कोई गुंजाइश नहीं है।
- अध्ययन के अनुसार एक भी ज़िले ने बाल पोषण और पाँच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार के लिये आवश्यक निवेश नहीं किया है। यह ज़्यादातर खनन प्रभावित ज़िलों में एक मुख्य समस्या है और उच्च जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में स्थिति विशेष रूप से खराब है।

बेनामी अधिनियम के तहत अभियोजन का मामला फिर अटका

चर्चा में क्यों ?

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत दाखिल किये गए लगभग 100 स्थायी मामलों में वांछित अभियुक्तों के अभियोजन का मामला लटक गया है क्योंकि इस उद्देश्य के लिये अधिनियम में प्रावधानित देश भर में विशेष अदालतों की स्थापना अभी तक नहीं की जा सकी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस कानून के तहत 5000 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी परिसंपत्तियों को आयकर विभाग द्वारा कुर्क किया गया है।
- अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से विशेष अदालतों की स्थापना करेगी।
- ऐसी अदालतों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाना चाहिये कि ऐसे मामलों का विचारण "यथासंभव शीघ्रता से" किया जा सके।
- अधिनियम में कहा गया है, "शिकायत दर्ज करने की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसे मामलों का विचारण समाप्त करने के लिये विशेष अदालतों द्वारा हरसंभव प्रयास किया जाएगा।"
- आवश्यक विशेष अदालतों को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। इसलिये विभिन्न राज्यों में आई-टी विभाग द्वारा लगभग 100 मामलों की जाँच पूरी करने तथा निर्णयन प्राधिकारी द्वारा संपत्तियों को कुर्क किये जाने की पुष्टि के बावजूद आरोपियों के विरुद्ध विचारण शुरू नहीं हुआ है।

दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात व्यवसाय हेतु सबसे अच्छे राज्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के राज्य निवेश संभाव्यता सूचकांक, 2018 में अपनी स्थिति में सुधार करते हुए दिल्ली निवेशकों के लिये सबसे आकर्षक राज्य के रूप में उभरा है।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष N-SIPI के तीसरे संस्करण में विभिन्न मानकों के आधार पर दिल्ली समेत 21 प्रमुख राज्यों को स्थान दिया गया है।
- गुजरात जो इससे पहले प्रथम स्थान पर था, दो स्थान फिसल कर तीसरे स्थान पर पहुँच गया। N-SIPI नामक सूचकांक में सबसे आश्चर्यजनक वृद्धि तमिलनाडु की देखी गई, जो चार स्थान उछलकर दूसरे स्थर पर आ गया।
- पश्चिम बंगाल पिछले साल की तुलना में 11 स्थानों की छलांग के साथ निवेशकों के लिये दसवाँ सबसे आकर्षक राज्य बनकर उभरा।
- आंध्र प्रदेश के प्रति आकर्षण में इस वर्ष कमी देखी गई जो 2017 के तीसरे स्थान से फिसलकर सूचकांक, 2018 में सातवें स्थान पर पहुँच गया, जबकि पंजाब चार स्थान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर आ गया।
- कुल रैंकिंग में दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल व्यापार करने के लिये सबसे आकर्षक राज्य के रूप में उभरे, जबकि ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और बिहार इस सूची में सबसे नीचे रहे।

मुख्य बाधाएँ

- N-SIPI का निर्माण छह स्तंभों के साथ किया गया था जिन्हें चार व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया था- कारक-संचालित (भूमि और श्रम), दक्षता-संचालित (आधारभूत संरचना), संवृद्धि-संचालित (आर्थिक जलवायु, राजनीतिक स्थिरता एवं शासन), और अवधारणाओं से प्रेरित (सर्वेक्षण के लिये प्रतिक्रियाएँ)।
- एनसीएईआर के शोधकर्त्ताओं ने सर्वेक्षण के लिये विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विभिन्न आकार के 1,049 व्यावसायिक उद्यमों से संपर्क किया।
- अवधारणा सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं के अनुसार, कानून और व्यवस्था की स्थिति एक प्रमुख मुद्दा है, लगभग 55 प्रतिशत लोगों ने इसे प्राथमिक बाधा माना। 2017 के सर्वेक्षण में लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने भ्रष्टाचार की पहचान एक बड़ी बाधा के रूप में की थी।
- सर्वेक्षण के महत्त्वपूर्ण तथ्य
- इस बार भ्रष्टाचार की पहचान एक बड़ी बाधा के रूप में करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात गिरकर 46 प्रतिशत हो गया। उत्तरदाताओं द्वारा पहचाने गए अन्य महत्त्वपूर्ण बाधाओं में भूमि के लिये अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई, जीएसटी से संक्रमण, कुशल श्रम गुणवत्ता और व्यवसाय शुरू करने से पहले सभी अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई आदि शामिल हैं।

नोट :

- N-SIPI के सभी स्तंभों का अलग-अलग मूल्यांकन करने से पता चला है कि तेलंगाना भूमि स्तंभ के प्रदर्शन के आधार पर सबसे अच्छा निष्पादक रहा, इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा।
- श्रम स्तंभ में प्रदर्शन के आधार पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने अपनी पहली और दूसरी स्थिति बनाए रखी तथा बुनियादी ढाँचे के स्तंभ के प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली ने अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी।
- आर्थिक जलवायु स्तंभ पर दिल्ली ने पहला स्थान बरकरार रखा, जबकि तेलंगाना चार स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गया। शासन और राजनीतिक स्थिरता स्तंभ पर तमिलनाडु ने चार स्थानों की छलांग के साथ हरियाणा को विस्थापित करके पहला स्थान प्राप्त किया। हरियाणा इस स्तंभ पर दूसरे स्थान पर रहा।
- अवधारणा स्तंभ पर गुजरात ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा, जबकि हरियाणा दो स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर और पश्चिम बंगाल 18 स्थानों की छलांग के साथ तीसरे स्थान पर पहुँच गया। उत्तराखंड के मामले में भी अवधारणाओं के स्तंभ पर महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया और वह 10 स्थानों की छलांग के साथ छठे स्थान पर आ गया।

द्वीपों के विकास हेतु भारत वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करेगा

चर्चा में क्यों ?

भारत अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण द्वीपों में व्यापक सामाजिक और आधारभूत विकास कार्यक्रम हेतु वैश्विक निवेशकों को आमंत्रित करने के लिये तैयार है।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार का यह निर्णय इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप अपनी व्यापार और निगरानी की क्षमता के साथ भारत के समुद्री महत्त्व के लिये उपयुक्त है। यह देश के एकमात्र त्रिकोणीय सेवा कमांड के लिये एक महत्त्वपूर्ण सैन्य आधार आवास भी है।
- इस द्वीप पर प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं में से एक ग्रेट निकोबार (निकोबार द्वीपों में से सबसे बड़ा) के कैंपबेल खाड़ी में एक ट्रांसपोर्टमेंट टर्मिनल है। कैंपबेल की खाड़ी दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग मलक्का जलसंधि से 90 किलोमीटर दूर स्थित है।
- चीन जो पश्चिम एशिया से तेल की आवाजाही के लिये मलक्का जलसंधि पर निर्भर है, अपने विवादास्पद चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत वैकल्पिक मार्ग तलाश रहा है जिसका विरोध भारत द्वारा किया जाता है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के हिस्सों से गुज़रता है।
- ट्रांसपोर्टमेंट टर्मिनल नीति आयोग द्वारा तैयार द्वीप विकास योजना के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा चिह्नित 10 परियोजनाओं में से एक है।
- ये परियोजनाएँ सड़क, समुद्र और वायु कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा, रिसॉर्ट्स के विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के क्षेत्रों से संबंधित हैं, इन क्षेत्रों में रूचि रखने वालों को कार्य हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- यह योजना इस वर्ष अप्रैल में अधिसूचित एक योजना के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के व्यवसायों के लिये उपलब्ध लाभों को विस्तारित करने का भी प्रस्ताव करती है।
- इनमें पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी और कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज, संयंत्र और मशीनरी के लिये बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति तथा जीएसटी में केंद्र सरकार के हिस्से की प्रतिपूर्ति शामिल है। हालाँकि वित्तीय लाभ योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने की आवश्यकता है।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 576 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से केवल कुछ ही द्वीपों पर मानव रहते हैं। द्वीपों का विकास सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है क्योंकि बुनियादी ढाँचे के निर्माण से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पर्यटन सहित आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होगी।
- द्वीपों में हवाई परिवहन को बढ़ावा देने और हेलीकॉप्टर पर्यटन के संवर्द्धन हेतु पहले से ही योजनाएँ चल रही हैं। समुद्री अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये पिछले वर्ष जून में स्थापित की गई द्वीप विकास एजेंसी, इस योजना पर नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है।

नोट :

विदेशियों की अंडमान तक पहुँच हुई आसान

चर्चा में क्यों ?

पर्यटन को बढ़ावा देने के इरादे से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विदेशियों के अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में घूमने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया गया।

प्रमुख बिंदु

विदेशियों को अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह श्रृंखला में 29 आवास योग्य द्वीपों पर जाने के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता नहीं है। साथ ही 11 अन्य निर्जन द्वीप भी विदेशियों के लिये खोले जाएंगे।

क्षेत्र परमिट

- 29 आवास योग्य द्वीपों को 31 दिसंबर, 2022 तक विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्रों) आदेश, 1963 के तहत अधिसूचित, कुछ शर्तों के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) से बाहर रखा गया है ।
- हालाँकि, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के नागरिक तथा इन देशों के मूल के विदेशी नागरिकों को इस केंद्रशासित प्रदेश में जाने के लिये आरएपी की आवश्यकता होगी।
- मयबंदर और दिगलीपुर जाने के लिये म्याँमार के नागरिकों को आरएपी की आवश्यकता होगी, जिसे केवल मंत्रालय की पूर्व मंज़ूरी के साथ जारी किया जाएगा।
- बड़े स्तर पर पर्यटन और व्यापार को प्रभावित किये बिना समुद्री उद्यानों और पर्यावरण सहित इस केंद्रशासित प्रदेश के प्राकृतिक तथा समुद्री संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
- आरक्षित वनों, वन्यजीव अभयारण्यों और जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों के भ्रमण के लिये सक्षम प्राधिकारी की अलग-अलग मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।

भारत की मज़बूत अर्थव्यवस्था करेगी वैश्विक विकास का नेतृत्व : IMF

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, निवेश में वृद्धि और मज़बूत निजी खपत के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर के वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राजकोषीय समेकन की गति में तेज़ी लाने के लिये भारत को बेहतर आर्थिक स्थितियों का उपयोग करना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

विकास दर के अनुमान में कोई बदलाव नहीं

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 7.3 फीसद और अगले वित्त वर्ष में विकास की दर 7.5 फीसद के अपने अनुमान को बरक़रार रखा है।

GST एक महत्त्वपूर्ण सुधार

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भारत की कर प्रणाली में एक "महत्वपूर्ण सुधार" की संज्ञा दी है।
- IMF ने यह सलाह भी दी है कि GST के ढाँचे को और अधिक सरल बना कर इसमें कर की केवल दो दरों को शामिल करना अधिक लाभदायक होगा।
  - एक, मानक दर, जिसका स्तर कम हो।
  - दूसरी दर चुनिंदा वस्तुओं के लिये हो और जो उच्च हो।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि GST में इस समय चार दरें लागू हैं
- इससे GST प्रणाली का विकास होगा तथा राजस्व निरपेक्षता भी बनी रहेगी।

NPA प्रमुख समस्या

- IMF के अनुसार, भारत में NPA की स्थिति काफी चिंताजनक है।
- NPA की समस्या को दूर करने के लिये उठाए गए कदमों जैसे- दिवालियापन कानून तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश आदि को सराहनीय कदम बताया गया है।

सरकारी बैंकों के निजीकरण की आवश्यकता

- सरकारी बैंकों के प्रशासन की हालत को देखते हुए IMF ने इन बैंकों के निजीकरण की सलाह दी है। हाल ही में भारत के सार्वजनिक बैंकों में हुई धोखाधड़ी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह सलाह दी है।

श्रम सुधार तथा भूमि सुधार की आवश्यकता

- IMF ने भारत के श्रम बाज़ार पर ध्यान देते हुए कहा है कि देश में तेज़ी से बढ़ते युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये पुराने श्रम कानूनों में बदलाव करना आवश्यक है। श्रम सुधारों के साथ ही भूमि सुधार भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों कि शुरुआत करना संभव नहीं है।

भारत के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी है महत्त्वपूर्ण

- वैश्विक बाज़ारों के साथ अपने एकीकरण में सुधार से भारत लाभ उठा सकता है।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह को बनाए रखने और व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिये और अधिक प्रयास किये जा सकते हैं जो कि देश के लिये महत्वपूर्ण हैं। जैसे–
  - व्यापार दस्तावेज़ संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को कम करना।
  - टैरिफ कम करना।
  - व्यापार वातावरण में सुधार को जारी रखना।

  शासन में सुधार।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है।
- यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने तथा आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।
- आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आईएमएफ की विशेष मुद्रा एसडीआर (Special Drawing Rights) कहलाती है।
- आईएमएफ का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।

नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच साझेदारी

संदर्भ

हाल ही में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये नीति आयोग और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने साझेदारी प्रारंभ की है।

प्रमुख बिंदु

- CII और नीति आयोग ने आपस में तीन वर्षों के लिये साझेदारी की है और इस संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

नोट :

- इस साझेदारी के तहत विशिष्ट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है जिनका उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करना है:
  1. सतत् विकास लक्ष्य (SDG) में योगदान हेतु कारोबारियों और उद्योगों के लिये विज़न एवं कार्यकलाप एजेंडा।
  2. वार्षिक स्थिति रिपोर्ट।
  3. क्षेत्र विशिष्ट सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े दस्तावेज।
- CII ने 'SDG की प्राप्ति हेतु पूरी दुनिया के लिये भारतीय समाधान' नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक SDG और कारोबारी निहितार्थों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
- CII 2018-19 की वर्तमान थीम 'भारत का अभ्युदय: उत्तरदायी, समावेशी, सतत्' सतत् विकास का एजेंडे के अनुरूप है।

नीति आयोग

- 1 जनवरी, 2015 को थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आए नीति आयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विज़न एवं रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्ययोजनाएँ तैयार करना है।
- केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीति आयोग देश भर से सुझाव आमंत्रित करके जन-भागीदारी एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से नीतियाँ बनाने का काम करता है।
- 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी।

भारतीय उद्योग परिसंघ

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है।
- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग के नेतृत्व वाला और उद्योग-प्रबंधित संगठन है जो भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- 1895 में स्थापित भारत के प्रमुख व्यापार संघ के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से SME और MNC सहित लगभग 9000 सदस्य हैं तथा लगभग 265 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उद्योग निकायों के 300,000 से अधिक उद्यमों की अप्रत्यक्ष सदस्यता है।

मेघालय देगा देशी सामुदायिक पशु-फार्म को बढ़ावा

चर्चा में क्यों ?

मेघालय, जिसने हाल ही में 'मेघालय दूध मिशन' लॉन्च किया है, गाँव के स्तर पर सामुदायिक पशु-फार्मों को विकसित करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये साहिवाल, गिर, राठी, लाल सिंधी और थापकर जैसे स्वदेशी पशु नस्लों को शामिल करने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मेघालय जो कि दूध की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अन्य राज्यों पर निर्भर है, 2022 तक दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहता है।
- राज्य में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 83 ग्राम प्रतिदिन है, जो 355 ग्राम के राष्ट्रीय आँकड़े से काफी कम है।
- 2012 की पशुधन जनगणना के अनुसार, मेघालय में लगभग दस लाख मवेशी हैं। इनमें से केवल 30,000 दूध देने वाली गायें (वर्णसंकर) हैं और वे ज़्यादातर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के तहत पाली जाती हैं। ये गायें राज्य के कुल दूध उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देती हैं।
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार, राज्य के 6,449 गाँवों में से केवल 97 गाँवों में ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ थीं।

सामुदायिक पशु-फार्म

- राज्य के सभी ज़िलों में पर्याप्त खुली जगह की उपलब्धता के कारण मेघालय के लिये सामुदायिक पशु-फार्म व्यवहार्य हैं।
- गाय, मुक्त समूह में विचरण करने वाली प्रकृति की एक पशु प्रजाति है, अगर उन्हें स्वतंत्र रूप से विचरण करने की अनुमति दी जाए तो उनके दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर उन्हें चारों ओर विचरण करने की पर्याप्त सुविधा दी जाए तो उनकी प्रतिरक्षा भी बढ़ जाती है।

नोट :

- पशुओं के एक ही स्थान पर उपलब्ध होने पर पशु चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था करना आसान और सस्ता हो जाता है। इसके अलावा, सामुदायिक पशु-फार्मों में छोटे और सीमांत किसानों के समक्ष आने वाली भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया जाएगा।
- यह मिशन साहिवाल, गिर, राठी, लाल सिंधी और थापकर जैसे स्वदेशी नस्लों को विकसित करने पर ज़ोर देता है। इस मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा 2,000 किसानों को 10,000 गायें उपलब्ध कराए जाने का विचार है।

दुग्ध संघ

- वर्तमान में मेघालय अपनी डेयरी संबंधी मांग को पूरा करने के लिये पुराबी (असम से) और ताजा (अमूल से) जैसे डेयरी ब्रांडों पर निर्भर है। यह मिशन डेयरी उत्पादों की मांग के एक हिस्से की पूर्ति करेगा।
- यहाँ केवल तीन ज़िला स्तरीय दुग्ध सहकारी संघ जयंतिया हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स और पूर्वी खासी हिल्स में हैं। इसका लक्ष्य मिशन की अवधि की समाप्ति तक सभी 11 ज़िलों में अपने स्वयं के दुग्ध संघ स्थापित करना है।
- 'मेघालय दूध मिशन' में भी संभावित दुग्ध संग्रह केंद्रों पर 79 कूलर मशीनें (प्रत्येक की क्षमता 500 लीटर) स्थापित करने और 13 दूध टैंकरों (प्रत्येक की क्षमता 3,000 लीटर) की खरीद करने का प्रस्ताव है।

मेघालय दूध मिशन

- दूध की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने के लिये हाल ही में 215 करोड़ रुपए की इस योजना को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- इस योजना से केंद्र की 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी। अगले चार वर्षों में लगभग 2000 किसान इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभांवित होंगे।
- इस परियोजना में 2000 डेरी फार्म इकाइयाँ शामिल हैं, प्रत्येक इकाई में 4 गायें खरीदने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त शेड निर्माण, स्टोरेज कक्ष, पशु बीमा, दूध के टैंकर, मिल्क कूलर भी शामिल हैं। साथ ही किसानों के लिये 1 करोड़ रुपए की लागत से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।

सेबी को फोन टैप करने का अधिकार देने की सिफारिश

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से गठित समिति ने बाज़ार नियामक निकाय सेबी के कामकाज को और अधिक गति देने के लिये उसे टेलीफोन तथा अन्य संचार माध्यमों को टैप करने का अधिकार देने की सिफारिश की है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सेबी के पास कॉल डेटा रिकॉर्ड मांगने का अधिकार तो है लेकिन बातचीत सुनने का अधिकार उसके पास नहीं है।

समिति की सिफारिशें

- पूर्व विधि सचिव तथा लोकसभा के पूर्व महासचिव टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने बाज़ार धोखाधड़ी, भेदिया कारोबार, निगरानी तथा जाँच से जुड़े नियमों में कई बदलाव सुझाए हैं।
- समिति की सिफारिशों के अनुसार, सेबी को कॉल टैप करने का अधिकार मांगना चाहिये लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन भी किये जाने चाहिये।
- सूचीबद्ध कंपनियों में व्हीसल ब्लोअर नीति (आंतरिक भेदी नीति) को अनिवार्य करने की भी सिफारिश की गई है।
- समिति ने कंपनी से जुड़ी संवेदशील सूचनाएँ रखने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ एक ही पते पर रहने वाले नज़दीकी संबंधियों तथा वित्तीय साझेदारों की सूची रखने का सुझाव दिया है।
- समिति का गठन अगस्त 2017 में बाज़ार के बढ़ते दुरुपयोग को राकने तथा प्रतिभूति बाज़ार में निष्पक्ष लेन-देन सुनिश्चित करने के लिये किया गया।

नोट :

भेदिया कारोबार पर अंकुश लगाने के लिये आचार संहिता

- समिति ने भेदिया कारोबार पर अंकुश लगाने के संदर्भ में कई सुझाव दिये हैं। इन सुझावों में दो अलग आचार संहिताएँ बनाना शामिल है।
- इनमें से एक आचार संहिता सूचीबद्घ कंपनियों के लिये तथा दूसरी मध्यवर्ती संस्थाओं और संवेदनशील जानकारी को संभालने वाले लोगों के लिये मानक तय करेगी।

छोटी तथा बड़ी कंपनियों की जाँच के तरीके अलग-अलग होने चाहिये

- विश्वनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों में यह सुझाव भी शामिल है कि बड़ी और छोटी कंपनियों की जाँच अलग-अलग तरीके से की जानी चाहिये।
- समिति का मानना है कि बड़ी कंपनियों में होने वाली गड़बड़ियों की जाँच करने के लिये सेबी में अलग अधिकारी होने चाहिये जिनके पास इन्हीं कंपनियों की जाँच की ज़िम्मेदारी रहे।
- बड़ी कंपनियों के मामलों की जाँच-पड़ताल फास्ट ट्रैक आधार पर होनी चाहिये।
- छोटी कंपनियों के मामलों की जाँच के लिये दूसरे अधिकारी नियुक्त होने चाहिये। छोटी कंपनियों में किसी भी गड़बड़ी की जाँच सामान्य तरीके से भी की जा सकती है।

इनसाइडर ट्रेंडिंग के लिये आचार संहिता

- समिति का कहना है कि हर कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिये आचार संहिता बनाए और उसको अमल में लाना सुनिश्चित करे।
- अगर कोई कंपनी या व्यक्ति अपनी घोषित संपत्ति से ज़्यादा की ट्रेडिंग करता है तो उसे फ्रॉड माना जाना चाहिये, खासकर उन मामलों में जहाँ गलत तरीके से शेयर भाव घटाने-बढ़ाने की बात हो।
- समिति ने लेखा परीक्षक, एकाउंटेंट, विश्लेषक और सलाहकारों के लिये अलग आचार संहिता बनाने की सिफारिश की है।

केंद्र ने दी मंज़ूरी : सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर सस्ती मिलेंगी दालें

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने की मंज़ूरी दे दी है। इसे मूल्य समर्थन योजनाओं (Price Support Schemes -PSS) के तहत खरीदे जाने वाले दलहन के भंडार से विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कम दर पर जारी किया जाएगा।

सरकार द्वारा लिये गए निर्णय का प्रभाव

- इस निर्णय से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश जन वितरण प्रणाली, मिड-डे मील इत्यादि विभिन्न कल्याण योजनाओं में दलहन का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे।
- इसके अलावा गोदामों की भी उपलब्धता सूची तैयार की जाएगी, जिसकी मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदी जाने वाली जिंसों के भंडारण के लिये आगामी खरीफ मौसम में आवश्यकता हो सकती है।

मूल्य समर्थन योजना (Price Support Schemes -PSS)

- कृषि एवं सहकारिता विभाग सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी है जो नाफेड के माध्यम से तिलहन, दलहन और कपास की खरीद हेतु PSS लागू करता है।
- जब भी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाती हैं, नाफेड PSS के अंतर्गत तिलहन, दलहन और कपास की खरीद करती है।
- कीमतों के MSP पर या उससे ऊपर स्थिर होने तक PSS के अंतर्गत खरीद जारी रखी जाती है।
- किसी भी उपक्रम को न्यूनतम समर्थन मूल्य के संचालन में नाफेड द्वारा किये गए कार्य में कोई घाटा होने पर केंद्र सरकार द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

नोट :

नाफेड (NAFED)

- नाफेड (NAFED: नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) को 1958 में कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन के लिये स्थापित किया गया था। यह तिलहन तथा दलहन की न्यूनतम मूल्य पर खरीद हेतु मूल्य समर्थन योजना (PSS) के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी है।

योजना का विवरण

- इस स्वीकृत योजना के तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार को वर्तमान थोक बाज़ार मूल्य पर 15 रुपए प्रति किलोग्राम की छूट के आधार पर 34.88 लाख मीट्रिक टन तुअर, चना, मसूर, मूंग और उड़द दाल खरीदने का प्रस्ताव किया गया है, जो संबंधित राज्य के मामले में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार इस दलहन का प्रयोग मिड-डे मिल, जन वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम इत्यादि जैसी कल्याणकारी योजनाओं में करेगी।
- यह उपलब्धता 12 महीने की अवधि या 34.88 लाख मीट्रिक टन दलहन पूर्ण रूप से प्राप्त करने (जो भी पहले हो) के आधार पर होगी।
- सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिये 5237 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

सरकार के इस फैसले का कारण

- पिछले दो वर्षों के दौरान देश में दलहन का अब तक का भारी उत्पादन हुआ है। मूल्य समर्थन योजना के तहत भारत सरकार ने खरीफ 2017 और रबी 2018 विपणन मौसम के दौरान दलहन की रिकॉर्ड खरीदारी की है।
- मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन की 45.43 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड खरीदारी की गई तथा आगामी खरीफ मौसम में दलहन का उत्पादन बेहतर होने की आशा है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देखते हुए मूल्य समर्थन योजना के तहत अतिरिक्त खरीदारी की आवश्यकता होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक का आवक प्रेषण सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये किये गए आवक प्रेषण (inward remittances) सर्वेक्षण के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) आवक प्रेषण के शीर्ष स्रोत के रूप में उभरा है, जबकि विदेशों से भेजे गए धन का सर्वाधिक हिस्सा केरल को प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस तरह का पिछला सर्वेक्षण रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 2013 में प्रकाशित किया गया था।

आवक प्रेषण शब्द यह इंगित करता है कि धन को घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

क्या कहा गया है सर्वेक्षण में ?

UAE आवक प्रेषण का शीर्ष स्रोत

- रिज़र्व बैंक द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, कुल प्रेषण में संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा 26.9% है, इसके बाद संयुक्त राज्य (22.9%), सऊदी अरब (11.6%), कतर (6.5%) और कुवैत (5.5%) का स्थान आता है।
- भारत द्वारा प्राप्त कुल प्रेषण का 82% हिस्सा आठ देशों – संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया से आया।

RDA प्रेषण का सबसे लोकप्रिय माध्यम

- इस सर्वेक्षण के अनुसार, प्रेषण का सबसे लोकप्रिय माध्यम रुपया आहरण व्यवस्था (Rupee Drawing Arrangement -RDA) है जो कुल प्रेषण का 75.2% है, इसके बाद स्विफ्ट (19.5%), प्रत्यक्ष हस्तांतरण (3.4%) और चेक एवं ड्राफ्ट (1.9%) हैं।

नोट :

- कुल प्रेषण का अधिकांश हिस्सा (74.1%) निजी बैंकों ने प्राप्त किया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 17.3% तथा शेष विदेशी बैंकों ने प्राप्त किया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, सभी रिपोर्ट किए गए हस्तांतरण का 70.3% 500 डॉलर से अधिक था और केवल 2.7% हिस्सा 200 डॉलर से कम था।

प्रेषण प्राप्त करने वाले राज्यों में केरल शीर्ष पर

- विदेशो से धन प्राप्त करने वाले राज्यों में केरल 19% के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद महाराष्ट्र (16.7%), कर्नाटक (15%), तमिलनाडु (8%) और दिल्ली (5.9%) हैं।
- केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को कुल प्रेषण का 58.7% प्राप्त हुआ।
- दिल्ली (5.9 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (4 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (3.1 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (2.7 प्रतिशत), गुजरात (2.1 प्रतिशत) और पंजाब (1.7 प्रतिशत) शीर्ष 10 राज्यों में से थे जिन्हें आवक प्रेषण प्राप्त हुआ।

प्राप्त प्रेषण का उपयोग

- सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय निवासियों द्वारा प्राप्त प्रेषण के आधे से अधिक का उपयोग परिवार के रखरखाव अर्थात् उपभोग (59.2%), बैंकों में जमा (20%) और भूमिगत संपत्ति तथा शेयरों में निवेश (8.3%) के लिये किया गया।

एक जनपद एक उत्पाद समिट'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 'एक जनपद एक उत्पाद' शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना द्वारा पाँच वर्षों में पचीस हज़ार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के ज़रिये पचीस लाख लोगों को रोज़गार दिलाने का लक्ष्य है।
- इस योजना से युवाओं के लिये बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसरों के सृजन के साथ ही, राज्य के समग्र और संतुलित विकास को भी बल मिलेगा।
- इस समिट में 'ई-मार्केटिंग', 'ज़ीरो डिफ़ेक्ट–ज़ीरो इफ़ेक्ट' और पूंजी निवेश में सहायता के लिये यहाँ उपस्थित संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं, उनसे ज़िला स्तर पर उत्पादकों के लिये नए अवसर प्राप्त होंगे।
- 'थिंक-ग्लोबल, एक्ट-लोकल' की सोच के अनुसार, स्थानीय कौशल को प्रोत्साहन देकर जनपदों के कई ऐसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के लायक बनाया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के उत्पादों की मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन ऐसे बहुत से ज़िले और उत्पाद हैं जिन्हें, इस योजना द्वारा समुचित प्रोत्साहन देकर उनकी क्षमता का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है तथा कई नए ब्रांड विकसित किए जा सकते हैं।
- ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देकर, उत्पादों की विभिन्न बाज़ारों में पहुँच बढ़ाई जा सकती है।
- इस योजना में सभी उत्पादों से जुड़ी पूरी 'प्रोसेस-चेन' और 'वैल्यू-चेन' पर ध्यान दिया गया है।
- इन प्रयासों के द्वारा उत्पादकों और ग्राहकों के बीच सीधा संपर्क और भी सुगम हो सकेगा।
- केंद्र सरकार की स्किल इंडिया मिशन, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, रोज़गार प्रोत्साहन योजना तथा 'मुद्रा' योजनाओं से इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- इस योजना में वह क्षमता है, जिसके द्वारा अंतिम पंक्ति के लोगों को कौशल-विकास एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करके, जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव लाया जा सकता है।
- विकास और कल्याण के मानदंडों पर पीछे रह गए देश के 117 आकांक्षी ज़िलों में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि इनमे से दो ज़िले क्रमश: बलरामपुर में फूड प्रोसेसिंग और फ़तेहपुर में बेड-शीट बनाने का काम होता है।
- यह योजना इन आकांक्षी ज़िलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेश के मापदण्डों में सुधार लाने में भी सहायक होगी।

महाराष्ट्र सरकार करेगी योग्य किसानों को ऋण छूट योजना में शामिल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने योग्य किसानों को ऋण छूट पर एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया। नागपुर में राज्य विधानमंडल के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में सरकार द्वारा इस निर्णय की घोषणा की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- कृषि ऋण छूट योजना के तहत कृषि क्षेत्र में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये अभी भी संघर्षरत, महाराष्ट्र सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर योग्य किसानों के उत्कृष्ट ऋण को माफ़ करने का फैसला किया है। अब तक राज्य सरकार ने इस योजना पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
- एक योग्य किसान की परिभाषा को बदलने से पहले सरकार ने एक किसान परिवार को एक इकाई के रूप में माना था और 1.50 लाख रुपए कृषि ऋण तक छूट दी गई थी।
- अब, एक उत्कृष्ट कृषि ऋण वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया जाएगा और 1.5 लाख रुपए तक सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा।
- पूर्व में इस योजना के तहत एक किसान के पास 1.5 लाख रुपए से अधिक की बकाया ऋण राशि होने पर उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट का लाभ उठाने से पहले 1.5 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान बैंक को करना पड़ता था।
- इससे पहले एक किसान परिवार को एक इकाई के रूप में देखा गया था और छूट संचयी ऋण पर थी।
- संशोधित नियम के अनुसार, पूर्ववर्ती योजना के तहत यदि संचयी बकाया ऋण राशि 1.5 लाख रुपए से कम है और किसानों द्वारा बैंक को कुछ पैसे चुकाए गए हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि "उदाहरण के लिये, पहले ऋण छूट योजना के अनुसार, यदि किसी परिवार के पास 2 लाख रुपए की संचयी बकाया ऋण राशि थी और छूट का लाभ उठाने के लिये 50,000 रुपए पहले ही परिवार द्वारा चुकाया जा चुका हो, इसलिये राज्य 1.5 लाख रुपए का बोझ सहन करेगा; संशोधित मानदंडों के अनुसार, 50,000 रुपए परिवार को वापस करने होंगे क्योंकि परिवार में हर कोई ऋण छूट का हकदार है।"
- इस वर्ष मार्च में सरकार ने कहा कि उसने बैंकों को 13,500 करोड़ रुपए के खराब कृषि ऋण के लिये भुगतान किया है, जिसने 35.32 लाख किसानों को लाभान्वित किया। सरकार इस योजना के तहत कम-से-कम 77 लाख किसानों को लाभ पहुँचाने की योजना बना रही है।

पिंक बॉलवार्म से निपटने के लिये महाराष्ट्र सरकार तैयार

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र सरकार ने व्यापक रूप से प्रभावित राज्य के कुछ हिस्सों में पिंक बॉलवार्म (PBW) के हमलों से निपटने के लिये आपातकालीन उपायों की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- इन आपातकालीन उपायों के तहत राहत उपायों की निगरानी और किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिये प्रत्येक ज़िले में 16 सदस्यीय समितियों की स्थापना की जाएगी।
- ये समितियाँ जिला कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करेंगी। विशेषज्ञ, किसान और बीज कंपनियों के प्रतिनिधि भी इनके बोर्ड में शामिल होंगे।

नोट :

- अभियानों पर काम करने के लिये ये समितियाँ परिस्थितियों की जानकारी लेने और जागरूकता का प्रसार करने हेतु प्रत्येक 15 दिनों में बैठक आयोजित करेंगी और यदि आवश्यकता हो तो आपातकालीन उपायों को लागू करेंगी।
- कुल 42 लाख हेक्टेयर कपास की फसल में से पिंक बॉलवार्म के हमलों से 83% क्षेत्र की फसल को नुकसान पहुँचा है जिसने ज़िला स्तरीय उपायों को युद्ध स्तर पर लागू करने हेतु सरकार को बाध्य किया है।
- राज्य सरकार ने ऐसे 12 बीज फर्मों को नोटिस जारी किया जिनके उत्पादों को पिंक बॉलवार्म के हमलों से प्रभावित पाया गया था। ये कंपनियाँ औरंगाबाद, अकोला, जालना, बुलढाणा, परभानी, हिंगोली और उस्मानाबाद जिलों में अपने उत्पादों की आपूर्ति कर रही थीं।
- सरकार ने छोटे किसानों को मुआवज़ा देने के लिये योजनाओं का एक समूह जारी किया और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह मांग की गई थी कि बीज कंपनियाँ मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी लेंगी, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जा सकती है।
- किसान इस बात से चिंतित हैं कि पिंक बॉलवार्म के हमलों से कपास रोपित क्षेत्र में कम-से-कम 10% तक की कमी आएगी जिसके परिणामस्वरूप कम पैदावार और कीमतों में गिरावट की संभावना है।
- कपास के रेशे और बीजकोष पर पलने वाले कीड़ों के कारण अनुमानित 35 लाख हेक्टेयर कपास की फसल पहले ही खराब हो चुकी है। विदर्भ और यवतमाल में 3,414 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस 2.0

चर्चा में क्यों CCCCC

प्रमुख बिंदु

- इस संस्करण के तहत ग्राहक अब चालू और बचत खाते के अतिरिक्त अपने ओवरड्राफ्ट खातों को भी UPI से जोड़ पाएंगे।
- साथ ही बाद की तारीख़ में किये जाने वाले लेन-देन के लिये वन टाइम आदेश (mandate) सृजन और पूर्व प्राधिकरण तथा भुगतान से पूर्व व्यापारी द्वारा भेजे गए चालान की जाँच जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

एकीकृत भुगतान प्रणाली (UPI) क्या है ?

- यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं को समायोजित, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही छतरी के अंतर्गत व्यापरियों का भुगतान कर सकता है।
- यह "पीयर टू पीयर" अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित कर भुगतान किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि UPI का पहला संस्करण अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था।
- गौरतलब है कि NPCI भारत में सभी खुदरा भुगतानों के लिये एक अम्ब्रेला संगठन है।
- बड़ी संख्या में बैंक, व्यापारी, तीसरे पक्ष के खिलाड़ी और उपभोक्ताओं ने इस मंच के प्रति भरोसा जताया है। जिसके परिणामस्वरूप स्थापना के बाद से इसने अपनी लेन-देनों में मूल्य और मात्रा दोनों ही मामले में पर्याप्त वृद्धि की है।
- UPI 2.0 के लॉन्च के साथ ही इसके विस्तार से नए रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है विशेष रूप से व्यक्ति से व्यापारी को किये जाने वाले भुगतान के मामले में।
- इसकी उच्च मात्रा, कम लागत और एक खुले स्रोत पर निर्मित मापनीय मंच होना भारत की डिज़िटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की एक कुंजी है।
- वर्तमान में UPI 2.0 बैंक के सदस्यों में शामिल हैं- भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक , इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और एचएसबीसी।

UPI 2.0 की विशेषताएँ:

- इस संस्करण के तहत ग्राहक अब चालू और बचत खाते के अतिरिक्त अपने ओवरड्राफ्ट खातों को भी UPI से जोड़ पाएंगे। साथ ही ग्राहक तत्काल लेन-देन करने में सक्षम होंगे और ओवरड्राफ्ट खाते से जुड़े सभी लाभ उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे।

नोट :

- यूपीआई आदेश का इस्तेमाल परिदृश्य में किया जा सकता है, जहाँ वर्तमान प्रतिबद्धताओं के माध्यम से बाद में पैसे स्थानांतरित किया जाना है।
- इसमें ग्राहक लेन-देन को पूर्व-अधिकृत कर सकते हैं और बाद की तारीख में भुगतान कर सकते हैं।
- इसमें में एक सुविधा है जिससे ग्राहक भुगतान करने से पहले व्यापारी द्वारा भेजे गए चालान की जाँच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को प्रमाण-पत्र देखने और सत्यापित करने में सहायता करना तथा यह जाँचना है कि इसे सही व्यापारी द्वारा भेजा गया है या नहीं।
- कोड स्कैन करते समय व्यापारियों की प्रामाणिकता की जाँच करने हेतु ग्राहकों के लिये एक त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड सुविधा पेश की गई है। यह उपयोगकर्त्ता को सूचित करता है कि व्यापारी व्यापारी UPI सत्यापित है या नहीं।
- इसमें लेन-देन तेज़ी से संसाधित होते हैं क्योंकि हस्ताक्षरित इंटेंट के मामले में एप पासकोड की आवश्यकता नहीं होती है। यह QR छेड़छाड़ की संभावनाओं को भी अस्वीकार करता है।
- इसके अतिरिक्त प्राप्तकर्त्ता के अधिसूचनाओं के माध्यम से सुरक्षित नहीं होने से ग्राहकों को सूचित किया जाता है।

घरेलू संवृद्धि दर मज़बूत बनी रहेगी

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल के अनुसार, घरेलू संवृद्धि दर अच्छे मानसून के कारण उचित रूप से मज़बूत बनी रहेगी जो कि इस महीने की शुरुआत में हुई मौद्रिक समिति की बैठक की रिपोर्ट में अब तक सामान्य मानी जा रही थी। यह कृषि क्षेत्र के लिये एक शुभ संकेत है।

प्रमुख बिंदु

- रिज़र्व बैंक के गवर्नर के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र मज़बूत रहा है और विगत कुछ महीनों में सेवाओं की गतिविधि के कई उच्च आवृत्ति संकेतक तेज़ी से बढ़े हैं।
- बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद के कारण भारत के निर्यात में कमी आने से घरेलू निवेश और संवृद्धि की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।
- 1 अगस्त को हुई बैठक में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 7.4% के अपने पूर्वानुमान पर बरकरार रखा और 2019-20 की पहली तिमाही के लिये 7.5% की दर का अनुमान लगाया।
- ध्यातव्य है कि गृह किराया भत्ते के प्रभाव को छोड़कर, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति ने जून माह में लगातार तीसरे महीने में बढ़त हासिल की।
- खरीफ फसलों के लिये किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बदलाव से मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव में अनिश्चितता देखी गई। इन पर पड़ने वाले प्रभावों की स्पष्ट तस्वीर आने वाले कुछ महीनों में दिखने की संभावना व्यक्त की गई है।
- 1 अगस्त को आरबीआई ने बेंचमार्क रेपो दर में 25 आधार अंकों (BPS) की बढ़ोत्तरी की थी, जहाँ मौद्रिक समिति के छह में से पाँच सदस्यों ने वृद्धि के लिये मतदान किया था।

अन्य जोखिम

- रिज़र्व बैंक द्वारा किये गए परिवार संबंधी मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (IES) के पिछले तीन दौरों में 3 महीने और 12 महीने आगे की मुद्रास्फीति की प्रत्याशा में क्रमश: 110 बीपीएस और 150 बीपीएस के वृद्धि की उम्मीद है।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि मई और जून माह के लिये मासिक हेडलाइन मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा अनुमानित मुद्रास्फीति की अपेक्षा कम हो गई।

88% ग्रामीण परिवारों के पास बचत बैंक खाता लेकिन पेंशन और बीमा तक पहुँच कम: नाबार्ड

चर्चा में क्यों ?

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा किये गए एक वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार, 88 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास बैंक खाते हैं लेकिन निवेश के स्तर तथा पेंशन और बीमा तक पहुँच बहुत कम है। साथ ही वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, ऋणग्रस्तता का स्तर भी उच्च पाया गया जो कि लगभग वार्षिक आय के बराबर था।

नोट :

सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु

कृषक परिवारों ने गैर-कृषक परिवारों से अधिक धन अर्जित किया

सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 96,708 रुपए थी। इनमें से कृषक परिवारों की औसत वार्षिक आय 107,172 रुपए जबकि गैर-कृषक परिवारों की औसत वार्षिक आय 87,228 रुपए थी।

अधिकांश कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता उनकी वार्षिक आय के बराबर

- अधिकांश कृषक परिवारों की ऋण राशि उनकी वार्षिक आमदनी के बराबर ऋण थी।
- सर्वेक्षण किये कुल कृषक परिवारों में आधे से अधिक परिवार ऋण से ग्रस्त थे।
- इन परिवारों का औसत बकाया ऋण 1.04 लाख रुपए था, लेकिन अधिकांश धन उधारदाताओं की बजाय वित्तीय संस्थानों से उधार लिया गया था।

किसानों की आय में वृद्धि

- अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (All India Financial Inclusion Survey -NAFIS) के अनुसार, किसानों की वार्षिक आय में 2012-13 की तुलना में 2015-16 के बीच 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 2015-16 में वार्षिक आय 1,07,172 रुपए थी, जबकि NSSO के आखिरी सर्वेक्षण (2012-13 में) के अनुसार ने इसे 77, 977 रुपए रखा गया था।
- पंजाब, हरियाणा और केरल के ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय क्रमश: 23,133 रुपए, 18,496 रुपए और 16, 927 रुपए है।
- उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की आय 6,668 रुपए प्रतिमाह के निम्न स्तर पर है।
- आंध्र प्रदेश में आय के मुकाबले व्यय अधिक होने के कारण ग्रामीण परिवार को प्रति माह 95 रुपए का अत्यंत कम औसत अधिशेष मिलता है।
- सभी प्रकार के व्यय (जैसा कि एनएसएसओ द्वारा परिभाषित किया गया है इसमें भूमि की खरीद, भवन निर्माण, ब्याज और बीमा प्रीमियम भुगतान जैसे खर्च शामिल नहीं हैं) को पूरा करने के बाद बिहार में एक परिवार 262 रुपए प्रतिमाह की बचत करता है।
- उत्तर प्रदेश के लिये यह आँकड़ा 315 रुपए प्रतिमाह है।

बीमा कवर तथा पेंशन तक पहुँच

- सर्वेक्षण के अनुसार, चार घरों में से केवल एक के पास बीमा क्षेत्र तक पहुँच है।
- पाँच परिवारों में से केवल एक परिवार की किसी भी प्रकार की पेंशन तक पहुँच है।

सर्वेक्षण के बारे में

- नाबार्ड द्वारा किया गया यह अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था।
- इस सर्वेक्षण में 2015-16 को संदर्भ वर्ष के रूप में माना गया है।
- इस पूरी प्रक्रिया में 1,87,518 की आबादी शामिल थी।
- सर्वेक्षण में ऋण, बचत, निवेश, पेंशन, बीमा और प्रेषण सहित वित्तीय समावेशन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD)

- यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये शीर्ष विकास बैंक के रूप में कार्य करता है।
- शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी।
- इसे समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्धन और समृद्धि हासिल करने के लिये कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य अनुषंगी आर्थिक गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध कराने एवं उसका विनियमन करने का अधिदेश दिया गया है।

नोट :

वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक - 2018

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक – 2018 जारी किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ज़ारी इस रिपोर्ट में विश्व के 140 शहरों को उनकी रहने की स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है।

सूचकांक के प्रमुख बिंदु

- सूचकांक के दस शीर्ष शहर - वियना, मेलबर्न, ओसाका, कैलगरी, सिडनी, वैंकूवर, टोक्यो, टोरंटो, कोपेनहेगन और एडीलेड।
- इसमें विश्व के कुल 140 शहरों को शामिल किया गया है।
- सीरिया की राजधानी दमिश्क इस वर्ष भी सूचकांक में सबसे नीचे है जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका को नीचे से दूसरा स्थान और कराची (पाकिस्तान) चौथा सबसे खराब शहर माना गया है।
- इस सूचकांक में भारत की राजधानी दिल्ली को 112वाँ और मुम्बई को 117वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2018 के सूचकांक में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इस सूचकांक में मेलबर्न शीर्ष पर था।

वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक

- यह रिपोर्ट विश्व के विभिन्न शहरों में किसी व्यक्ति की जीवनशैली के समक्ष आनेवाली चुनौतियों को प्रमाणित करती है।
- यह सूचकांक 30 संकेतकों से निर्मित है जो मुख्य रूप से पाँच विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत है। इसके अंतर्गत – स्थिरता, स्वास्थ्य, संस्कृति/पर्यावरण, शिक्षा और आधारभूत संरचना शामिल है।
- विदित हो कि यह पहली बार हुआ है जब किसी यूरोपीय शहर को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक के प्रकाशित होने के बाद आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने "इज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स" ज़ारी किया है जिसमें भारत के कुल 111 शहरों को शामिल किया गया है।
- वैश्विक शहरी जीवन क्षमता के सूचकांक से अलग आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के "इज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स" में कुल 111 भारतीय शहरों में मुंबई को तीसरे स्थान पर और दिल्ली को 65वें स्थान पर रखा गया है।

इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट

- इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना इकोनॉमिस्ट ग्रुप के तहत 1946 में की गई थी।
- इसका कार्य पूर्वानुमान और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना है।
- इसका मुख्यालय लंदन में है।

इज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स

- भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ज़ारी किया गया है।
- वर्ष 2018 में इस सूचकांक में 111 शहरों को शामिल किया गया है।
- सूचकांक के शीर्ष दस शहरों में- पुणे, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, तिरुपति, चंडीगढ़, ठाणे, रायपुर, इंदौर, विजयवाड़ा और भोपाल शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश के रामपुर को इस सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।

लिविंग फ्रेमवर्क में चार स्तंभ- संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शामिल हैं। इसे आगे 15 श्रेणियों और 78 संकेतकों में विभाजित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 78 संकेतकों के लिये 100-बिंदु मानदंडों के आधार पर शहरों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें संस्थागत और सामाजिक स्तंभों के लिये 25 – 25 अंक, आर्थिक स्तंभ के लिये 5 अंक और भौतिक स्तंभ के लिये 45 अंक निर्धारित है।

नोट :

ऋणग्रस्त हैं आधे कृषक परिवार: नाबार्ड

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा हाल ही में किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में आधे से अधिक कृषक परिवारों पर ऋण बकाया है और उनका औसत बकाया ऋण उनके औसत वार्षिक आय की तुलना में ज़्यादा है।

प्रमुख बिंदु

- नाबार्ड द्वारा किये गए इस अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 में 40,327 ग्रामीण परिवारों के 1.88 लाख लोगों को शामिल किया गया था।
- इनमें से केवल उन्हीं 48% परिवारों को कृषक परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनका कम-से-कम एक सदस्य कृषि में स्व-नियोजित है और जिन्हें पिछले वर्ष में कृषि गतिविधियों से उपज के मूल्य के रूप में 5,000 रुपए से अधिक प्राप्त हुआ है, चाहे उनके पास कोई ज़मीन हो या न हो।
- नाबार्ड ने पाया कि 52.5% कृषक परिवारों पर सर्वेक्षण की तारीख तक कम-से-कम एक ऋण बकाया था और इस प्रकार उन्हें ऋणी माना गया। ग्रामीण भारत में 42.8% गैर-कृषक परिवारों के पास कम-से-कम एक ऋण बकाया था।

उच्च देयता

- गैर-कृषक परिवारों की तुलना में कोई भी ऋण बकाया रखने वाले कृषक परिवारों के पास उच्च ऋण देयता थी। ऋणग्रस्त गैर-कृषक परिवारों के 76,731 रुपए की तुलना में ऋणग्रस्त कृषक परिवारों का औसत ऋण 1,04,602 रुपए था।
- इस सर्वेक्षण के अनुसार, कृषक परिवारों की औसत वार्षिक आय 1.07 लाख रुपए है जो कि उनके औसत बकाया ऋण से मात्र 2,500 रुपए अधिक है।
- सर्वेक्षण में यह पाया गया कि सर्वेक्षण के समय तक केवल 10.5% कृषक परिवारों को वैध किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सरलीकृत और लचीली सिंगल-विंडो प्रक्रिया के तहत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है उन्होंने स्वीकृत क्रेडिट सीमा का 66% उपयोग किया था।
- कृषक परिवारों द्वारा ऋण लेने का सबसे बड़ा कारण कृषि उद्देश्यों के लिये पूंजीगत व्यय था, जो कि उनके द्वारा लिये गए सभी ऋणों का एक-चौथाई था। जबकि 19% ऋण कृषि उद्देश्यों के लिये चल रहे खर्चों को पूरा करने और 19% ऋण घरेलू ज़रूरतों के लिये लिया गया था। आवास और चिकित्सा खर्च के लिये क्रमश: 11% और 12% ऋण लिये गए।
- जबकि किसानों के सभी वर्ग ऋणग्रस्त थे, वहीं ऋणग्रस्तता के सर्वाधिक मामले उस वर्ग में हैं जिस वर्ग में किसानों के पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। इस श्रेणी के 60% परिवार कर्ज़ में हैं।
- 0.4 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के 50% से कम परिवार ऋणग्रस्त थे। अधिक भूमि वाले लोगों की कई प्रकार के ऋण लेने की अधिक संभावना थी।

राज्य संबंधित आँकड़े

- दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना (79%), आंध्र प्रदेश (77%) और कर्नाटक (74%) में कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता का उच्चतम स्तर देखा गया। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश (69%), मणिपुर (61%), तमिलनाडु (60%), केरल (56%) और ओडिशा (54%) सर्वाधिक ऋणग्रस्त कृषक परिवार वाले राज्य हैं।
- जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच लिये गए ऋणों के संदर्भ में इस सर्वेक्षण में पाया गया कि कृषक परिवारों ने अपने आधे से भी कम ऋण अर्थात् 46% ऋण वाणिज्यिक बैंकों से लिया था। इसके अतिरिक्त 10% ऋण स्वयं सहायता समूहों से, लगभग 40% ऋण गैर-संस्थागत स्रोतों जैसे- रिश्तेदारों, दोस्तों, साहूकारों और ज़मींदारों से लिया गया था।
- जबकि रिश्तेदारों और दोस्तों से प्राप्त ऋण ब्याज से मुक्त हो सकते हैं और समुदायों में सामाजिक एकीकरण को प्रदर्शित कर सकते हैं फिर भी सर्वेक्षण में पाया गया है कि 11.5% परिवारों के बड़े वर्ग ने स्थानीय साहूकारों और ज़मींदारों पर ऋण निर्भरता प्रदर्शित की, जो उन्हें अत्यधिक ब्याज का भुगतान करके शोषण के लिये बाध्य करता है।

नोट :

- स्थानीय साहूकारों का सहारा लेने वाले व्यक्तियों में अक्सर अशिक्षित या बेहद गरीब लोग शामिल होते हैं जो औपचारिक संस्थानों से ऋण के लिये पात्र नहीं होते हैं, या फिर ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास मज़बूत सामाजिक संजाल नहीं होता जो कि आवश्यकता के समय उनकी मदद कर सके।

नाबार्ड (NABARD)

- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये एक शीर्ष बैंक है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 को की गई थी।
- इसका कार्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्द्धन और विकास के लिये ऋण प्रवाह को उपलब्ध कराना है।
- इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संबद्ध आर्थिक क्रियाओं को समर्थन प्रदान कर गाँवों का सतत् विकास करना है।

बढ़ सकता है भारत का चालू खाता घाटा : मूडीज़

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मूडीज़ तथा अन्य आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit- CAD) बढ़कर कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.5% तक पहुँच सकता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में तुर्की में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया 70.32 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। वहीं, चीन की ओर से आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिये संपत्तियों को सुरक्षित रखने पर ज़ोर देने के कारण भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा पर दबाव बढ़ गया है।

विदेशी मुद्रा के अंत: और बाह्य प्रवाह के बीच के अंतर को चालू खाता घाटा CAD कहते है।

चालू खाता घाटा में वृद्धि के कारण

- भारत का चालू खाता घाटा (CAD) जिसके 2018-19 में 2.5% तक बढ़ने की संभावना है, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान यह 1.5% था।
- इसका प्रमुख कारण तेल की कीमतों में वृद्धि है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 में कुल तेल आयात GDP का 2.6% था, जिसके वित्तीय वर्ष 2018-2019 में और अधिक होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- रुपए के मूल्य में गिरावट भारत के मौजूदा चालू खाता घाटे (CAD) को भी दर्शाता है।
- अमेरिकी फेडरल की मौद्रिक नीति के मज़बूत होने के कारण पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर कि तुलना में अन्य देशों की मुद्राओं के मूल्य में गिरावट आई है।
- अर्जेंटीना, वेनेजुएला और तुर्की सहित कई बड़े उभरते बाज़ारों में पैदा हुए आर्थिक संकट भी भारतीय रुपए के लिये चिंता का विषय है जिसने वैश्विक निवेशकों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा और सामान्य शेयरों के बारे में सतर्क कर दिया है।

रुपए के मूल्य में गिरावट का प्रभाव

नकारात्मक प्रभाव

- तेल का आयात महँगा होगा जिसके चलते भारत में महँगाई दर बढ़ने की संभावना है।
- बढ़ी हुई महँगाई दर का असर बुनियादी तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं पर पड़ेगा।
- हालाँकि कमज़ोर होता रुपया निर्यातकों को लाभ पहुँचाएगा फिर भी व्यापार घाटे के कम होने की संभावना नहीं है, जो जुलाई 2018 में 18.02 बिलियन डॉलर के पाँच साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

सकारात्मक प्रभाव

- भारतीय मुद्रा के अधिमूल्यित (Overvalued) होने के कारण निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को हानि हो रही थी। ऐसे में रुपए का मूल्य गिरने के कारण भारतीय वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में सुधार होगा।
- इसका सबसे अधिक लाभ निर्यात करने वाली आईटी कंपनियों को मिलेगा।

नोट :

मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody's Investors Service)

- मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस (Moody's Investors Service), मूडीज़ कॉरपोरेशन की बॉण्ड-क्रेडिट की रेटिंग करने वाली कंपनी है। इसको संक्षेप में केवल 'मूडीज़' कहा जाता है।
- मूडीज़ की स्थापना 1909 में जॉन मूडी द्वारा स्टॉक और बॉण्ड तथा बॉण्ड और बॉण्ड रेटिंग से संबंधित सांख्यिकी का मैनुअल बनाने के लिये की गई थी।
- यू.एस. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा वर्ष 1975 में कंपनी को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सांख्यिकी रेटिंग संगठन (NRSRO) के रूप में चिह्नित किया गया था।
- मूडीज़ की निवेशक सेवा वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं के द्वारा जारी किये गए बॉण्डों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान का कार्य करती है।
- यह दुनिया की तीन सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (standard and Poors) और फिच समूह (Fitch Group) के साथ शामिल है।

रुपए के मूल्य में गिरावट के मायने

संदर्भ

व्यापक व्यापार घाटे के साथ हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट दर्ज़ की गई और कुछ ही समय पहले यह अब तक के निचले स्तर पर पहुँच गया। रुपए के मूल्य में हो रही गिरावट आम आदमी से लेकर अर्थव्यवस्था तक सभी के लिये चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में यह जानकारी होना आवश्यक है कि रुपए के मूल्य में हो रही गिरावट के मायने क्या हैं?

रुपया कमज़ोर या मज़बूत क्यों होता है?

- विदेशी मुद्रा भंडार के घटने या बढ़ने का असर किसी भी देश की मुद्रा पर पड़ता है। चूँकि अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा माना गया है जिसका अर्थ यह है कि निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं की कीमत डॉलर में अदा की जाती है।
- अत: भारत की विदेशी मुद्रा में कमी का तात्पर्य यह है कि भारत द्वारा किये जाने वाले वस्तुओं के आयात मूल्य में वृद्धि तथा निर्यात मूल्य में कमी।
- उदहारण के लिये भारत को कच्चा तेल आदि खरीदने हेतु मूल्य डॉलर के रूप में चुकाना होता है, इस प्रकार भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से जितने डॉलर खर्च कर तेल का आयात किया उतना उसका विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ इसके लिये भारत उतने ही डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करे तो उसके विदेशी मुद्रा भंडार में हुई कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन यदि भारत से किये जाने वाले निर्यात के मूल्य में कमी हो तथा आयात कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही हो तो ऐसी स्थिति में डॉलर खरीदने की ज़रूरत होती है तथा एक डॉलर खरीदने के लिये जितना अधिक रुपया खर्च होगा वह उतना ही कमज़ोर होगा।

विदेशी मुद्रा भंडार क्या है?

प्रत्येक देश के पास दूसरे देशों की मुद्रा का भंडार होता है, जिसका प्रयोग वस्तुओं के आयत –निर्यात में किया जाता है, इसे ही विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। भारत में समय-समय पर इसके आंकडे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं।

मुद्रास्फीति पर असर

- मुद्रा के मूल्य में ह्रास का पहला प्रभाव है कि आयात महँगा हो जाता है, जबकि निर्यात सस्ता।
- इसका कारण स्पष्ट है कि समान मात्रा में किसी वस्तु के आयात के लिये खरीदार को अधिक रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि उतनी ही मात्रा में निर्यात करने पर दूसरे देश को कम डॉलर खर्च करने पड़ते हैं।
- अधिक महँगे आयात के कारण मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना होती है, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ कच्चा तेल, रत्न एवं आभूषण के साथ इलेक्ट्रिक वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है।
- इसके अलावा, कमज़ोर होता रुपया तेल आयात के बिल को भी प्रभावित करता है क्योंकि इससे प्रति बैरल कच्चे तेल की खरीद पर अधिक रुपए खर्च होते हैं, जो मुद्रास्फीति को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है।

नोट :

मुद्रास्फीति (Inflation)

- जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं।
- अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक होती है, जबकि 2 से 3% की मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था के लिये उचित होती है।
- मुद्रास्फीति मुख्यत: दो कारणों से होती है, मांग कारक और मूल्य वृद्धि कारक से। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में मंदी आ जाती है।
- मुद्रास्फीति का मापन तीन प्रकार से किया जाता है:- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं राष्ट्रीय आय विचलन विधि से।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर क्या असर पड़ता है ?

- सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की संख्या को देखते हुए यह एक और जटिल सवाल है। एक तरफ, महँगे और तैयार माल की कीमतों में होने वाली वृद्धि का सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव होना चाहिये। लेकिन उच्च कीमतों के कारण मांग में कमी हो सकती है।
- रुपए में कमज़ोरी के कारण निर्यात में वृद्धि होती है, जबकि आयात में कमी हो सकती है।

आपके लिये रुपए के मूल्य में गिरावट का क्या मतलब है ?

- भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है। रुपए में गिरावट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों का आयात महँगा हो जाएगा जिसके कारण तेल कंपनियाँ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं। इन कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप माल की ढुलाई में वृद्धि होगी, जिसके चलते महँगाई बढ़ सकती है।
- भारत कच्चे तेल के अलावा बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है। रुपए में कमज़ोरी से घरेलू बाज़ार में खाद्य तेलों और दालों की कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है।
- रुपए में गिरावट के कारण माल एवं तेलों के महँगे होने के अलावा विदेशों में भ्रमण अधिक महँगा हो जाता है क्योंकि भारतीय पर्यटकों को डॉलर के मुकाबले अधिक रुपए अदा करने पड़ते हैं। इसके विपरीत घरेलू पर्यटन में वृद्धि हो सकती क्योंकि अधिकतर पर्यटक इस दौरान भारत आते हैं क्योंकि उनकी मुद्रा अब और अधिक खरीद कर सकती है।
- मध्यम अवधि में निर्यात उन्मुख उद्योग भी अधिक नौकरियाँ सृजित कर सकते हैं।

डब्ल्यूटीओ के घेराव हेतु पूंजीगत सामानों का शुल्क मुक्त आयात

चर्चा में क्यों ?

घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात सुनिश्चित करने के लिये सरकार एक योजना पर काम कर रही है, जिससे न केवल घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे रोज़गार उत्पादन में भी वृद्धि होने की संभावना है।

इसकी आवश्यकता क्यों ?

- जहाँ एक ओर यह पहल कुछ निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का विकल्प साबित हो सकती है वहीं दूसरी ओर, वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगतता के कारण चरणबद्ध आयात-निर्यात में उत्पन्न हो रही बाधाओं को दूर करने में सहायक साबित हो सकती है।
- वर्तमान समय में निर्यातक, निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तुओं (Export Promotion Capital Goods - EPCG) की योजना के तहत पूंजीगत सामान का शुल्क मुक्त आयात कर सकते हैं और निर्यात उन्मुख इकाइयों (Export Oriented Units-EOUs) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone-SEZ) की इकाइयों के संदर्भ में भी आवश्यक पहल कर सकते हैं।
- परंतु इसमें समस्या यह है कि अब ये योजनाएँ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के अनुकूल नहीं हैं। ऐसे में या तो इन्हें चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित करना होगा अथवा इन्हें पूरी तरह से समाप्त करना होगा।
- इस संदर्भ में यह नई योजना डब्ल्यूटीओ मानदंडों के अनुरूप तैयार की गई है। साथ ही इसके अंतर्गत निर्माताओं हेतु समान लाभ की व्यवस्था करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

नोट :

नई योजना

- विदेश व्यापार निदेशालय (Directorate-General of Foreign Trade - (DGFT) के नेतृत्व में व्यापार विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों की एक टीम तैयार की गई है जिसका कार्य इस योजना को अंतिम रूप प्रदान करना है, जिसे अंततः घरेलू उद्योग और निर्यातकों के लिये वैकल्पिक प्रोत्साहन योजनाओं पर कैबिनेट नोट में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान समय में भारत कई निर्यात संबंधी कई विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है, इस साल की शुरुआत में अमेरिका द्वारा भारत पर भारतीय निर्यात सब्सिडी के रूप में अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुँचाने संबंधी मामला सामने आया था। यह मामला इतना अधिक बढ़ गया था कि अमेरिका ने भारत को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय के समक्ष ला खड़ा किया।
- इस मामले में पाँच लोकप्रिय निर्यात संवर्द्धन योजनाओं को चिन्हित किया गया, जिनमें एमईआईएस (Merchandise Export from India Scheme -MEIS), ईपीसीजी योजना और ईओयू एवं एसईजेड इकाइयों को उपलब्ध कराए जाने वाले कुछ प्रोत्साहन शामिल हैं, इन सभी पर सब्सिडी तथा काउंटरवेलिंग उपायों पर डब्ल्यूटीओ समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

भारत की योजना क्या है ?

- उक्त मामलों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं द्वारा उन योजनाओं को प्रतिस्थापित करने पर विचार किया जा रहा है जो सीधे तौर पर निर्यात से जुड़ी हुई नहीं हैं। ये योजनाएँ सभी घरेलू उत्पादकों के लिये उपलब्ध होंगी और निर्यात के अलावा अन्य मानदंडों जैसे- रोज़गार से भी संबद्ध होंगी।
- वर्तमान में पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क का औसत स्तर लगभग 7.5 प्रतिशत है। घरेलू उद्योगों के लिये इसे शून्य करने से जहाँ एक ओर रोज़गार उत्पादन जैसे महत्त्वपूर्ण मानदंडों को पूरा किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर, निर्माताओं को भी राहत प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- हालाँकि, इस योजना के निष्पादन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। पूंजीगत वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित करने की योजना से घरेलू पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग के हितों को नुकसान पहुँचने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
- इसमें कोई दोराय नहीं है कि सरकार का अंतिम उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को पूरा करना है। हालाँकि घरेलू उद्योगों को कुछ अतिरिक्त लाभ देकर भी इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत को सख्त मज़दूरी नीति लागू करने की ज़रुरत : आईएलओ

चर्चा में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization- ILO) द्वारा प्रकाशित इंडिया वेज रिपोर्ट : वेज पॉलिसीज़ फॉर डिसेंट वर्क एंड इंक्लूसिव ग्रोथ में कहा गया है कि भारत में पिछले दो दशकों में सालाना 7% की औसत जीडीपी दर होने के बावजूद वेतन में कमी और असमानता की स्थिति बनी हुई है।

वेतन वृद्धि के बावजूद असमानता

- NSSO के अनुमानों से भी यह संकेत मिलता है कि 1993-94 और 2011-12 के बीच वास्तविक औसत दैनिक मज़दूरी दोगुनी हो गई है।
- सबसे कमज़ोर श्रेणी जिसमें ग्रामीण मज़दूर, अनौपचारिक रोज़गार, अनौपचारिक मज़दूर, महिला कर्मचारी और निम्न आय वाले कारोबारी शामिल हैं, के वेतन में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसके बावजूद भी वेतन में काफी असमानताएँ बनी हुई हैं।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के रोज़गार और बेरोज़गारी सर्वेक्षण (Employment and Unemployment Survey- EUS) के अनुसार, 2011-12 में भारत में औसत मज़दूरी लगभग 247 रुपए प्रतिदिन और आकस्मिक श्रमिकों की औसत मज़दूरी अनुमानतः 143 रुपए प्रतिदिन थी।
- केवल शहरी क्षेत्र के सीमित नियमित/वेतनभोगी कर्मचारियों और उच्च कौशल वाले पेशेवरों ने औसत से अधिक वेतन प्राप्त किया।

नोट :

रोज़गार के पैटर्न में मामूली बदलाव

- भारत की आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप गरीबी में गिरावट आई है, सेवा तथा उद्योग क्षेत्र में श्रमिकों के बढ़ते अनुपात के साथ रोज़गार पैटर्न में मामूली बदलाव आया है।
- श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा (47%) कृषि क्षेत्र में नियोजित होने के बावजूद अर्थव्यवस्था अभी भी अनौपचारिकता और विभाजन का सामना कर रहा है।
- 2011-12 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में नियोजित कुल 51% से अधिक लोग, स्व-रोज़गार में नियोजित थे और 62% मज़दूरों को अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया था।
- यद्यपि संगठित क्षेत्र के रोज़गार में वृद्धि देखी गई है लेकिन इस क्षेत्र में भी कई नौकरियाँ अनियमित या अनौपचारिक प्रकृति की ही रही हैं।

मज़दूरी में असमानता की उच्च दर

- 2004-05 के बाद से भारत में कुल मज़दूरी असमानता में कुछ हद तक कमी आने के बावजूद यह दर उच्च बनी हुई है।
- कुल मज़दूरी असमानता में यह गिरावट काफी हद तक 1993-94 और 2011-12 के बीच अनियमित श्रमिकों की मज़दूरी दोगुनी होने की वज़ह से हुई है।
- फिर भी, 1993-94 और 2004-05 के बीच नियमित श्रमिकों की मज़दूरी असमानता में होने वाली तेज़ वृद्धि 2011-12 में स्थिर हो गई।

लैंगिक आधार पर वेतन में भेदभाव

- 1993-94 में लैंगिक आधार पर वेतन में अंतर 48% था जो 2011-12 में घटकर 34% पर पहुँच गया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, मज़दूरी में लैंगिक आधार पर किया जाने वाला अंतर अभी भी बना हुआ है।
- मज़दूरी में यह असमानता नियमित, अनियमित, शहरी और ग्रामीण सभी प्रकार के श्रमिकों के बीच है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनियमित श्रमिकों के रूप में कार्यरत महिलाओं की मज़दूरी सबसे कम (शहरी नियमित पुरुष श्रमिकों की कमाई का 22%) है।
- हालाँकि, औसत श्रम उत्पादकता (जिसकी गणना प्रति कर्मचारी GDP के आधार पर की जाती है) 1981 के 38.5% से घटकर 2013 में 35.4% हो गई।

समावेशी विकास के लिये सख्त मज़दूरी नियमों को लागू करने की आवश्यकता

- हालाँकि भारत 1948 में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के माध्यम से पहली बार न्यूनतम मज़दूरी तय करने वाले देशों में से एक था फिर भी सभी श्रमिकों के लिये व्यापक न्यूनतम मज़दूरी तय करने के मामले में चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं क्योंकि भारत में न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने की प्रणाली काफी जटिल है।
- कर्मचारियों के लिये राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित की जाती है और इसने देश भर में 1709 विभिन्न दरों का नेतृत्व किया है। चूँकि कवरेज पूरा नहीं हुआ है, इसलिये ये दरें लगभग 66% दैनिक श्रमिकों पर लागू होती हैं।
- 1990 के दशक में एक राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी स्तर पेश किया गया था जो 2017 में बढ़कर 176 रुपए प्रतिदिन के स्तर पर पहुँच गया लेकिन 1970 के दशक से अब तक कई दौर की चर्चाओं के बावज़ूद यह न्यूनतम मज़दूरी स्तर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- 2009-10 में लगभग 15% वेतनभोगी श्रमिकों और 41% अनियमित श्रमिकों ने इस संकेतक 'राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी' से कम मज़दूरी प्राप्त की।
- पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिये कम वेतन की दर के अलावा लगभग 62 मिलियन श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान किया जाता है।

न्यूनतम मज़दूरी प्रणाली में सुधार की सिफारिशें

रिपोर्ट में न्यूनतम मज़दूरी प्रणाली में सुधार के लिये कई सिफारिशें की गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- रोज़गार के संबंध में सभी श्रमिकों को कानूनी कवरेज प्रदान करना।
- न्यूनतम मज़दूरी प्रणालियों पर सामाजिक भागीदारों के साथ पूर्ण परामर्श सुनिश्चित करना।

नोट :

- नियमित साक्ष्य-आधारित समायोजन करना।
- न्यूनतम मज़दूरी संरचनाओं को क्रमिक रूप से समेकित करना और सरल बनाना।
- अधिक सुनिश्चितता के लिये न्यूनतम मज़दूरी कानून को प्रभावी रूप से लागू करना।
- यह समय-समय पर और नियमित आधार पर सांख्यिकीय डेटा संग्रह करने की भी मांग करता है।

समुचित कार्य और समावेशी विकास के लिये सिफारिशें

- यह रिपोर्ट समुचित कार्य और समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिये कई अन्य पूरक कार्यों की भी सिफारिश करती है। जो इस प्रकार हैं-
  - श्रम उत्पादकता को बढ़ावा देने और टिकाऊ उद्यमों के विकास के लिये कौशल विकास को बढ़ावा देना।
  - समान कार्य के लिये बराबर वेतन को बढ़ावा देना।
  - अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना।
  - श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization - ILO)

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो श्रम-संबंधी समस्याओं/मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिये कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों से इतर एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, अर्थात् इसके पास एक 'त्रिपक्षीय शासी संरचना' (Tripartite Governing Structure) है, जो सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का (सामान्यत: 2:1:1 के अनुपात में) इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करती है।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु यह सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है।
- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) की एक एजेंसी के रूप में सन् 1919 में की गई थी। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य रहा है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 186 देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हैं तथा एक अन्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित 'कुक्स द्वीप' (Cook's Island) है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में इसे प्रतिष्ठित 'नोबेल शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

मोबाइल बैंकिंग को अपनाने में दक्षिण भारत शेष भारत से आगे : रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रबंधन परामर्श फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (Boston Consulting Group -BCG) द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार, बचत खातों में मोबाइल बैंकिंग को अपनाने के मामले में भारत के दक्षिणी राज्य शेष भारत से आगे निकल रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के बारे में

- रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018 के पिछले छह महीनों में मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कम-से-कम एक बार वित्तीय लेन-देन करने वाले खातों के संदर्भ में कुल सक्रिय बचत बैंक खातों का योगदान तेलंगाना में 10%, आंध्र प्रदेश में 6.30%, कर्नाटक में 5.50%, पुद्दुचेरी में 5.80%, तमिलनाडु में 5% और केरल में 4.70% है। उल्लेखनीय है कि पूरे भारत के लिये यह औसत 3.40% है।

नोट :

- रिपोर्ट में 2,600 से अधिक उत्तरदाताओं के नमूने को शामिल किया गया था और BCG ने 34 बैंकों को चार खंडों में विभाजित कर रिपोर्ट तैयार की।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, निजी बैंकों के लिये मोबाइल बैंकिंग सक्रियता 21% और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये 3% है।
- वित्त वर्ष 2018 के आखिरी छह महीनों में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कम-से-कम एक बार वित्तीय लेन-देन करने वाले खातों के संदर्भ में, कुल सक्रिय बचत बैंक खातों के योगदान के रूप में तेलंगाना, मणिपुर और मिजोरम का औसत, राष्ट्रीय औसत 11.30% की तुलना में 20% से अधिक था।
- अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी मोबाइल बैंकिंग को अपनाने वालों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

MSMEs के बारे में

- वर्तमान में भारत में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए के कुल औपचारिक ऋण में से केवल 25% MSMEs को उपलब्ध कराया गया है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत से प्रेरित छोटे व्यवसायों को तेज़ी से तथा औपचारिक रूप से डिजिटलीकृत किया जा रहा है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि GST के लागू होने के बाद डिजिटल चैनलों का उपयोग करने वाले MSMEs की संख्या कुल MSMEs का 47% हो गई है जो कि GST लागू होने से पहले 41% थी।
- BCG के अनुसार, अर्थव्यवस्था में, MSMEs को दिया जाने वाला उधार एक अंतरंग बिंदु पर है और यह क्रेडिट वृद्धि में सहायक हो सकता है।
- वर्तमान में डिजिटल ऋण MSMEs को दिये जाने वाले ऋण का केवल 4% है। हालाँकि, अगले पाँच वर्षों में इसके 21 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्या है ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन (turnover) भी एक सीमा के अंदर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।

रिपोर्ट के बारे में

- BCG द्वारा यह रिपोर्ट भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) और भारतीय बैंक संघ (Indian Bank Association- IBA) के सहयोग से तैयार की गई है।
- इस रिपोर्ट का विषय ''प्रोवाइडिंग फाइनेंसियल सर्विसेज़ टू एसएमइज़ इन एन इनक्रीजिंगली डिजिटल सिस्टम" (Providing financial services to SMEs in an increasingly digital ecosystem) है।

फिक्की

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है।
- इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की वृद्धि की उम्मीद : मूडीज़

चर्चा में क्यों ?

मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने कहा कि 2018 और 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था तेल की उच्च कीमतों की तरह अन्य बाहरी दबावों को झेलने के लिये काफी हद तक लोचशील है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 2018-19 के लिये अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में मूडीज़ ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी से अस्थायी रूप से हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ेगी लेकिन मज़बूत शहरी और ग्रामीण मांग तथा बेहतर औद्योगिक गतिविधियों द्वारा समर्थित होने की वज़ह से संवृद्धि की गति बरकरार रहेगी।
- जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में से कई के लिये संवृद्धि की संभावनाएँ मज़बूत बनी हुई हैं, लेकिन संकेत हैं कि 2018 में होने वाली संवृद्धि में अब विचलन प्रवृत्तियाँ आ सकती हैं।
- अमेरिकी व्यापार संरक्षणवाद के बढ़ने, बाहरी तरलता की स्थिति को कठोर करने और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की कमज़ोर स्थिति के विपरीत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिये निकट अवधि का वैश्विक दृष्टिकोण व्यापक रूप से लचीला बना हुआ है।
- मूडीज़ ने 2018 में जी-20 देशों की संवृद्धि दर 3.3% और 2019 में 3.1% अनुमानित की है। विकसित अर्थव्यवस्थाएँ 2018 में 2.3% और 2019 में 2% के दर से बढ़ेंगी।
- मूडीज़ के अनुमान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2018 और 2019 में लगभग 7.5% की दर से बढ़ेगी।

मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस

- मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस क्रेडिट रेटिंग, शोध और जोखिम विश्लेषण प्रदान करने वाली अग्रणी संस्था है। मूडीज़ की प्रतिबद्धता और विशेषज्ञता पारदर्शी और एकीकृत वित्तीय बाज़ारों में योगदान देती है।
- मूडीज़ द्वारा की जाने वाली रेटिंग और विश्लेषण 135 से अधिक संप्रभु राष्ट्रों, लगभग 5,000 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट जारीकर्त्ताओं, 4,000 वित्तीय संस्थान जारीकर्त्ताओं, 18,000 सार्वजनिक वित्त जारीकर्त्ताओं, 11,000 संरचित वित्त लेनदेन और 1,000 आधारभूत संरचना एवं परियोजना वित्त जारीकर्त्ताओं के ऋणों के लेनदेन पर आधारित होती है।
- मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस, मूडीज़ कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई: एमसीओ) की सहायक कंपनी है, जिसने 2017 में 4.2 बिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त किया, यह दुनिया भर में लगभग 12,300 लोगों को रोज़गार प्रदान करती है और इसकी उपस्थिति 42 देशों में है।
- ज्ञातव्य है कि मूडीज़ वैश्विक पूंजी बाज़ार का एक अनिवार्य घटक है, जो क्रेडिट रेटिंग, शोध, टूल्स और विश्लेषण प्रदान करने के माध्यम से पारदर्शी और एकीकृत वित्तीय बाज़ारों में योगदान देता है।

ट्राइब्स इंडिया ने दी अहमदाबाद, उदयपुर और कोलकाता हवाई अड्डों पर आउटलेट खोलने की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट खोलने के लिये अहमदाबाद, उदयपुर और कोलकाता हवाई अड्डे पर जगह आवंटित की है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा देहरादून, वाराणसी, पुणे, गोवा, कोयंबटूर, लखनऊ, अमृतसर और गंगटोक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट की स्थापना के लिये जगह की पेशकश की गई है।
- इन हवाई अड्डों पर जनजातियों के लिये ट्राइब्स इंडिया की उपस्थिति न केवल जनजातीय उत्पादों का विपणन करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा बल्कि लक्षित ग्राहकों के बीच एक ब्रांड के रूप में "ट्राइब्स इंडिया" को पहचान दिलाने में भी सहायक होगा।
- गौरतलब है कि जुलाई 2017 की तुलना में ट्राइफेड ने अब तक 89 आउटलेट्स का नेटवर्क स्थापित किया है जिसमें उसके स्वयं के 42 बिक्री आउटलेट्स, 33 माल बिक्री आउटलेट्स और देश भर में स्थित 14 फ्रैंचाइजी आउटलेट्स शामिल हैं।

ट्राइफेड (TRIFED)

- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास 'ट्राइफेड' (Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd. - TRIFED) की स्थापना की गई।

नोट :

- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2007 के अधिनियमित होने के बाद ट्राइफेड को इस अधिनियम में पंजीकृत कर इसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अधिसूचित किया गया।
- यह संगठन विपणन विकास और उनके कौशल तथा उत्पादों के निरंतर उन्नयन के माध्यम से देश के जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
- इसके मुख्य साधनों में क्षमता निर्माण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ब्रांड निर्माण और सतत आधार पर विपणन के अवसरों के लिये विपणन संभावनाओं की खोज करना शामिल है।
- अत: कहा जा सकता है कि ट्राइफेड का एकमात्र उद्देश्य जनजातीय समाज के बहु-आयामी परिवर्तन और उनकी मौजूदा छवि की धारणा में बदलाव लाना है।

जनजातीय कारीगर मेला (टीएएम) क्या है ?

- ट्राइफेड द्वारा टीएएम का आयोजन जनजातीय उत्पादकों के माध्यम से तैयार किये गए उत्पादों को विस्तार देने के लिये राज्यों/ ज़िलों/ गाँवों में सोर्सिंग स्तर पर नए कारीगरों की पहचान के लिये किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि जुलाई 2018 में उदयपुर (राजस्थान) और क्योझर(ओडिशा) में 2 टीएएम आयोजित किये गए थे, जहाँ 120 कारीगरों ने भाग लिया और अपने शिल्प का प्रदर्शन किया था।

2020 तक शुरू हो जाएंगी 5जी सेवाएँ : 5जी स्पेक्ट्रम रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

टेलीकॉम विभाग द्वारा गठित परिचालन समिति ने देश में 2020 से 5जी स्पेक्ट्रम सेवा शुरू करने की रूपरेखा पर रिपोर्ट दूरसंचार मंत्रालय को सौंप दी है। समिति ने 'मेकिंग इंडिया 5जी रेडी' रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि 5जी सेवा शुरू होने से देश की अर्थव्यवस्था को एक लाख करोड़ डॉलर का फायदा हो सकता है। ए.जे. पॉलराज की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी ने 5जी सेवाओं के लिये अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी करने की सिफारिश की।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- समिति ने डिजिटल ढाँचा तैयार करने के लिये खासतौर पर सार्वजनिक वायरलेस सेवाओं का विस्तार और अनुकूल स्पेक्ट्रम नीति बनाने को कहा है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 5जी सेवाओं का 2035 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का संचयी आर्थिक प्रभाव होगा।
- हालाँकि अमेरिका में इस वर्ष के अंत तक या 2019 की पहली तिमाही तक 5जी सेवाओं के शुरू होने की संभावना है वहीं, भारत में यह सेवा 2020 तक शुरू होने की उम्मीद है।
- विश्व स्तर पर 5जी प्रौद्योगिकी की सभी सेवाओं का 2024 तक सभी रेंज में विकसित होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5जी अवसर का लाभ उठाने के लिये जल्द-से-जल्द कार्य किये जाने की आवश्यकता है जिससे भारत लाभांश में तेज़ी ला सकता है और संभावित रूप से एक नवप्रवर्तक भी बन सकता है।
- दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराजन को समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में व्यवसाय, सुरक्षा और संरक्षण के लिये विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 5जी सेवा शुरू होने से देश में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक एवं शोध-विकास की क्षमता बढ़ेगी।
- 5जी स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिये प्रस्तावित संगठनात्मक रूपरेखा को लेकर रिपोर्ट में एक ओवरसाइट समिति गठित करने की सिफारिश की गई है। इसमें सरकार, औद्योगिक संस्थानों, बुद्धिजीवियों और शोध व विकास कार्य करने वाले प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है।
- वित्तीय पक्ष पर समिति ने पहले वर्ष के लिये 300 करोड़ रुपए, दूसरे वर्ष के लिये 400 करोड़, तीसरे वर्ष के लिये 500 करोड़ रुपए और चौथे वर्ष के लिये 400 करोड़ रुपए का एक व्यापक प्लानिंग का सुझाव दिया है।

नोट :

- 5जी कार्यक्रमों को सरकार द्वारा वित्तपोषित किये जाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में केवल राष्ट्रीय आँकड़े उपलब्ध हैं। समिति ने कहा है कि वास्तविक रूप में वित्तपोषण की आवश्यकताओं के बारे में तभी अंतिम रूप से फैसला किया जा सकता है जब एक बार अच्छी तरह से परिभाषित परियोजना प्रस्तावों को बजटीय औचित्य के साथ टेलीकम्युनिकेशन विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।
- गौरतलब है कि सितंबर 2017 में सरकार द्वारा 5जी सेवा शुरू करने की दिशा में रूपरेखा तैयार करने के लिये इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, इसके बाद एक संचालन समिति भी गठित की गई थी।
- समिति ने नियामकीय नीति पर सुझाव भी दिये हैं जैसे- शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा तथा प्रयोगशालाओं का उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भागीदारी, अनुप्रयोग के मानकों का विकास तथा प्रमुख 5जी परीक्षण।

नियमन संबंधी दिशा-निर्देश

- मंत्रालय को सौंपी गई उच्च स्तरीय रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार 5जी को जल्द लागू करने के लिये अक्तूबर 2019 तक नियमन संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
- इसके बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के लिये पूर्णकालिक कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त करने को कहा गया है। साथ ही, देश भर में विभिन्न संस्थानों से संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी समन्वयकों को सौंपने को भी कहा गया है।
- इसके अलावा, सी-डॉट के साथ मिलकर टास्क फोर्स द्वारा जारी की जाने वाली सिफारिशों को लागू कराने का ज़िम्मा भी उन्हें सौंपने के लिये कहा गया है।
- पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण 5जी सेवाएँ लागू करने के लिये सरकार से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा गया है जो इस संबंध में स्पष्ट सिफारिशें दे। साथ ही, ट्रायल के लिये ओवरसाइट समितियों का गठन करने के लिये कहा गया है जो 5जी कार्यक्रम कार्यालय को रिपोर्ट करेगा।

अतिरिक्त मुफ्त स्पेक्ट्रम

- स्पेक्ट्रम नीति के तहत समिति ने सुझाव दिया है कि डिजिटल वायरलेस सेवाओं के लिये मूल उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को समझने के लिये सार्वजनिक वायरलेस सेवाओं हेतु भारत के स्पेक्ट्रम आवंटन को विभिन्न सीमाओं पर महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जाना चाहिये।
- इसके अलावा, प्रति व्यक्ति जीडीपी के सापेक्ष स्पेक्ट्रम की लागत अधिक है और यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत 5जी युग में एक और अधिक अनुकूल स्पेक्ट्रम नीति बनाए।
- समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार 31 दिसंबर तक अपनी नीति की घोषणा करेगी और आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी करेगी।
- समिति ने स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर सलाह देने के लिये पाँच साल की अवधि के साथ एक स्थायी समिति की स्थापना की भी सिफारिश की है।
- समिति ने कहा है कि 5जी सेवा देश में चौथी औद्योगिक क्रांति लाने में उत्प्रेरक का काम करेगी और भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में मददगार साबित होगी।

नीति आयोग ने लॉन्च की हिमालयन क्षेत्र में सतत विकास हेतु पाँच थीमेटिक रिपोर्टें

चर्चा में क्यों ?

हिमालय की विशिष्टता और निरंतर विकास की चुनौतियों को समझते हुए नीति आयोग ने जून, 2017 में पाँच कार्य दलों का गठन किया, ताकि विषय संबंधी पाँच थीमेटिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिये एक रोडमैप तैयार किया जा सके।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इन पाँच थीमेटिक विषयों में - जल सुरक्षा के लिये नवाचार और हिमालय क्षेत्र में झरनों को फिर से चालू करना, भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत पर्यटन, कृषि की ओर बढ़ने के लिये परिवर्तनीय दृष्टिकोण, हिमालय क्षेत्र में कौशल और उद्यमिता परिदृश्य को मज़बूत बनाना तथा सुविज्ञ फैसले लेने के लिये डेटा/जानकारी उपलब्ध कराना शामिल हैं।

नोट :

- हालाँकि, विषय संबंधी इन क्षेत्रों का हिमालय के लिये काफी महत्त्व है।
- इस पर्वत की विशिष्टता को बनाए रखने के लिये अनुकूल भवन निर्माण जैसे विशेष प्रयासों की आवश्यकता है जिससे वहाँ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।
- पाँच कार्य दलों की रिपोर्टों में इसके महत्त्व, चुनौतियों, वर्तमान कार्यों और भविष्य के रोडमैप के बारे में चर्चा की गई।
- रिपोर्ट में विषय संबंधी सभी पाँच क्षेत्रों की चुनौतियाँ बताई गई हैं।
- गौरतलब है कि जल सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण करीब 30 प्रतिशत झरने सूख रहे हैं और 50 प्रतिशत में बहाव कम हुआ है।
- हिमालय क्षेत्र में हर वर्ष पर्यटन 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और उसके कारण ठोस कचरा, पानी, यातायात, जैव-संस्कृति विविधता के नुकसान के कारण बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं।
- भारत के हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में 2025 तक पर्यटकों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया गया है, कचरा प्रबंधन और जल संकट जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों के साथ-साथ पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से संबंधित अन्य विषयों के समाधान के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में हज़ारों परिवार अभी भी स्थानांतरित/झूम कृषि की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है, अत: पर्यावरण, खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को देखते हुए इसका समाधान किया जाना ज़रूरी है।
- पहाड़ों में अकुशल कार्य बल भी एक चुनौती बनी हुई है, युवकों के पलायन की समस्या को दूर करने के लिये उच्च प्राथमिकता देनी की आवश्यकता है।
- साथ ही आँकड़ों की उपलब्धता, प्रामाणिकता, संगतता, गुणवत्ता, वैधता तथा हिमालयी राज्यों के लिये यूजर्स चार्जेज से जुड़ी चुनौतियों से निपटना भी ज़रूरी है ताकि शासन के विभिन्न स्तरों पर सुविज्ञ निर्णय लिये जा सकें।
- रिपोर्टों में प्रमुख संदेशों को शामिल किया गया है जिसमें झरनों की मैपिंग और उन्हें दोबारा शुरू करना, हिमालयी राज्यों में विभिन्न चरणों में 8 चरणीय प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना आदि प्रमुख हैं।
- इसके साथ ही सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में सामान ले जाने की सीमा निर्धारित करना; पर्यटन क्षेत्र के मानकों को लागू करना और उनकी निगरानी तथा उन राज्यों के लिये कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन जैसे मानकों का पालन करना भी प्रमुख है।
- हिमालयी क्षेत्रों में प्रकृति का आकलन और कृषि क्षेत्र में बदलाव की सीमा, बेहतर नीतिगत सामंजस्य, एक निर्धारित समय तक सुरक्षा और संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं तक बेहतर पहुँच आदि प्रमुख सिफारिशें की गई हैं।
- उल्लेखनीय है कि कौशल और उद्यमिता को मज़बूती प्रदान करने के लिये चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, लाभ वाले क्षेत्रों, प्रशिक्षकों के लिये निवेश, उद्योग साझेदारी में प्रशिक्षण केंद्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस : मोटे अनाजों को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों ?

भारत, दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश के विभिन्न राज्यों में लोगों के मेनू में मोटे अनाजों को लाने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- सरकार पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिये मिशन स्तर पर रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। बाजरा, जिसे कि पोषक अनाज कहा जाता है, को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और इसे मध्यान्ह भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत शामिल किया जा रहा है।
- पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिये बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि 2016-17 के फसल वर्ष में खेती का रकबा घटकर 1 करोड़ 47.2 लाख हेक्टेयर रह गया है जो वर्ष 1965- 66 में 3 करोड़ 69 लाख हेक्टेयर था।

नोट :

- बाजरा फसलों का रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिये पंचवर्षीय योजना के तहत मोटे अनाजों के उपभोग की मांग बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- कार्यक्रम के तहत बाजरा के पोषण और स्वास्थ्य लाभों पर ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मोटे अनाज दिवस

- केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा औपचारिक रूप से मोटे अनाजों के राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन करने के पश्चात् इसे 28 सितंबर को पुणे में उत्सव के रूप में शुरू किया जाएगा ।
- 16 नवंबर को राष्ट्रीय ज्वार बाजरा (millets) दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च (IIMR) ने हाल ही में एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया है जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के हितधारकों ने मोटे अनाजों के राष्ट्रीय वर्ष के संचालन के लिये रोडमैप पर चर्चा की और इसे अंतिम रूप दिया।
- मोटे अनाजों के मूल्यवर्द्धित उत्पादों की मांग 2-3 गुना बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमें मिलेट्स उत्पादों के लिये एक सतत् ब्रांड बनाने की ज़रूरत है।
- राष्ट्रीय मिशन मिलेट्स परिवार की सभी फसलों का उत्पादन दोगुना अर्थात् 31.74 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखता है।
- पुणे में इसकी शुरुआत के बाद राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जाएंगे। प्रचार गतिविधियों को लोकप्रिय बनाने के लिये ब्रांड एंबेसडरों को शामिल किया जाएगा।

मोटे अनाजों का महत्त्व

- दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को दो भागों में बाँटा गया है। पहला मोटा अनाज जिनमें ज्वार और बाजरा आते हैं। दूसरा, लघु अनाज जिनमें बहुत छोटे दाने वाले मोटे अनाज जैसे रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सांवा और कुटकी आदि आते हैं।
- मोटे अनाजों की खेती करने के अनेक लाभ हैं जैसे सूखा सहन करने की क्षमता, फसल पकने की कम अवधि, उर्वरकों, खादों की न्यूनतम मांग के कारण कम लागत, कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता।
- कम पानी और बंजर भूमि तथा विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं। सल्हार, कांग, ज्वार, मक्का, मडिया, कुटकी, सांवा, कोदो आदि में अगर प्रोटीन, वसा, खनिज तत्त्व, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, फोलिक ऐसिड, जिंक तथा एमिनो एसिड की तुलना गेहूँ, चावल जैसे अनाजों के साथ की जाए तो किसी भी प्रकार से इन्हें कम नहीं आँका जा सकता।
- भारत के राजपत्र 13 अप्रैल, 2018 के अनुसार, मिलेट (ज्वार, बाजरा, रागी आदि) में देश की पोषण संबंधी सुरक्षा में योगदान देने की बहुत अधिक क्षमता है।
- इस प्रकार मोटे अनाजों में न केवल पोषक तत्त्वों का भंडार है बल्कि ये जलवायु लचीलेपन वाली फसलें भी हैं और इनमें अद्भुत पोषण संबंधी विशेषताएँ भी हैं।

भुगतान बैंक द्वारा ग्राहकों की सेवा हेतु कई उपायों पर ज़ोर

चर्चा में क्यों ?

सर्वव्यापी डाकिया, जो पूरे देश में पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर से संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, को पार्ट-टाइम बैंकर की भूमिका निभाने के लिये प्राथमिकता दी जा रही है। यह कार्य स्मार्टफोन और बॉयोमेट्रिक उपकरणों को खरीदने के लिये सरकारी स्वामित्व वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की एक महत्त्वाकांक्षी योजना के माध्यम से किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- IPPB, जिसे 17 अगस्त, 2016 को डाक विभाग के तहत 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के साथ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा के लिये लगभग 1.6 लाख स्मार्टफोन और लगभग 2.7 लाख बायोमेट्रिक डिवाइस (स्कैनर) खरीदना चाहता है। इसका टैगलाइन "आपका बैंक, आपके द्वार" है।

नोट :

- यह देश भर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खरीदने में सेवाप्रदाताओं की मदद करेगा जो यह प्रदर्शित करता है कि यह नया बैंक अपने प्रतिस्पर्द्धियों को किस प्रकार चुनौती देने के लिये तैयार है।
- इसके तहत भुगतान और प्रेषण सेवाएँ प्रदान की जाएंगी साथ ही साझाकरण के आधार पर गैर-जोखिम बीमा और म्यूचुअल फंड उत्पादों, उदाहरण के लिये साधारण वित्तीय उत्पादों का वितरण वास्तव में जोर पकड़ रहा है।
- IPPB ने कहा है कि 3,250 एक्सेस पॉइंट्स के लॉन्च होने पर वह ज़िला, शहर और गाँव स्तर पर अपने ग्राहकों की सेवा के लिये लगभग 1.55 लाख डाकघरों और तीन लाख डाक कर्मचारियों के विशाल डाक नेटवर्क का लाभ उठाएगा।
- संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मार्च में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि IPPB ने रायपुर और रांची में पायलट शाखा की शुरुआत की है।
- उन्होंने कहा कि 1.55 लाख डाकघरों के साथ आईपीपीबी शाखाओं का पूर्ण एकीकरण किया जाएगा ताकि प्रत्येक डाकघर, डाक विभाग के आउटलेट और भुगतान बैंक तकनीकी तथा व्यावसायिक व्यवहार्यता के साथ एक एक्सेस पॉइंट के रूप में कार्य कर सके। अप्रैल 2018 से 650 शाखाओं की शुरुआत अखिल भारतीय स्तर पर की गई है।
- IPPB अपने बैंकिंग परिचालनों के लिये डाक विभाग के एटीएम नेटवर्क का लाभ उठाएगा जो पहले से ही अन्य बैंकों के एटीएम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। डाक विभाग में वर्तमान में 995 एटीएम हैं।

मांग को पूरा करना

- डाक विभाग यह मानता है कि देश के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर भारतीय आबादी की गतिशीलता ने संचार और वित्तीय सेवाओं के संबंध में नई और ज़रूरी मांगों को जन्म दिया है।
- जिस गति के साथ संचार और अन्य प्रकार के लेन-देन को उच्च स्तर की विश्वसनीयता के साथ निष्पादित करने की आवश्यकता है उसके अनुरूप यह कार्य अब वास्तविक समय में किया जा रहा है।
- विभाग ने अपनी रणनीतिक योजना में कहा है कि पहुँच, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और गति के साथ बेहतर सुविधाओं, सेवाओं और उत्पादों की आवश्यकता बाज़ार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के दंड विषयक प्रावधानों की समीक्षा समिति के सुझाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बेहतर कॉर्पोरेट अनुपालन हेतु कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में गठित समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 के दंड विषयक प्रावधानों की समीक्षा समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी है।

समिति के प्रमुख सुझाव

- इस रिपोर्ट में उन सभी दंड विषयक प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण है, जिन्हें अपराधों की प्रकृति के आधार पर उस समय आठ श्रेणियों में बाँट दिया गया था।
- समिति ने सिफारिश की है कि उक्त में से छह श्रेणियों के गंभीर अपराधों के लिये वर्तमान कठोर कानून जारी रहना चाहिये, जबकि दो श्रेणियों तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के अंतर्गत आने वाले अपराधों का निर्णय आंतरिक प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिये।
- समिति के अनुसार इससे ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉरपोरेट के बेहतर अनुपालन को बढ़ावा देने के दोहरे मकसद को पूरा किया जा सकेगा।
- इससे विशेष अदालतों में दायर मुकदमों की संख्या भी कम होगी, परिणामस्वरूप गंभीर अपराधों का तेज़ी से निपटारा होगा और गंभीर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकेगा।

  नोट: उल्लेखनीय है कि कॉरपोरेट धोखेबाजी से जुड़ा अनुच्छेद 447 उन मामलों पर लागू रहेगा, जहाँ धोखेबाजी पाई गई है।
- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) को न्यायाधिकरण के समक्ष मौजूद शमनीय अपराधों की संख्या में पर्याप्त कटौती के ज़रिये मुक्त करने की सिफारिश की गई है।

नोट :

- 81 शमनीय अपराधों में से 16 को विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र से हटाकर आंतरिक ई-निर्णय के लिये अपराधों की नई श्रेणियाँ बनाने (ताकि अधिकृत निर्णय अधिकारी (कंपनियों के रजिस्ट्रार) चूककर्ता पर दंड लगा सकें) का सुझाव दिया गया है।
- जबकि शेष 65 शमनीय अपराध अपने संभावित दुरूपयोग के कारण विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगे।
- इसी प्रकार गंभीर कॉरपोरेट अपराधों से जुड़े सभी अशमनीय अपराधों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने तथा फैसलों का ई-निर्णय एवं ई-प्रकाशन करने के लिये पारदर्शी ऑनलाइन मंच तैयार करने की सिफारिश की गई है।
- इसके अलावा रिपोर्ट में कॉरपोरेट शासन प्रणाली जैसे कि व्यवसाय शुरू करने की घोषणा, पंजीकृत कार्यालय का संरक्षण, जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा, पंजीकरण और शुल्क प्रबंधन, हितकारी स्वामित्व की घोषणा और स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता से जुड़ी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है।
- समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार सार्वजनिक जमा के संबंध में विशेष रूप से सार्वजनिक हितों के दुरुपयोग और नुकसान को रोकने के लिये अधिनियम की धारा 76 के तहत सार्वजनिक जमा की परिभाषा से मुक्त लेनदेन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदत्त की जानी चाहिये।
- इसके अतिरिक्त एक बार जब कंपनी महत्त्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व से संबंधित धारा 90 (7) के तहत प्रतिबंध प्राप्त करती है, तो शेयरों के स्वामित्व की अनिश्चितता की स्थिति में (यदि सही मालिक इस तरह के प्रतिबंधों के एक वर्ष के भीतर स्वामित्व का दावा नहीं करता है) ऐसे शेयर को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिये।
- NCLT को डी-क्लोग/मुक्त करने के लिये समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 441 के तहत अपराधों के परिसंचरण के लिये क्षेत्रीय निदेशक के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का सुझाव दिया है।
- समिति द्वारा सृजन, सुधार और लेनदार के अधिकार से जुड़े दस्तावेजों को भरने के लिये समय-सीमा में भारी कटौती तथा जानकारी नहीं देने की स्थिति में कड़े दंड के प्रावधान सुझाव दिया गया है।

बेहतर पूंजी प्रवाह के लिये रिज़र्व बैंक ने नियमों को तर्कसंगत बनाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वित्त वर्ष 2018 में पूंजी के बेहतर सीमा-पार प्रवाह की सुविधा के लिये उसने नियमों को तर्कसंगत बनाया है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक देश के भुगतान संतुलन के बारे में चिंतित था क्योंकि बाहरी परिस्थितियों में तनाव के संकेत 2017-18 में दिखाई देने लगे थे।
- इस रिपोर्ट में ऋण बाज़ार में विदेशी निधि प्रवाह को प्रोत्साहित करने और भारतीय कंपनियों के बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के माध्यम से प्रवाह बढ़ाने के लिये किये गए उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई है।
- यद्यपि आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि ये परिवर्तन बहुत प्रभावी नहीं हैं। जबकि ऋण परिवर्तन के संबंध में आरबीआई द्वारा उठाए गए क़दमों का अल्पकालिक प्रभाव पड़ा, नियमों में परिवर्तन के बावजूद वित्त वर्ष 2018 में ईसीबी बहिर्वाह जारी रहा।

उठाए गए प्रमुख कदम

- केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2018 में ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) द्वारा किये गए निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा की ताकि उन्हें निवेश करने के लिये और अधिक स्थान उपलब्ध कराया जा सके, उपलब्ध विकल्पों में वृद्धि की जा सके तथा उनके कार्यकाल और अवधि का प्रबंधन करना आसान हो सके।
- श्रेणी स्तर पर एफपीआई निवेश पर उच्चतम सीमा निर्धारित करना कुछ हद तक सुधारात्मक प्रयास था। उदाहरण के लिये, एफपीआई को कुल सरकारी प्रतिभूतियों के बकाये का 5.5 प्रतिशत, एसडीएल का 2 प्रतिशत और कॉर्पोरेट बॉण्ड का 9 प्रतिशत तक रखने की इज़ाज़त दी गई थी।

नोट :

- सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में कुल एफपीआई निवेश पर बकाया शेयरों में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक उच्चतम सीमा बढ़ाना ज़्यादा महत्त्वपूर्ण बदलाव था।
- एक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तीन साल से कम अवशिष्ट परिपक्वता वाले प्रतिभूतियों में निवेश पर प्रतिबंध को हटाना था। विभिन्न उप-श्रेणियों को बंद करके और सभी प्रकार के कॉर्पोरेट बॉण्ड में एफपीआई निवेश के लिये एक सीमा निर्धारित करके कॉर्पोरेट बॉण्ड की सीमा निर्धारित करना भी तर्कसंगत था।
- आँकड़ों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन परिवर्तनों से वित्त वर्ष 2018 में देश में अधिक ऋण निधि प्रवाह को आकर्षित करने के लिये एक अल्पकालिक प्रभाव पड़ा है। वित्त वर्ष 2017 में भारतीय ऋण से 7,292 करोड़ रुपए के शुद्ध बहिर्वाह होने के बावजूद, वित्त वर्ष 2018 में प्रवाह 1,19,036 करोड़ रुपए के अंतर्वाह के साथ उलट गया।
- हालाँकि, इन बदलावों का प्रभाव टिकाऊ नहीं है। क्योंकि, वित्त वर्ष 2019 में अब तक भारतीय ऋण उपकरणों से 35,673 करोड़ रुपए का बहिर्वाह हुआ है। ऐसा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति में अधिक आक्रामक रुख अपनाए जाने, रुपये की कमज़ोरी और अमेरिकी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण हो सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ईसीबी के माध्यम से उठाए गए धन के बहिर्वाह के बारे में भी स्पष्टत: चिंतित है। 2014-15 में ईसीबी के माध्यम से देश में 1,570 मिलियन डॉलर का प्रवाह हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2016 में 4,529 मिलियन डॉलर और वित्त वर्ष 2017 में 6,102 मिलियन डॉलर का बहिर्वाह हुआ।
- इसलिये केंद्रीय बैंक ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं या सहायक कंपनियों को उच्च श्रेणी निर्धारण (एएए) वाले निगमों के साथ-साथ नवरत्न और महारत्न जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ईसीबी को पुनर्वित्त प्रदान करने की अनुमति देकर इस बहिर्वाह को नियंत्रित करने की कोशिश की है।
- ईसीबी ऋण की लागत, विदेशी मुद्राओं में एकत्र किये गए ईसीबी के लिये छह महीने में डॉलर लिबोर के आधार पर 450 आधार अंकों पर सीमित की गई थी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ, बंदरगाह ट्रस्ट और रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल, एवं फ्रेट फॉरवर्डिंग में लगी कंपनियों को भी ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई थी।

बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) में गिरावट

- आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपायों के परिणामस्वरूप, ईसीबी के माध्यम से उठाए गए धन का बहिर्वाह वित्त वर्ष 2018 में 183 मिलियन डॉलर हो गया।
- लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अल्पकालिक व्यापार ऋण तेज़ी से बढ़ रहा है, जो वित्त वर्ष 2018 में लगभग दोगुना होकर 13.9 अरब डॉलर हो गया है। इस आँकड़े की गहन निगरानी की आवश्यकता होगी क्योंकि बढ़ती वैश्विक ब्याज दरें और कमज़ोर रुपया ऋण शोधन को चुनौती देंगे।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

रूस से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध से मिलेगी छूट, अमेरिकी सीनेट ने पारित किया बिल

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी सीनेट ने वित्त वर्ष 2019 के लिये जॉन एस मैक्केन नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट (NDAA) (रक्षा विधेयक) भारी बहुमत से पारित कर दिया। NDAA द्वारा एक साल पहले 2 अगस्त, 2017 को अमेरिकी कान्ग्रेस द्वारा पारित अमेरिकी विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून (CAATSA) के कुछ खंडों में संशोधन किया गया है। NDAA, 2019 के प्रावधानों के तहत भारत द्वारा कुछ शर्तों को पूरा कर रूसी रक्षा उपकरणों की खरीद का रास्ता आसान हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून (Countering America's Adversaries through Sanctions Act-CAATSA) के तहत उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो रूस से महत्त्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद करते हैं।
- इस विधेयक में सीएएटीएसए के प्रावधान 231 को समाप्त करने की बात कही गई है। इस कदम को भारत के लिये एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत लगभग 4.5 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य के पाँच एस -400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है।
- सीएएटीएसए के नए संशोधित प्रावधानों को कानूनी रूप दिये जाने के बाद भारत के लिये रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदना आसान हो जाएगा।
- हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह विधेयक पिछले सप्ताह ही पारित हो चुका है। अब यह कानून बनने के लिये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिये व्हाइट हाउस भेजा जाएगा।
- रक्षा विधेयक में एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत अमेरिका और अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिये महत्त्वपूर्ण साझेदार को राष्ट्रपति द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी कर सीएएटीएसए के तहत प्रतिबंधों से छूट दी जा सकती है।

नियमों में लचीलापन

- सीएएटीएसए से छूट प्रदान करते हुए नेशनल डिफेंस आथोराइजेशन एक्ट, 2019 के तहत रूसी एस -400 रक्षा प्रणाली की खरीद में भारत को पर्याप्त लचीलापन प्राप्त होगा।
- हालाँकि कानून की भाषा बेहद कठोर लग रही है, लेकिन रूस से रक्षा उपकरणों की खरीद करने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों को बेहद नरम कर दिया गया है।
- रूसी उपकरणों की सूची को कम करने के लिये प्रशासन को ट्रैक करने और इससे संबंधित जानकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, जिस पर भारत "कदम उठा रहा है या कदम उठाएगा"।
- इसका मतलब यह है कि न तो वाशिंगटन और न ही नई दिल्ली भारत के लिये रूसी उपकरणों की सूची में ऐतिहासिक गिरावट को लंबे समय तक इंगित कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिये विशिष्ट और आगे बढ़ने के प्रयासों की पहचान करनी होगी।
- इस प्रकार की रिपोर्टिंग की आवश्यकता राजनीतिक रूप से परेशानी का कारण बन सकती है और कानून निर्माताओं द्वारा भविष्य में अप्रत्याशित तरीकों से लाभ उठाने के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है।

बहुपक्षीय सामरिक महत्त्व

- यह "बहुपक्षीय ढाँचे में जुड़ाव को बढ़ाने" के लिये अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक चतुर्भुज वार्ता के बारे में भी बात करता है।

नोट :

- चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ और इसकी मैरीटाइम सिल्क रोड पहल (एमएसआरआई) के साथ ही साथ पाकिस्तान और श्रीलंका में चीनी परियोजनाओं द्वारा समुद्री क्षेत्र को घेरे में लेने तथा रणनीतिक हितों को लेकर भारत की चिंता स्वाभाविक है।
- बहुपक्षीय ढाँचे की भागीदारी के विस्तार पर विधेयक में कहा गया है, "क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और नियमों के आधार पर साझा मूल्यों और सामान्य हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा।"
- इस विधेयक में चीन को दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय नौवहन युद्धाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज (RIMPAC) में भाग लेने से रोकने तथा उसकी कंपनियों को रक्षा तथा सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिये कुछ दूरसंचार उपकरण मुहैया कराने से रोकने का प्रावधान भी है।

रिश्ते की मज़बूती

- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक भारत के साथ अमेरिका की प्रमुख रक्षा साझेदारी को "मजबूत करने और आगे बढ़ाने" का प्रस्ताव भी देता है तथा "आपसी सुरक्षा उद्देश्यों पर काम करता है"।
- भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के लिये CAATSA में छूट प्रदान करने हेतु अमेरिकी कान्ग्रेस की सराहना की जानी चाहिये। ऐसा करके कान्ग्रेस ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर तनाव को समाप्त किया है, रूसी रक्षा उद्योग पर अतिरिक्त दबाव डाला है और CAATSA कानून के मूल उद्देश्य को पूरा किया है।
- यह छूट एक मज़बूत संकेत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्त्व देता है।
- वित्तीय वर्ष 2019 के लिये NDAA रक्षा और ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये वित्तपोषण को अधिकृत करता है साथ ही अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों को रूसी उत्पादित प्रमुख रक्षा उपकरण तथा उन्नत पारंपरिक हथियारों की सूची को कम करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- इसके साथ ही इस कानून में रूसी खुफिया एजेंसियों और साइबर हमलों में लगे अन्य संस्थाओं के लिये छूट की संभावना शामिल नहीं है।

CAATSA

- CAATSA को 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप के लिये रूस को दंडित करने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- इसका उद्देश्य विश्व के तीसरे देशों को माध्यमिक प्रतिबंधों के खतरे के माध्यम से सैन्य और खुफिया क्षेत्रों में रूस के साथ "महत्त्वपूर्ण लेन-देन" से निषेधित करना है।

भारत और म्याँमार दे सकते हैं 'भूमि' वीज़ा मानदंडों में राहत

संदर्भ

उत्तर-पूर्वी राज्यों और म्याँमार के बीच कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देने के लिये मोरेह (मणिपुर) और तमू (म्याँमार) के माध्यम से भूमि सीमा पार करने के लिये वीज़ा मानदंडों में छूट देने का फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की म्याँमार यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

भारत-म्याँमार भूमि वीज़ा की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में म्याँमार की यात्रा करने वाले भारतीयों को परमिट लेने के लिये यांगून में आवेदन करना आवश्यक होता है तथा परमिट मिलने में 20-30 दिन का समय लगता है।
- एक बार परमिट मिलने के बाद यात्री वीज़ा के लिये आवेदन कर सकता है।
- इसके अलावा, भूमि यात्रा के लिये भारतीयों को वीज़ा शुल्क के अलावा, टूर गाइड के लिये भी 40 डॉलर का भुगतान करना पड़ता है।
- नए मानदंडों के अनुसार, म्याँमार भूमि यात्रा पर परमिट के प्रावधान को खारिज कर देगा, जिससे पर्यटकों और व्यापारी यात्रियों दोनों के लिये भू-मार्ग के माध्यम से आवागमन सरल हो जाएगा।

नोट :

नए वीज़ा मानदंडों से लाभ

व्यापार को बढ़ावा

- नए वीज़ा मानदंड उत्तर-पूर्व और म्याँमार के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देंगे। वर्तमान समय में मणिपुर के व्यापारियों द्वारा म्याँमार से दालों और येलो कॉर्न (एनिमल फ़ीड) का आयात किया जाता है।
- म्याँमार में भारतीय मिशन द्वारा कुछ समय से मांडले और उत्तर-पूर्वी शहरों के बीच उड़ान सेवाओं की वकालत कि जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में दोनों देशों में कोलकाता और यांगून के बीच केवल वाणिज्यिक वायु कनेक्टिविटी है।
- चिकित्सा यात्रा को बढ़ावा
- बेहतर कनेक्टिविटी से म्याँमार के मरीज़ो को मणिपुर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में आने के लिये आकर्षित करने में मदद करेगी।
- राजनीतिक अशांति, वीज़ा प्रतिबंध और सुरक्षा चिंताओं के कारण हाल ही में म्याँमार से आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी हुई है।

यूनाइटेड किंगडम में अंग दान के लिये नया कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) की सरकार ने अंग और ऊतक दान करने के लिये अपने वर्तमान कानून में परिवर्तन की योजना बनाई है। यह नया कानून देश में भारतीय मूल के लोगों के लिये तत्काल अंगों की आवश्यकता का समाधान करेगा।

प्रमुख बिंदु

- अंग और ऊतक दान के लिये प्रस्तावित यह प्रणाली स्वत: सहमति पर आधारित है।
- इस कानून में प्रत्येक वयस्क को तब तक स्वाभाविक रूप से एक अंगदाता के रूप में स्वीकार किया गया है जब तक कि उस व्यक्ति विशेष ने इस संबंध में अपनी असहमति नहीं दर्ज की है।
- इंग्लैंड में अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक समुदाय (BAME) के लोगों की मदद हेतु एक अभियान के रूप में सन 2020 से इस कानून के प्रभावी होने की उम्मीद है।
- एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों में निम्न अंग दान के कारण होने वाली मौतों की संख्या काफी अधिक है।
- एनएचएस के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले साल 1.9% भारतीयों के साथ केवल 7% दाता BAME पृष्ठभूमि से संबंधित थे। जबकि अंग दान की प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों में मरने वाले में 21% लोग BAME पृष्ठभूमि से संबंधित थे।

यूएस-चीन व्यापार युद्ध भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धी बना सकता है : सीआईआई रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry-CII) ने कहा है कि अमेरिका द्वारा चीन से 34 बिलियन अमरीकी डालर के आयात पर अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क लगाए जाने से कुछ भारतीय उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- उद्योग मंडल के एक विश्लेषण के अनुसार भारत को अमेरिकी बाज़ार में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन, ट्रांसपोर्ट कलपुर्जे, रसायन, प्लास्टिक और रबड़ उत्पादों पर ध्यान देना चाहिये।
- सीआईआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और चीन द्वारा एक-दूसरे के आयात पर शुल्क बढ़ाने के फैसले से भारत दोनों देशों के बाज़ारों में निर्यात के लिये कई उत्पादों पर ध्यान दे सकता है।

टैरिफ में हुई वृद्धि

- उद्योग मंडल ने कहा कि जिन उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया गया है उनमें अमेरिका को निर्यात किये जाने वाले भारत के शीर्ष उत्पादों में पंप, सैन्य विमान के कलपुर्जे, इलेक्ट्रो डायग्नास्टिक उपकरण के पुर्जे, 1500 से 3000 सीसी के यात्री वाहन और वॉल्व बॉडीज़ शामिल हैं।

नोट :

- सीआईआई के अनुसार, 2017 में इन उत्पादों का निर्यात 50 मिलियन यूएस डॉलर रहा। समन्वित प्रयासों से इन्हें बढ़ाया जा सकता है।
- वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने हाल के वर्षों में इन उत्पादों के निर्यात को अमेरिका में बढ़ाया है।
- इन श्रेणियों में अमेरिका के लिये भारत के मौजूदा निर्यात के आधार पर रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र, वाहन और ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग सामान आदि के लिये मध्यवर्ती पार्ट्स जैसे उत्पादों के निर्यात की उच्च क्षमता है।
- सीआईआई ने कहा कि परिधान और कपड़ा, फुटवियर, खिलौने और गेम्स तथा सेलफोन विनिर्माण भारत में प्रतिस्पर्द्धी उद्योग बन गए हैं जिन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- उद्योग मंडल ने सुझाव दिया है कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में इन उत्पादों द्वारा भारत के प्रतिस्पर्द्धी लाभ को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जानी चाहिये।
- इसके अलावा, भारत के कारोबारी माहौल में अमेरिकी फर्मों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिये अमेरिका से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इसके बेहतर दीर्घकालिक परिणामों के लिये भारत में गैर-टैरिफ बाधाओं के संबंध में उनकी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है।
- घरेलू उद्योग के संदर्भ में कहा गया है कि चिन्हित किये गए भारतीय उत्पादों के घरेलू उत्पादन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के दौरान उत्पादकता में वृद्धि किया जाना महत्त्वपूर्ण है।
- सीआईआई ने 818 उत्पादों की जाँच की जिन पर अमेरिका ने चीन से आयात के लिये टैरिफ बढ़ाए हैं।
- 2012 से 2017 के बीच, अमेरिका के लिये चीन के निर्यात ने दूरसंचार उपकरण, मोटर वाहन, सेल फोन इत्यादि जैसे उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं में त्वरित वृद्धि के साथ मूल्य श्रृंखला को बढ़ा दिया है।

भारतीय उद्योग परिसंघ

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) सलाहकार और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से भारतीय उद्योग, सरकार और नागरिक समाज की साझेदारी के साथ भारत के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है।
- सीआईआई एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योगों का नेतृत्व और प्रबंधनकर्त्ता संगठन है जो भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- भारत के इस प्रमुख व्यापार संघ के वर्तमान में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के SMEs तथा MNCs सहित लगभग 9000 सदस्य हैं और लगभग 265 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय उद्योग निकायों के 300,000 से अधिक उद्यम इसके अप्रत्यक्ष सदस्य हैं।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी: भारत के हित में व्यापार संधि का आकलन करेगी कमेटी

संदर्भ

16 देशों कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल होने के बारे में भारत एक बार फिर से विचार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि RCEP में चीन भी शामिल है जिसके साथ भारत का व्यापार घाटा सबसे अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी का विरोध सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि कुछ मंत्रालयों द्वारा भी किया जा रहा है।
- बढ़ते घरेलू प्रतिरोध के बीच भारत ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक पैनल गठित किया है जो यह सुनिश्चित करेगा कि यह व्यापार समझौता देश के सर्वोत्तम हित में है अथवा नहीं।
- पैनल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के अलावा वित्त मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री (पूर्व वाणिज्य मंत्री) निर्मला सीतारमण तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि हरदीप सिंह पुरी को IFS अधिकारी के रूप में व्यापार कूटनीति में पूर्व के अनुभव के लिये चुना गया है।
- संभवत: सरकार ने यह कदम इस साल के अंत तक वार्ता में पर्याप्त प्रगति प्रदर्शित करने के लिये अन्य संभावित RCEP सदस्यों के दबाव में उठाया है।

नोट :

RCEP समझौते का विरोध

- इस्पात से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक के घरेलू उद्योग सभी आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ विभिन्न मौजूदा व्यापार समझौतों की आलोचना कर रहे हैं कि इन समझौतों के बाद इन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा केवल बढ़ गया है।
- इसके अलावा, 2017-18 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 63 बिलियन डॉलर का था।
- चीन जो इस समझौते में शामिल है, के कारण सस्ते उत्पाद बाज़ार में बहुत अधिक मात्र में आएंगे। उदाहरण के लिये, इस्पात मंत्रालय का तर्क है कि किसी भी FTA (Free Trade Agreement) के बिना भी भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा (इस्पात में) 2 मिलियन टन का है और इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि RCEP पर हस्ताक्षर करने के बाद यह व्यापार घाटा और अधिक बढ़ जाएगा।
- फार्मा उद्योग को भी डर है कि सस्ते चीनी उत्पादों का भारत में अप्रतिबंधित रूप से प्रवेश होगा।
- इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा 2016 के अनुमान के मुताबिक, अगर भारत व्यापारिक आयात पर टैरिफ को पूरी तरह से घटा देता है तो इसे सालाना 75,733 करोड़ रुपए के कर राजस्व का नुकसान हो सकता है।

RCEP के बारे में :

- RCEP या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के दस सदस्यीय देशों तथा छः अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड), जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है, के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है।
- इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- RCEP समूह में 16 सदस्य हैं।
- इसकी औपचारिक शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- RCEP को ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है।

एलओयू और एलओसी सुविधा की होगी पुनः बहाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापार ऋणों के लिये जारी किये जाने वाले लेटर्स ऑफ़ अंडरटेकिंग (LOU) और लेटर्स ऑफ क्रेडिट (LOC) को बंद करने का निर्णय पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मामले में "बिना सोचे-समझे की गई प्रतिक्रिया" थी और इस सुविधा को बहाल किया जाना चाहिये।

प्रमुख बिंदु

- समिति ने यह विचार भी व्यक्त किया कि व्यापार और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हितधारकों ने सर्वसम्मति से कहा कि एलओयू और एलओसी सुविधा को बंद करने के परिणामस्वरूप साख की लागत में 2-2.5% की वृद्धि हुई है।
- समिति का मानना है कि आरबीआई, पीएनबी धोखाधड़ी से हतोत्साहित हो गया तथा उसने बिना अधिक सोचे और विचारे एलओयू/एलओसी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला जल्दबाज़ी में कर दिया।
- समिति के अनुसार, बैंक समेत सभी हितधारकों का मानना था कि एलओयू और एलओसी विश्व स्तर पर स्वीकार्य थे और आयातकों के लिये विदेशी मुद्रा के लागत प्रभावी अल्पकालिक उधार के स्रोत के रूप में उनकी प्रभावोत्पादकता "बेजोड़" थी।
- साख की लागत बढ़ने से देश के व्यापार और उद्योग की लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होगी और नौकरियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नौकरियों की हानि देश की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करेगी।
- समिति ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एलओयू और एलओसी को बंद किये जाने से पहले इस मामले पर उसे संबंधित सभी हितधारकों के साथ और अधिक विचार-विमर्श करना चाहिये था।

नोट :

- समिति का मानना है कि उचित सुरक्षा उपायों के साथ एलओयू/एलओसी को जल्द-से-जल्द बहाल किया जाना चाहिये। इसकी बहाली इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत के आयात की सामग्री इसके कुल निर्यात का 20% अधिक है।
- समिति ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि धोखाधड़ी के प्रतिक्रियास्वरूप एलओयू और एलओसी को बंद करना बैंकिंग क्षेत्र में रूढ़िवाद के द्वितीयक प्रभाव की वज़ह बना है।

एमएसएमई क्षेत्र पर बुरा प्रभाव

- रिपोर्ट में कहा गया है, "बैंक अपने संचालन और ऋण जोखिम के मामलों में अधिक सख्त हो गए हैं।" इस सतर्कता ने अनजाने में बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र की पहुँच से दूर कर दिया है।
- समिति इस बात से भी चिंतित है कि इस तरह के दृष्टिकोण में बैंकिंग सेवाओं को संभ्रांतवादी बनाने और एमएसएमई इकाइयों के विशाल समूह को छोड़कर कुछ बड़े निगमों के अधीनस्थ होने का खतरा है।

अमेरिका ने ईरान पर फिर से लगाए प्रतिबंध : क्या हैं इन प्रतिबंधों के मायने

संदर्भ

अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिये हैं। इन प्रतिबंधों के साथ ही ईरान पर वे प्रतिबंध फिर से लागू हो गए हैं वर्ष साल 2015 में हटा लिया गया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था जिसके तहत ईरान से ये प्रतिबंध हटा लिये गए थे। अमेरिका का मानना है कि आर्थिक दबाव के कारण ईरान नए समझौते के लिये तैयार हो जाएगा और अपनी हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगा देगा।

क्या हैं प्रतिबंध ?

- ईरान सरकार द्वारा अमेरिकी डॉलर को खरीदने या रखने पर रोक।
- सोने या अन्य कीमती धातुओं में व्यापार पर रोक।
- ग्रेफ़ाइट, एल्युमीनियम, स्टील, कोयला और औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर पर रोक।
- ईरान की मुद्रा रियाल से जुड़े लेन-देन पर रोक
- ईरान सरकार को ऋण देने से संबंधित गतिविधियों पर रोक।
- ईरान के ऑटोमोटिव सेक्टर पर प्रतिबंध।
- इन सबके अलावा ईरानी कालीन तथा खाद्य पदार्थों का आयात भी बंद कर दिया जाएगा।

अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी कंपनी या देश इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा तो उन्हें इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

5 नवंबर से लगाए जाने वाले प्रतिबंध

- ईरान के बंदरगाहों का संचालन करने वालों पर प्रतिबंध।
- ऊर्जा, शिपिंग और जहाज़ निर्माण सेक्टर पर प्रतिबंध।
- ईरान के पेट्रोलियम संबंधित लेन-देन पर प्रतिबंध।
- सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के साथ विदेशी वित्त संस्थानों के लेन-देन पर प्रतिबंध।

प्रतिबंधों का प्रभाव

- दोबारा लगाए गए प्रतिबंध अपरदेशीय (extraterritorial) हैं। ये प्रतिबंध न केवल अमेरिकी नागरिकों और व्यवसायों पर लागू होते हैं, बल्कि गैर-अमेरिकी व्यवसायों या व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं।
- इन प्रतिबंधों का उद्देश्य द्वारा ईरान से संबंधित व्यापार और निवेश गतिविधि में शामिल उन सभी लोगों को दंडित करना है जिन्हें इन प्रतिबंधों के तहत कोई विशेष छूट प्राप्त नहीं है।
- कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने पहले से ही अपने ईरानी व्यवसाय बंद कर दिये हैं या ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं।

नोट :

ईरान पर लगे प्रतिबंधों का भारत पर असर

- चीन के बाद भारत ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल ख़रीदार है। वहीं, ईरान भी अपने दस प्रतिशत तेल का निर्यात केवल भारत को ही करता है।
- भारत के लिये यह एक मुश्किल स्थिति है। एक तरफ़ जहाँ ईरान के साथ उसके गहरे संबंध हैं वहीँ दूसरी ओर, वह ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने के फ़ैसले से भी सहमत नहीं है।
- भारत पर इस समय अमेरिकी दबाव भी बढ़ता जा रहा है।
- भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये भी निवेश किया है जो भारत-अफ़ग़ानिस्तान के बीच एक महत्त्वपूर्ण लिंक है। अमेरिकी प्रतिबंध इस परियोजना के विकास में बाधा डाल सकते हैं।

भारत के सामने RCEP के प्रति वचनबद्धता के संदर्भ में बड़ी चुनौती

चर्चा में क्यों ?

भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर में सिंगापुर में आयोजित होने जा रहे आरसीईपी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले यह निर्धारित करना होगा कि वह आरसीईपी, जिसके अंतर्गत चीन सहित 16 देशों के बीच बातचीत जारी है, का हिस्सा बने रहना चाहता है या नहीं।

प्रमुख बिंदु

- यह संभव है कि आरसीईपी समझौता नवंबर तक हस्ताक्षरित होने की स्थिति में न हो, लेकिन अधिकांश सदस्य यह चाहते हैं कि तब तक समझौते के सदस्य देशों द्वारा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं का निर्धारण कर लिया जाए।
- भारत को भी इस संदर्भ में इसी माह के अंत में होने वाली आरसीईपी के सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- चार मंत्रियों के समूह, जिसमें सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और हरदीप पुरी शामिल हैं, को प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि, इस्पात, भारी उद्योग, आर्थिक मामलों, राजस्व और वस्त्र समेत अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। इस संदर्भ में मंत्रियों और सचिवों के साथ 10 अगस्त को होने वाली बैठक आरसीईपी में भारत के रुख पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
- आरसीईपी में आसियान समूह के देशों के अलावा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

क्या हैं भारत की चिंताएँ ?

- जहाँ एक ओर भारत के लिये विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल होना एक महत्त्वपूर्ण सामरिक कदम हो सकता है, वहीं दूसरी ओर, इसके सदस्य देशों की उच्च आकांक्षाओं का भारतीय उद्योग जगत पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से वार्ताकार आगे बढ़ने में हिचक रहे हैं।
- उदाहरणस्वरूप, चीनी वस्तुओं से टैरिफ प्रतिबंधों की समाप्ति भारतीय उद्योग जगत को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा सकती है। अत: हमारे वार्ताकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन के संदर्भ में कितना उदारीकरण किया जाए, जिससे भारतीय हित प्रभावित न हों।
- साथ ही, आसियान देशों द्वारा 90-92 प्रतिशत उत्पादों से टैरिफ की समाप्ति और अन्य 7 प्रतिशत उत्पादों पर टैरिफ को घटाकर 5 प्रतिशत से कम कराने का प्रयास भी भारत के लिये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे कृषि और डेयरी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और स्टील उत्पाद जैसी संवेदनशील मदें भी टैरिफ कटौती के दायरे में आ जाएंगी।
- निवेश मामले के अंतर्गत नकारात्मक सूची (जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है) के आधार पर उदारीकरण और निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र के समावेशन संबंधी मामले में भी चिंताएँ विद्यमान हैं, क्योंकि इनसे देश खर्चीले कानूनी मुकदमों में उलझ सकता है।

नोट :

यूनाइटेड किंगडम को आव्रजन के लिये एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा

चर्चा में क्यों ?

ब्रिटिश उद्योग परिसंघ (Confederation of British Industry-CBI) ने एक नए दृष्टिकोण की मांग करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे यूनाइटेड किंगडम को अपनी आव्रजन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिये दबाव बढ़ गया।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में सरकार से आव्रजन लक्ष्यों को छोड़ने, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये यूके को "पर्याप्त खुला" छोड़ देने और व्यवसायों को सभी कौशल स्तरों पर प्रतिभा तक पहुँचने में सक्षम बनाए जाने की बात कही गई है।
- यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि यूके ने वीजा के दृष्टिकोण की समीक्षा की और व्यापार चर्चा तालिका में आव्रजन नीति को शामिल किया तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार सौदे करना आसान होगा।
- भारत ने पेशेवरों, छात्रों और अन्यों के लिये वीज़ा प्रतिबंधों को कम करने हेतु यूके की अनिच्छा के बारे में अपनी चिंताओं को बार-बार उठाया है। विशेष रूप से छात्रों के लिये वीज़ा मानदंडों के छूट से भारत को बाहर करने के ब्रिटेन के फैसले ने द्विपक्षीय तनाव बढ़ाया तथा भारत को इस नीति की आलोचना करने हेतु उकसाया।
- रिपोर्ट को यूके के हॉस्पिटलिटी, फूड एंड ड्रिंक फेडरेशन और टेकयूके समेत उद्योग-विशिष्ट समूहों द्वारा भी समर्थित किया गया था।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज़ी से विकसित वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में विकास पथ पर आगे रहने के लिये "प्रतिभा के वैश्विक पूल से विशिष्ट डिजिटल कौशल सेट" तक पहुँच की आवश्यकता है।
- इसकी विशिष्ट सिफारिशों में टियर 2 वीज़ा मार्ग (भारत से यूके में आने वाले लोगों के लिए मुख्य कार्य मार्ग) में सुधार, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिये कि नियोक्ता की पहुँच आवश्यक कौशल श्रेणी तक हो सके और जारी किये गए टियर 2 वीज़ा की वार्षिक संख्या को छोड़ना आदि शामिल है।
- ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में वार्षिक सीमा से अधिक डॉक्टरों और नर्सों को बुला लिया, लेकिन यूरोपीय संघ के श्रमिकों के बड़ी संख्या में यूके छोड़कर जाने के साथ, टियर 2 वीज़ा की मांग बढ़ी है, जिससे व्यवसायों को उनकी प्रतिभा को किराये पर लेने में असमर्थ रहना पड़ा है।
- यूके में राष्ट्रमंडल प्रवासियों के साथ किये गए गलत व्यवहार पर एक घोटाले के बाद, यू.के. सरकार की आव्रजन के लिये "शत्रुतापूर्ण" दृष्टिकोण की ओर ध्यान गया है, इस सुझाव के साथ कि इसके दृष्टिकोण ने ब्रिटेन में कानूनी रूप से उन लोगों को नुकसान पहुँचाया और व्यापार समुदाय की ज़रूरतों को भी नुकसान पहुँचाया।
- यूके सरकार द्वारा इस दिशा में कुछ बदलाव किये गए, लेकिन व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों का मानना है कि समस्या से निपटने के लिये कहीं ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है।
- सीबीआई ने चेतावनी दी कि इन नीतियों की वजह से यूके को कई क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ सकता है और आवश्यक लोगों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

मालदीव चीन की उपस्थिति के कारण भारत को कम महत्त्व दे रहा है

संदर्भ

हाल ही में मालदीव (MALDIV) की चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने भारत को मालदीव से अपने सैनिकों और हेलिकॉप्टर वापस बुलाने को कहा है।

प्रमुख बिंदु

- हिंद महासागर द्वीप श्रृंखला में स्थित मालदीव भारत और चीन के लिये समान महत्त्व रखता है।
- बीजिंग द्वारा मालदीव में सड़कों, पुलों और एक बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जो दशकों से बनी हुई भारत की सैन्य और नागरिक सहायता के प्रमुख प्रदाता की छवि को आघात पहुँचा रहा है।

नोट :

- हाल ही में भारत ने मालदीव में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को लेकर यामीन की कार्रवाही का विरोध किया है और इसी वर्ष वहाँ आपातकाल भी लगाया गया था।
- साथ ही वहाँ राष्ट्रपति के कुछ प्रतिद्वंद्वियों ने सैन्य हस्तक्षेप के लिये नई दिल्ली में मुलाकात भी की है, जिससे सरकार की चिंताएँ और बढ़ी हैं।
- ऐसे तनाव, सुरक्षा सहयोग जैसे सहायता कार्यक्रमों को प्रभावित कर रहे हैं, सरकार ने छोटे देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की रक्षा करने, सर्वेक्षण और समुद्री डाकुओं का मुकाबला करने में मदद के उद्देश्य से मालदीव को भी ऐसा सहयोग दिया है।
- भारत में मालदीव के राजदूत अहमद मोहम्मद के अनुसार भारत द्वारा प्रदान किये गए दो सैन्य हेलीकॉप्टर जिनका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा सेवा कार्य के लिये किया जाता है, द्वीप के संसाधनों के लिये पर्याप्त नहीं हैं।
- हालाँकि भारत और मालदीव अभी भी हर महीने द्वीप के विशेष आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं।
- मालदीव, भारत के दक्षिण-पश्चिम में 400 किमी (250 मील) की दूरी पर स्थित है और चीन एवं मध्य पूर्व के बीच दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के समीप भी है।
- दरअसल, हेलीकॉप्टरों के साथ भारत ने पायलटों और रखरखाव दल सहित लगभग 50 सैन्यकर्मियों को तैनात किया है और उनके वीज़ा की समय सीमा समाप्त हो गई है लेकिन भारत ने उन्हें अभी तक द्वीप श्रृंखला से वापस नहीं बुलाया है।
- भारत यामीन के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की मुक्ति सहित पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की मुक्ति की मांग कर रहा है।
- वर्ष 2011 में मालदीव में दूतावास खोलने वाले चीन ने अपने बेल्ट और रोड पहल के हिस्से के रूप में इस द्वीप श्रृंखला के साथ तेज़ी से संबंधों में सुधार किया।
- मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स जैसे देशों को हेलीकॉप्टर तथा गश्ती नौकाएं और उपग्रह सहायता प्रदान करना, हिंद महासागर में प्रभाव बनाए रखने के लिये भारत की नौसैनिक कूटनीति का हिस्सा रहा है।
- लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने वहाँ बंदरगाहों और सड़कों के निर्माण कार्य को बढ़ा दिया है।
- मालदीव में बीजिंग शहरी निर्माण समूह कंपनी लिमिटेड ने भारत के जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 511 मिलियन डॉलर के सौदे को रद्द करने के बाद राजधानी माले में हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिये एक परियोजना शुरू की है।
- राष्ट्रपति यामीन ने चीन को कई बुनियादी ढाँचों के निर्माण के लिये आमंत्रित किया है और उन्हें संदेह है कि भारत इस बात पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है कि चीन द्वारा वहाँ क्या किया जा रहा है और इसलिये सरकार भारतीयों को मालदीव से बाहर रखना चाहती है।

भारत ने डीएनए परीक्षणों पर यू.के. प्रस्ताव को खारिज़ किया

चर्चा में क्यों ?

भारत ने गोपनीयता के मुद्दों का हवाला देते हुए अवैध प्रवासियों की राष्ट्रीयता स्थापित करने के लिये डीएनए नमूनों का उपयोग करने के यू. के. प्रस्ताव को खारिज़ कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- यद्यपि अवैध प्रवासियों की वापसी पर समझौता ज्ञापन प्रक्रिया जनवरी में केंद्रीय के गृह राज्य मंत्री किरन रिजूजू द्वारा मंज़ूरी के बाद शुरू की गई थी। लेकिन भारत ने अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
- मूल समझौता ज्ञापन के मुताबिक, भारत में सुरक्षा एजेंसियों को ब्रिटेन में रह रहे बिना दस्तावेज़ वाले अवैध प्रवासियों के पूर्वजों की पहचान 72 दिनों में करनी थी, जबकि दस्तावेज़ के साथ रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान 15 दिनों में करनी थी। किंतु बाद में भारत ने निर्धारित समय सीमा से खुद को बाहर कर लिया।
- इसके अनुसार, यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती तो अवैध प्रवासी को स्वत: ही निर्वासित कर दिया जाएगा।
- यू.के. के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि दस्तावेज़ रहित अवैध प्रवासियों के भारतीय होने का संदेह है जिन्हें यहाँ रहने वाले उनके परिवारों के डीएनए नमूने से मिलान कर जाँचा जा सकता है।

नोट :

- इस संदर्भ में भारत का पक्ष है कि हम यह कैसे स्थापित कर सकते हैं कि बिना दस्तावेज़ वाले लोग भारतीय हैं। इस तरह यह निजता के उल्लंघन के साथ अनैतिक भी है।
- ब्रिटिश सरकार के अनुमानों के अनुसार, यू. के. में वीज़ा समाप्ति के बाद भी लगभग 1,00,000 भारतीय निवास कर रहे हैं। जबकि भारत सरकार ने इस आँकड़े को विवादास्पद बताया और कहा कि यह संख्या 2000 से अधिक नहीं है।
- अप्रैल के बाद यू.के. के कम-से-कम दो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने इस मुद्दे को भारत के साथ उठाया है।
- गौरतलब है कि नवंबर 2016 में अपनी पहली यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा कि यदि ब्रिटेन में अनधिकृत रूप से रहने वाले भारतीयों की वापसी तेज़ी से होती है तो हम एक बेहतर वीज़ा सौदों पर विचार कर सकते हैं।

आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय की नई केंद्रीय योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (ASU&H) दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये एक नई केंद्रीय योजना शुरू की है।

योजना का उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य आयुष दवाओं के फायदों के साथ ही इनके दुष्प्रभावों का लिखित रिकॉर्ड रखना और इन दवाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है।

प्रमुख बिंदु

- आयुष सचिव की अध्यक्षता में गठित स्थायी वित्त समिति ने 1 नवंबर, 2017 को इस योजना को मंज़ूरी दी थी, जिसके बाद वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में इसे लागू करने का काम शुरू कर दिया गया।
- इस योजना के तहत देश भर में आयुष दवाओं की निगरानी के लिये तीन स्तरीय नेटवर्क बनाने का काम किया जा रहा है।
- मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरत नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को आयुष दवाओं की निगरानी से जुड़ी गतिविधियों के बीच समन्वय बनाने का काम सौंपा गया है।
- योजना को लागू करने के शुरुआती स्तर पर पाँच राष्ट्रीय आयुष संस्थानों तथा 42 अन्य आयुष संस्थानों को इस काम में मदद करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत इन संस्थानों को आयुष दवाओं का लिखित रिकॉर्ड बनाने, उसका विश्लेषण करने, दवाओं के दुष्प्रभावों का आकलन कर उनका रिकॉर्ड तैयार करने तथा आयुष दवाओं के सेवन से जुड़ी अन्य गतिविधियों का रिकॉर्ड भी रखने का काम करना है। मंत्रालय ने 2020 तक देश में ऐसे 100 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है।
- आयुष दवाओं हेतु सुरक्षा नेटवर्क बनाने को सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के लिये शुरुआती तौर पर 10.60 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकार किया है।
- आयुष दवाओं की निगरानी के इस काम में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और भारतीय फार्माकोपिया आयोग (Indian Pharmacopoeia Commission) भी आयुष मंत्रालय के साथ काम कर रहा है।

तुर्की में मुद्रा संकट

चर्चा में क्यों ?

तुर्की की मुद्रा लीरा में ज़बरदस्त गिरावट का दौर जारी है। पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले लीरा की कीमत में 50 प्रतिशत तक की गिरावट हो चुकी है। अमेरिका द्वारा तुर्की से स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर शुल्क बढ़ाने के बाद पिछले कुछ दिनों से लीरा के मूल्य में तेज़ गिरावट आई है। तुर्की के आर्थिक संकट का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। दैनिक कारोबार में रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज होने की वज़ह से यह 70.10 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुँच गया।

नोट :

तुर्की की मुद्रा में गिरावट का कारण क्या है ?

- अमेरिका के पादरी एंड्रयू ब्रनसन को तुर्की ने अक्टूबर 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें रिहा नहीं करने पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी।
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह तुर्की से स्टील एवं एल्युमीनियम के आयात पर शुल्क दोगुना करने की घोषणा की। ट्रंप ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब तुर्की पहले ही आर्थिक संकट से गुज़र रहा है और अमेरिका के साथ कूटनीतिक विवादों में उलझा हुआ है।
- अमेरिका द्वारा तुर्की से स्टील और एल्युमीनियम के आयात पर शुल्क बढ़ाने के बाद पिछले कुछ दिनों से लीरा के मूल्य में तेज़ गिरावट आई है।
- तुर्की की अर्थव्यवस्था तेज़ गति से चल रही थी जो निर्माण और उपभोग बूम पर केंद्रित रही है। जुलाई में मुद्रास्फीति 15% से अधिक थी तथा देश में उच्च चालू खाता घाटा और विदेशी ऋण बढ़ रहा है।
- अमेरिका में मज़बूत डॉलर और उच्च ब्याज दरों ने लीरा की परेशानियों को बढ़ाया है।
- भारत और चीन के मुक़ाबले तुर्की विदेशी मुद्रा के कर्ज़ पर अधिक निर्भर था और यही उसके मौजूदा संकट की बड़ी वजह है। तुर्की की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का दबदबा है और कुल कर्ज़ का 70 फ़ीसदी से अधिक हिस्सा डॉलर में लिया गया है।
- ब्रिटेन ने भी तुर्की को 19 अरब डॉलर का कर्ज़ दिया है, जबकि तुर्की के लिये संकट पैदा करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश के बैंकों का भी 18 अरब डॉलर तुर्की में डूबने की कगार पर है।
- अमेरिकी डॉलर की मांग में इज़ाफा होने की वजह से डॉलर ज़्यादातर मुद्राओं के मुकाबले मज़बूत रहा है। यूरो और पाउंड जैसी मज़बूत मुद्राओं के मुकाबले भी अमेरिकी डॉलर में मज़बूती आई है।

तुर्की की प्रतिक्रिया

- तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन ने कहा है कि अमेरिका ने अंकारा की पीठ पर छुरा मारा है। उन्होंने यह भी कहा कि लीरा जल्द ही स्थिर हो जाएगी क्योंकि इसके गिरने का कोई "आर्थिक आधार" नहीं है।
- राष्ट्रपति ने तुर्कों से अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहिष्कार करने का आग्रह किया और साथ ही अमेरिकी कारों तथा शराब पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ बढ़ाये जाने की निंदा की।
- तुर्की का गृह मंत्रालय अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास को कम करने वाले 346 सोशल मीडिया खातों की भी जाँच कर रहा है।
- बाज़ारों को व्यवस्थित करने के लिये तुर्की के केंद्रीय बैंक ने बैंकों को आवश्यक तरलता प्रदान करने का वादा किया था।

भारत पर प्रभाव क्या है ?

- भारतीय रुपए ने पहली बार डॉलर के मुकाबले 70 अंक पार किया जिसका मुख्य कारण लीरा में लगातार गिरावट है। विश्लेषक इस बात से चिंतित हैं कि मुद्रा में यह उथल-पुथल अन्य (उभरते) बाज़ारों को चोट पहुँचा सकती है।
- तुर्की के उधारदाताओं में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी रखने वाले यूरोपीय बैंक भी जोखिम में हैं।
- भारतीय रुपए की कमज़ोरी की बड़ी वजह यह है कि भारत एक प्रमुख आयातक देश है, लिहाजा उसे हर साल आयात के लिये और ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ रही है। साथ ही विदेशी निवेश में भी कमी आ रही है।
- इसके अलावा, पिछले 7 महीनों में पहली बार जुलाई में सोने का आयात बढ़ा है इससे भी राजकोषीय घाटे की स्थिति खराब हुई है और रुपया कमज़ोर हुआ है।
- भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई रुपए में बहुत ज़्यादा गिरावट को रोकने के लिये समय-समय पर डॉलर बेचकर हस्तक्षेप करता है। इसका विदेशी मुद्रा भंडार पर काफी असर पड़ा है, जो अप्रैल के 426 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर से लुढ़ककर अगस्त के शुरुआती हफ्ते में 403 अरब डॉलर पर पहुँच गया है।

नोट :

नेपाल-भारत थिंक टैंक शिखर सम्मेलन-2018

चर्चा में क्यों ?

"नेपाल-इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन 2018" का आयोजन संयुक्त रूप से एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स (AIDIA) तथा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी (NMML) द्वारा 31 जुलाई, 2018 को पहली बार काठमांडू, नेपाल में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन दोनों देशों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा ज्ञान साझा करने के साथ-साथ नीति निर्माताओं के बीच अंतराल को कम करने के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले संगठनों को वार्षिक भागीदार बनाए जाने का प्रस्ताव है और यह शिखर सम्मेलन क्रमश: नेपाल तथा भारत में प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाएगा।
- नेपाल-भारत संबंध और क्षेत्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते महत्त्वपूर्ण मुद्दे प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन के विशिष्ट विषय होंगे।

नेपाल-इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन 2018 का उद्देश्य

- दोनों देशों के थिंक टैंक के बीच संयुक्त घटनाओं/प्रकाशनों के लिये संसाधनों के साझाकरण पर संस्थागत सहयोग के माध्यम से नेटवर्क और आपसी समझ को मज़बूत करना।
- थिंक टैंक के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को सुविधाजनक बनाना।
- थिंक टैंक के कार्यों को प्रतिबिंबित करना तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना।
- चूँकि नीति निर्माताओं को लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें आमतौर पर वर्तमान समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से मुकाबला करने के लिये मजबूर किया जाता है, इसलिये इस पर विचार करने और आगे की योजना बनाने के लिये आमतौर पर कम समय होता है।
- शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नेपाल तथा भारत के संबंधों में बेहतर बदलाव लाने में थिंक टैंक के महत्त्व को प्रदर्शित करना है।

थिंक-टैंक के प्रतिभागी

- नीति निर्माता
- सरकार के प्रतिनिधि
- राजनयिक मिशन
- शिक्षाविद
- व्यापार क्षेत्र
- मीडिया कर्मी, यह सभी सार्थक निष्कर्षों और सिफारिशों को आकर्षित करने के लिये खुले और तर्कसंगत संवाद में शामिल होंगे।

लक्ष्य

इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के थिंक-टैंक के बीच बहुआयामी सहयोग के माध्यम से भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना है। शिखर सम्मेलन के अन्य प्राथमिक लक्ष्य हैं:

- भारत-नेपाल संबंधों को आकार देने में थिंक-टैंक की भूमिका का पता लगाना।
- भाग लेने वाले थिंक-टैंक के बीच संयुक्त आयोजनों को बढ़ावा देने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने के लिये अनुसंधान, प्रकाशन, सूचना साझा करना, मानव संसाधन और वित्त संबंधी सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- नेपाल और भारत के थिंक टैंक तथा नीति निर्माताओं के सामने आने वाली संगठनात्मक और नीतिगत चुनौतियों के समाधान के लिये बेहतर समझ हासिल करना।
- वर्तमान परिदृश्य में नेपाल और भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित सबसे दबाव वाली नीतिगत चुनौतियों तथा द्विपक्षीय मुद्दों की पहचान करना और पारस्परिक समावेशी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिये इन चुनौतियों से निपटने के तरीके की खोज करना।

नोट :

क्या है अमेरिकी अंतरिक्ष बल ?

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वर्ष 2020 तक सशस्त्र बालों की छठी शाखा के रूप में अमेरिकी अंतरिक्ष बल का निर्माण करने की घोषणा की गई थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।

अमेरिकी अंतरिक्ष बल

- अंतरिक्ष बल (Space Force) अमेरिकी सेना का एक नया विभाग होगा, जिसे ट्रंप ने "अलग लेकिन समान" (separate but equal) बताया है।
- सेना, नौसेना, नौसैनिक टुकड़ी, तटरक्षक और वायु सेना के बाद यह छठी सेवा होगी।
- योजना के अनुसार, अंतरिक्ष बल में तीन इकाइयाँ शामिल होंगी। युद्ध संबंधी ऑपरेशंस की निगरानी के लिये स्पेस कमांड का नेतृत्व सबसे वरिष्ठ जनरल (four-star general) द्वारा किया जाएगा।
- स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी नई प्रौद्योगिकियों की पहचान और विकास का कार्य करेगी।
- तीसरी इकाई स्पेस ऑपरेशंस फोर्स है, जिसका गठन नेताओं और सेनानियों की विशेषज्ञता के आधार पर किया गया है।
- अमेरिकी उप रक्षा सचिव के अनुसार, space फोर्स के गठन में अरबों रुपए खर्च होंगे।

अंतरिक्ष बल स्थापित करने का उद्देश्य

- अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष बल स्थापित करने का उद्देश्य अंतरिक्ष में अमेरिकी क्षमता तथा प्रभुत्व को स्थापित करने के साथ ही चीन तथा रूस की अंतरिक्ष ताकतों को छोटा साबित करना है।
- यूएस एयर फोर्स स्पेस कमांड
- वर्तमान में अंतरिक्ष शक्ति तथा वायुसेना साइबर वारफेयर की निगरानी अमेरिका के एयर फोर्स स्पेस कमांड (US Air Force Space Command) द्वारा की जाती है।
- इसमें लगभग 38,000 कर्मचारी हैं जो 185 सैन्य उपग्रह प्रणालियों का संचालन करते हैं।
- अंतरिक्ष बल के गठन के बाद यह विभाग भी अंतरिक्ष बल के दायरे में आ जाएगा।
- अंतरिक्ष बल उपग्रहों का उपयोग करके संचार तथा नौपरिवहन प्रणाली को मज़बूत करेगा और विरोधियों का मुकाबला करने हेतु खुफिया जानकारी प्रदान करके सेना के अन्य भागों की भी सहायता करेगा।

अमेरिका में सेना गठित करने की प्रक्रिया

- एक अंतरिक्ष बल के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने और इसका परिचालन करने में कई वर्षों का समय लग सकता है।
- अमेरिकी संविधान के अनुसार, सेनाओं के गठन और उन्हें समर्थन देने की ज़िम्मेदारी कॉन्ग्रेस की है।
- सेना और नौसेना, अमेरिकी सेना की पहली दो शाखाएँ, संविधान में निहित हैं।
- अंतिम इकाई वायु सेना, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 1947 में तब किया गया था, जब कॉन्ग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) पारित किया, ताकि देश के सैन्य विभागों को पुनर्गठित किया जा सके और वायु संचालन को एक अलग विभाग के रूप में शामिल किया जा सके।

नेपाल का नया क्रिमिनिल कोड बनाम प्रेस की स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेपाल सरकार ने एक नया क्रिमिनिल कोड पेश किया है जिससे प्रेस की स्वतंत्रता के हनन होने की आशंका के कारण विरोध किया जा रहा है।

नोट :

प्रमुख प्रावधान

- नया कानून गोपनीय सूचना को प्रकाशित करने, बगैर इज़ाजत के ऑडियो रिकॉर्ड करने या तस्वीर खींचने हेतु जेल की सज़ा दिये जाने का प्रावधान करता है।
- इस कानून में बिना किसी प्राधिकरण के ही दो लोगों के बीच "गोपनीय" वार्तालापों के बारे में रिपोर्टिंग करने को दंडनीय अपराध माना गया है।
- उल्लेखनीय है कि नया क्रिमिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देश की पुरानी विधिक प्रणाली की जगह लेगा।
- इस कानून के तहत किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने वाले को हज़ार रुपए से अधिक का जुर्माना या तीन साल की कैद या दोनों दंडों का एक साथ सामना करना पड़ सकता है।
- नए कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करना जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर सीधे या व्यंग्य द्वारा ठेस पहुँचाई जाती है, के लिये सज़ा का प्रावधान है।

विरोध का कारण

- वर्ष 2015 में जारी किये गए नए संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित की गई है किंतु सरकार द्वारा पेश किए गए नए कोड ने पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं के दिमाग में संदेह पैदा किया है।
- इस नए कानून का विरोध मीडिया, चिकित्सकीय प्रशिक्षु और मानवाधिकार समूहों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इस नए कानून से किसी भी पेशेवर समूह के खिलाफ पुलिस को व्यापक शक्तियाँ मिलेंगी।
- साथ ही इस नए कानून को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अस्वीकार्य किया जा रहा है।

इंडोनेशियाई द्वीप लोम्बोक घातक भूकंप से 10 इंच ऊपर उठा

चर्चा में क्यों ?

इंडोनेशिया में आए भयंकर भूकंप ने न सिर्फ 300 से अधिक लोगों की जान ले ली, बल्कि इसने लोम्बोक द्वीप की भौगोलिक स्थिति को भी बदलकर रख दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस भयंकर भूकंप की वज़ह से यह इंडोनेशियाई द्वीप 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच ऊपर उठ गया है।

प्रमुख बिंदु

- पाँच अगस्त के भूकंप के बाद लोम्बोक (बाली के पूर्व में द्वीप) की उपग्रह से ली गई तस्वीरों का उपयोग करते हुए नासा के वैज्ञानिकों और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 'ज्वाइंट रेपिड इमेजिंग प्रोजेक्ट' ने द्वीप की सतह में बदलावों को मापा है।
- भूकंप के केंद्र से नज़दीक उत्तर पश्चिम में ज़मीन का एक चौथाई हिस्सा उठा हुआ पाया गया, जबकि अन्य स्थानों पर 5-10 सेंटीमीटर (2-6 इंच) धँसा हुआ हिस्सा दिखा।
- गौरतलब है कि इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप पर आए भूकंप में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 68,000 से अधिक घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं।
- नासा ने कहा कि उपग्रह के अवलोकन से अधिकारियों को भूकंप और अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का जवाब देने में मदद मिल सकती है।
- पड़ोसी बाली की तुलना में अधिक लोकप्रिय और कम विकसित पर्यटन स्थल लोम्बोक में एक सप्ताह के भीतर तीन तीव्र भूकंप के झटके महसूस किये गए और यह द्वीप 500 से अधिक पश्चातवर्ती आघात सहन कर चुका है।

इंडोनेशिया में भूकंप का कारण

- इंडोनेशिया में भूकंप का ज़्यादा ख़तरा रहता है क्योंकि यह देश 'रिंग ऑफ़ फ़ायर' यानी लगातार भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोटों की रेखा पर स्थित है। यह रेखा प्रशांत महासागर के लगभग पूरे हिस्से को घेरती है। इनके कारण धरती की परतों में हलचल होती है।

नोट :

- दुनिया के आधे से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ़ फ़ायर का हिस्सा हैं।
- वर्ष 2016 में सुमात्रा द्वीप के उत्तर-पूर्वी तट पर भी एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.5 मापी गई थी। इसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।
- 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर 9.4 रिक्टर स्केल वाले भूकंप के कारण आई सूनामी की वजह से भारत सहित विभिन्न देशों में 2,20,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अकेले इंडोनेशिया में 1,68,000 लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी थी।
- इंडोनेशिया का लोम्बोक द्वीप
- लोम्बोक पश्चिम नुसा तंगारा प्रांत, इंडोनेशिया में स्थित एक द्वीप है। यह लेसर सुंद द्वीपों की श्रृंखला का एक हिस्सा है जो लोम्बोक स्ट्रेट के साथ इसे बाली से पश्चिम तक अलग करता है और इसके बीच में अलास स्ट्रेट और पूर्व में सुम्बावा स्थित है।
- यह "टेल" (सेकोटोंग प्रायद्वीप) के साथ दक्षिण-पश्चिम में लगभग 70 किलोमीटर (43 मील) और लगभग 4,514 वर्ग किलोमीटर (1,743 वर्ग मील) के कुल क्षेत्रफल के साथ लगभग गोलाकार है।
- द्वीप पर प्रांतीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर मातरम (mataram) है। लोम्बोक स्थानीय रूप से गिली (gili) नामक कई छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है।
- पर्यटन, लोम्बोक की आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इसके पर्यटन स्थलों में माउंट रंजानी, गिली बिदर, गिली लॉआंग, नर्मदा पार्क तथा मयूर पार्क और कुता (बाली, कुता से अलग) आदि शामिल हैं।

एन. रघुराम अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के पहले भारतीय-एशियाई अध्यक्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक-शिक्षाविद नंदुला रघुराम को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल (INI) का अध्यक्ष चुना गया है।

नंदुला रघुराम के बारे में

- उल्लेखनीय है कि रघुराम ऐसे पहले भारतीय और एशियाई हैं जिन्हें आईएनआई का अध्यक्ष चुना गया है।
- ये भारतीय नाइट्रोजन समूह के अध्यक्ष और पोषक प्रबंधन पर यूएनईपी वैश्विक साझेदारी की संचालन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।
- औपचारिक रूप से रघुराम 1 जनवरी, 2019 को आईएनआई के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल (आईएनआई) The International Nitrogen Initiative

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2003 में पर्यावरण की समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति (SCOPE) और इंटरनेशनल जियोस्फीयर-बायोस्फीयर प्रोग्राम (IGBP) द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- आईएनआई एक संचालन समिति द्वारा समन्वयित की जाती है, जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और छह क्षेत्रीय केंद्र निदेशक अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- आईएनआई प्रत्येक तीन साल में एक सम्मेलन आयोजित करता है।
- दिसंबर 2016 में मेलबर्न में अंतिम आईएनआई सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- अगला आईएनआई सम्मेलन वर्ष 2020 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया जाएगा।

आईएनआई के मुख्य उद्देश्य:

- टिकाऊ खाद्य उत्पादन में नाइट्रोजन की फायदेमंद भूमिका को अनुकूलित करना।
- खाद्य और ऊर्जा उत्पादन के दौरान मानव स्वास्थ्य पर नाइट्रोजन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना।
- वर्तमान में इस कार्यक्रम का का एक सतत भागीदार 'फ्यूचर अर्थ' (Future Earth) है।
- उल्लेखनीय है कि फ्यूचर अर्थ एक वैश्विक संस्थान है जो अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से वैश्विक परिवर्तनों में तेज़ी से स्थिरता लाने हेतु समर्पित है।

नोट :

प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन क्या है ?

- नाइट्रोजन जीवन के लिये ज़रूरी पाँच प्रमुख रासायनिक तत्त्वों में से एक है।
- जबकि नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है किंतु यह 99% से अधिक आण्विक नाइट्रोजन या N_2 के रूप में होता है, जिसका उपयोग ज्यादातर जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता है।
- अधिकांश जीवित जीव केवल प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं।
- प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन में अमोनिया, अमोनियम, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रेट एवं यूरिया, अमाइन, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड जैसे जैविक यौगिक शामिल हैं।
- दरअसल, प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन में अभूतपूर्व वृद्धि ने दुनिया भर में लोगों और पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा असर डाला है।
- प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन के कारण निचले वायुमंडल में ओज़ोन की उच्च सांद्रता से तटीय पारिस्थितिक तंत्र का यूट्रोफिकेशन, वनों, मिट्टी और ताज़े पानी की धाराओं तथा झीलों का अम्लीकरण और जैव विविधता को नुकसान होता है।
- इसके अलावा यह नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में एक ग्रीनहाउस गैस, नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग और स्ट्रेटोस्फेरिक ओज़ोन रिक्तीकरण में भी योगदान देता है।

सुरक्षा उपाय पर WTO का निर्णय अमेरिका के पक्ष में

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वैश्विक व्यापार विवादों हेतु उच्चतम न्यायालय (Highest Court) द्वारा दिया गया एक विवादास्पद निर्णय अमेरिका के भारत, चीन, कनाडा, यूरोपीय संघ, मेक्सिको, नॉर्वे और अन्य के विरुद्ध एकतरफा दंडात्मक व्यापार उपाय को न्यायसंगत बनाने के लिये काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- व्यापार विवादों के लिये विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च अदालत अपीलीय निकाय ने अपने एक निर्णय में यह स्वीकार किया कि इंडोनेशिया द्वारा लगाए गए शुल्क सुरक्षा उपायों पर डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत एक सुरक्षा उपाय नहीं है। इस तरह इंडोनेशिया के विरुद्ध लगाए गए आरोप को अपीलीय निकाय ने खारिज कर दिया।
- उल्लेखनीय है कि ताइपे और वियतनाम ने इंडोनेशिया द्वारा इस्पात एवं लोहे पर आरोपित शुल्क के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च अदालत अपीलीय निकाय में शिकायत की गई थी जिसे अपीलीय इकाई द्वारा आम सहमति से खारिज़ कर दिया गया।
- अपीलीय निकाय द्वारा दिया गया निर्णय असामान्य था क्योंकि क्रिटिकल थ्रेसहोल्ड के मुद्दे पर शिकायतकर्त्ता और बचाव पक्ष के तर्क को खारिज़ कर दिया गया।
- गौरतलब है कि WTO के सदस्य आयात में अचानक हुए अप्रत्याशित उभार से "घरेलू उद्योग को नुकसान" से बचाने के लिये सुरक्षा उपायों को आरोपित करने के हकदार हैं।
- इसके अतिरिक्त जिस देश के उत्पादों पर सुरक्षा उपाय आरोपित किये गए वह सुरक्षा उपाय लागू करने वाले देश द्वारा WTO के समझौते में निर्धारित समझौते का पालन करने में असमर्थ रहने पर शुल्क आरोपित करने वाले देश के विरूद्ध शिकायत कर सकता है।
- न्यायाधीशों के समक्ष कार्यवाही में चीन, यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और यूक्रेन के साथ भारत ने तीसरे पक्ष के रूप में भाग लिया था। भारत, चीन, यूरोपीय संघ, कोरिया और जापान ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा लगाए गए उपायों को सुरक्षा उपायों के रूप में माना जाना चाहिये।
- अमेरिका ने धारा 232 के तहत इस्पात पर 20% और एल्युमीनियम पर 10% के दंडात्मक शुल्कों को उचित ठहराया है। यह व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता (GATT)-1994 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों के साथ "संप्रभु निर्धारण" के रूप में कार्य करता है।
- अमेरिका ने बार-बार भारत, चीन, कनाडा, यूरोपीय संघ, मेक्सिको और नॉर्वे द्वारा की गई शिकायतों को खारिज कर दिया कि उसके द्वारा लगाए गए दंडनीय शुल्कों ने एक "प्रच्छन्न सुरक्षा" उपाय गठित किया है।

नोट :

- इसके फलस्वरूप, पिछले महीने विवाद निपटान पैनल के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रतिशोध उपाय लागू करने को उचित ठहराया गया था। हालाँकि, अमेरिका छह देशों के तर्कों से असहमत था। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने इस संदर्भ तर्क दिया कि
- उसने सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया है।
- इस तरह से देखा जाए तो अपीलीय निकाय का निर्णय आश्चर्यजनक है जो अमेरिका के इस्पात और एल्युमीनियम पर धारा 232 के तर्क को स्वीकार करता है। इससे यह भी ज़ाहिर हो जाता है कि WTO के अपीलीय निकाय ने अमेरिका को संतुष्ट करने के लिये अपना रुख बदल दिया जो व्यापार कानून और न्यायशास्त्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

ग्रीस यूरोज़ोन के बेलआउट से बाहर निकला

चर्चा में क्यों ?

ग्रीस नौ साल तक उधारदाता के आदेशों को मानने की बाध्यता और यूरोपीय संस्थानों के नियमों का पालन करते हुए हाल ही में आर्थिक इतिहास के सबसे बड़े बेलआउट से बाहर निकल गया।

प्रमुख बिंदु

- ग्रीस की यह निकासी एक सफलता के तौर पर देखी जा सकती है लेकिन ग्रीकवासियों के लिये यह अत्यंत हर्षदायक नहीं कही जा सकती है क्योंकि ग्रीस के आर्थिक संकट का असर देश पर लंबे समय तक रहेगा।
- इस निकासी को ग्रीस के लिये मील का पत्थर कहा जा सकता है हालाँकि कर्ज के बोझ तले दबे यूरोज़ोन के इस सदस्य को अब वित्तीय जीवन रेखा की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह वित्तीय जीवन रेखा पिछले एक दशक में उधारदाताओं द्वारा तीन बेहद अहम मौकों पर पेश की गई थी और इससे उबरते हुए देश को अब खुद का समर्थन करने की आवश्यकता होगी।

संकट से बाहर निकलना

- ग्रीस अब अपने कर्ज़ को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिये आधिकारिक तौर पर एक बड़े संकट को पीछे छोड़कर बॉण्ड बाज़ारों का सहारा ले सकेगा। इस संकट ने ग्रीस की अर्थव्यवस्था को एक-चौथाई तक कम कर दिया और कई लोगों को गरीबी की ओर धकेल दिया।
- 2010 की शुरुआत से ग्रीस अपने यूरोज़ोन भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिये गए 260 बिलियन यूरो (300 बिलियन डॉलर) से अधिक के ऋण पर निर्भर रहा है।
- यूरोज़ोन के बेलाउट फंड, यूरोपीय स्थिरता तंत्र (ईएसएम) ने विश्वास व्यक्त किया कि ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा जाल के बिना वित्तीय प्रबंधन कर सकता है।

बिम्सटेक देशों के राजदूतों के लिये वार्ता का प्रमुख बिंदु: एफटीए

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30-31 अगस्त को काठमांडू में बिम्सटेक (bimstec) देशों के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और उनमें से अधिकांश के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही, यह उम्मीद जताई जा रही है कि बिम्सटेक देशों के लिये एफटीए वार्ता का प्रमुख बिंदु होगा।

प्रमुख बिंदु

- सात सदस्य देशों के दूतावासों ने कहा है कि बिम्सटेक क्षेत्र अभी "दूरदर्शिता की कमी" ("lack of visibility") से पीड़ित है।
- यह वास्तव में निराशाजनक है कि अभी तक एफटीए को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जबकि इसके विषय में वर्ष 2004 में बातचीत शुरू हो गई थी।

नोट :

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

- एक उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह के रूप में बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, म्याँमार, श्रीलंका और थाईलैंड तकनीकी और आर्थिक सहयोग) का गठन जून, 1997 में बैंकाक में किया गया था।
- वर्तमान में इसमें सात सदस्य हैं जिनमें दक्षिण एशिया से पाँच देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया से दो देश म्याँमार और थाईलैंड शामिल हैं।
- प्रथम बिम्सटेक सम्मेलन का आयोजन थाइलैंड द्वारा 30 जुलाई, 2004 को बैंकाक में किया गया था, जो बिम्सटेक के उप क्षेत्रीय समूह को नई दिशा देने वाली घटना थी।
- इस सम्मेलन में बिम्सटेक (बांग्लादेश, भारत, म्याँमार, श्रीलंका और थाईलैंड तकनीकी और आर्थिक सहयोग) का नाम बदलकर बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) रखा गया।
- इस संगठन की तात्कालिक प्राथमिकता अपने कार्यकलापों को समेकित करना तथा आर्थिक सहयोग के लिये इसे आकर्षक बनाना है।
- इसी संदर्भ में बांग्लादेश के उच्चायुक्त सैयद मुजेम अली ने कहा, "हमें अपने अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को मौजूदा स्तर 7% से 21% तक बढ़ाने के लिये बिम्सटेक में एफटीए को शीघ्रता से लागू करने की ज़रूरत है।"
- साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "हमें बिम्सटेक में दूरदर्शिता की कमी को दूर करने के लिये इसे उन क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिये जहाँ एशियान, सार्क, एसएएसईसी जैसे कुछ अन्य क्षेत्रीय सहयोग समूह पहले से ही मौजूद हैं।"
- हालाँकि, भारत और श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की दिशा में पहले से ही सक्रिय हैं, लेकिन सभी सात देशों के लिये यह शायद इतना आसान नहीं है।
- किंतु हमें ध्यान रखना चाहिये कि वर्ष 2018 के अंत तक पूरी होने वाली 16 राष्ट्रों की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) की वार्ता भी प्राथमिकता ले रही है।
- अत: आगामी शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र के "आतंकवाद और हिंसक अतिवाद" जैसे सुरक्षा मुद्दों सहित एफटीए वार्त्ता को बढ़ावा देने वाले आवश्यक मुद्दों पर बात किये जाने की भी उम्मीद है।

भारत का पक्ष

- सीमापार आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के लिये भारत को ऐसे क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता है जिसके सदस्य देश आतंकवाद के मुद्दे पर वैचारिक रूप से एकमत हों।
- बिम्सटेक के माध्यम से भारत पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाकर अपने व्यापार को बढ़ा सकता है।
- इसके माध्यम से ब्लू-इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- इसके अलावा, नेपाल और भूटान जैसे स्थल-आबद्ध देशों के लिये बिम्सटेक के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं।

कैंसर के जोखिम को कम करने के तरीके

चर्चा में क्यों ?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वैश्विक स्तर पर मौत के दूसरे प्रमुख कारण के रूप में उभरने वाले कैंसर के जोखिम को कम करने के तरीकों की एक सूची बनाई है।

प्रमुख मुद्दे

निम्नलिखित तरीकों को शामिल किया गया है :

- किसी भी प्रकार के तंबाकू का उपभोग न करें तथा स्वस्थ आहार का सेवन करें।
- हेपेटाइटिस बी और एचपीवी (HPV) के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण और सूर्य के हानिकारक विकिरणों से सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग करें।

नोट :

- शारीरिक रूप से सक्रिय रहें तथा शराब का सेवन सीमित करने और संगठित स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में भाग लें।
- इसके अलावा स्तनपान को स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने वाला माना गया है।

- डब्ल्यूएचओ का कहना है कि तंबाकू, शराब, अस्वास्थ्यकर आहार और शारीरिक निष्क्रियता आदि प्रमुख कारक हैं जो दुनिया भर में कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं और अन्य गैर-संक्रमणीय बीमारियों के लिये भी ये चार कारक ही साझा रूप से जोखिम का कारण बनते हैं।
- वर्ष 2012 में पाए गए कैंसर के लगभग 15% मामलों में कैंसरजन्य संक्रमण के लिये हेलीकॉबैक्टर पिलोरी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV), हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और एपस्टीन-बार जैसे वायरस ज़िम्मेदार थे।
- हेपेटाइटिस बी एवं सी वायरस और कुछ एचपीवी क्रमश: यकृत और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिये जोखिम को बढ़ाते हैं।
- इसके अलावा एचआईवी (HIV) के साथ संक्रमण से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का खतरा और बढ़ जाता है।

कैंसर (CANCER) क्या है ?

- कैंसर से अभिप्राय शरीर के भीतर कुछ कोशिकाओं का अनियंत्रित होकर बढ़ना है।
- अनुपचारित कैंसर आसपास के सामान्य ऊतकों या शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है तथा इसके कारण बहुत से गंभीर रोग, विकलांगता यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है।
- मूलत: कैंसर को प्राथमिक ट्यूमर कहा जाता है।
- शरीर के दूसरे हिस्से में फैले कैंसर को मेटास्टैटिक या माध्यमिक कैंसर कहा जाता है।
- मेटास्टैटिक कैंसर में प्राथमिक कैंसर के समान ही कैंसर कोशिकाएँ पाई जाती हैं।
- आमतौर पर मेटास्टैटिक कैंसर शब्द का प्रयोग ठोस ट्यूमर का वर्णन करने के लिये किया जाता है जो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है।

भारत की स्थिति

- बीते कुछ वर्षों में भारत में कैंसर के नए मामलों में वृद्धि देखी गई है
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अनुसार भारत में कैंसर के मौजूद 25 से 30 लाख मामलों के साथ प्रतिवर्ष लगभग 12 से 13 लाख नए कैंसर के मामलों का भी निदान किया जा रहा है।

बिम्सटेक का चौथा शिखर सम्मेलन नेपाल में

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक समूह के सदस्य राष्ट्रों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते और बेहतर कनेक्टिविटी जैसे उपायों के माध्यम से इसके उच्चतर रूपरेखा और पुनरुत्थान की मांग की जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

- नेपाल द्वारा चौथे बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मलेन की मेजबानी 30-31 अगस्त, 2018 को की जाएगी। इस सम्मलेन में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाग लेने कि उम्मीद है।
- उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह नई दिल्ली में एक सम्मलेन के दौरान बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका द्वारा बंगाल की खाड़ी पहल के लिये बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) की 'स्पष्टता' बढ़ाने की मांग की गई। साथ ही इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये एक जीवंत और संभावना से भरे हुए क्षेत्र के रूप में देखा।

बिम्सटेक के बारे में

- बिम्सटेक का गठन 1997 में हुआ था।
- इसके सात सदस्य देश हैं- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका।
- यहाँ विश्व की लगभग 22% आबादी या 1.6 अरब लोग निवास करते हैं जिनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 2.8 खरब डॉलर है।

नोट :

- उपर्युक्त प्रभावशाली आँकड़ों के बावजूद संगठन के पास पिछले इक्कीस वर्षों को उपलब्धि के रूप में अभिव्यक्त करने के लिये कुछ भी नहीं है।
- इस क्षेत्रीय मंच को आगे बढ़ाने के लिये इन सात देशों के नेताओं ने शिखर वार्ता के स्तर पर केवल तीन बार- 2004, 2008 और 2014 में बैठक आयोजित की ।
- गौरतलब है कि वर्ष 2016 में ब्रिक्स आउटरीच फोरम में सदस्यों को आमंत्रित किये जाने से इसे काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था।
- भारत द्वारा आमंत्रण को एक संकेत के रूप में देखा गया कि वह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के बदले इस समूह को वरीयता दे रहा है जिसकी प्रगति भारत – पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण बाधित है।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने अपने सैन्य प्रतिष्ठान पर आतंकवादी हमले के बाद वर्ष 2016 में पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मलेन से स्वयं को अलग कर लिया था।

बिम्सटेक के समक्ष चुनौतियाँ:

- इसके समूहीकरण से पूर्व वर्तमान वैश्वीकरण के युग में इसके अंतर्क्रियात्मक सहयोग को गति प्रदान करने की आवश्यकता है।
- 2014 में ढाका में बिम्सटेक के सचिवालय की स्थापना की गई है लेकिन इसकी पहुँच को सार्क, आसियान जैसे अन्य संगठनों की तरह बढ़ाने की ज़रूरत है।
- समूह के बीच व्यापार और निवेश को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिये भारत को चीन और अमेरिका की नीतियों का पालन करना चाहिये जिन्होंने अपने पड़ोसी देशों में व्यापार और निवेश परियोजनाओं पर काफी निवेश किया है।

भारत और मोरक्को के बीच हवाई सेवाओं के समझौते को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच हवाई सेवाओं के लिये संशोधित समझौते को मंज़ूरी दे दी है।

लाभ

- नया समझौता नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच सहयोग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।
- इससे दोनों देशों के बीच व्यापार निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
- यह समझौता व्यापक सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दोनों देशों की विमान सेवाओं के लिये व्यापारिक संभावनाओं हेतु अवसर उपलब्ध कराएगा और निर्बाध हवाई संपर्क प्रदान करने के लिये अनुकूल वातावरण भी तैयार करेगा।

समझौते की प्रमुख विशेषताएँ

- दोनों देशों की विमानन कंपनियाँ विभिन्न तरह की सेवाओं को एक-दूसरे से हस्तांतरण सकती हैं।
- प्रत्येक पक्ष की निर्दिष्ट एयर लाइन विपणन के लिये परस्पर करार कर सकती हैं।
- ये कम्पनियाँ दूसरे पक्ष या तीसरी पार्टी के साथ भी ऐसा समझौता कर सकती हैं।
- इस समझौते के ज़रिये दोनों देशों की कोई भी निर्दिष्ट एयरलाइन हवाई सेवाओं की बिक्री और विज्ञापन के लिये एक-दूसरे के यहाँ अपने कार्यालय खोल सकती हैं।
- इस व्यवस्था के तहत भारत की निर्दिष्ट एयरलाइनें मोरक्को के कासाब्लांका, रबात, माराकेश, अगादीर, तांगीर और फेज़ तक आने-जाने के लिये अपनी सेवाएँ दे सकती हैं।
- इसी तरह मोरक्को की निर्दिष्ट एयरलाइनें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूरू और हैदराबाद आने जाने के लिये अपनी सेवाएँ उपलब्ध करा सकती हैं।
- हवाई सेवा समझौते में विमान सेवाओं के संचालन की अनुमति, संचालन नियमों, व्यावासायिक संभावनाओं तथा सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को निलंबित करने या खत्म करने की भी व्यवस्था है।

नोट :

पृष्ठभूमि

- नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों तथा दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के आधुनिकीकरण और इन्हें निर्बाध जारी रखने के उद्देश्य से मौजूदा हवाई सेवा समझौते में संशोधन किया जा रहा है।
- भारत और मोरक्को के बीच हवाई सेवा समझौता 2004 में किया गया था। इस नए समझौते के प्रभावी होने के साथ ही दिसंबर 2004 में किया गया यह समझौता स्वत: निष्प्रभावी हो जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व में निर्दिष्ट व्यवस्था में एयरलाइनों की सुरक्षा, संरक्षा और वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े प्रावधानों में समय के अनुरूप बदलाव की व्यवस्था नहीं थी।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहल

संदर्भ

साइबर सुरक्षा की बात की जाए तो भारत में अब तक इस संबंध में किसी संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन नहीं किया गया है और न ही किसी स्वायत्त निकाय के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। लेकिन साइबर अपराध और हैकिंग की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं।

साइबर अपराध और हैकिंग की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी, 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
- सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है और इसके लिये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना और विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरों का विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिये भारत कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- गृह मंत्रालय 'महिलाओं व बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम' के लिये कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।
- फोन पर होने वाली धोखाधड़ी से निपटने के लिये गृह मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया है।
- इन सबके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।

शोधकर्त्ताओं ने ज़िका वायरस से होने वाले माइक्रोसेफली के कारणों का पता लगाया

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र के शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने आणविक और सेलुलर क्रियाविधि की सफलतापूर्वक पहचान की है जिसके द्वारा ज़िका वायरस माइक्रोसेफली (मस्तिष्क का एक रोग) का कारण बनता है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार माइक्रोसेफली (microcephaly) के साथ पैदा होने वाले शिशुओं का सिर (head) सामान्य शिशुओं की तुलना में काफी छोटे आकार के होते हैं।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ताओं ने वायरस के एन्वेलोप (घिरे हुए) प्रोटीन (ई-प्रोटीन) की खोज करने में सफलता पाई है जो मस्तिष्क की स्टेम कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश के लिये, मानव भ्रूण तंत्रिका स्टेम कोशिकाओं के प्रसार को अवरोधित करने और न्यूरॉन जैसी बनने वाली कोशिकाओं को मारने के लिये ज़िम्मेदार है।
- इस वायरस का संयुक्त प्रभाव यह होता है कि मस्तिष्क में छोटे आकार में वृद्धि कर रही भ्रूण जैसी मस्तिष्क कोशिकाओं के पूल को कम कर देता है।
- ज़िका वायरस में ई प्रोटीन उत्परिवर्तित (mutate) हो जाता है और यह डेंगू, वेस्ट नाइल वायरस (west nilevirus), पीले बुखार (yellow fever) तथा जापानी एन्सेफलाइटिस जैसे अन्य फ्लैविवायरस (flavivirus) के एन्वेलोप (envelop) प्रोटीन से बहुत अलग होता है।

नोट :

- जब चार प्रोटीन जिन्हें पहले से ही अन्य फ्लैविवायरस में पहचाना जा चुका है, स्पष्ट रूप से प्रकट हुए [अधिक मात्रा में उत्पन्न हुए] तथा मस्तिष्क स्टेम कोशिकाओं के प्रसार को रोकने में ई प्रोटीन अधिक शक्तिशाली पाया गया। अन्य तीन प्रोटीन कम महत्त्वपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे थे। इसलिये शोधकर्त्ताओं ने ई प्रोटीन का आगे अध्ययन करना बेहतर समझा।
- ई प्रोटीन के संपर्क में आने के बाद यह समझने के लिये कि स्टेम सेल आरएनए कैसे प्रभावित होता है, शोधकर्त्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं के आरएनए को भी अनुक्रमित किया।
- आरएनए को अनुक्रमित करने पर उन्होंने पाया कि ई प्रोटीन की उपस्थिति में स्टेम कोशिकाओं के 25 माइक्रोआरएनए या तो बहुत अधिक या बहुत कम प्रकट हो पाए थे।
- शोध के दौरान पाया गया कि दो माइक्रो आरएनए मानव जीन के प्रकट होने की स्थिति को नियंत्रित करते हैं और मस्तिष्क के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्वयं (स्टेमनेस) को नवीनीकृत करने के लिये स्टेम कोशिकाओं की क्षमता को बनाए रखते हैं।
- जब स्टेम सेल विभाजित होना शुरू करते हैं तो एक सेल स्वयं नवीनीकृत हो जाता है और एक स्टेम सेल बन जाता है, जबकि दूसरा मस्तिष्क कोशिका बनने का अनुसरण करता है। जबकि ई प्रोटीन स्टेम कोशिकाओं को मारने में असमर्थ था क्योंकि यह बहुत अधिक लचीला होता है, यह न्यूरॉन्स को नष्ट करने में सक्षम था।
- न्यूरॉन्स न्यूरोटॉक्सिन के लिये अधिक संवेदनशील होते हैं और ये विभाजित नहीं होते हैं। इस प्रकार कम मस्तिष्क कोशिकाएँ मस्तिष्क के छोटे आकार की ओर ले जाती हैं।
- निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिये शोधकर्त्ताओं ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) कानपुर में प्रोफेसर जोनाकी सेन के सहयोग से 13.5 दिनों के गर्भावस्था वाले चूहों में ई प्रोटीन को डाला और दो दिन बाद उनके मस्तिष्क को बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि स्टेम कोशिकाएँ संख्या में कम हो गई थीं और उनका प्रसार रुक गया था।

गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिये नीति-रूपरेखा

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शेल ऑयल/गैस, कोल बेड मीथेन इत्यादि जैसे गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिये नीति-रूपरेखा को मंज़ूरी दे दी है। यह बदलाव निजी कंपनियों को उनके मौजूदा ब्लॉक से शेल गैस और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) सहित गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग करने की अनुमति देगा।

लाभ :

- इस नीति से वर्तमान संविदा क्षेत्रों में उन संभावित हाइड्रोकार्बन भंडारों के उपयोग की क्षमता बढ़ेगी, जो कि अब तक नहीं खोजे गये थे और जिनका दोहन नहीं हुआ था।
- इस नीति के कार्यान्वयन से हाइड्रोकार्बन के नए भंडारों के संबंध में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों निवेश में वृद्धि कर घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी की आशा की जा सकती है।
- अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और दोहन से नए निवेश में तेज़ी आने, आर्थिक गतिविधियों में इज़ाफा होने तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन की आशा है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा।
- इससे नई, अभिनव और उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी तक पहुँच की संभावना बढ़ेगी तथा गैर-पारंपारिक हाइड्रोकार्बन के दोहन के लिये नए प्रौद्योगिकी सहयोग का रास्ता खुलेगा।

पृष्ठभूमि :

- वर्तमान उत्पादन साझेदारी संविदाओं (पीएससी) के संविदा नियमों के अनुसार ठेकेदारों को पहले से लाइसेंस और पट्टे पर आवंटित क्षेत्रों में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) या गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन की अनुमति नहीं है।
- इसी तरह सीबीएम को छोड़कर संबंधित ठेकेदारों को अन्य हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन की अनुमति नहीं है।
- वर्तमान में पीएससी और सीबीएम ब्लॉक तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) में नामांकन व्यवस्था के तहत विभिन्न ठेकेदारों के अधीन मौजूदा रकबा भारत के तलछट संबंधी बेसिन में एक बड़ा हिस्सा है।

नोट :

- आरंभिक अध्ययन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने आकलन किया है कि पाँच भारतीय तलछट बेसिनों में 100-200 टीसीएफ के दायरे में संभावित शेल गैस संसाधन मौजूद हैं। कैम्बे, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी इत्यादि जैसे बेसिनों में शेल ऑयल/गैस होने की प्रबल संभावना है, जहाँ जैविक संपदा से पूर्ण शेल मौजूद है।
- इस नीति को मंज़ूरी दिये जाने के बाद 'एकल हाइड्रोकार्बन संसाधन प्रकार' के स्थान पर 'समान लाइसेंसिंग नीति' लागू हो जाएगी, जो इस समय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) तथा अन्वेषित लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति में लागू है।
- सीबीएम संविदा मामले में पेट्रोलियम लाभ/उत्पादन स्तरीय भुगतान की अतिरिक्त 10 प्रतिशत दर तथा इसके विषय में मौजूदा दर से अधिक को सरकार के साथ नई खोजों के संबंध में साझा करना होगा।
- नामित ब्लॉकों के लिये अन्वेषण/पट्टा लाइसेंस की मौजूदा वित्तीय और संविदा शर्तों के तहत गैर-पारंपारिक हाइड्रोकार्बन की खोज एवं दोहन की अनुमति के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

साइबर हमलों को रोकने के लिये नई प्रौद्योगिकियों में निवेश

चर्चा में क्यों ?

साइबर खतरों में तेज़ी से बढ़ोतरी के साथ ही सुरक्षा सेवा प्रदाताओं के उत्पादों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है, जिसने उन्हें साइबर हमलों को रोकने के लिये नवीनतम तकनीकों और मशीन लर्निंग में निवेश करने को प्रेरित किया है। बैंकिंग क्षेत्र के लिये बी 2 बी साइबर सुरक्षा सेवा प्रदाता, पैलाडियन नेटवर्क के कारोबार में पिछले दो वर्षों के दौरान 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

सुरक्षा पर खर्च

- बड़े उद्यम अब साइबर सुरक्षा में अपने आईटी व्यय का लगभग 10-15 प्रतिशत निवेश कर रहे हैं। चेन्नई स्थित यूज़र आधारित K7 कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सिक्योरिटी सोल्युशन ने विगत वर्षों में तेज़ी से निवेश को बढ़ाया है।
- उदाहरण के लिये 2010 में कंपनी के 800 सक्रिय उपयोगकर्त्ता थे, लेकिन अब इसमें 5,000 दैनिक उपयोगकर्त्ता हैं। कंपनी अब अपने बी 2 बी सेगमेंट का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- हालिया रिपोर्ट के अनुसार, साइबर सुरक्षा बाज़ार के 2018-2023 के बीच 19 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। बाज़ार का आकार वृहद् रूप से बढ़ने की संभावना के साथ ही इसके करीब 1,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

चुनौतियाँ

- उद्यमियों का कहना है कि इस क्षेत्र में बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। विकसित प्रौद्योगिकियाँ नए व्यावसायिक मॉडल को जन्म देती हैं जो खतरे की संभावना को बढ़ाती हैं। ऐसे में ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करने के लिये उत्पादों के संबंध में लगातार नवाचार किया जाना आवश्यक है।
- सोफोस, जो कि एंडपॉइंट सुरक्षा सेवा प्रदाता है, द्वारा किये गए 'एंडपॉइंट सिक्योरिटी सर्वे' के मुताबिक भारत में 90% व्यवसायों को या तो नुकसान पहुँचाया गया है या उन्हें रैनसमवेयर (ransomware) द्वारा नुकसान पहुँचाए जाने की आशंका है।
- सर्वेक्षण में पाया गया कि पारंपरिक एंडपॉइंट सिक्योरिटी अब विकसित रैनसमवेयर खतरों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

नए समाधान

- कंपनियों, उपक्रमों और सुरक्षा फर्मों ने इसे गंभीरता से लिया है तथा इसके समाधान के लिये निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है।
- कंपनियाँ K7 कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करके अधिक मालवेयर को ट्रैप करने हेतु कंप्यूटिंग पावर बढ़ाने को बुनियादी ढाँचे में अधिक निवेश कर रही है।
- इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग साइबर हमलों के विभिन्न पैटर्न को समझने के लिये किया जाता है और पहचान को अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने के लिये वैश्विक हमला पैटर्न को भी शामिल किया जाता है।
- यह देखने के लिये भी काम किया जा रहा है कि इन तकनीकों का उपयोग करके हमले को कितनी तेज़ी से पहचाना और रोका जा सकता है। इसमें बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य को बनाए रखने के लिये समय-समय पर बड़े स्तर पर उन्नयन कार्य भी शामिल किये गए हैं।

नोट :

मोबाइल खतरा

- मोबाइल फोन समाधानों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है क्योंकि स्मार्टफोन की पहुँच लगातार बढ़ रही है।
- AI और ML प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने तथा खतरों के समाधान के लिये मोबाइल सुरक्षा समाधानों को अद्यतन करने पर लगातार काम किया जा रहा है।
- कंपनियाँ मोबाइल सुरक्षा उत्पादों पर भी काम कर रही हैं लेकिन उचित मूल्य निर्धारण जैसे मुद्दों से निपटना मुश्किल है। इस मुद्दे के समाधान का प्रयास किया जा रहा है।

नीति आयोग ने किया मूव हैक का शुभारंभ

संदर्भ

परिवहन और गतिशीलता 21वीं शताब्दी के नवाचार और आर्थिक विकास के संभावित चालकों के रूप में उभर कर सामने आई है। गतिशीलता संबंधी सेवाओं को वितरित करने के लिये तेज़ी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों और व्यावसायिक मॉडल में वैश्विक परिवहन क्षेत्र को बदलने की क्षमता है। गतिशीलता के भविष्य को देखते हुए नीति आयोग ने वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन- मूव हैक का शुभारंभ किया है।

'मूव हैक' के बारे में

- यह विश्व स्तर पर सबसे बड़े हैकथॉन में से एक होगा।
- मूव हैक में दस विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और सिंगापुर तथा नई दिल्ली में अंतिम रूप से ऑनलाइन संचालित होगा।
- हैकथॉन को सिंगापुर सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा और इसका संचालन हैकर अर्थ द्वारा किया जाएगा।
- कार्यक्रम में PWC (PricewaterhouseCoopers) ज्ञान भागीदार और नेस्कॉम रणनीतिक साझेदार है।
- मूव हैक दुनिया का पहला मंच है जिसमें सार्वजनिक परिवहन, निजी परिवहन, सड़क सुरक्षा, बहुआयामी कनेक्टिविटी और शून्य उत्सर्जन वाहनों जैसी नए युग की परिवहन प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है।
- हैकथॉन दो स्तरों "जस्ट कोड इट" (प्रौद्योगिकी/उत्पाद/सॉफ्टवेयर और डेटा विश्लेषण में नवाचारों के माध्यम से समाधान) और "जस्ट साल्व इट" (अभिनव व्यावसायिक विचार या टिकाऊ समाधान) प्रौद्योगिकी पर संचालित किया जाएगा तथा इनके माध्यम से गतिशीलता के बुनियादी ढाँचे को बदलने पर विचार किया जाएगा।

कार्यक्रम का संचालन

- मूव हैक में सभी देशो के नागरिक भाग ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन वाले शीर्ष तीस दल सिंगापुर की यात्रा करेंगे और इन्हें शीर्ष विशेषज्ञों के एक क्यूरेटेड समूह द्वारा सलाह दी जाएगी। इन दलों को आकृति सुधार, व्यापार व्यवहार्यता, तकनीकी समाधान और ग्राहक लक्ष्यीकरण/विपणन सहित कई मापदंडों पर सलाह दी जाएगी।
- इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में सिंगापुर चरण के शीर्ष 20 दल भाग लेंगे।
- इसका मूल्यांकन एक ज्यूरी द्वारा किया जाएगा जिसमें विषय विशेषज्ञ, पूंजीपति, व्यापारिक नेता और सफल उद्यमी शामिल होंगे।
- हैकथॉन के लिये शीर्ष 10 विजेताओं को चुना जाएगा और इसमें 2 करोड़ से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

'मूव हैक' का उद्देश्य

- मूव हैक का उद्देश्य गतिशीलता से संबंधित समस्याओं के लिये अभिनव, गतिशील और मापनीय समाधान प्रदान करना है।

निष्कर्ष

- पैदल यात्री और व्यक्तिगत परिवहन से लेकर सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई तक की गतिशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। गतिशीलता ग्रामीण और शहरी जीवन को प्रभावित करती है। ऐसे में 'मूव हैक' से गतिशीलता संबंधी चुनौतियों के लिये अग्रणी और सरल समाधान उपलब्ध कराने तथा एकीकृत, अंत:स्थापित और आविष्कारशील वैश्विक समुदाय के लिये विकास का मार्ग मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है।

नोट :

DTAB ने की ऑक्सीटॉसिन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (Drug Technical Advisory Board- DTAB) ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सिफारिश की है कि ऑक्सीटॉसिन की खुदरा बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि डेयरी सेक्टर में ऑक्सीटॉसिन के गंभीर दुरुपयोग का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

ऑक्सीटॉसिन

- ऑक्सीटॉसिन एक हार्मोन है जो मस्तिष्क में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है।
- मनुष्य के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ऑक्सीटॉसिन को 'प्यारा हार्मोन' व 'आनंद हार्मोन' आदि नामों से भी जाना जाता है।

DTAB की सिफारिश

- DTAB ने सिफारिश की थी कि ऑक्सीटॉसिन की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना को संशोधित किया जा सकता है और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के तहत मानव उपयोग के लिये इसकी बिक्री और वितरण को जारी रखा जाना चाहिये।

स्वागत योग्य कदम

- DTAB की सिफारिश से स्त्री रोग विशेषज्ञों और प्रसूतिविदों को अधिक राहत मिली है, जिनका कहना था कि दवा की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों और क्लीनिकों में दवा की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है, जहाँ प्रसव के बाद होने वाला अधिक रक्तस्राव अधिकाँशत: महिलाओं की मृत्यु का कारण बनता है।

दवा के निर्माण को लेकर चिंता

- हालाँकि इस प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश की गई है लेकिन डीटीएबी ने मंत्रालय के उस फैसले के बारे में कुछ भी नहीं कहा है जिसके अनुसार केवल एक ही सार्वजनिक इकाई कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड दवा का निर्माण और देश भर में इसकी आपूर्ति कर सकती है।
- एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कर्नाटक एंटीबायोटिक और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जिसने कभी ऑक्सीटॉसिन का निर्माण नहीं किया है, को इस तरह की एक आवश्यक दवा के निर्माण, वितरण और बिक्री का एकाधिकार देना, महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
- इसके अलावा इस दवा का मूल्य भी चिंता का विषय है KAPL द्वारा इस दवा के लिये प्रति 5 IU शीशी का मूल्य 17.78 रुपए (GST सहित) निर्धारित किया गया है जबकि इससे पूर्व निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी जानी वाली ऑक्सीटॉसिन का मूल्य 4.82 रुपए था।

चीन ने BRI की निगरानी के लिये लॉन्च किया उच्च रेजोल्यूशन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना की निगरानी करने के लिये एक उच्च रेज़ोल्यूशन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- गाओफेन- 11 (Gaofen-11) नामक इस उपग्रह को ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र (Taiyuan Satellite Launch Center) से लॉन्ग मार्च 4 B राकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया।
- चीन ने गाओफेन परियोजना की शुरुआत वर्ष 2010 में की थी।
- यह लॉन्ग मार्च राकेट श्रृंखला का 282वाँ मिशन था।

नोट :

लॉन्ग मार्च राकेट

- लांग मार्च रॉकेट (Long March Rocket) या Changzheng Rocket चीन सरकार द्वारा संचालित एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम का एक रॉकेट परिवार है।
- इसका विकास और डिजाइन चीन अकादमी प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी द्वारा किया गया। रॉकेट का नाम चीनी कम्युनिस्ट इतिहास के लॉन्ग मार्च की घटना के बाद नामित किया गया।
- चीन द्वारा उपग्रह का उपयोग भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन, कृषि और आपदा राहत के लिये किया जा सकता है।
- इस उपग्रह के माध्यम से प्राप्त डेटा का उपयोग बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिये भी किया जाएगा।

लॉन्ग मार्च ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- इस घटना को दीर्घ प्रयाण या लंबा कूच या लॉन्ग मार्च (Long March) के नाम से जाना जाता है।
- 16 अक्तूबर, 1934 से शुरु होकर 20 अक्तूबर, 1935 तक चलने वाला यह चीन की साम्यवादी (कुंगचांगतांग) सेना का एक कूच था, जब उनकी फ़ौज ने विरोधी गुओमिंदांग दल (राष्ट्रवादी समूह) की सेना से बचने के लिये 370 दिनों में लगभग 6000 मील का सफ़र तय किया था।
- वास्तव में यह कई कूचों की श्रृंखला थी जिसमें से जिआंगशी प्रांत से अक्तूबर 1934 को शुरू हुआ कूच सबसे प्रसिद्ध है।
- यह कूच माओ ज़ेदोंग (माओ-त्से-तुंग) और झोऊ एन्लाई के नेतृत्व में किया गया और पश्चिमी चीन के दुर्गम क्षेत्रों से गुज़रते हुए पहले पश्चिम और फिर उत्तर की ओर मुड़कर शान्शी प्रांत में ख़त्म हुआ।
- कुल 1,00,000 साम्यवादी सैनिक इस कूच पर निकले थे लेकिन अंत में इनमें से केवल 20% ही जीवित बच पाए थे।

भारत का रक्षक मिसाइल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा को सुदृढ़ करने के लिये अमेरिका से रक्षक मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। इसके तहत राष्ट्रीय उन्नत वायु रक्षा प्रणाली – II (National Advanced Surface-to-Air Missile System- NASAMAS-II) की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सौदा लगभग $ 1 बिलियन का होगा।

प्रमुख बिंदु

- यह रक्षा प्रणाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को हवाई हमलों से बचाने में मददगार होगी।
- यह 9/11 जैसे हमलों (इसमें आतंकवादियों ने अपहृत विमान द्वारा न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला कर दिया था) से सुरक्षा प्रदान करती है।
- इस तरह इस रक्षा प्रणाली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित महत्त्वपूर्ण भवनों की रक्षा की जा सकेगी।

हवाई क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पहल

- भारत अपने हवाई क्षेत्र को लड़ाकू विमान, मिसाइलों और मानवरहित हवाई वाहनों (unmanned aerial vehicles-UAV) द्वारा पूरी तरह सुरक्षित करने के लिये बहु-स्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क भी तैनात कर रहा है।
- यह प्रणाली मध्यम और लंबी दूरी की सतह से हवा (surface to air) में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली जैसे अन्य प्रणालियों के लिये पूरक के रूप में कार्य करेगी।
- भारत, रूस के साथ अत्यधिक लंबी दूरी की S-400 रक्षा प्रणालियों की खरीद हेतु उन्नत चरण में पहुँच गया है।
- NASAMAS को किंग्सबर्ग डिफेंस और नॉर्वे के एयरोस्पेस की भागीदारी में रेथियॉन द्वारा विकसित किया गया था।
- यह किसी भी ऑपरेशनल एयर डिफेंस जैसी आवश्यकता के लिये अत्यधिक अनुकूलनीय मध्यम दूरी समाधान प्रस्तुत करता है, जो ज़रूरत के अनुसार समायोजित होकर खतरों को तीव्र गति से पहचानने की क्षमता को बढ़ा देता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट, उभरते क्रूज़ मिसाइल या मानवरहित हवाई वाहनों के खतरों का सामना कर उसे नष्ट कर देता है।

नोट :

- NASAMS-II एक अपग्रेड किया गया संस्करण है और त्वरित प्रतिक्रिया के लिये नए 3 डी मोबाइल निगरानी रडार और 12 मिसाइल लॉन्चर से युक्त हैं।
- भारत, रूस के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंधों पर भिन्न विचार रखता है और अमेरिका के प्रतिबंधात्मक अधिनियमों का विरोध भी करता है। लेकिन इन सबसे आगे बढ़ते हुए भारत, रूस से एस -400 सिस्टम की खरीद रहा है।
- इन आयातों के अलावा भारत खुद भी स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के प्रथम चरण की तैनाती जल्द ही किये जाने की उम्मीद है।

FOXP2 जीन

चर्चा में क्यों ?

FOXP2 एक प्रसिद्ध जीन है जिसे भाषा में महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण खोजा गया है।

प्रमुख बिंदु

- मस्तिष्क के विकास के दौरान इसकी अभिव्यक्ति उल्लेखनीय है और भाषा उत्पादन में सहायक के रूप में यह कुछ माँसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है।
- हालाँकि यह जीन जानवरों में भी पाया जाता है लेकिन मनुष्य में पाए जाने वाले इस जीन की संरचना में मामूली बदलाव के कारण यह भाषा प्रदान करने में सक्षम है।
- ऐसे लोग जिनका FOXP2 ठीक तरीके से कार्य नहीं करता है, उनमें गंभीर वाणी दोष पाया गया है।
- FOXP2 को चूहों और गानेवाली पक्षियों में भी भाषा नियंत्रक के रूप में देखा गया है।
- पिछले कुछ वर्षों में इसकी उपस्थिति का उपयोग प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की मज़बूती के लिये भी किया गया है कि किस प्रकार एक जीन पीढ़ी-दर-पीढ़ी किसी प्रजाति की मदद करता है।
- आधुनिक लोगों और निएंडरथल के विविध नमूनों के हालिया शोधों में FOXP2 के मानव -विशिष्ट चयन का सबूत नहीं पाया गया है जो मानव द्वारा भाषा हासिल करने के संबंध में हमारी सोच इतिहास को संशोधित करती है।

उर्जा दक्षता उपायों में आंध्र प्रदेश सबसे आगे

चर्चा में क्यों ?

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक (States' Energy Efficiency Preparedness Index -SEEPI) के अनुसार आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सबसे अव्वल राज्य बनकर उभरा है।

प्रमुख बिंदु

- BEE द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए एक संसूचना के अनुसार SEEPI के पहले संस्करण में आंध्र प्रदेश के बाद केरल, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र का स्थान आता है।
- BEE का मूल्यांकन राज्य की ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा बचत उपायों को अपनाने तथा अन्य प्रमुख मानकों पर आधारित है।
- आंध्र प्रदेश नगर पालिकाओं और कृषि में मांग-पक्ष प्रबंधन तथा घरेलू/भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के मोर्चे पर अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन करके सूचकांक में अन्य राज्यों से आगे है।
- एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार विश्व बैंक ने पहले ही ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन उपायों में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया है।
- इस सूचकांक के साथ ही ऊर्जा गहन उद्योगों हेतु ऊर्जा संरक्षण के लिये दिशानिर्देश भी जारी किये गए जो सरकार के प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform,Acheive and Trade-PAT) योजना के अंतर्गत आते हैं।
- BEE द्वारा विकसित ये दिशा-निर्देश ऊर्जा गहन उद्योगों के लिये एक मानक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेंगे और ऊर्जा उपभोग करने वाले संसाधनों की उच्च परिचालन दक्षता प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगा जिससे उनके ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार होगा।

नोट :

बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली

संदर्भ

निर्माण पूर्व गतिविधियों से संबंधित बोली प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण के कार्यों में तेज़ी लाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से प्रौद्योगिकी पहल के रूप में बोलोदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (BIMS) एवं भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) संपर्क पोर्टल लॉन्च किये गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये इस साल से वार्षिक पुरस्कार दिये जाने की घोषणा भी की गई है।

बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (Bidder Information Management System- BIMS)

- BIMS का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ी अनुबंध प्रक्रियाओं को बोलीदाताओं के लिये अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
- इस पोर्टल के माध्यम से बोलीदाताओं से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिल सकेगी।
- बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पोर्टल में अपने कार्यानुभव, वार्षिक कारोबार की वित्तीय जानकारी आदि से संबंधित सभी जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराएँ क्योंकि इन जानकारियों के आधार पर ही उन्हें परियोजनाओं से जुड़े काम दिये जाएंगे।

भूमि राशि पोर्टल

- भूमि राशि पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा मिलकर तैयार किया गया है।
- इस पोर्टल में देश के 6.4 लाख गाँवों की भूमि का राजस्व आँकड़ा दिया गया है।
- इससे से भूमि परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल हो सकेगी।
- भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से इस वर्ष अब तक भूमि अधिग्रहण की 900 अधिसूचनाएँ जारी की जा चुकी हैं, जबकि बीते वर्ष पूरे साल में 1000 अधिसूचनाएँ ही जारी की जा सकी थीं।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (Public Finance Management System- PFMS)

- भूमि राशि पोर्टल के साथ लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) को जोड़े जाने से भूमि अधिग्रहण के दौरान ऐडा की जानी वाली मुआवज़ा राशि का भुगतान लाभार्थियों को आसानी से किया जा सकेगा।
- PFMS एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका विकास तथा कार्यान्वयन भारत के महानियंत्रक लेखा कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत सरकार को एक मज़बूत सार्वजनिक वित्त प्रणाली प्रदान करना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये वार्षिक पुरस्कार

- ये पुरस्कार उन ठेकेदारों को दिये जाएंगे जिसने परियोजना कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा।
- पुरस्कारों के लिये चयन की प्रक्रिया सख्त बनाई गई है। कई दौर आकलन के बाद ही पुरस्कार के लिये किसी का चयन किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समितिने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंज़ूरी दे दी है ताकि भारत में आपदा मोचन को मज़बूती प्रदान की जा सके। इनकी अनुमानित लागत 637 करोड़ रुपए है।

प्रमुख बिंदु

- चार अतिरिक्त बटालियनों को बनाने का उद्देश्य देश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आपदा मोचन के समय में कटौती करना है।
- इन चार बटालियनों को शुरुआत में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में दो और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम राइफल्स (एआर) में एक-एक बटालियन के रूप में तैयार किया जाएगा।

नोट :

- बाद में इन चारों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बटालियनों में बदल दिया जाएगा।
- महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन चारों बटालियनों को जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक विशेषज्ञ दल है, जिसका गठन वर्ष 2006 में किया गया था।
- इसके गठन का उद्देश्य प्राकृतिक और मानवकृत आपदा या खतरे की स्थिति का सामना करने के लिये विशेष प्रयास करना है।
- इस समय बल में 12 बटालियन हैं, जो पूरे देश में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं ताकि तुरंत प्रत्युत्तर दिया जा सके।

भारत 2022 तक करेगा तीन गुना अधिक एथेनॉल का उत्पादन

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 (अगले चार वर्षों में) तक भारत अपने एथेनॉल उत्पादन को तीन गुना कर देगा और इससे देश के तेल आयात (OIL IMPORT) बिल में 12,000 करोड़ रुपए की बचत होगी।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश में 12 जैव ईंधन रिफाइनरियों के निर्माण की योजना बनाई है।
- सरकार का लक्ष्य मौजूदा 141 करोड़ लीटर उत्पादन की तुलना में अगले चार वर्षों में 450 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना है।
- सरकार 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण के स्थिति प्राप्त कर लेगी और सरकार का लक्ष्य इसे दोगुना यानी 20% तक मिश्रित करना है।

अत्यंत निम्न स्तर पर वृद्धि

- हालाँकि, सरकार की जैव ईंधन नीति की कुछ आलोचना भी की गई है, अत: इस नीति पर पुनर्विचार किये जाने की ज़रूरत है।
- भारत को एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिये समग्र दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, किंतु सरकार द्वारा इसमें वृद्धि का लक्ष्य अत्यंत निम्न स्तर (वर्तमान में नीति दस्तावेज़ के अनुसार 2%) पर रखा गया है।
- उन्नत जैव ईंधन प्राप्त करने के लिये 12 आधुनिक रिफाइनरियों की स्थापना की योजना है। सरकार द्वारा 2014 से घोषित योजनाओं को कम या बिना किसी सफलता के एक-दूसरे में दोहराया गया है।

भारत 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता: क्रिसिल रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि वर्ष 2022 तक भारत 100 GW सौर ऊर्जा उत्पादन के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। एक रिपोर्ट में क्रिसिल की उद्योग अनुसंधान शाखा ने यह भी कहा है कि सबसे अच्छी स्थिति में देश 21.65 GW की वर्तमान क्षमता के मुकाबले 78-80 GW तक सौर ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम होगा।

प्रमुख बिंदु

- क्रिसिल को वित्तीय वर्ष 2019 और 2023 के बीच देश में अतिरिक्त 56-58 GW सौर ऊर्जा के उत्पादन की उम्मीद है।
- वर्ष 2014-18 के दौरान 20 GW सौर ऊर्जा में यह एक बड़ा सुधार है, लेकिन यह अभी भी पाँचवें स्थान के साथ राष्ट्रीय सौर मिशन के लक्ष्य से कम है।
- इसके अलावा राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से संबंधित सौर नीतियों के तहत लक्ष्य निर्धारित किये हैं।
- हालाँकि, राज्य सरकार की परियोजनाएँ अच्छी तरह से वित्तपोषित नहीं हैं और उनके पास सस्ते वित्त पोषण की कमी है।

नोट :

- चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र रूफटॉप सोलर सेगमेंट है। इसके लिये सौर मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 तक वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों की छतों का उपयोग करके अपने लिये 40 GW शक्ति का उत्पादन करना और ग्रिड पर निर्भरता को कम करना है।
- क्रिसिल को उम्मीद है कि यह आँकड़ा वर्ष 2023 तक 8 GW सौर ऊर्जा उत्पादन से अधिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिजली की लागत ग्रिड की तुलना में कहीं अधिक होने की उम्मीद है।
- उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा शुल्क 15-20% तक पूंजीगत लागत बढ़ाएगा, जिससे नीलामी लगाने के लिये प्रति यूनिट 30 से 40 पैसे टैरिफ जोड़े जाएंगे ताकि डेवलपर्स अपने निवेश पर रिटर्न की समान दर बनाए रख सकें।
- गौरतलब है कि भारत ने मई 2017 में ₹ 2.44 प्रति यूनिट रिकॉर्ड कम सौर ऊर्जा शुल्क हासिल किया। जबकि जुलाई में SECI द्वारा आयोजित नीलामी में टैरिफ ने फिर से ₹ 2.44 प्रति यूनिट को छुआ।
- वहीं राज्य भी टैरिफ वृद्धि से जूझ रहे हैं। जुलाई की नीलामी में उत्तर प्रदेश द्वारा 1000 मेगावाट के लिये सबसे कम नीलामी ₹ 3.48 यूनिट लगाई थी किंतु बाद में इसे रद्द कर दिया गया।
- SECI ने जुलाई में 950 मेगावॉट की सौर निविदाएँ भी रद्द कर दीं दरअसल, यह डेवलपर्स द्वारा लगाए गए टैरिफ से नाखुश थे।
- आवश्यक रूप से सरकार को नीलामी मूल्य के नतीजे के साथ रहना चाहिये और इन परियोजनाओं को आगे बढाना चाहिये भले ही टैरिफ ज़्यादा हो क्योंकि यदि नीलामियों को रोक दिया जाता है तो समग्र कार्यक्रम में और देरी होगी।
- अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और इसके लिये महत्त्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा देना ही सही विकल्प है।

इसरो ने अपना टीवी चैनल लॉन्च करने के लिये सेट तैयार किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इसरो ने विक्रम साराभाई के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक समर्पित टीवी चैनल को लॉन्च करने की योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- इस टीवी चैनल के माध्यम से दूर-दराज़ के इलाकों के बच्चों को विज्ञान के करीब लाने के लिये अलग-अलग भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाएंगे।

डॉ. विक्रम साराभाई

- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वास्तुकार,पहले इसरो प्रमुख और प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय रे के जनक विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त,1919 को हुआ था।

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- साराभाई कई संस्थानों के निर्माता और संवर्द्धक थे और पीआरएल इस दिशा में पहला क़दम था।
- उन्होंने 11 नवंबर, 1947 को अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल) की स्थापना की तथा पीआरएल में 1966-1971 तक सेवाएँ दीं।
- वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे और उन्होंने कई सुविख्यात संस्थानों को स्थापित किया जो निम्न प्रकार से हैं:
- भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (आईआईएम), अहमदाबाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (अपनी पत्नी के साथ मिलकर), तिरुवनंतपुरम स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, अहमदाबाद फ़ास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफ़बीटीआर), कल्पकम वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट, हैदराबाद यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल),जादूगुडा आदि।
- डॉ. होमी जहाँगीर भाभा ने भारत में प्रथम राकेट प्रमोचन केंद्र की स्थापना में डॉ.साराभाई का समर्थन किया।
- वर्ष 1966 में नासा के साथ डॉ.साराभाई के संवाद के परिणामस्वरूप जुलाई 1975-जुलाई 1976 के दौरा

नोट :

- उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन परीक्षण (एसआईटीई) का प्रमोचन किया गया (तब डॉ. साराभाई का स्वर्गवास हो चुका था)।
- डॉ. साराभाई ने भारतीय उपग्रहों के संविरचन और प्रमोचन के लिये परियोजना प्रारंभ की परिणामस्वरूप, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को, रूसी कॉस्मोड्रोम से 1975 में कक्षा में स्थापित किया गया।
- वर्ष 1966 में सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में की गई उल्लेखनीय है कि यह केंद्र अब विक्रम साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र कहलाता है।
- इन कार्यक्रमों में अंतरिक्ष विज्ञान और वैज्ञानिक तकनीकों में हो रहे बदलावों से संबंधित कार्यक्रम दिखाए जाएंगे साथ ही अगले साल साराभाई को श्रद्धांजलि देने हेतु चंद्रयान-2 मिशन का नाम भी विक्रम रखा जाएगा।
- गौरतलब है कि यह अंतरिक्ष यान जनवरी 2019 में चाँद की सतह पर जाएगा।
- इसरो के अध्यक्ष के.सिवान ने साराभाई के 99वें जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, 'हमने अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदर्शी वास्तुकार और हमारे पहले अध्यक्ष डॉ. साराभाई की जन्मशताब्दी के अवसर पर सालभर के कार्यक्रम आयोजन की योजना बनाई है।
- उन्होंने कहा कि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को सार्वजनिक रूप से खोल दिया जाएगा।
- कई कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किये जाएंगे, उन्होंने कहा कि विज्ञान के प्रकाशकों द्वारा 100 लेक्चर देश भर में ग्लोबल स्पेस नेटवर्किंग बॉडी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि इन योजनाओं में स्पेस क्लब, नॉलेज सेंटर, टॉक शो भी शामिल हैं।
- कक्षा 8 से 10 के चयनित छात्रों को एक महीने के लिये इसरो में प्रशिक्षित किया जाएगा और देश भर की प्रयोगशालाओं और केंद्रों में ले जाया जाएगा तथा छात्रों को उपग्रह बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं कोरल रीफ

चर्चा में क्यों ?

करेंट बायोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, प्रवाल और पारस्परिक सूक्ष्म शैवाल के बीच संबंध जो कि उन्हें चट्टान के निर्माण में सक्षम बनाता है, पूर्व के अनुमानों की तुलना में काफी पुराना और अधिक विविधतापूर्ण है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्री चट्टानों के आधुनिक समय के ग्लोबल वार्मिंग से बचने की उम्मीद की जा सकती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्रवाल-शैवाल साझेदारी ने डायनासोर के युग से लेकर कई जलवायु परिवर्तन की घटनाओं का सामना किया है।
- पिछले अनुमानों के अनुसार, 50 से 65 मिलियन वर्ष पहले इन सहजीवी रिश्तों की शुरुआत हुई थी। यह शोध इंगित करता है कि आधुनिक प्रवाल और उनके शैवाल भागीदार एक-दूसरे के साथ लंबे समय (लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर के समय से) से जुड़े हुए हैं।
- सूक्ष्म शैवाल, जिसे आमतौर पर ज़ूज़ैंथेले कहा जाता है, प्रवाल की कोशिकाओं के अंदर रहता है, जिससे उन्हें सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करने और बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से मूल्यवान मूंगे की चट्टानी संरचनाओं का निर्माण करने की इजाज़त मिलती है, जिन पर अनगिनत समुद्री जीव आवास के लिये निर्भर रहते हैं।

आनुवंशिक साक्ष्य

- सूक्ष्म शैवाल की उत्पत्ति की अनुमानित आयु की गणना करने के लिये वैज्ञानिक दल ने आनुवंशिक साक्ष्य का उपयोग किया, जिसमें डीएनए अनुक्रम, फाईलोजेनेटिक विश्लेषण और जीनोम तुलना शामिल है।
- यह पता लगाने के लिये कि पुराना होने के अलावा, शैवाल परिवार पहले से कहीं अधिक विविधतापूर्ण है, वैज्ञानिकों ने पारंपरिक मॉर्फोलॉजिकल तकनीकों का भी उपयोग किया, जिसमें उन्होंने कंप्यूटर मॉडलिंग और अन्य तरीकों के साथ प्रकाश और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके इन सहजीवियों की दृश्यमान विशेषताओं की तुलना की।
- यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि कुछ सूक्ष्म शैवाल सहजीवियों में ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो उन्हें पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति अधिक लचीला बनाती हैं।

नोट :

इसरो वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजेगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इस घोषणा के बाद पिछले 15 सालों से एक परियोजना पर काम कर रहे इसरो को आखिरकार एक निश्चित समय-सीमा मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2004 से ही इस परियोजना पर तैयारियाँ चल रही हैं, जब मानव अंतरिक्ष मिशन को इसरो की प्लानिंग कमेटी द्वारा पहली बार समर्थन दिया गया था।
- हालाँकि, शुरुआत में इस मिशन को वर्ष 2015 में लॉन्च किये जाने का लक्ष्य रखा गया था किंतु वास्तव में मिशन को लॉन्च करने के बारे में स्पष्टता की कमी थी।
- एक मानव मिशन के लिये इसरो को प्रमुख रूप से विशिष्ट क्षमताओं को विकसित करना होगा जिनमें अंतरिक्ष यान को उड़ान के बाद पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता और एक ऐसे अंतरिक्ष यान का निर्माण जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी स्थितियों में रह सकें आदि शामिल है।
- साथ ही सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक लॉन्च व्हीकल का विकास करना है जो अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने में सक्षम हो।
- हाल ही में 6 जून को सरकार ने 4,338.2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जीएसएलवी मार्क-3 की अगली 10 उड़ानों के लिये वित्तपोषण को मंज़ूरी दी है, इससे भारी पेलोड भेजने के लिये क्रायोजेनिक तकनीक को पूरा करने में इसरो को मदद मिलेगी।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक जीएसएलवी मार्क-3 मिशन को प्रोत्साहित करना था।
- हालाँकि इसरो ने मानव क्रू मॉड्यूल, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन सहायता प्रणाली जैसी तकनीक विकसित कर ली है, किंतु वर्ष 2022 तक वास्तविक उड़ान से पूर्व दो मानव रहित मिशन और अंतरिक्ष यान को जिओसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क -3 का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन कहा कि भारत वर्ष 2022 तक 'गगनयान' नामक मिशन द्वारा मानव को अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास करेगा।
- इसरो के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृष्णन जिनके नेतृत्व में मंगलयान मिशन वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था, ने 'गगनयान' मिशन को इसरो के लिये 'टर्निंग पॉइंट' कहकर संबोधित किया है।
- इसरो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिये जाना जाता है, जो उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि लोगों के दैनिक जीवन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- यदि इसरो इस मिशन में सफल होता है तो भारत इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चौथा राष्ट्र होगा।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीयों की उपलब्धियाँ

- पूर्व आईएएफ पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे।
- इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शर्मा 2 अप्रैल, 1984 को लॉन्च किये गए सोवियत संघ के सोयुज टी -11 अभियान का हिस्सा थे।
- इसके अलावा भारत में जन्मी कल्पना चावला और भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जा चुकी हैं ।
- दिसंबर 2014 में भारत ने 'सार्क' उपग्रह को अपने पड़ोसी देशों के लिये एक उपहार के रूप में लॉन्च करने की घोषणा की थी, किंतु बाद में इस उपग्रह का पुन: नामकरण कर इसका नाम दक्षिण एशियाई उपग्रह रखा गया, जिसे मई 2017 में लॉन्च किया गया।

भारत का पहला आनुवंशिक संसाधन बैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन हैदराबाद, तेलंगाना में सेलुलर और मोलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) प्रयोगशाला के केंद्र में किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह भारत का पहला आनुवंशिक संसाधन बैंक है जहाँ आनुवंशिक सामग्री को भावी पीढ़ी के लिये संग्रहीत किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय और संरक्षित किये जाने योग्य जानवरों को संरक्षण प्रदान करना है।
- यह ऊतक, शुक्राणु, अंडे और भ्रूण, आनुवंशिक सामग्री (DNA/RNA) का व्यवस्थित संग्रह और संरक्षण करेगा।
- यह बैंक आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिये अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है जिसका प्रयोग पशु प्रजातियों के विलुप्ति के मामले उनके पुनरुत्थान हेतु किया जा सकता है।
- यह भारत में लुप्तप्राय जंगली पशु प्रजातियों के जीवित सेल, गैमेट्स और भ्रूण को क्रायोप्रिजर्व करेगा।
- इस सुविधा को विकसित करने में सीसीएमबी शोधकर्त्ताओं का प्रमुख योगदान है।

लाकोनस (LaCONES) क्या है ?

- यह सीसीएमबी के अंतर्गत कार्य करने वाला अनुसंधान विभाग है।
- CCMB-LaCONES भारत की एकमात्र प्रयोगशाला है जिसने जंगली जानवरों के वीर्य और ओसाइट्स के संग्रह और क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के तरीकों का विकास किया है तथा सफलतापूर्वक ब्लैकबक, स्पॉट हिरण और कबूतरों का पुनरुत्पादन किया है।

सीसीएमबी (CCMB)

- यह आधुनिक जीवविज्ञान के अग्रगामी क्षेत्रों में शोध करने वाला एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है।
- इसकी स्थापना 01 अप्रैल, 1979 को हुई।
- अपनी स्थापना के समय सीसीएमबी क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में की गई, किंतु बाद में CSIR द्वारा वर्ष 1978 में आधुनिक जीवविज्ञान के क्षेत्र में अग्रगामी एवं बहु-आयामी शोधकार्य के लिये इस केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- वर्ष 1981-82 के दौरान सीसीएमबी को एक पूर्ण विकसित राष्ट्रीय प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया।

उद्देश्य

- इस अनुसंधान संगठन का उद्देश्य आधुनिक जीवविज्ञान के क्षेत्र में अग्रगामी एवं बहुआयामी शोधकार्य एवं उनके संभावित अनुप्रयोगों की खोज करना है।
- आधुनिक जीवविज्ञान के अग्रणी क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे इस क्षेत्रों में विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
- इसके अंतर्गत ऐसी तकनीकों के बारे में अन्य संस्थानों के शोधकर्त्ताओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है जो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है।
- जीवविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्विषयी शोधकार्यों के लिये नई एवं आधुनिक तकनीकों हेतु देश में केंद्रीकृत सुविधा प्रदान करना।
- इस बात को सुनिश्चित करना कि ये सुविधाएँ सुनियोजित, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी हों, जिससे देश के अन्य संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं के शोधकर्त्ताओं द्वारा इन्हें भरपूर उपयोग में लाया जा सके।

भारतीय टेलीस्कोप ने खोजी दूरस्थ रेडियो गैलेक्सी

चर्चा में क्यों ?

खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अब तक की सबसे दूरस्थ रेडियो आकाशगंगा की खोज की है। उल्लेखनीय है कि खगोलविदों ने सबसे दूरस्थ रेडियो आकाशगंगा को खोजने के लिये एक भारतीय दूरबीन का उपयोग किया है।

प्रमुख बिंदु

- जायंट मीटर-वेव रेडियो टेलीस्कोप (Giant Metrewave Radio Telescope-GMRT) द्वारा खोजी गई यह आकाशगंगा उस दौर की है जब ब्रह्मांड अपने वर्तमान स्वरूप का केवल 7% था।

नोट :

- यह आकाशगंगा पृथ्वी से 12 अरब प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है।
- इस आकाशगंगा की दूरी हवाई में स्थित जेमिनी नार्थ टेलीस्कोप और एरिजोना में स्थित लार्ज बाइनोक्युलर टेलीस्कोप की मदद से निर्धारित की गई है।
- मंथली नोटिसेज़ ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, यह आकाशगंगा उस समय की मानी जा रही है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति को केवल एक बिलियन साल हुए थे।

जायंट मीटर-वेव रेडियो टेलीस्कोप

- GMRT 25 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई तीस परवलयाकर (Parabolic) रेडियो दूरबीनों (प्रत्येक दूरबीन का व्यास 45 मीटर) की एक श्रृंखला है जो सभी दिशाओं में घूम सकती हैं।
- इसका संचालन राष्ट्रीय खगोल भौतिकी केंद्र (National Centre for Radio Astrophysics) द्वारा किया जाता है, जो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (TATA Institute of Fundamental Research) का एक हिस्सा है। यह पुणे शहर से 80 किलोमीटर उत्तर में खोडाड नामक स्थान पर स्थित है।
- यह विश्व की सबसे संवेदनशील दूरबीनों में से एक है।
- GMRT भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा विज्ञान के बुनियादी क्षेत्रों में किये गए सबसे चुनौतीपूर्ण प्रयोगात्मक कार्यक्रमों में से एक है।
- इसका डिश एंटीना ही नहीं बल्कि संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स को भी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारत में ही तैयार किया गया है।

चंद्रयान -1 ने चंद्रमा पर पानी की पुष्टि करने में मदद की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह पुष्टि की है कि 10 साल पहले भारत द्वारा शुरू किये गए मिशन चंद्रयान -1 (अंतरिक्ष यान) से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के सबसे अंधकारमय और ठंडे हिस्सों में बर्फ जमी होने का पता लगाया है। वैज्ञानिकों द्वारा किया गया यह अध्ययन पीएनएएस (PNAS) नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया।

क्या कहा गया है अध्ययन में ?

- 'पीएनएएस (PNAS)' जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि चंद्रमा पर पाई गई यह बर्फ इधर-उधर बिखरी हुई है।
- यह बर्फ ऐसे स्थान पर पाई गई है, जहाँ चंद्रमा के घूर्णन अक्ष के बहुत कम झुके होने के कारण सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुँचती।
- यहाँ का अधिकतम तापमान कभी -156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नही हुआ। इससे पहले भी कई आकलनों में अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की मौजूदगी की संभावना जताई गई थी।
- दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतर बर्फ लूनार क्रेटर्स के पास जमी हुई है। उत्तरी ध्रुव की बर्फ अधिक व्यापक तौर पर फैली हुई लेकिन अधिक बिखरी हुई भी है।

मून मिनरेलॉजी मैपर (Moon Mineralogy Mapper-M3) का किया गया अध्ययन

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation -ISRO) द्वारा 2008 में प्रक्षेपित किये गए चंद्रयान-1 (अंतरिक्षयान) के साथ M3 उपकरण को भेजा गया था।
- वैज्ञानिकों ने नासा के मून मिनरेलॉजी मैपर (एम3) से प्राप्त आँकड़ों का इस्तेमाल कर अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चंद्रमा की सतह पर जल हिम के रूप में मौजूद है।
- M3 उपकरण न केवल ऐसे डेटा को एकत्र करने में सक्षम है जो बर्फ के परावर्तक गुणों को प्रदर्शित करते हैं बल्कि यह अपने अणुओं को इन्फ्रारेड लाइट को अवशोषित करने के विशिष्ट तरीके को भी मापने में सक्षम है, इसलिये यह जल या वाष्प और ठोस बर्फ के बीच अंतर कर सका।

नोट :

चंद्रयान -1

- चंद्रयान-1 (भारत का प्रथम चंद्र मिशन) को 22 अक्तूबर, 2008 को प्रमोचित किया गया था।
- इस अंतरिक्ष यान में भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरणों को भी लगाया गया था।
- इस मिशन को दो सालों के लिये भेजा गया था लेकिन 29 अगस्त, 2009 को इसने अचानक रेडियो संपर्क खो दिया जिसके कुछ दिनों बाद ही इसरो ने आधिकारिक रूप से इस मिशन के ख़त्म होने की घोषणा कर दी थी।
- वर्ष 2017 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे फिर से ढूँढ निकाला था।
- अध्ययन का महत्त्व
- सतह पर पर्याप्त मात्रा में बर्फ के मौजूद होने से के संकेत आगे के अभियानों और यहाँ तक कि चंद्रमा पर रहने के लिये भी जल की उपलब्धता की संभावना को भी सुनिश्चित करते हैं।
- यह बर्फ वहाँ कैसे आई, इसके बारे में और अधिक जानकारी तथा चंद्रमा के पर्यावरण को समझने में यह कैसे मददगार हो सकती है आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में नासा के विभिन्न अभियानों की दिशा तय करने में मदद करेंगे।

उड़ान की पहुँच दक्षिणपूर्व एशियाई स्थलों तक

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने उड़ान स्कीम को मिलने वाले सब्सिडी युक्त हवाई यात्रा के लाभ को अंतर्राष्ट्रीय सर्किट से जोड़ने का एक मसौदा जारी किया है।

योजना के प्रमुख बिंदु

- उड़ान (अंतर्राष्ट्रीय) योजना का उद्देश्य भारतीय राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और एयरलाइनों को वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्थलों का चयन करना है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकारें वित्तीय लाभों को पोषित करने के लिये ज़िम्मेदार होंगी।
- अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये इस मसौदा योजना के मुताबिक, राज्य सरकारें मार्गों की पहचान करेंगी और एयरलाइन ऑपरेटर इन मार्गों पर मांग का आकलन करेंगे तथा कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रस्ताव पेश करेंगे।

लाभ

- यह समग्र कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ देश में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- इसका एक लाभ यह होगा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के निवासी जल्द ही दक्षिणपूर्व एशिया के स्थलों के लिये भी सस्ती हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे।

उड़ान (Ude Desh Ka Aam Naagrik-UDAN) योजना क्या है ?

- उड़ान देश में क्षेत्रीय विमानन बाज़ार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है।
- क्षेत्रीय संयोजकता योजना-उड़ान 15 जून, 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (National Civil Aviation Policy - NCAP) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ अक्टूबर, 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था।
- इसमें रुचि रखने वाले ऑपरेटर प्रस्ताव करके अभी तक संपर्क से नहीं जुड़े मार्गों पर संचालन शुरू कर सकते हैं।
- यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके।
- इसके तहत विमान की आधी सीटों के लिये प्रति घंटा एवं 500 किमी. की यात्रा उड़ान हेतु अधिकतम 2500 रुपए किराया वसूला जाएगा एवं इससे एयरलाइनों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
- इसमें मौजूदा हवाई-पट्टियों एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के उन हवाई अड्डों पर भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जो कम उपयोग में आते हैं अथवा जिनका उपयोग नहीं किया जाता है।

नोट :

चीन से भारतीय साइटों पर किये गए सर्वाधिक साइबर हमले

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (National Security Council Secretariat - NSCS) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि आधिकारिक भारतीय वेबसाइटों पर अधिकांश साइबर हमले चीन, अमेरिका और रूस द्वारा किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में अप्रैल-जून 2018 में हुए साइबर हमलों के बारे में सूचना दी गई है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत कि आधिकारिक वेबसाइटों पर सबसे अधिक साइबर हमले चीन द्वारा किये गए। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा किये गए साइबर हमले भारत में साइबर हमलों की कुल संख्या का 35% हैं।
- चीन के बाद भारत पर सर्वाधिक साइबर हमला करने वालों में अमेरिका (17%), रूस (15%), पाकिस्तान (9%), कनाडा (7%) और जर्मनी (5%) शामिल हैं।
- साथ ही, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा जर्मन और कनाडाई साइबर स्पेस का उपयोग कर भारतीय साइबर स्पेस में घुसपैठ करने और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावना भी व्यक्त की गई है।
- इस रिपोर्ट में दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों से प्रभावित कई संस्थानों की पहचान की गई है और उन्हें उचित निवारक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

साइबर हमलों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले संस्थान

- इन गतिविधियों से प्रभावित संस्थानों में तेल और प्राकृतिक गैस निगम (Oil and Natural Gas Corporation -ONGC), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC), भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (Indian Railway Catering and Tourism Corporation -IRCTC), रेलवे, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (Centre for Railway Information Systems- CRIS) और पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ बैंक तथा राज्य डेटा केंद्र विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In)

- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, सर्ट-इन (Indian Computer Emergency Response Team-CERT-In) सरकार द्वारा आदेशित (Government-Mandated) एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संगठन है।
- इसका गठन वर्ष 2004 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Indian Department of Information Technology) द्वारा किया गया था। इसका संचालन भी इसी के द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य

सर्ट-इन के कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में कार्यवाही करना।
- कमज़ोरियों के विषय में रिपोर्ट करना।
- देश भर में आई.टी. सुरक्षा के संबंध में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देना।
- ध्यातव्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम (Information Technology Amendment Act) के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की देख-रेख संबंधी ज़िम्मेदारी सर्ट-इन की है।

नोट :

ड्रोन पॉलिसी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने ड्रोन या दूरस्थ रूप से संचालित विमान के वाणिज्यिक उपयोग हेतु अंतिम दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

ड्रोन के उपयोग

ड्रोन, मानव रहित विमानों को कहा जाता है। इनका उपयोग कई तरह के कार्यों के लिये किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर-

- शहर के विभिन्न इलाकों का हवाई चित्रण करने में
- घने वनों में किसी विशेष वस्तु या विशेष वन्य जीव की निगरानी में
- बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा उपभोक्ता को सामान पहुँचाने में।
- रेलमार्गों के सर्वेक्षण में।
- आपदा राहत कार्यों में।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)

- नागर विमानन मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- DGCA नागर विमान के क्षेत्र में एक विनियामक निकाय है, जो मुख्यत: सुरक्षा संबंधी विषयों पर कार्यवाही करता है।
- यह भारत के लिये/से/भारत के भीतर, विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा तथा उड़न योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ सभी विनियामक कार्यों का समन्वय भी करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय भारत के विभिन्न भागों में हैं।
- इसके 14 क्षेत्रीय उड़न योग्यता कार्यालय है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, कानपुर, गुवाहाटी और पटियाला में स्थित है।

ड्रोन पॉलिसी संबंधी प्रमुख दिशा-निर्देश

- यह एक ऐसा कदम है जो निजी ऑपरेटरों को कृषि, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में फोटोग्राफी, सुरक्षा, निगरानी इत्यादि की अनुमति देगा।
- हालाँकि नियामक ने ड्रोन द्वारा पेलोड की डिलीवरी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है, इसका अर्थ यह है कि ड्रोन को ई-कॉमर्स कंपनियों या ऑनलाइन खाद्य प्लेटफार्मों द्वारा भोजन या सामान के वितरण के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि यह दिशा-निर्देश 1 दिसंबर,2018 से प्रभावी होंगे।

सीमाएँ

- सभी नागरिक ड्रोन का संचालन केवल दिन के दौरान ही सीमित किया जा सकेगा। साथ ही, ड्रोन की उड़ान, दृष्टि की दृश्य रेखा के भीतर तक होगी, जो आम तौर पर 450 मीटर तक मानी गई है।
- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन तथा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के स्वामित्व वाले नैनो ड्रोन को छोड़कर, शेष सभी ड्रोनों के लिये पंजीकृत और विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी।
- यह दिशानिर्देश ड्रोन को कुछ प्रतिबंधित स्थानों जैसे हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, तट रेखा के नज़दीक, राज्य सचिवालय परिसरों के आसपास उड़ान भरने से प्रतिबंधित हैं।
- इसके अलावा ड्रोन रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों, सैन्य प्रतिष्ठानों तथा राजधानी में विजय चौक क्षेत्र में संचालित नहीं किये जा सकते हैं।
- सरकार ने देश भर में 23 साइटों की पहचान की है, जहाँ ड्रोन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का मूल्यांकन किया जाएगा।

नोट :

लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना

चर्चा में क्यों ?

नितिन गडकरी ने देहरादून के नज़दीक यमुना पर लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण के लिये छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना में छह राज्य - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली शामिल है।
- उक्त सभी छह राज्यों को इस परियोजना से नदी के प्रवाह, पेयजल, सिंचाई और बिजली की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- उल्लेखनीय है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिये स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत वर्तमान में यमुना नदी पर 34 परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इन सभी राज्यों में पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इससे यमुना नदी में हर वर्ष दिसंबर से मई/जून तक सूखे मौसम में पानी के बहाव में सुधार आएगा।

क्या है लखवार परियोजना ?

- लखवार परियोजना को पूर्व में 1976 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस परियोजना पर कार्य 1992 में रोक दिया गया था।
- लखवार परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में देहरादून ज़िले के लोहारी गाँव के नज़दीक यमुना नदी पर 204 मीटर ऊँचा कंक्रीट का बांध बनाना प्रस्तावित है।
- उल्लेखनीय है कि बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 MCM होगी और इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी तथा यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू एवं औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिये 78.83 MCM पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
- इस परियोजना के निर्माण का कार्य उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
- स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत यमुना नदी में प्रदूषण को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस नदी पर 34 परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है, जिनमें से 12 दिल्ली में हैं, जो सुनिश्चित करेंगी कि हरियाणा और राजस्थान को जाने वाला पानी निर्मल हो।
- हालाँकि, लखवार परियोजना सभी छह राज्यों को पर्याप्त पानी प्रदान करेगी किंतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यमुना में प्रदूषण को दूर करने का दोहरा उद्देश्य पूरा हो सके।
- लखवार परियोजना न केवल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे सभी छह राज्यों में सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- लखवार परियोजना की कुल 3,966.51 करोड़ रुपए की लागत में से उत्तराखंड सरकार बिजली के 1,388.28 करोड़ रुपए का खर्च उठाएगी।
- इस परियोजना के पूरा होने पर बिजली का पूरा फायदा उत्तराखंड को मिलेगा।
- इस परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2,578.23 करोड़ रुपए के खर्च का 90 प्रतिशत (2320.41 करोड़ रुपए) केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत खर्च को छह राज्यों के बीच बाँट दिया जाएगा।
- इसमें हरियाणा को 123.29 करोड़ रुपए (47.83%) उत्तर प्रदेश/ उत्तराखंड को 86.75 करोड़ रुपए (33.65%), राजस्थान को 24.08 करोड़ रुपए (9.34%), दिल्ली को 15.58 करोड़ रुपए (6.04%) तथा हिमाचल प्रदेश को 8.13 करोड़ रुपए (3.15%) देने होंगे।
- लखवार परियोजना के तहत संग्रहीत जल का बँटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों के बीच 12 मई, 1994 को किये गये समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड क्या है ?

- लखवार बांध के जलाशय का नियमन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के ज़रिये किया जाएगा।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली छह ऊपरी यमुना बेसिन राज्य हैं।

नोट :

- ऊपरी यमुना से तात्पर्य यमुना नदी का उसके उद्भव से दिल्ली में ओखला बैराज तक है।
- छह राज्यों ने यमुना नदी के ऊपरी बहाव के आवंटन के संबंध में 12 मई, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
- इस समझौते में ऊपरी यमुना बेसिन में जल संग्रहण की सुविधा सृजित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रित तरीके से मानसून के दौरान नदी के पानी के बहाव का संरक्षण और उसका इस्तेमाल किया जा सके।

गगनयान-भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान 'गगनयान-भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम' की घोषणा की थी। इसी संदर्भ में इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. शिवान ने कहा कि इसरो इस कार्य को तय समयावधि में पूरा करने में सक्षम है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है।
- इसरो के अनुसार यह अब तक का काफी महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है, क्योंकि इससे देश के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- यह देश के युवाओं को भी बड़ी चुनौतियाँ लेने के लिये प्रेरित करेगा और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी सहयोग करेगा।
- इसरो के अध्यक्ष ने चन्द्रयान-2 के लॉन्च के विषय में कहा कि अब इसे जनवरी 2019 में लॉन्च किया जाएगा।
- इसरो का लक्ष्य मार्च, 2019 तक 19 मिशन लॉन्च करना है।
- उल्लेखनीय है कि इन मिशनों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिये भी 4 उपग्रह लॉन्च करना शामिल है।

इसरो द्वारा प्रस्तुत विवरण

- इसरो ने इस कार्यक्रम के लिये आवश्यक पुन: प्रवेश मिशन क्षमता, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, तापीय संरक्षण व्यवस्था, मंदन एवं प्रवर्तन व्यवस्था, जीवन रक्षक व्यवस्था की उप-प्रणाली इत्यादि जैसी कुछ महत्त्वपूर्ण तकनीकों का विकास कर लिया है।
- इन प्रौद्योगिकियों में से कुछ को अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग (SRE-2007), क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुन: प्रवेश प्रयोग (CARE-2014) और पैड एबॉर्ट टेस्ट (2018) के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।
- ये प्रौद्योगिकियाँ इसरो को 4 साल की छोटी अवधि में कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी।
- गगनयान को लॉन्च करने के लिये GSLVMK-3 लॉन्च व्हिकल का उपयोग किया जाएगा, जो इस मिशन के लिये आवश्यक पेलोड क्षमता से परिपूर्ण है।
- अंतरिक्ष में मानव भेजने से पहले दो मानव रहित गगनयान मिशन को भेजा जाएगा।
- 30 महीने के भीतर पहली मानव रहित उड़ान के साथ ही कुल कार्यक्रम के 2022 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।
- मिशन का उद्देश्य पाँच से सात वर्षों के लिये अंतरिक्ष में तीन सदस्यों का एक दल भेजना है।
- इस अंतरिक्ष यान को 300-400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में रखा जाएगा।
- कुल कार्यक्रम की लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होगी।

गगनयान

- इसमें एक चालक दल मॉड्यूल, सेवा मॉड्यूल और कक्षीय मॉड्यूल शामिल होगा जिसका वज़न लगभग 7 टन होगा और इसे एक रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा।
- चालक दल मॉड्यूल का आकार 3.7 मीटर x 7 मीटर होगा।

नोट :

गगनयान मिशन के उद्देश्य

- इससे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि होगी।
- यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें कई संस्थान, अकादमिक और उद्योग शामिल हैं।
- यह औद्योगिक विकास में सुधार तथा युवाओं के लिये प्रेरणास्रोत साबित होगा।
- इससे सामाजिक लाभ के लिये प्रौद्योगिकी का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार होगा।

पृथ्वी विज्ञान की ओ-स्मार्ट योजना को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक व्यापक योजना 'महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (O-SMART)' को अपनी मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना की कुल लागत 1623 करोड़ रुपए है और यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान लागू रहेगी।
- इस योजना में महासागर के विकास से जुड़ी 16 उप-परियोजनाओं जैसे – सेवाएँ, प्रौद्योगिकी, संसाधनों के प्रेषण और विज्ञान को शामिल किया गया है।
- अगले दो वर्षों के दौरान विचार किये जाने वाले महत्त्वपूर्ण विषय इस प्रकार है-
  - महासागरीय निगरानी तंत्र का विस्तार ।
  - मछुआरों के लिये महासागरीय सेवाओं में वृद्धि।
  - समुद्र तटीय प्रदूषण की निगरानी के लिये समुद्र तट पर वेधशालाओं की स्थापना।
  - वर्ष 2018 में कावारती में महासागर ताप ऊर्जा संरक्षण संयंत्र (OTEC) की स्थापना।
  - तटीय अनुसंधान के लिये दो तटीय अनुसंधान पोतों का अधिग्रहण।
  - महासागरीय सर्वेक्षण जारी रखना और खनिज तथा सजीव संसाधनों का अन्वेषण।
  - गहरे समुद्र में खनन- गहरी खनन प्रणाली के लिये प्रौद्योगिकी विकसित करना।
  - मानव युक्त पनडुब्बियाँ और लक्षद्वीप में छह विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना।

प्रभाव:

- O-SMART के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं से तटीय और महासागरीय क्षेत्रों के अनेक क्षेत्रों जैसे -मत्स्यपालन, समुद्र तटीय उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा, नौवहन, बंदरगाहों आदि को आर्थिक लाभ मिलेगा।
- वर्तमान में पाँच लाख मछुआरों को मोबाइल के ज़रिये रोजाना सूचना प्रदान की जाती है, जिसमें मछलियाँ मिलने की संभावना वाले क्षेत्र और समुद्र तट के स्थानीय मौसम की स्थिति की जानकारी शामिल है।
- इस योजना से मछुआरों का मछलियों की तलाशी में व्यतीत होने वाले वाला समय बचेगा जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की बचत होगी।
- O-SMART के कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्य के 14वें बिंदु से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी, जिनका उद्देश्य महासागरों के इस्तेमाल, उनके निरंतर विकास के समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है।
- यह योजना ब्लू अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठभूमि प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत स्थापित आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ सुनामी, झंझावात जैसी समुद्री आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद करेंगी।
- इस योजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियाँ भारत के आस-पास के समुद्रों से विशाल समुद्री सजीव और निर्जीव संसाधनों को उपयोग में लाने में मदद करेंगी।

नोट :

पृष्ठभूमि

- नवंबर 1982 में लागू महासागर नीति के अनुसार, मंत्रालय मुख्य रूप से सागर विकास के क्षेत्र में कई बहु-अनुशासनात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है जिनमें-
- महासागरीय सूचना सेवाओं का समूह की रूप में प्रदान करने, समुद्री संसाधनों को निरंतर उपयोग में लाने के लिये प्रौद्योगिकी विकसित करने, अग्रिम श्रेणी के अनुसंधान को बढ़ावा देने और महासागरीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराना आदि शामिल है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रमों/नीतियों को उसके स्वायत्तशासी संस्थानों यानी राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागरीय अनुसंधान केंद्र तथा संबद्ध कार्यालय, समुद्र तट सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के ज़रिये लागू किया जा रहा है।
- अनुसंधान में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी युक्त अनुसंधान पोतों का बेड़ा, यानी 'सागर निधि', समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत 'सागर कन्या', मत्स्यपालन और समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत 'सागर संपदा' तथा तटीय अनुसंधान पोत 'सागर पूर्वी' की मदद ली गई है।
- मंत्रालय विभिन्न तटीय साझेदारों जैसे मछुआरों, तटीय राज्यों, अपतटीय उद्योग, नौसेना, तटरक्षक आदि को समुद्र से जुड़ी अनेक प्रकार की सूचना सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- हिंद महासागर क्षेत्र के पड़ोसी देशों को भी इनमें से कुछ सेवाएँ दी गई हैं।
- भारत की महासागर संबंधी गतिविधियों का विस्तार अब आर्कटिक से अंटार्कटिक क्षेत्र तक हो गया है, जिसमें बड़ा महासागरीय क्षेत्र शामिल है और जिस पर यथास्थान व्यापक स्तर पर और उपग्रह आधारित वेधशालाओं के ज़रिये निगरानी रखी जा रही है।
- भारत ने समुद्री आपदाओं जैसे- सुनामी, समुद्री तूफान, झंझावात आदि के लिये आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित की हैं।
- गौरतलब है कि भारत अंटार्कटिक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर कर चुका है और संसाधनों के उपयोग के लिये अंटार्कटिक समुद्र तटीय आजीविका संसाधन संरक्षण आयोग (CCAMLR) में शामिल हो चुका है।
- महासागरीय संसाधनों के इस्तेमाल की प्रौद्योगिकियों का विकास विभिन्न चरणों में है। इनमें से कुछ जैसे- द्वीपों के लिये कम तापमान वाली तापीय विलवणीकरण प्रणाली काम कर रही है।
- इसके अलावा मंत्रालय तटरेखा में बदलावों और समुद्र तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली सहित भारत के तटीय जल की शुद्धता की निगरानी कर रहा है।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

किंग पेंगुइन की सबसे बड़ी बस्ती में 90% की कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए शोध से पता चलता है कि किंग पेंगुइन की धरती की सबसे बड़ी आवासीय बस्ती में पिछले तीन दशकों में 90 प्रतिशत तक की कमी आई है।

प्रमुख बिंदु

- आखिरी बार जब वैज्ञानिकों ने फ्राँस के दूरवर्ती क्षेत्र आइल ऑक्स कोचन्स, जो कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु और अंटार्कटिका के लगभग बीच में स्थित है, पर कदम रखा तो देखा कि यह द्वीप एक मीटर लंबे न उड़ सकने वाले बीस लाख किंग पेंगुइन पक्षियों से भरा था।
- लेकिन अंटार्कटिक साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, हाल ही में उपग्रह द्वारा प्राप्त तस्वीरों से पता चलता है कि इस द्वीप पर किंग पेंगुइन की जनसंख्या में तीव्र गिरावट आई है और अभी वर्तमान में लगभग 2 लाख पेंगुइन ही शेष हैं।
- यद्यपि वयस्क पेंगुइन भोजन हेतु एक अवधि में कुछ दिनों के लिये समुद्र में जाते होंगे, किंतु यह प्रजाति उत्प्रवास नहीं करती है।
- इस आवासीय बस्ती ने दुनिया के लगभग एक-तिहाई किंग पेंगुइन की आबादी का प्रतिनिधित्व किया है। किंग पेंगुइन की सबसे बड़ी बस्ती में आई गिरावट की वजह अभी रहस्य बनी हुई है।
- इसमें जलवायु परिवर्तन की भी एक भूमिका हो सकती है। 1997 में विशेष रूप से मज़बूत एल निनो मौसमी परिघटना ने दक्षिणी हिंद महासागर को गर्म कर दिया तथा अस्थायी रूप से मछली और स्क्विड, जिस पर किंग पेंगुइन निर्भर करते हैं, को किंग पेंगुइन के भोजन ग्रहण क्षेत्र से परे दक्षिण में पहुँचा दिया। इस कारण जनसंख्या में कमी और निम्न प्रजनन दर देखी गई।
- उत्प्रवास एक विकल्प नहीं है क्योंकि किंग पेंगुइन के भोजन ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत कोई अन्य उपयुक्त द्वीप नहीं है। अत्यधिक जनसंख्या सहित अन्य कारक आइल ऑक्स कोचन्स बस्ती में पेंगुइन की संख्या में आई कमी के संभावित कारण हो सकते हैं।
- आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की संरक्षण स्थिति की रेड लिस्ट में किंग पेंगुइन को अभी तक "संकटमुक्त" (Least Concerned) श्रेणी में रखा गया है, लेकिन नया डेटा पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित कर सकता है।
- किंग पेंगुइन एम्परर पेंगुइन के बाद दूसरी सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है।

जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान, केंद्र सरकार द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान अब तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये उदयपुर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा।
- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति किसानों को उनके अधिशेष उत्पादन का आर्थिक लाभ प्रदान करने और देश की तेल आयात निर्भरता को कम करने में सहायक होगी।
- भारतीय रेलवे की वित्तीय सहायता से राजस्थान में 8 टन प्रतिदिन की क्षमता का एक बायोडीज़ल संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जैव ईंधन के विपणन को बढ़ावा देगी और उसके बारे में जागरूकता का प्रसार करेगी।
- राज्य सरकार के अनुसार, राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (एसआरएलडीसी) बायोडीज़ल की आपूर्ति के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोतों का पता लगाने के लिये महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी प्रोत्साहित करेगी।

नोट :

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018

- इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज, जैसे- गेहूँ, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।
- नीति में जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) के बायोएथेनॉल और बायोडीज़ल तथा 'विकसित जैव ईंधनों' यानी दूसरी पीढ़ी (2जी) के एथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, बायोसीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंज़ूरी से एथेनॉल उत्पादन के लिये (पेट्रोल के साथ उसे मिलाने हेतु) अधिशेष अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- जैव ईंधनों के लिये नीति में 2जी एथेनॉल जैव रिफाइनरी को 1जी जैव ईंधनों की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहन, उच्च खरीद मूल्य आदि के अलावा 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए की निधियन योजना हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग का संकेत दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये भारत का पहला राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency -BEE) ने देश का पहला राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक (State Energy Efficiency Preparedness Index) तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह सूचकांक देश के सभी राज्यों में ऊर्जा उत्सर्जन के प्रबंधन में होने वाली प्रगति को ट्रैक करने, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगा।
- ऊर्जा दक्षता सूचकांक इमारतों, उद्योग, नगर पालिकाओं, परिवहन, कृषि और बिजली वितरण कंपनियों (discoms) जैसे क्षेत्रों के 63 संकेतकों पर आधारित है।
- ये संकेतक नीति और विनियमन, वित्तपोषण तंत्र, संस्थागत क्षमता, ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने और ऊर्जा बचत प्राप्त करने जैसे मानकों पर आधारित हैं।
- BEE के अनुसार, ऊर्जा दक्षता भारत को 500 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत में मदद कर सकती है और 2030 तक 100 गीगावाट (GW) बिजली क्षमता की आवश्यकता को कम कर सकती है।
- इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 557 मिलियन टन की कमी हो सकती है।
- इसके अन्य मापकों में विद्युत वाहनों (EVs) के माध्यम से भारत के विकास की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करना तथा विद्युत उपकरणों, मोटरों, कृषि पंपों तथा ट्रैक्टरों और यहाँ तक कि भवनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार लाना शामिल है।

सूचकांक का महत्त्व

- इस प्रकार का सूचकांक एक ऐसे देश के लिये बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है जो अमेरिका और चीन के बाद ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है और जलवायु परिवर्तन से होने वाले परिणामों का सामना करने के लिये सबसे कमज़ोर देशों में से एक है।
- उर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)
- भारत सरकार ने, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढाँचे के अंदर स्व-विनियम और बाजार सिद्धांतों पर महत्त्व देते हुए ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करने में सहायता प्रदान करना है जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है।

नोट :

तेलंगाना के नलगोंडा में चमगादड़ों के लिये काली रात

चर्चा में क्यों ?

येरूकाला आदिवासियों द्वारा परंपरागत रूप से चमगादड़ों का शिकार किया जाता है, लेकिन अब चमगादड़ों की मांग जादू- टोने और विश्वास-चिकित्सा आदि के चलते बढ़ती जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- तेलंगाना में येरूकाला समुदाय के पुरुष चमगादड़ों का शिकार करते हैं। येरूकाला समुदाय जो अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, के कुछ सदस्य परंपरागत रूप से चमगादड़ के माँस को स्थानीय भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
- येरूकाला जनजाति के अनुसार, बकरियों और मुर्गों का माँस महँगा होता है लेकिन उनकी तुलना में चमगादड़ का माँस नि:शुल्क होता है और फलों के पराग से पोषित होने के कारण प्राकृतिक रूप में स्वादिष्टता से भरपूर होता है।
- मुर्गे की तरह चमगादड़ को भूना, भरा, तला या पकाया जाता है और चावल के साथ खाया जाता है। इसे पकाने के दौरान एकमात्र समस्या यह उत्पन्न होती है कि ये एक तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करते हैं जो मूत्र के समान होती है।
- आमतौर पर एक परिवार के लिये चार चमगादड़ पकड़े जाते हैं, जिनमें प्रत्येक का वजन लगभग 1 किलोग्राम होता है। हाल के दिनों में येरूकाला आदिवासियों द्वारा थोड़े से धन के लिये गैर-आदिवासी ग्राहकों की चमगादड़ों की मांग को पूरा किया जाता है।
- इनके ग्राहक वर्ग में प्राकृतिक चिकित्सक, जादू-टोना करने वाले, कुछ वैद्य और अधिकारी तथा कुछ "शोध उद्देश्यों" का हवाला देने वाले लोग शामिल होते हैं।

मिथकों में विश्वास

- कुछ खरीदारों का मानना है कि चमगादड़ का माँस श्वसन और संधि रोगों का इलाज करने में मदद करता है। अन्य लोग यह मिथक मानते हैं कि इसकी वसा एक कामोत्तेजक औषधि है।
- येरूकाला द्वारा जीवन निर्वाह हेतु किया जाने वाला चमगादड़ों का शिकार नगण्य है। आवासों का विनाश, फलदायक वृक्षों को काटना और वन भूमि का एसईजेड के रूप में संरक्षण किया जाना आदि चमगादड़ों की समाप्ति के प्रमुख कारण हैं।
- बगीचे में कीटनाशकों का उपयोग भी चमगादड़ों के लिये एक प्रमुख खतरा है जिस पर चमगादड़ भोजन के लिये निर्भर हैं।
- यद्यपि चमगादड़ की कई प्रजातियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सूचीबद्ध हैं, लेकिन फ्रूट्स बैट्स वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची-V में नाशक जीव के रूप में सूचीबद्ध है।
- चमगादड़ जीवविज्ञानी कहते हैं कि फ्रूट्स बैट्स कीट नियंत्रण में मदद करते हैं और परागण तथा बीज के फैलाव में सहायक हैं।

पर्यावरण निष्पादन सूचकांक - 2018 अस्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने पर्यावरण निष्पादन सूचकांक – 2018 को तर्कहीन और अवैज्ञानिक तथा मनमाने तरीके से निर्मित बताया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 की रिपोर्ट में भारत को 180 देशों में 177वाँ स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ष 2016 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 141 थी।

प्रमुख बिंदु

- इस द्विवार्षिक रिपोर्ट का निर्माण विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- वर्ष 2018 के सूचकांक के निर्माण में मैककॉल मैकबेन फाउंडेशन और मार्क टी. डीएंजेलिस का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
- पर्यावरण स्वास्थ्य श्रेणी में भारत 9.32 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर और वायु गुणवत्ता के संदर्भ में 180 देशों में 178वें पर है। इसमें यह पाया गया है कि वायु गुणवत्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये अग्रणी पर्यावरणीय खतरा बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि 2016 में वायु गुणवत्ता को केवल पर्यावरण स्वास्थ्य के तहत एक श्रेणी के रूप में पहचाना गया था, जबकि 2018 में 'पारिस्थितिक तंत्र जीवन शक्ति' (Ecosystem vitality) के तहत वायु प्रदूषण को एक अतिरिक्त श्रेणी माना गया है जो कि गलत प्रतीत होता है।

नोट :

- तीन पदानुक्रमिक स्तरों (नीति उद्देश्यों, अंक श्रेणियों और संकेतकों) पर पैरामीटर को दिये गए वेटेज 2016 और 2018 में अलग-अलग हैं। ये परिवर्तन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और मनमाने प्रतीत होते हैं।
- कुल मिलाकर रिपोर्ट में भारत (177वाँ) और बांग्लादेश (179वाँ) को बुरुंडी, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और नेपाल के साथ निचले पाँच देशों में शुमार किया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले दशक में अल्ट्रा-फाइन पीएम 2.5 प्रदूषकों के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है और भारत में सालाना इसकी संख्या 16,40,113 अनुमानित है।
- गौरतलब कि भारत का निम्न स्कोर पर्यावरणीय स्वास्थ्य नीति उद्देश्य में खराब प्रदर्शन से प्रभावित है।

'हॉटहाउस' बनने की कगार पर पृथ्वी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ज़ारी एक अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही वैश्विक जलवायु समझौते के तहत उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य पूरा हो जाए लेकिन फिर भी दुनिया को "हॉटहाउस" स्थितियों में प्रवेश करने का खतरा है, जहाँ वैश्विक औसत तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा।

क्या कहती है रिपोर्ट ?

- रिपोर्ट के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो यह एक व्यापक प्रभाव डालेगा, जिससे "हॉटहाउस" जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी और समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर कुछ इलाके निवास करने योग्य नहीं रहेंगे।
- नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ द्वारा प्रकाशित 'ट्रैजेक्टोरिज ऑफ़ द अर्थ सिस्टम इन एंथ्रोपोसिन' (Trajectories of the Earth System in the Anthropocene) रिपोर्ट में कहा गया है कि "हॉटहाउस" तापमान पूर्व के औद्योगिक स्तर में 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस (7 से 9 फारेनहाइट) तक की वृद्धि कर सकता है।
- हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि दुनिया की जलवायु को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के करीब सुरक्षित रूप से पहुँचाया जा सकता है या नहीं फिर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा सकती हैं।
- वर्तमान में वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और प्रत्येक दशक में 0.17 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है।
- स्टॉकहोम रेसिलिएंस सेंटर (Stockholm Resilience Centre), कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (Australian National University) और पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च (Potsdam Institute for Climate Impact Research) के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संभव है कि यदि कोई खतरे की सीमा पार हो जाए, तो कई टिपिंग पॉइंट्स (Tipping Points) में अचानक बदलाव आएगा।
- ऐसी प्रक्रियाओं में परमाफ्रॉस्ट थॉ, समुद्र तल से मीथेन हाइड्रेट्स का नुकसान, कमज़ोर भूमि और महासागर कार्बन सिंक, आर्कटिक की ग्रीष्मकालीन समुद्री बर्फ का नुकसान और अंटार्कटिक समुद्री बर्फ और ध्रुवीय बर्फ की चादरों के विस्तार में कमी होना शामिल है।
- ये टिपिंग तत्त्व संभावित रूप से दूरगामी प्रभावों की एक पंक्ति की तरह कार्य कर सकते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के "हॉटहाउस" बनने से रोकने वाली संभावनाओं को अधिकतम करने के लिये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये, बेहतर वन, कृषि और मृदा प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण तथा ऐसी प्रौद्योगिकियाँ जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती हैं और इसे भूमिगत रूप से स्टोर करती हैं, की आवश्यकता है।

नोट :

कूकिंग आयल को जैव ईंधन में परिवर्तित करने की पहल

चर्चा में क्यों ?

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में RUCO (Response Used Cooking Oil) लॉन्च किया। यह पहल प्रयुक्त कुकिंग आयल को बायो-डीज़ल में संग्रह और रूपांतरण करने में सक्षम होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने खाना पकाने के लिये उपयोग में लाए जाने वाले आयल के मानकों को अधिसूचित करने के लगभग एक महीने बाद यह पहल शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- एफएसएसएआई यह सुनिश्चित करने के लिये नियमों को पेश करने पर भी विचार कर सकता है कि बड़ी मात्रा में कुकिंग आयल का उपयोग करने वाली कंपनियाँ इसे पंजीकृत संग्रहण एजेंसियों को जैव ईंधन में परिवर्तित करने के लिये सौंपें।
- इस पहल के तहत इस्तेमाल किये गए कुकिंग आयल के संग्रह को सक्षम बनाने के लिये 101 स्थानों पर 64 कंपनियों की पहचान की गई है। उदाहरण के लिये, मैकडॉनल्ड्स ने पहले ही मुंबई और पुणे में 100 आउटलेटों में प्रयुक्त कुकिंग आयल को बायोडीज़ल में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है।
- नियामक का मानना है कि भारत में 2022 तक एक समन्वित कार्रवाई के माध्यम से बायोडीज़ल के उत्पादन के लिये 220 करोड़ लीटर प्रयुक्त कुकिंग आयल को प्राप्त करने की क्षमता है।
- यद्यपि प्रयुक्त कुकिंग आयल से उत्पादित बायोडीज़ल की मात्रा वर्तमान में बहुत कम है, लेकिन भारत में रूपांतरण और संग्रह के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से बढ़ रहा है और जल्द ही यह बड़ा आकार ले लेगा।
- एफएसएसएआई कारोबार हेतु एक स्टॉक रजिस्टर तैयार करना चाहता है जिसमें 100 लीटर से अधिक आयल के उपयोग संबंधी समस्त जानकारी उपलब्ध होगी। ऐसी संभावना है कि इन बिंदुओं पर एक विनियमन प्रणाली विकसित की जाएगी।
- एफएसएसएआई नियमों के अनुसार, कुल ध्रुवीय यौगिकों (Total Polar Compounds-TPC) के लिये अधिकतम स्वीकार्य सीमा 25 प्रतिशत निर्धारित की गई है, इसके बाद कुकिंग आयल की खपत असुरक्षित मानी गई है।

भागीदारी

- एफएसएसएआई भारत के बायोडीज़ल एसोसिएशन और खाद्य उद्योग के साथ भागीदारी में भी काम कर रहा है ताकि प्रयुक्त कुकिंग आयल नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- इस संबंध में एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अपने ई-चैनलों के माध्यम से कई जागरूकता अभियान भी चला रहा है।
- एफएसएसएआई ने बायोडीज़ल में प्रयुक्त कुकिंग आयल के संग्रह और रूपांतरण की प्रगति की निगरानी के लिये अतिरिक्त रूप से एक माइक्रो साइट लॉन्च की है।

भारत में 3 से 9 मिलियन लोग हेपेटाइटिस C से संक्रमित : स्वास्थ्य मंत्रालय

संदर्भ

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में 3-9 मिलियन लोग सक्रिय हेपेटाइटिस C वायरस (Hepatitis C virus -HCV) से संक्रमित हैं।

प्रमुख बिंदु

- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme -IDSP) के जनादेश के तहत लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ ने पुराने प्रकाशित अध्ययनों और अप्रकाशित विश्वसनीय डेटा सेट में उपलब्ध जानकारी के माध्यम से भारतीयों के बीच HCV संक्रमण के प्रसार का आकलन करने के लिये इसकी व्यवस्थित समीक्षा की।

नोट :

- डेटा का मूल्यांकन गुणवत्ता के लिये और आयु, लिंग, जोखिम कारकों एवं क्षेत्रों के अनुसार समग्र HCV संक्रमण के प्रसार का आकलन करने हेतु किया गया था।
- इस डेटा के विश्लेषण से अनुमान लगाया गया है कि 1.3 अरब की वर्तमान आबादी वाले भारत में 5.2 मिलियन से लेकर 13 मिलियन लोग एंटी-HCV पॉज़िटिव हैं जिसका अर्थ है कि ये लोग अतीत में हेपेटाइटिस C वायरस से संक्रमित थे।

हेपेटाईटिस नियंत्रण के लिये सरकार की पहल

- हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2030 तक देश से हेपेटाइटिस वायरस का उन्मूलन करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किया।
- सरकार ने यह कार्यक्रम अगले तीन वर्षों के लिये 600 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया।
- मंत्रालय ने पहले ही वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिये एकीकृत पहल के तहत दिशा-निर्देश (Integrated Initiative for Prevention and Control of Viral Hepatitis Operational Guidelines) जारी कर दिये हैं।
- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकार भारत में बीमारी के व्यापक प्रसार को ध्यान में रखते हुए, निदान और उपचार सहित वायरल हेपेटाइटिस के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस के निदान और उपचार समबंधी प्रावधान शामिल होंगे।

वायरल हेपेटाइटिस एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या

- वायरल हेपेटाइटिस को भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचाना जा रहा है। सामान्य जनसंख्या में एंटी-हेपेटाइटिस C वायरस एंटीबॉडी का प्रसार 0.09% से 15% के बीच होने का अनुमान है। HCV संक्रमण में 12-32% हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा (hepatocellular carcinoma -HCC) और 12-20% सिरोसिस होता है।

हेपेटाइटिस सी

- हेपेटाइटिस C या 'यकृतशोध ग' एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस C वायरस (HCV) के कारण होता है और यकृत (Liver) को प्रभावित करता है।
- यह आमतौर पर रक्त से रक्त के संपर्क के माध्यम से प्रसारित होता है।
- इसका संक्रमण यकृत को तेज़ी से नुकसान पहुँचाता है और अधिक क्षतिग्रस्तता (सिरोसिस) की ओर अग्रसर हो सकता है। सिरोसिस आमतौर पर कई वर्षों के बाद प्रकट होता है।
- सिरोसिस से पीड़ित रोगियों में से कुछ में यकृत कैंसर या अन्य जानलेवा समस्याएँ एसोफेजेल वराइसेस तथा गैस्ट्रिक वराइसेस (Oesophageal and gastric varices) विकसित हो सकती हैं।

गृह मंत्रालय ने प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल के विरुद्ध परामर्श जारी किया

चर्चा में क्यों ?

स्वतंत्रता दिवस से पहले गृह मंत्रालय ने प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल के विरुद्ध परामर्श जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के लिये यह परामर्श जारी किया है।
- मंत्रालय ने भारत की ध्वज संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अपमान रोकथाम विधेयक, 1971 का कठोरता से अनुपालन करने की सलाह दी है।
- गृह मंत्रालय के परामर्श में इस बात को दोहराया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है इसलिये इसे सम्मान का स्थान मिलना चाहिये।

नोट :

- राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक आदरभाव और सम्मान तथा विश्वास प्रदर्शित होना चाहिये।
- हालाँकि, फिर भी लोगों तथा संगठनों/एजेंसियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के मामले में कानून, व्यवहार तथा परंपरा के प्रति जागरूकता में कमी देखी जाती है।
- परामर्श में यह निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये और इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये।
- गृह मंत्रालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसर पर कागज के बने राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया जाता है।
- प्लास्टिक से बने ध्वज कागज़ से बने ध्वज की तरह स्वाभाविक तरीके से नष्ट नहीं होते, इसलिये ध्वज की गरिमा को देखते हुए प्लास्टिक से बने ध्वज एक व्यावहारिक समस्या है।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002

- पहली बार वर्ष 1951 में राष्ट्रध्वज के लिये कुछ नियम तथा वर्ष 1968 में इसके निर्माण के लिये मानक तय किये गए।
- 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्टरी में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति मिल गई।
- अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को सम्मानपूर्वक कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते वे ध्वज की संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करें और इसके सम्मान में कोई कमी न आने दें।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है:
  1. पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है।
  2. दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है।
  3. संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी देता है।

मृदा अपरदन से वर्ष 1990-2016 के दौरान भारत की एक तिहाई तट रेखा का विनाश

चर्चा में क्यों ?

नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1990 से 2016 के बीच मिट्टी के कटाव के कारण भारत की 6,632 किलोमीटर की लंबी तटरेखा का लगभग एक-तिहाई हिस्सा नष्ट हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भी हाल ही में संसद को बताया था कि पश्चिमी तट (काफी हद तक स्थिर रहा) की तुलना में पिछले तीन दशकों में बंगाल की खाड़ी से लगातार चक्रवाती गतिविधियों के कारण पूर्वी तट में अधिक कटाव हुआ है
- रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल (63%) और पुदुचेरी मृदा क्षरण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, इसके बाद केरल और तमिलनाडु में मृदा क्षरण क्रमश: 45% और 41% रहा।
- उल्लेखनीय है कि पूर्वी तट पर ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ तटीय मृदा क्षरण में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- दरअसल, तटीय कटाव आबादी के लिये एक खतरा बन गया है और यदि हम तत्काल कदम नहीं उठाते हैं, तो समुद्र के साथ अधिकांश भूमि और बुनियादी ढाँचे को खो देंगे, साथ ही इस प्रकार का नुकसान अपूरणीय होगा।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की मुख्य भूमि जो समुद्र से संलग्न है, का लगभग 234.25 वर्ग किमी. क्षेत्र वर्ष 1990-2016 के दौरान नष्ट हो गया है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री जलस्तर ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के विश्लेषण से तूफान और सुनामी जैसे तटीय खतरों का सामना करने के लिये की जाने वाली तैयारी में सुधार करने में मदद मिलेगी।

नोट :

- तटरेखाओं में बदलाव तटीय आधारभूत संरचना के लिये खतरा तो है ही साथ ही, यह आशंका है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने सहित मछली पकड़ने के उद्योग को भी प्रभावित कर सकता है।
- यह विश्लेषण एनसीसीआर के शोधकर्ताओं द्वारा नौ राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संलग्न 6,632 किलोमीटर लंबी तटरेखा का उपग्रहीय मानचित्रण तैयार क्र किया गया है।

जैव विविधता प्रदर्शन केंद्र

चर्चा में क्यों ?

ओडिशा सरकार भीतरकणिका में दंगमाल के निकट एक विश्व स्तरीय प्रदर्शन केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसके माध्यम से ओडिशा सरकार द्वारा मगरमच्छों के संरक्षण और समृद्ध जैव विविधता की रक्षा हेतु किये गए प्रयासों को दिखाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- परियोजना को एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत अनुमोदित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपए होगी।
- यह परियोजना पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिये पर्यावरण अध्ययन केंद्र के रूप में भी होगी।
- भीतरकणिका राज्य के बेहतरीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जहाँ लगभग एक लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं और हाल ही में यहाँ आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
- यह पार्क अपने हरे मैंग्रोव, प्रवासी पक्षियों, कछुओं, एस्चुराइन मगरमच्छों और अनगिनत क्रीक के लिये प्रसिद्ध है।
- ऐसा माना जाता है कि भीतरकणिका देश के 70% एस्चुराइन या खारे पानी के मगरमच्छों का आवास है। इसकी सुरक्षा का प्रयास 1975 में शुरू हुआ था।

जैव-कवच (Bio-shield)

- 1999 में जब ओडिशा का तटीय क्षेत्र भीषण चक्रवात की वजह से तहस-नहस हो गया था तो समृद्ध मैंग्रोव वनों ने जैव ढाल के रूप में कार्य किया था और मैंग्रोव-वैन क्षेत्रों में चक्रवात का बहुत कम प्रभाव पड़ा था।
- कालिभंजदिया द्वीप (Kalibhanjdia Island) 8.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भीतरकणिका के नज़दीक एक स्थान है। इसने बड़ी मात्रा में विदेशी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यहाँ दुनिया के कुल मैंग्रोव प्रजातियों का 70% हिस्सा मौजूद है।

केंद्र ने केरल की बाढ़ को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित किया

चर्चा में क्यों ?

केरल में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इसे 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित किया है जिससे विभिन्न रूपों में राष्ट्रीय सहायता का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़/भूस्खलन की तीव्रता और परिमाण को ध्यान में रखते हुए यह सभी दृष्टिकोण से 'गंभीर प्रकृति की आपदा 'है।
- उल्लेखनीय है कि यह वर्गीकरण राज्य को केंद्र से अधिक मौद्रिक और अन्य सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- केरल में आई बाढ़ की विभीषिका को देखें तो 8 अगस्त से 223 लोगों ने अपनी जान गँवा दी है।
- इसके अलावा 2.12 लाख महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के एक लाख बच्चों सहित 10.78 लाख विस्थापित लोगों को 3,200 राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है।
- प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, राज्य को अब तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की है।

नोट :

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) समूह के प्रतिनिधियों द्वारा कम समय में राहत और बचाव सामग्री की सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएंगी।
- एनडीएमए के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र और आसपास के राज्यों की सहायता से मेडिकल टीमों को केरल भेज दिया गया है, जो किसी भी महामारी को रोकने में मदद करेंगी।

'गंभीर प्रकृति' की आपदा घोषित करने के लाभ

- जब एक आपदा "दुर्लभ गंभीरता"/"गंभीर प्रकृति" के रूप में घोषित की जाती है, तो राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्तर का समर्थन प्रदान किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त केंद्र एनडीआरएफ (NDRF) सहायता भी प्रदान कर सकता है।
- आपदा राहत निधि (CRF) को स्थापित किया जा सकता है, यह कोष केंद्र और राज्य के बीच 3:1 के साझा योगदान पर आधारित होता है।
- इसके अलावा सीआरएफ में संसाधनों के अपर्याप्त होने की अवस्था में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (NCCF) से अतिरिक्त सहायता दिये जाने पर भी विचार किया जाता है, जो केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित होती है।
- गौरतलब है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 2.8 में कहा गया है- 'देश के किसी भाग में गंभीर आपदा की स्थिति में सांसद सदस्य प्रभावित ज़िले के लिये अधिकतम एक करोड़ रुपए तक के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।'
- दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिस दिन से संसद सदस्य इस प्रकार का योगदान करेंगे, उसी दिन से संबंधित अधिकारी को एक महीने के अंदर राहत कार्यों को चिन्हित करना होगा और इस पर आठ महीने के अंदर अमल करना होगा।

संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये काजीरंगा नेशनल पार्क का विभाजन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में असम के पर्यावरण और वन विभाग ने काजीरंगा नेशनल पार्क को दो वन्यजीव खंडों में विभाजित करने की घोषणा की है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस कदम का वन अधिकारियों और जनता द्वारा स्वागत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पूर्वी असम वन्य जीव खंड और विश्वनाथ वन्यजीव खंड में विभाजित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों वन्य जीव खंडों को विभाजित करती है।
- दो खंडों में विभाजित होने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम के कुल वन क्षेत्र में 160 किमी. की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार काजीरंगा नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल 1030 वर्ग किमी. हो जाएगा।
- पूर्वोत्तर असम में विश्वनाथ चैरियाली के मुख्यालय के साथ विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग का निर्माण किया जाएगा जो 160 किलोमीटर दूर होजई में केंद्रीय असम वनीकरण विभाग को स्थानांतरित हो जाएगा। वास्तव में, इस वनीकरण विभाग को ही नए वन्यजीव खंड का नाम दिया गया है।
- इससे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क को पूर्वी असम वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जाता था जिसका मुख्यालय ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर स्थित बोकाखात था।
- इस खंड का निर्माण 1966 में किया गया था।
- इस विभाजन से पहले पूर्वी असम वन्यजीव प्रभाग में पाँच श्रेणियाँ- पूर्वी या अग्राटोली, काजीरंगा या कोहोरा, पश्चिमी या बागोरी, बुरापहाड़ और उत्तरी थीं। उत्तरी रेंज को छोड़कर सभी ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट पर हैं।
- अब, 401 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाले उत्तरी रेंज को विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग में अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें इसकी चार श्रेणियाँ हैं- पूर्वी या गामिरी, केंद्रीय या विश्वनाथ घाट, पश्चिमी या नागशंकर और अपराध अन्वेषण रेंज।

नोट :

विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

- 2015 से फरवरी 2018 के बीच असम में 74 गैंडों का शिकार किया गया। इनमें से कई गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क से थे।
- अधिकांश गैंडो का शिकार ब्रह्मपुत्र के उत्तरी हिस्से में किया जा रहा था जिसका प्रबंधन करना दक्षिणी हिस्से में तैनात अधिकारियों के लिये मुश्किल था।
- काजीरंगा नेशनल पार्क को दो खंडों में विभाजित करने का मतलब है कि अब एक निर्देशक (आगराटोली रेंज के पास बोकाखात में स्थित) के तहत दो विभागीय वन अधिकारी होंगे और बेहतर सतर्कता सुनिश्चित की जा सकेगी।

काजीरंगा नेशनल पार्क

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है। 1905 में इसे पहली बार अधिसूचित किया गया था और 1908 में इसका गठन संरक्षित वन के रूप में किया गया जिसका क्षेत्रफल 228.825 वर्ग किलोमीटर था।
- इसका गठन विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिये किया गया था, जिनकी संख्या तब यहाँ लगभग 24 जोड़ी थी। उल्लेखनीय है कि मार्च में की गई गेंडों की पिछली जनगणना के अनुसार, काजीरंगा नेशनल पार्क में लगभग 2,413 गैंडे हैं।
- 1916 में काजीरंगा को एक पशु अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1938 में इसे आगंतुकों के लिये खोला गया था।
- 1950 में इसे एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया।
- काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल में किया गया था।

गंभीर आपदा के बाद केरल के पुनर्निर्माण की चुनौती

चर्चा में क्यों ?

केरल और कर्नाटक के कोडागु ज़िले में बाढ़ के पानी के धीरे-धीरे घटने के बाद मुख्य ध्यान राहत कार्यों की बजाय पुनर्निर्माण में बदलना शुरू हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- गंभीर श्रेणी की आपदा के बाद केरल में कम समय में पुनर्निर्माण का कार्य करना एक चुनौती भरा कदम है।
- इसकी गंभीरता का अनुमान इन आँकड़ों से लगाया जा सकता है कि केरल में अब 10,000 किमी. सड़कों के साथ-साथ 100,000 घरों का पुनर्निर्माण किये जाने आवश्यकता होगी।
- केरल में चल रहे राहत कार्यों को देश-भर से समर्थन मिला है। साथ ही इस संदर्भ में केरल सरकार ने केंद्र सरकार से पुनर्निर्माण हेतु 2,600 करोड़ रुपए की मांग की है।
- इसके अलावा, राज्य सरकार ने नई दिल्ली से बॉण्ड मार्केट से उधार ली जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिये भी कहा है और इस मांग का केंद्र सरकार ने समर्थन भी किया है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों ने वित्तीय कानूनों पर हस्ताक्षर किये हैं जो राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों के आधार पर उधार ले सकते हैं।
- दुनिया भर में इस तरह के वित्तीय कानूनों में लचीलापन है जो विशेष परिस्थितियों जैसे-तेज़ी- मंदी या युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदाओं के मामले में उधार सीमा को बढ़ाने की अनुमति देतें हैं।
- केरल और कुछ हद तक कर्नाटक ने इन गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, अत: इन राज्यों की वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिये उचित तरीकों को अपनाने की दी जानी चाहिये।

मुद्रा बाज़ार और वित्त बाज़ारों की भूमिका

- भारतीय रिज़र्व बैंक विशेष तरीकों और अग्रिम (डब्लूएमए) विंडो के माध्यम से तत्काल तरलता समर्थन भी प्रदान कर सकता है।
- इसके साथ ही पुनर्निर्माण की लागत को कम करने का एक संभावित तरीका ब्याज दरों पर विशेष बॉण्ड जारी करना हो सकता है, जो मार्केट बॉण्ड की तुलना में कम व्याज दर पर हो।

नोट :

- यह एक ऐसे बॉण्ड की संरचना करेगा जहाँ उधार पर ब्याज लागत तीन इकाइयों द्वारा साझा किया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार करों को छोड़ सकती है; केरल डायस्पोरा समेत दुनिया भर के व्यक्ति, कम ब्याज दरों को स्वीकार कर सकते हैं; और राज्य सरकार पर ब्याज दर आरोपित किया जा सकता है, जो एक-तिहाई भुगतान करेगी अन्यथा निवेशकों को भुगतान करना होगा।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे बॉण्ड का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।
- देश में भविष्य के ऐसे किसी मामले, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वित्तीय बाज़ारों की संभावित भूमिका हो सकती है।
- भारत में आपदा बॉण्डस (Catastrophe bonds) बाज़ार होना चाहिये जो लोगों को अत्यधिक जोखिम वाली आपदाओं के खिलाफ बीमा सुरक्षा की गारंटी डे सके।
- ये बॉण्ड आपदा के एवज़ में जोखिम सुरक्षा मुहैया कराएंगे साथ ही उच्च व्याज दर के बावजूद इच्छुक निवेशकों को आकर्षित करेंगे ।
- उल्लेखनीय है कि आपदा बॉण्डस का महत्त्व दुनिया भर में बढ़ रहा है और खासकर मेक्सिको में अधिक लोकप्रिय है और हाल ही में यहाँ विश्व बैंक के समर्थन से वर्ष 2017 में आपदा बॉण्डस जारी किये गए थे।
- हालाँकि, केरल में पुनर्निर्माण कार्य किये जाने में अभी काफी समय लगेगा किंतु बाढ़ ने राज्य सरकार को इसके बुनियादी ढाँचे के बारे में सोचने का अवसर प्रदान किया है।

अत्यधिक वर्षा के कारण जलाशयों का संचालन करना गंभीर चुनौती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर किये गए अध्ययन में बताया गया है कि औसत वार्षिक वर्षा में हुई वृद्धि के कारण निकट भविष्य (2020-2030) में तथा सदी के मध्य और अंत (2070-2099) में भारत के जलविद्युत उत्पादन करने वाले शीर्ष सात बड़े जलाशयों की जलग्रहण क्षमता में कमी की के चलते भविष्य में भारत को गंभीर आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि यह अध्ययन आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्त्ताओं की एक टीम द्वारा किया गया था।
- इस अध्ययन के मुताबिक, यदि कार्बन उत्सर्जन कम हो तो सदी के अंत तक औसत वार्षिक वर्षा में 6-11% की वृद्धि और औसत वार्षिक तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।
- वहीं उच्च कार्बन उत्सर्जन के मामले में सदी के अंत तक औसत वार्षिक वर्षा में 13-18% तक वृद्धि हो सकती है, जबकि वार्षिक तापमान 6.25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद है।

प्रमुख सात जलाशय

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये भारत में जलविद्युत उत्पादन करने वाले सात बड़े जलाशयों का अध्ययन किया गया था।
- इन सात जलाशयों में नाथपा झाकरी, भाखड़ा-नांगल, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि नाथपा झाकरी, भाखड़ा-नांगल सतलुज नदी पर स्थित जलाशय/बांध हैं और बर्फ का पिघला पानी इनका प्रमुख स्रोत है, जो भविष्य में जलवायु के कारण बदल सकता है।
- जबकि अन्य पाँच जलाशय मुख्य रूप से भारत के मध्य-दक्षिण मानसून-वर्चस्व वाले जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं।
- अध्ययन में बताया गया है कि यदि इसी प्रकार से औसत वार्षिक वर्षा में वृद्धि दर्ज की गई तो इन जलाशयों का कार्यान्वयन एक गंभीर चुनौती का कारण बन सकती है।
- दरअसल,जलाशय में अतिरिक्त जल प्रवाह की दशा में इनके जल को छोड़ा जाता है और यह अतिरिक्त जल आस-पास के इलाकों में पहुँचकर बाढ़ का कारण बनता है।
- ऐसी दशा में जलविद्युत उत्पादन से ध्यान हटाकर बाढ़ या आपदा शमन पर केंद्रित किया जाएगा।
- हाल ही में केरल में आई भयावह बाढ़ को भी उपर्युक्त कारणों का ही परिणाम माना जा रहा है।

नोट :

शहरी परिवहन संबंधी प्रदूषण: कोलकाता बड़े शहरों में सबसे स्वच्छ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा तैयार की गई 'द अर्बन कम्यूट एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू पोल्यूशन एंड एनर्जी कंजम्प्शन' नामक रिपोर्ट जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में 6 मेगा शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद) तथा 8 महानगरों (भोपाल, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पुणे, कोच्चि एवं विजयवाड़ा) सहित भारत के 14 शहरों का विश्लेषण शामिल है जिसमें शहरी संचार से होने वाले प्रदूषण और ऊर्जा उपभोग के संदर्भ में यह देखा गया कि शहरों में लोग किस प्रकार यात्रा करते हैं?
- इस रिपोर्ट में कोलकाता को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेगाशहर के रूप में स्थान मिला है। भोपाल सबसे कम समग्र उत्सर्जन के साथ सूची में प्रथम स्थान पर है। दिल्ली और हैदराबाद दो शहर ऐसे हैं जो प्रदूषण और ऊर्जा के उपयोग के प्रदर्शन के आधार पर तालिका में सबसे नीचे हैं।

राष्ट्रीय संकट

- इस अध्ययन में शहरी परिवहन क्रियाओं, जैसे कि- पार्टीकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के समग्र ज़हरीले उत्सर्जन के साथ ऊष्मा संजाल (Co_2) की गणना के आधार पर शहरों को स्थान दिया गया।
- इस अध्ययन में शहरों को स्थान प्रदान करने के लिये दो दृष्टिकोण अपनाए गए- पहला समग्र उत्सर्जन और ऊर्जा उपभोग पर आधारित है और दूसरा प्रति व्यक्ति यात्रा उत्सर्जन और ऊर्जा उपभोग पर आधारित है।
- समग्र उत्सर्जन और ऊर्जा उपभोग के मामले में भोपाल के बाद विजयवाड़ा, चंडीगढ़ और लखनऊ का स्थान है। कोलकाता, जो समग्र उत्सर्जन के आधार पर छठे स्थान पर है छह मेगाशहरों के बीच सबसे कम उत्सर्जन के साथ सबसे आगे है।
- अहमदाबाद और पुणे जैसे छोटे शहर भी समग्र उत्सर्जन के आधार पर कोलकाता से नीचे आँके गए हैं।
- समग्र उत्सर्जन के आधार पर दिल्ली की रैंकिंग तालिका में सबसे नीचे है। इस सूची में हैदराबाद, बंगलुरु और चेन्नई ने दिल्ली से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, हालाँकि कम जनसंख्या, कम यात्रा की मात्रा और कम वाहन संख्या के चलते मेट्रोपॉलिटन शहरों ने मेगाशहरों से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन निजी वाहन यात्राओं के बहुत अधिक हिस्से के कारण वे जोखिम पर हैं।

एक बेहतर संदेश

- कोलकाता की तुलना हांगकांग और जापान के शहरों से करते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि "कोलकाता एक शानदार संदेश प्रदान करता है कि जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती यात्रा की मांग के बावजूद, एक अच्छी तरह से स्थापित सार्वजनिक परिवहन संस्कृति, सघन शहर डिज़ाइन, उच्च सड़क घनत्व और सड़कों और पार्किंग के लिये भूमि की सीमित उपलब्धता के साथ मोटर चालित परिवहन का विकास संभव है।"
- रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद होने के बावजूद अन्य मेगाशहरों की तुलना में मोटर चालित परिवहन की दर कम थी, जो यह साबित करता है कि ऑटोमोबाइल पर जनसंख्या की निर्भरता के निर्धारण में आय का स्तर एकमात्र कारण नहीं है।
- रिपोर्ट में कहा गया है, "कोलकाता और मुंबई दोनों शहर सार्वजनिक परिवहन के एक अद्वितीय लाभ के साथ विकसित हुए हैं जो वहाँ की मौजूदा भूमि उपयोग पैटर्न के साथ बेहतर समायोजन पर आधारित है।"
- इससे पूर्व, 2004 में चेन्नई एक गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) नीति को अपनाने वाला देश का पहला शहर बना। इस नीति का उद्देश्य फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और ग्रीनवे के नेटवर्क का निर्माण करके चलने या साइकिल चलाने की गिरावट को रोकना है।

नोट :

पंबन जल-संधि पर होगा आठ लेन वाले पुल का निर्माण

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिये ₹ 1,250 करोड़ की अनुमानित लागत से पंबन जल-संधि पर विश्व स्तरीय आठ-लेन सड़क पुल के निर्माण हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- यह पुल मौजूदा 2.345 किलोमीटर लंबे अन्नाई इंदिरा गांधी पुल के निकट ही बनाया जाएगा। बंगलूरू स्थित फीडबैक इंफ्रा लिमिटेड इस परियोजना के लिये डीपीआर तैयार कर रही है।
- मंडपम क्षेत्र में भूमि पर और समुद्र में मृदा परीक्षण का कार्य शुरू किया जा चुका है और डीपीआर दो महीने में पूरी हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के लिये धन की मंज़ूर दे दी है और डीपीआर के पूरा होने के तुरंत बाद कार्य शुरू हो जाएगा।
- एनएचएआई ने पुल के नीचे से नौवहन हेतु पुल की ऊँचाई निर्धारित करने के लिये पंबन बंदरगाह कार्यालय से एक रिपोर्ट मांगी थी। पुल दक्षिण की तरफ बनाया जाएगा और पंबन जलसंधि के हिस्से को कवर करने के बाद यह पंबन क्षेत्र में ज़मीन पर लगभग एक किलोमीटर तक खंभों पर निर्मित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव बस्तियाँ कम-से-कम प्रभावित हों।
- यह पुल 39 किलोमीटर लंबे परमकुडी-रामानाथापुरम अनुभाग और 63 किलोमीटर लंबे रामानाथापुरम-रामेश्वरम अनुभाग की चार लेन वाली सड़क परियोजना के हिस्से के रूप में मुंबई में केबल पर निर्मित पुल बांद्रा-वर्ली सी लिंक की तर्ज पर बनाया जाएगा।
- जबकि इन अनुभागों में दो लेन वाली सड़क को चार लेन तक बढ़ा दिया गया है, भविष्य की ज़रूरतों पर विचार करते हुए इस पुल में आठ लेन होंगे। मौजूदा सड़क पुल, जो 29 साल से अधिक पुराना है, का इस्तेमाल हल्के मोटर वाहनों के लिये किया जाएगा।
- एनएचएआई द्वारा लगभग 650 करोड़ रुपए की लागत से परमकुडी से रामानाथापुरम तक चार लेन वाली सड़क का विस्तार करने के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है और जल्द ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अब रामानाथापुरम-रामेश्वरम विस्तार में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

पोषक तत्त्वों में कमी का कारण कार्बन डाईऑक्साइड

चर्चा में क्यों ?

हाल में एक शोध से यह उजागर हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के स्तर में वृद्धि होने से चावल और चावल जैसे मुख्य फसलों की पौष्टिकता में कमी आई है। इसके मुताबिक फसलों में पोषक तत्त्वों की कमी के कारण यह सन 2050 तक लाखों भारतीयों के लिये संकट उत्पन्न कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- शोध के मुताबिक मानव गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के स्तर में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप इस शताब्दी के मध्य तक विश्वभर में लगभग 175 मिलियन आबादी जस्ते की कमी और लगभग 122 मिलियन आबादी के प्रोटीन की कमी से ग्रस्त होने की संभावना है।
- अध्ययन में पाया गया है कि एक अरब से भी अधिक महिलाएँ और बच्चों में आहार से प्राप्त होने वाले आयरन की कमी हो सकती है जो एनीमिया और अन्य बीमारियों चलते इन्हें के जोखिम में डाल सकता है।
- यह भी पाया गया है कि भारत लगभग 50 मिलियन लोगों में जिंक की कमी के साथ सबसे बड़ा बोझ उठाएगा। प्रोटीन की कमी की वजह से भारत में 38 मिलियन लोगों पर जोखिम बन हुआ है और 502 मिलियन महिलाएँ और बच्चे आयरन की कमी से होने वाली बीमारियों के प्रति संवेदनशील हैं।
- दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर भी काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

नोट :

- वर्तमान में दुनिया भर में दो अरब से अधिक लोगों में एक या अधिक पोषक तत्त्वों की कमी होने का अनुमान है।
- आमतौर पर मनुष्य को अधिकांश पोषक तत्त्वों की प्राप्ति पौधों से होती है। आहार प्रोटीन का 63 प्रतिशत, जिंक का 68 प्रतिशत और साथ ही 81 प्रतिशत आयरन वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है।
- इस तरह से यह देखा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर की वजह से फसलों में पौष्टिक तत्त्वों की मात्रा में कमी आई है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान वायुमंडलीय परिस्थिति जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 400 PPM (parts per million) से कुछ अधिक है की अपेक्षा 550 PPM वाले कार्बन डाईऑक्साइड वाले वातावरण में फसल उगाने से प्रोटीन, लौह और जस्ते की सांद्रता 3-17 फीसदी कम होती है।

निष्कर्ष

- इस तरह शोध में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में पौष्टिक तत्त्वों की कमी के शिकार लोगों को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अत: यह स्पष्ट है कि हम अपने स्वास्थ्य पर अप्रत्याशित प्रभाव डाले बिना लाखों वर्षों से अनुकूलित जैव-भौतिक तंत्र को अव्यवस्थित नहीं कर सकते हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक मुद्दे

अधिकांश शिशु जन्म के बाद पहले घंटे में स्तनपान नहीं कर पाते

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में पैदा हुए 10 में से 6 शिशु जन्म एक घंटे की अवधि तक माँ का दूध अथवा स्तनपान नहीं कर पाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- जन्म के एक घंटे के भीतर माँ द्वारा कराया गया स्तनपान या कोलोस्ट्रम (colostrum) शिशु के सुरक्षात्मक कारकों में वृद्धि करता है।
- रिपोर्ट के मुताबिक संस्थागत प्रसव प्रक्रिया में सुधार के बावजूद सहयोगी कार्य वातावरण की कमी, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के अपर्याप्त कौशल के साथ-साथ सीज़ेरियन डिलीवरी आदि कई कारणों से माताएँ अपने शिशुओं को स्तनपान नहीं करा पाती हैं।
- यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य समूहों और सरकारी विभागों, एम्स एवं यूनिसेफ सहित राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा विश्व स्तनपान रुझान पहल (WBTI) के तहत तैयार की गई है।
- वर्ष 2018 में स्तनपान, शिशु और युवा बाल आहार पर भारत की नीति और कार्यक्रमों के आकलन की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 100 में से 45 अंक प्राप्त किये हैं।
- यह रिपोर्ट 10 मानकों पर आधारित है।
- हालाँकि, शिशु और युवा शिशु आहार प्रथाओं के मामले में पाँच पैरामीटर पर भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 50 में से 34 अंक प्राप्त किये हैं।
- भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्तनपान के मामलों में प्रगति हुई है।
- डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ भी छह महीने की उम्र तक शिशुओं को स्तनपान कराने और उसके बाद पूरक खाद्य पदार्थों के साथ लगातार 2 वर्ष या उससे अधिक आयु तक स्तनपान कराने की अनुशंसा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund)-यूनिसेफ

- यूनिसेफ का गठन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में किया गया था।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में 190 देश इसके सदस्य हैं।
- वस्तुत: इसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रभावित हुए बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उन तक खाना और दवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है।
- स्तनपान हेतु की गई पहल के चलते जन्म के एक घंटे की अवधि के दौरान स्तनपान प्राप्त करने वाले शिशुओं की संख्या 23.4% से बढ़कर 41.5% हो गई है।
- हालाँकि, संस्थागत प्रसव को बढ़ाकर इसी अवधि के दौरान स्तनपान प्राप्त करने वाले शिशुओं की संख्या को दोगुने से अधिक यानी 38.7% से बढ़ाकर 78.9% तक किया जा सकता है।

नोट :

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में भिक्षावृत्ति को गैर-आपराधिक माना है

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को गैर-आपराधिक मानते हुए इससे संबंधित कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को भिक्षावृत्ति के अंतर्निहित कारणों से निपटने के लिये एक गलत तरीका माना है।

प्रमुख बिंदु

- बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959 के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, जिसे 1960 में केंद्र सरकार द्वारा किये गए संशोधन के माध्यम से दिल्ली में भी विस्तृत किया गया था।
- इस कानून के तहत भिखारी घरों (Beggar Homes) में रहने वाले व्यक्तियों के भिक्षावृत्ति के मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल की हिरासत या जुर्माने का प्रावधान है और दूसरी बार भिक्षावृत्ति की पुनरावृत्ति पर 10 साल के लिये हिरासत में लेने का आदेश दिया जा सकता है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में 20 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने भिक्षावृत्ति के संबंध में या तो अपने स्वयं के कानून बनाए हैं या अन्य राज्यों द्वारा अधिनियमित कानूनों को अपनाया है।
- बेंच ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम के 25 अलग-अलग वर्गों को "असंवैधानिक" घोषित कर दिया है।
- साथ ही बेंच द्वारा यह भी कहा गया है कि वर्तमान कानून भिक्षा के प्रकार के बीच कोई भेद नहीं करता है, यानी कानून यह परिभाषित करने में अक्षम है कि भिक्षावृत्ति स्वैच्छिक है या अनैच्छिक।
- हालाँकि,अदालत ने अधिनियम के उन प्रावधानों को नहीं छुआ है, जो लोगों को भिक्षा मांगने हेतु विवश करने पर दंड का प्रावधान करता है।
- पिछले ही वर्ष नवंबर में केंद्र सरकार ने कहा था कि गरीबी के कारण यदि कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो यह अपराध नहीं माना जाना चाहिये।
- इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि उन कारणों का पता लगाना भी ज़रूरी है कि कहीं गरीब व्यक्ति को ज़बरन भिक्षावृत्ति हेतु मज़बूर तो नहीं किया गया है।
- हालाँकि, कानून के उन प्रावधानों से रक्षा करने की मांग की गई थी जो पुलिस को वारंट के बिना भिखारी को गिरफ्तार करने की अनुमति देते हैं।
- बेंच ने टिप्पणी की है कि भिक्षावृत्ति के लिये गिरफ्तारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- साथ ही बेंच ने 'भिखारी घरों' में भिखारियों को रखे जाने के कार्य को "निरर्थक " ("Futility") और सार्वजनिक निधियों की बर्बादी का अभ्यास भी कहा है।

राज्यसभा द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन पारित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राज्यसभा द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST ACT) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। लोकसभा ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उलटकर अधिनियम में बदलावों को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा के संबंध में मार्च 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया गया।
- संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर पंजीकरण के लिये कोई प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं होगी; और यदि आवश्यक हो तो जाँच अधिकारी को गिरफ्तारी के लिये अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमत अग्रिम जमानत के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है।
- संशोधन में एफआईआर दर्ज करने के बाद जाँच पूरी करने और आरोपपत्र दाखिल करने के लिये दो महीने की समय-सीमा शामिल है। चार्जशीट दाखिल करने के दो महीने के भीतर मामलों का निपटारा करना होगा।

नोट :

- कई सांसदों ने यह मुद्दा उठाया कि इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची (न्यायिक समीक्षा के खिलाफ सुरक्षा के लिये) के तहत लाया जाना चाहिये था, अन्यथा अदालत में फिर से संशोधन को चुनौती दी जाएगी।
- कानून के दुरुपयोग को रोकने, शीघ्र न्याय प्राप्ति हेतु फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था किये जाने, मामलों की जाँच डीएसपी रैंक एवं उससे ऊपर के अधिकारियों से कराए जाने तथा कानून को दोबारा न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने हेतु कदम उठाए जाने संबंधित कई मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए गए।

राज्यों में विशेष अदालतें

अधिनियम के तहत मामलों का फैसला करने के लिये 14 राज्यों ने पहले से ही 195 विशेष अदालतों का गठन किया था। कुछ राज्यों ने ज़िला और सत्र अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में घोषित किया है।

कार्यबल में महिलाओं की घटती संख्या

चर्चा में क्यों

कार्यबल में महिलाओं की तेज़ी से गिरावट के बाद नियोक्ताओं द्वारा अधिक से अधिक महिलाओं को रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) को वर्तमान तीन साल से बढाकर पाँच वर्ष तक ज़ारी रखने की योजना बनाई है।

प्रमुख बिंदु

- छोटे एवं मध्यम उद्यमों के साथ-साथ सूक्ष्म व्यवसायों को और अधिक महिलाओं को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संदर्भ में सरकार द्वारा नई प्रातिभाओं को शामिल करने वाले नियोक्ताओं को कर्मचारियों को दिये जाने वाले पेंशन और भविष्य निधि के लिये 12 प्रतिशत का योगदान दिया जाता है।
- वर्तमान में नियोक्ताओं के लिये सब्सिडी तीन वर्ष के लिये है जो अगस्त 2016 में लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत 15000 रुपए मासिक वेतन के साथ अप्रैल 2016 से योगदान करने वाले सभी कुशल और अकुशल श्रमिक शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि 5 जुलाई तक, 61.12 लाख कर्मचारियों को पीएमआरपीवाई के तहत नामांकित किया गया है।
- इसे महिलाओं के लिये और दो वर्ष तक विस्तारित किये जाने के लिये 25000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होने का शुरुआती अनुमान लगाया गया है।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों की भर्ती के लिए मौजूदा तीन साल की योजना हेतु लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें 10, 600 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में शामिल है।
- भारत की महिला कार्यबल भागीदारी दर दक्षिण एशिया में सबसे कम है।
- 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं का रोज़गार 2005-2006 में 36 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत रह गया है।

प्रधानमंत्री हेल्थकेयर स्कीम 25 सितंबर को होगी लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

अगले आम चुनाव से पहले अपने आखिरी स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्त्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान (PMJAA) या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) को 25 सितंबर को लॉन्च करने की घोषणा की। उन्होंने यूनीफॉर्म सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर महिला अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन और मानव निर्मित अंतरिक्ष मिशन योजना की शुरुआत की भी घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- विश्व की सबसे बड़ी इस स्वास्थ्य योजना को 'मोदीकेयर' भी कहा जा रहा है जिसका उद्देश्य देश में 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को लाभान्वित करते हुए हर परिवार को सलाना पाँच लाख रुपए का मेडिकल बीमा कवर प्रदान करना है।

नोट :

- प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2022 तक राष्ट्रीय ध्वज के साथ अंतरिक्ष में "बेटा या बेटी" भेजेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं और गरीबों पर अधिक ज़ोर दिया।
- प्रधानमंत्री ने न केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा की "राक्षसी प्रवृत्तियों" की निंदा की बल्कि बलात्कार के कई मामलों में मौत की सज़ा देने वाले फास्ट ट्रैक कोर्टों की सराहना भी की।
- प्रधानमंत्री ने आज़ादी के बाद से वर्तमान कैबिनेट में महिलाओं के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का भी ज़िक्र किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चार वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जिसमें स्वच्छ भारत, पीएमएफबीवाई, मुद्रा ऋण, जीएसटी आदि शामिल हैं।

यूनिवर्सल हेल्थकेयर

- हेल्थकेयर विशेषज्ञों की राय में आयुष्मान भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास था कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा समाज के कमज़ोर वर्गों तक पहुँच बना चुकी है और इससे प्राथमिक तथा माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में लोगों का अनुपात बढ़ सकता है।
- वास्तव में यह उचित प्रतीत होता है कि सरकार ज़मीनी स्तर पर नीति को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से काम कर रही है।
- सरकार ने इसे एक प्रौद्योगिकी संचालित पहल के रूप में प्रस्तुत किया है जो पारदर्शिता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है और यह पहल बड़े पैमाने पर देश में समग्र स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के विकास को अधिक प्रोत्साहित करेगी।
- सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागत योग्य है क्योंकि देश में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढाँचे के अंतर्गत 50 करोड़ गरीब लोगों को आवश्यक दवाइयों तक पहुँच प्रदान करने में मदद मिल रही है।
- सरकार से एक ऐसे तंत्र की उम्मीद है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करता हो तथा गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ आम जनता तक पहुँच सकें।
- आज भारत में लगभग 80% स्वास्थ्य सेवा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती है और मूल्य-आधारित दवा के माध्यम से भारतीय आबादी की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों द्वारा संयुक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- लेकिन इस योजना का वर्तमान ढाँचा उन लोगों के लिये फायदेमंद नहीं होगा जिन्हें तृतीयक देखभाल की आवश्यकता है क्योंकि योजना के तहत पारिश्रमिक मूल्य-आधारित स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।
- इस योजना के तहत तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को हर स्तर पर लागत में कटौती करने के लिये मजबूर किया जाएगा जिससे योजना के तहत मरीज़ों को उप-मानक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- वे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये आवश्यक दवा, प्रौद्योगिकी और नैदानिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और जल्द ही सिस्टम में विश्वास खो देंगे।
- सरकार को समाज के सभी वर्गों के लिये अनिवार्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर देखना चाहिये जो पूल को बढ़ाएगा और सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच क्रॉस-सब्सिडी की अनुमति देगा।

ट्रिपल तलाक बिल

- प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समुदाय के ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिये एक विधेयक लाने में सरकार के प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया।
- प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं से इस विधेयक को पारित करने का वादा भी किया।
- संसद के एक ही सत्र में एससी/एसटी और ओबीसी विधेयकों के पारित होने पर उन्होनें संतोष व्यक्त किया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये कोई क्रीमी लेयर मानक नहीं

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि "क्रीमी लेयर" अवधारणा को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (ST/SC) समुदायों पर लागू नहीं किया जा सकता है, जो सदियों से पीड़ित रहे हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने तर्क देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक समरूप समूह है और आर्थिक या सामाजिक उन्नति के आधार पर उनके पुन: समूहन के लिये कोई कार्रवाई करना उचित नहीं होगा।
- श्री वेणुगोपाल ने कहा कि एससी/एसटी की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिये कठोर रूपरेखा निर्धारित की गई है।
- उन्होंने न्यायालय को बताया कि अनुसूचित जाति की सूची में समुदायों को शामिल करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक अस्पृश्यता का पारंपरिक तौर पर उपयोग किया जाता है।
- वेणुगोपाल से पूछा गया था कि क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करके उन लोगों को लाभ से वंचित किया जा सकता है जो इससे बाहर आ चुके हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एससी/एसटी समुदाय के पिछड़े लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुँच सके।
- पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।
- पाँच न्यायाधीशों की पीठ यह देख रही है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के संबंध में 'क्रीमी लेयर' से जुड़े उसके 12 वर्ष पुराने फैसले को सात सदस्यीय पीठ द्वारा फिर से देखने की जरूरत तो नहीं है।

नागराज केस

- सरकार नागराज मामले में 2006 के फैसले को रद्द करने के लिये सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े बेंच में जाना चाहती है।
- एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने के एम नागराज के फैसले में 2006 में पाँच जजों ने संशोधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 16(4)(ए), 16(4)(बी) और 335 को तो सही ठहराया था लेकिन कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने से पहले सरकार को उनके पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े जुटाने होंगे।
- इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरी के दौरान पदोन्नति में आरक्षण तभी दे सकती है जब आँकड़ों के आधार पर यह तय हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है।

सरकार की राय

- अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों आदि को निर्धारित करने के लिये राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है। एजी ने ज़ोर देकर कहा कि नौकरियों में पदोन्नति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिये "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" के आधार पर होना चाहिये।
- न्यायालय ने कहा कि सरकार की राय मात्रात्मक डेटा पर आधारित हो तभी प्रोन्नति के लिये विचार होना चाहिये। न्यायालय ने पूछा कि क्या क्रीमी लेयर को बाहर रखना चाहिये। सरकार को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिये।
- हालाँकि एजी ने कहा कि एससी/एसटी जो सदियों से भेदभाव के शिकार हैं, अनुच्छेद 16 (4) (ए) के तहत सकारात्मक कार्रवाई के हिस्से के रूप में पदोन्नति में आरक्षण के हकदार हैं।
- वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि सरकार सार्वजनिक नौकरियों में एससी/एसटी के पदोन्नति के लिये 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिये 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये 7%) पदों को आरक्षित करना चाहती है।

यौन हिंसा पर शिकायतों को ट्रैक करने के लिये एनसीआरबी की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महिलाओं और बच्चों से जुड़े "यौन हिंसा" वीडियोज़ को रोकने के तरीकों की सिफारिशों पर चर्चा के लिये एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की ।

नोट :

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) क्या है ?

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में की गई थी।
- इसके गठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान कर समर्थ बनाना था।
- NCRB नीति संबंधी मामलों और अनुसंधान हेतु अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या और जेल संबंधी डेटा के प्रामाणिक स्रोत के लिये नोडल एजेंसी है।
- NCRB 'भारत में अपराध', 'दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें और आत्महत्या', 'जेल सांख्यिकी' और फिंगर प्रिंट्स पर 4 वार्षिक प्रकाशन जारी करता है।
- बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की अंडर- रिपोर्टिंग के चलते वर्ष 2017 से NCRB ने बाल यौन शोषण से संबंधित आँकड़ों को भी एकत्रित करना प्रारंभ किया है।
- NCRB को वर्ष 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'डिजिटल इंडिया अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।
- भारत में पुलिस बलों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य 1971 में प्रारंभ हुआ।
- NCRB ने वर्ष 1995 में CCIS (Crime and Criminals Information System), वर्ष 2004 में CIPA (Common Integrated Police Application) और अंतिम रूप में वर्ष 2009 में CCTNS प्रारंभ किया ।
- बैठक में लिये गए फैसले
- इस बैठक में गृह मंत्री के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद,राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तथा खुफिया ब्यूरो के निदेशक भी शामिल थे।
- इस बैठक में फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) प्राप्त शिकायतों की निगरानी के लिये नामित नोडल एजेंसी होगी जो सरकारी पोर्टल पर बाल अश्लीलता और यौन हिंसा संबंधी वीडियोज़ के रिकॉर्ड रखती है।
- एनसीआरबी विभिन्न सेवा प्रदाताओं जैसे- फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप के साथ समन्वय करेगा और उनसे ऐसे दुर्भावनापूर्ण वीडियो और सामग्री के प्रसार को रोकने करने के लिये कहेगा।
- उल्लेखनीय है कि एनसीआरबी वर्तमान में केवल एक अपराध रिकॉर्ड एजेंसी है, इसलिये ऐसे वीडियो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये इसे सक्षम बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई है।

खुले में मूत्रत्याग को रोकना होगा सरकार का अगला कदम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ओडीएफ+ और ओडीएफ++ प्रोटोकॉल जारी किये गए जो कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिये अगला कदम हैं और इनका लक्ष्य स्वच्छता परिणामों में स्थायित्व सुनिश्चित करना है।

प्रमुख बिंदु

- नए मानदंडों के तहत, ओडीएफ+ (खुले में शौच से मुक्त प्लस) घोषित करने के इच्छुक शहरों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त होने के आलावा लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग से भी मुक्त होना चाहिये।
- यह पहली बार है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आधिकारिक तौर पर लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग की समाप्ति को अपने एजेंडे में शामिल कर रहा है। यह मिशन बुनियादी ढाँचे और नियामक परिवर्तनों पर केंद्रित है और साथ ही इस धारणा पर आधारित है कि इससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण प्रभाग ने पहले कहा था कि लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग की समाप्ति उनके एजेंडे में नहीं है।

नोट :

- मार्च 2016 में जारी मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल के अनुसार, "एक शहर/वार्ड को ओडीएफ शहर/वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाता है, यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच न करता हो।"
- अत: अब तक 2,741 शहरों को ओडीएफ के रूप में प्रमाणित किया गया है, जो ज़्यादातर शौचालय निर्माण के तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन पर आधारित है।
- कुछ दिन पहले जारी किये गए नए ओडीएफ+ प्रोटोकॉल के अनुसार एक शहर, वार्ड या कार्य क्षेत्र ओडीएफ+ घोषित किया जा सकता है, यदि "दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच और/या मूत्रत्याग न किया जाता हो तथा सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक स्थिति में हों और साथ ही बेहतर ढंग से अनुरक्षित हों।"
- ओडीएफ++ प्रोटोकॉल इस शर्त को जोड़ता है कि "मानव अपशिष्ट गाद/ सेप्टेज और सीवेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाए; नालियों, जल निकायों या खुले क्षेत्रों में अनुपचारित मानव अपशिष्ट गाद/सेप्टेज और सीवेज का कोई निर्वहन और/या डाला जाना न होता हो।"

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

शिथिल पनडुब्बी प्रशिक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में यह देखा गया है कि नौसेना की पनडुब्बी में क्षति नियंत्रण और अग्निशामक के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण के लिये कोई सुविधा मौजूद नहीं है। यह प्रशिक्षण में कमियों की श्रृंखला में से एक है जिस पर लेखा परीक्षक द्वारा ध्यान दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- अप्रैल 2014 में पनडुब्बी के सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये समर्पित स्कूल, INS सातवाहन द्वारा पनडुब्बी मुख्यालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें क्षति नियंत्रण और अग्निशामक के प्रशिक्षण के लिये सिम्युलेटर की आवश्यकता का संकेत किया गया था। लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है।
- इसके परिणामस्वरूप, नौसेना की सुविधाओं के साथ क्षति नियंत्रण और अग्निशामक के लिये सीमित व्यावहारिक प्रशिक्षण ही प्रदान किये जाते हैं, जो जहाज़ की स्थिति पर आधारित होते हैं।
- इस प्रकार, संकटपूर्ण परिस्थितियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की पहचान और बोर्ड द्वारा सिफारिश के बाद इन सुविधाओं की प्राप्ति और स्थापना में अनावश्यक देरी की जा रही है।
- अगस्त 2015 में रूस निर्मित किलो वर्ग की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक के बोर्ड पर विस्फोट के बाद यह मुंबई बंदरगाह में डूब गई थी और 18 नाविक मारे गए थे। अगले वर्ष, आईएनएस सिंधुरत्न के बोर्ड पर आग लगने से दो अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. जोशी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
- भारत के पास पुराने पनडुब्बी बेड़े हैं जिसे 15-20 वर्ष तक सक्रिय रखने के लिये मध्य-जीवन (mid-life) उन्नयन प्रदान किया जा रहा है।
- नौसेना ने पिछले साल दिसंबर में पहली फ्राँसीसी स्कॉर्पीन पनडुब्बी, आईएनएस कलवारी को शामिल किया था। यह लगभग दो दशकों में पहली नई पनडुब्बी की स्थापना है।
- जैसा कि भारत अपने बेड़े में परमाणु पनडुब्बियों को शामिल करता है, ऐसे में भारत में क्षति नियंत्रण एवं अग्निशामक प्रशिक्षण और भी अधिक महत्त्व रखता है।
- स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी (SSBN) आईएनएस अरिहंत को 2016 में शामिल किया गया जो परीक्षण और निर्माण के विभिन्न चरणों में है।
- भारत के पास रूस द्वारा पट्टे पर प्राप्त परमाणु आक्रमण करने वाली पनडुब्बी, आईएनएस चक्र भी मौजूद है।
- इस पृष्ठभूमि में नौसेना यू.के. स्थित फर्म से दो गहरी जलमग्न बचाव पोत प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो समुद्र की गहराई में किसी भी आपदा के मामले में महत्त्वपूर्ण है।
- उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में एज़िमाला में नौसेना अकादमी परियोजना के पूरा होने में देरी को उजागर किया गया है।
- रिपोर्ट में प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के आंतरिक आकलन के परिणाम, इंजन कक्ष देखभाल प्रमाणपत्र और भारित इनपुट-आउटपुट विश्लेषण के साथ प्रशिक्षण में विभिन्न कमियों को उजागर किया गया है।

नोट :

एनजीटी द्वारा ई-कचरे पर तीन महीने में कार्य-योजना की मांग

चर्चा में क्यों ?

यह बताते हुए कि ई-कचरे का वैज्ञानिक निपटान पर्यावरण की सुरक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण कारक है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को तीन महीने के भीतर ई-कचरा प्रबंधन पर एक कार्य-योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ के अनुसार ई-कचरे का उचित निपटान एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
- एनजीटी ने इस संबंध में एमओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमों के प्रवर्तन तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु एक कार्य योजना तैयार करने के लिये निर्देशित किया।
- यह निर्देश उस अवसर पर दिया गया जब एनजीटी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन में सड़कों और नदी के किनारों पर ई-कचरे तथा अन्य ठोस अपशिष्टों के अनधिकृत "पुनर्चक्रण, संग्रह, नष्ट करने, जलाने, बिक्री" के विरुद्ध एक याचिका की सुनवाई कर रहा था।

प्रदूषण का कारण

- याचिका में इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा सीसे के 40% और लैंडफिल में पाए गए सभी भारी धातुओं के 70% के लिये उत्तरदायी है।
- याचिका में यह तर्क भी दिया गया कि ई-कचरा और अन्य ठोस अपशिष्ट के दहन और बिक्री के परिणामस्वरूप भूजल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की स्थिति पैदा हुई।

एनजीटी क्या है ?

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की स्थापना 18 अक्तूबर, 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, व्यक्ति अथवा संपत्ति के नुकसान के लिये अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करने एवं इससे जुड़े हुए मामलों के प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारे के लिये की गई है।
- यह एक विशिष्ट निकाय है, जो पर्यावरण विवादों एवं बहु-अनुशासनिक मामलों को सुविज्ञता से संचालित करने के लिये सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है। अधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण के मामलों को द्रुत गति से निपटाना तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करना है।

क्या है ई-कचरा ?

- कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण तथा टी.वी., वाशिंग मशीन तथा फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण (इन्हें White Goods कहा जाता है) और कैमरे, मोबाइल फोन तथा उससे जुड़े अन्य उत्पाद जब चलन/उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें संयुक्त रूप से ई-कचरे की संज्ञा दी जाती है।
- ट्यूबलाइट, बल्ब, सीएफएल जैसी चीज़ें जिन्हें हम रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, उनमें भी पारे जैसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जो इनके बेकार हो जाने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
- इस कचरे के साथ स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी चुनौतियाँ तो जुड़ी हैं ही, लेकिन साथ ही चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसने घरेलू उद्योग का स्वरूप ले लिया है और घरों में इसके निस्तारण का काम बड़े पैमाने पर होने लगा है।
- चीन में प्रतिवर्ष लगभग 61 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न होता है और अमेरिका में लगभग 72 लाख टन तथा पूरी दुनिया में कुल 488 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न हो रहा है।

नोट :

राजद्रोह पर पुनर्विचार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विधि आयोग ने राजद्रोह के संबंध में एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया है जिसमें देशद्रोह के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने को कहा गया है।

प्रमुख बिंदु

- विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में कहा है कि एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार के प्रति असहमति और उसकी आलोचना सार्वजनिक बहस का प्रमुख तत्त्व है।
- इस संदर्भ में आयोग ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, जिसके अंतर्गत राजद्रोह का प्रावधान किया गया है, पर पुन: विचार करने या रद्द करने का समय आ गया है।
- आयोग ने इस बात पर विचार करते हुए कि मुक्त वाक् एवं अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक आवश्यक घटक है, के साथ "धारा 124A को हटाने या पुनर्परिभाषित करने के लिये सार्वजनिक राय आमंत्रित की है।
- पत्र में कहा गया है कि भारत को राजद्रोह के कानून को क्यों बरकरार रखना चाहिये जबकि इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने भारतीयों के दमन के लिये की थी और उन्होंने अपने देश में इस कानून को समाप्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राजद्रोह के तहत तीन वर्ष से लेकर राजद्रोह का प्रावधान किया गया है।
- इस तरह आयोग ने कहा कि राज्य की कार्रवाईयों के लिये असहमति की अभिव्यक्ति को राजद्रोह के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- एक ऐसा विचार जो कि सरकार की नीतियों के अनुरूप नहीं है, की अभिव्यक्ति मात्र से व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। गौरतलब है कि अपने इतिहास की आलोचना करने और प्रतिकार करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित है।
- राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन इसका दुरपयोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिये।
- आयोग ने कहा कि लोकतंत्र में एक ही पुस्तक से गीतों का गायन देशभक्ति का मापदंड नहीं है। लोगों को उनके अनुसार देशभक्ति को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिये।
- अनुचित प्रतिबंधों से बचने के लिये मुक्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को सावधानी पूर्वक जाँच करनी चाहिये।
- किंतु आयोग ने कहा है कि यदि न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में सज़ा का प्रावधान है तो सरकार की अवमानना के संदर्भ में क्यों नहीं होना चाहिये ?

नोट :

विविध

पार्किंसन रोग

- पार्किंसन रोग एक तंत्रिका संबंधी चिरकालिक (chronic) और डीजेनेरेटिव न्यूरोलोजिकल विकार है, जो शरीर की तंत्रिका प्रणाली को प्रभावित करता है और अक्सर थरथराहट और अन्य संचलन संबंधी कठिनाइयों का कारण बनता है। विश्वभर में लगभग 10 मिलियन लोग इस विकार से ग्रसित हैं।
- जापान में शोधकर्त्ताओं की एक टीम ने मस्तिष्क में स्टेम कोशिकाओं को इंजेक्ट करके पार्किंसन रोग के इलाज हेतु पहला मानव परीक्षण करने की अपनी योजना की घोषणा की है। यह परीक्षण बंदरों पर पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न किया जा चुका है।
- पार्किंसन से ग्रस्त बंदरों में आईपीएस सेल (induced Pluripotent Stem -iPS) के इंजेक्शन के बाद प्रभावी गतिशीलता हासिल करने के बाद इसकी घोषणा की गई।

आईपीएस कोशिकाएं (Induced Pluripotent Stem -iPS) cells

- आईपीएस सेल प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, अर्थात् ये मानव शरीर में कोई भी सेल बनाने में सक्षम होती हैं तथा एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल (embryonic stems cell) की भांति व्यवहार करती हैं।
- ये वयस्क सेल की पुन: प्रोग्रामिंग द्वारा उत्पन्न होती हैं।
- स्टेम सेल में प्रारंभिक जीवन और विकास के दौरान शरीर में कई अलग-अलग प्रकार की सेल के रूप में विकसित होने की उल्लेखनीय क्षमता होती है।
- जब एक स्टेम सेल विभाजित होती है, तो प्रत्येक नए सेल में या तो स्टेम सेल के रूप में बने रहने अथवा कुछ विशिष्ट गुणों (माँसपेशी सेल, लाल रक्त कोशिका अथवा सेल या फिर मस्तिष्क सेल) के साथ अन्य नए सेल के रूप में विकसित होने की संभावना होती है।
- आईपीएस सेल स्वयं नवीनीकरण में सक्षम होती हैं तथाअतिरिक्त प्लेसेंटा जैसे अतिरिक्त भ्रूण ऊतकों में कोशिकाओं को छोड़करशरीर के सभी सेल प्रकारों में अंतर कर सकती हैं।
- यह क्षमता चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिये आवश्यक किसी भी प्रकार के मानव कोशिका के असीमित स्रोत के विकास को सक्षम बनाता है।

धंगर: एक नोमाडिक जनजाति

- धंगर (Dhangar) समुदाय द्वारा यह दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में धंगर के नाम से प्रसिद्ध यह समुदाय, देश के अन्य भागों में 'ढांगद' (Dhangad) कहलाने वाले समुदाय (अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध)का ही भाग हैं।
- वर्तमान में महाराष्ट्र में धंगर को विमुक्त जाति और नोमाडिक जनजाति (Vimukta Jati and Nomadic Tribes -VJNT) की सूची में शामिल किया जाता है। हालाँकि, पिछले कई दशकों से इस समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के दर्जे की मांग की जा रही हैं।
- यह एक चरवाहा समुदाय (महाराष्ट्र की कुल आबादी का 9%) है जो अधिकतर पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में निवास करता है।

मध्य प्रदेश की उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 'उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना' लागू करने की घोषणा की।

- इस योजना के तहत प्याज और लहसुन की फसल हेतु प्रति क्विंटल क्रमश: 400 और 800 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- प्रोत्साहन राशि का निर्धारण बोए गए क्षेत्र के सत्यापित रकबे और निर्धारित औसत उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- इस धनराशि को सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार, इस योजना पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।

नोट :

- कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने कृषक समृद्धि योजना के अधीन गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, प्याज, लहसुन, और मूंग की फसल पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी।
- पिछले कुछ समय में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना, कृषक समृद्धि योजना और कृषि ऋण समाधान योजना जैसे कई किसान हितैषी कदम उठाए गए हैं।

भारतीय मूल के गणितज्ञ ने जीता फ़ील्ड्स मेडल

- अक्षय वेंकटेश (एक प्रसिद्ध भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ) सहित चार अन्य गणित के विशेषज्ञों को गणित का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले फ़ील्ड्स मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- उन्हें गणित के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण तथा बेहद दूरगामी अनुमानों के लिये विशिष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया है।
- तीन अन्य विजेताओं में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौचर बिरकर, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एलिसो फिगाली और बोन यूनिवर्सिटी के पीटर स्कूल्ज हैं।

फ़ील्ड्स मेडल

- 40 साल से कम उम्र के सबसे उदीयमान गणितज्ञों को हर चार साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा फ़ील्ड्स मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ, गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है।
- 1932 में कनाडाई गणितज्ञ जॉन चार्ल्स फ़ील्ड्स के अनुरोध पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी।
- इस पुरस्कार के प्रत्येक विजेता को 15,000 कनाडाई डॉलर का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

कार्किडाका वावु बाली (Karkidaka Vavu Bali)

- कार्किडाका वावु बाली, केरल में हिंदुओं द्वारा अपने मृत पूर्वजों का सम्मान करने के लिये किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। हर साल कारकिदाकम (Karkidakam) यानी जुलाई से अगस्त के बीच (मलयालम कैलेंडर का आखिरी महीना) अमावस्या के दिन इस अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है।
- इस अनुष्ठान समारोह को वावु बाली के नाम से जाना जाता है।

जीआई लोगो टैगलाइन (GI Logo, Tagline)

- भारत सरकार ने देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों (intellectual property rights - IPRs) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये भौगोलिक संकेतकों (Geographical Indications - GI) हेतु एक लोगो और टैगलाइन लॉन्च की है।
- प्राथमिक रूप से जीआई उत्पाद एक कृषिगत, प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) होता है, जिसका उत्पादन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किया जाता है।
- इस तरह का टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो विशेष रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र अथवा देश में इसकी उत्पत्ति से संबद्ध होता है।
- औद्योगिक संपत्ति और व्यापार के संरक्षण से संबंधित ट्रिप्स (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) द्वारा पेरिस समझौते के अंतर्गत भौगोलिक संकेतकों को आईपीआर के तत्त्व के रूप में शामिल किया गया है।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य के रूप में भारत द्वारा सितंबर 2003 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम [Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act], 1999 को अधिनियमित किया गया।

नोट :

सौर चरखा मिशन

सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रम (MSME) मंत्रालय द्वारा 27 जून, 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर सौर चरखा मिशन की शुरुआत की गई।

- यह मिशन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्त करेगा। इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके लिये एमएसएमई मंत्रालय कारीगारों में 550 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित करेगा।
- इस योजना से लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा।

पावर टेक्स इंडिया

- पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार एक एकीकृत योजना 'पावर टेक्स इंडिया' लागू कर रही है।
- भारत पूरे विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- इस योजना के तहत गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिये पावरलूमों का उन्नयन अर्द्ध-स्वचालित और शटललैस इकाइयों के रूप में किया जा रहा है।
- उन्नयन के लिये इन इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 2.16 लाख पावरलूमों का उन्नयन किया जा चुका है।
- संशोधित प्राद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Amended Technology Upgradation Funds Scheme - ATUFS) के तहत एक एकीकृत ATUFS साफ्टवेयर का विकास किया गया है।
- इस साफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी इकाइयाँ सीधे तौर पर अपने अनुप्रयोग अपलोड कर सकती हैं। ये इकाइयाँ प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति को देख सकती हैं।

संशोधित प्राद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

- सरकार ने वस्त्र और जूट उद्योग के उन्नयन के लिये 1 जनवरी, 1999 को 5 साल की अवधि के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) शुरु की थी जिससे किसानों को ब्याज वापसी प्रतिपूर्ति/ मूलधन में रियायत की सुविधा दी जानी थी

सरकार ने वस्त्र उद्योग में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिये संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष को मंज़ूरी दी है। इस पहल से इस क्षेत्र में रोज़गार के सृजन के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। संशोधित योजना से वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा मिलेगा।

साथी पहल

- वस्त्र एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पावरलूम सेक्टर में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और लागत में बचत करने हेतु साथी पहल (SAATHI- Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help Small Industries) के संदर्भ में संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया है।
- ईईएसएल (Energy Efficiency Services Limited - EESL), विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है जो कि पुराने अक्षम विद्युत मोटरों को नए ऊर्जा कुशलता वाले विद्युत् मोटरों से प्रतिस्थापित करेगी। इससे योजना के पहले चरण में ऊर्जा लागत के रूप में कम-से-कम 10-15% तक की बचत होने की उम्मीद है।

डल झील का संरक्षण

- हाल ही में किये गए एक आकलन के मुताबिक, डल झील का आकार 22 वर्ग किलोमीटर के अपने मूल क्षेत्र की तुलना में लगभग 10 वर्ग किमी तक सिमट गया है।
- अनुपचारित सीवेज और झील में बहने वाले ठोस अपशिष्टों के कारण झील में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है जिसके कारण इसकी जल गुणवत्ता काफी खराब हो गई है।
- कई जगहों पर झील की गहराई में भी कमी आई है और इसकी कुल जल धारण क्षमता 40% तक कम हो गई है।
- डल झील पर चलने वाले हाउसबोट के कारण भी इसके जल की गुणवत्ता प्रभावित होती हैं।

नोट :

डल झील

- डल झील को 'श्रीनगर का गहना' या 'कश्मीर का मुकुट' भी कहा जाता है। डल झील श्रीनगर, कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है।
- 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई यह झील तीन दिशाओं से शंकराचार्य पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू-कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
- जम्मू-कश्मीर में ही स्थित वूलर झील, जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ भारत की भी सबसे बड़ी झील है। इसके चार प्रमुख जलाशय हैं गगरीबल, लोकुट डल, बोड डल तथा नागिन।

एप्पल : ऐतिहासिक $ 1 ट्रिलियन के मार्केट कैप पर

- ऐप्पल इंक $ 1 ट्रिलियन पूंजी के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध यू.एस. की पहली कंपनी बन गया है, अपने लोकप्रिय आईफोन के माध्यम से एप्पल इंक ने यह उपलब्धि हासिल है।
- बाजार पूंजीकरण अर्थात् मार्केट कैप (Market capitalization - Market Cap) वर्तमान शेयर मूल्य और बकाया स्टॉक की कुल संख्या के आधार पर किया गया किसी कंपनी का सकल मूल्यांकन होता है।
- इसकी गणना कंपनी के कुल बकाया शेयरों के साथ कंपनी के शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य की गुणा करके की जाती है।

मध्यस्थता प्रकोष्ठ

केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (सीपीसीआर) 2005 में प्रद्त अधिकारों के आधार पर एनसीपीसीआर को एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ गठन करने का निर्देश दिया है। विवाह विवाद में एक पक्ष दूसरे पक्ष को बिना बताए बच्चे को लेकर चले जाते हैं या भारत में विदेश से घरेलू हिंसा होती है या भारत से विदेश में घरेलू हिंसा की जाती है-ऐसे मामलों के समाधान के लिये मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ बच्चे के सर्वोच्च हितों का ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी और अभिभावक योजना तैयार करेगी।

एनसीपीसीआर में मध्यस्थता प्रकोष्ठ की संरचना निम्न होगी-

1. एनसीपीसीआर के चेयरमैन - चेयरमैन
2. एनसीपीसीआर सदस्य (बच्चों के अधिकार) – सदस्य
3. एनसीपीसीआर सदस्य (बच्चों का मनोविज्ञान – समाजशास्त्र) – सदस्य

- इन मामलों से संबंधित सभी विवादों पर महिला व बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत नोडल एजेंसी (आईएनए) विचार करेगी, जिसका गठन 20 दिसंबर 2017 को किया गया था।
- महिला व बाल विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अभिभावक या माता-पिता एकीकृत नोडल एजेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बच्चे या बच्चे के संरक्षक को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आईएनए का गठन एनआरआई विवादों का समाधान करने के लिये किया गया है। इस प्रकार आईएनए की कार्यसीमा में विस्तार हुआ है।
- मध्यस्थता प्रकोष्ठ बच्चे के हितों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक योजना बनाएगा और अपनी रिपोर्ट आईएनए को सौंपेगा। आईएनए आदेश जारी करेगा। आईएनए के आदेश को न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।
- इस प्रक्रिया का उद्देश्य स्थिति का संपूर्ण आंकलन करना है और बच्चे के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक योजना तैयार करना है।

ई-पशुधन हाट योजना

- सरकार ने स्वदेशी नस्लों के प्रजनकों और किसानों को जोड़ने के लिये ई-पशुधन हाट पोर्टल लॉन्च किया है।
- यह पोर्टल किसानों को उन सभी स्रोतों के बारे में जानकारी देगा जहाँ से वे हिमित वीर्य, भ्रूण तथा जीवित पशु, पशुधन प्रमाणन के साथ प्राप्त कर सकते हैं।
- यह पोर्टल स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- यह बोवाइन उत्पादकता पर राष्ट्रीय मिशन की योजना के तहत शुरू किया गया है।

नोट :

आवश्यकता

- भारत में दुनिया की सबसे बड़ी बोवाइन आबादी है।
- देशी बोवाइन नस्लें उष्मा साध्य हैं तथा रोग और चिचड़ा प्रतिरोधी हैं। यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में अच्छी तरह से रह लेती हैं। कुछ नस्लों में ईष्टतम पोषण तथा फार्म प्रबंधन परिस्थितियों में अत्यंत उत्पादक होने की क्षमता है।
- कुछ नस्लों में चुनिंदा आनुवंशिक प्रजनन के साथ इष्टतम पोषण और कृषि प्रबंधन स्थितियों के तहत अत्यधिक उत्पादक होने की संभावना है।
- डेयरी व्यवसाय किसानों के लिये अनुपूरक आय का एक प्रमुख स्रोत है। तथापि, भारतीय फार्म प्रबंधन प्रणाली विशिष्ट रूप से कम उत्पादकता के साथ कम आदान, कम उत्पादन प्रणाली है।
- पशु व्यापार बाज़ार में कमियाँ:
  1. कोई प्रमाणिक संगठित बाज़ार नहीं।
  2. उच्च आनुवंशिक गुणता वाले रोगमुक्त जर्मप्लाज्म को प्राप्त करना मुश्किल।
  3. अन्य कुप्रथाओं में पशुओं को दूध का उत्पादन बढाने के लिये विशेष आहार देना, उनके सींग हटाना तथा आयु के बारे में गलत जानकारी देने के लिए दाँतों को भरना शामिल है।
  4. पता लगाने और ट्रैकिंग की कमी के कारण भ्रामक मूल्यांकन।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

- सरकार ने 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का शुभारंभ किया था और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल विपणन कंपनियों जैसे-आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के देश भर में फैले वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से इसे लागू कर रहा है।
- पीएमयूवाई के माध्यम से प्रारंभ में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को 31 मार्च, 2019 तक बिना किसी जमा राशि के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।
- पीएमयूवाई का लक्ष्य गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है, इससे इन परिवारों को इनडोर (अंतरीय) वायु प्रदूषण से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य खतरों से निजात मिली है और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आया है।
- इस योजना के अंतर्गत कनेक्शन, परिवारों के नाम पर जारी किये जाते हैं।
- यह योजना प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिये 1600 रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सूची -2011 के आधार पर की गई है और ऐसे मामलों में जहाँ नाम एसईसीसी सूची के तहत शामिल नहीं हैं उन लाभार्थियों की पहचान सात श्रेणियों के आधार पर की जाती है-
  1. एससी/एसटी, पीएमएवाई (ग्रामीण) के लाभार्थी
  2. अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी
  3. सबसे पिछड़ा वर्ग
  4. वन निवासी
  5. द्वीप समूह के निवासियों
  6. चाय बागान और पूर्व-चाय बागान जनजातियाँ
  7. नदी द्वीपों में रहने वाले लोग।

उच्च शिक्षा के लिये विद्या लक्ष्मी पोर्टल

विद्या लक्ष्मी पोर्टल 2015 में भारत सरकार द्वारा गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था ताकि धन की किसी भी बाधा के बिना छात्र अपनी पसंद की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

प्रमुख बिंदु

- विद्या लक्ष्मी पोर्टल शैक्षणिक ऋण की मांग करने वाले छात्रों के लिये अपनी तरह का एक अलग पोर्टल है।

नोट :

- इस पोर्टल को नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड की ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (NSDL-eGov) ने वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की मदद से बनाया है।
- छात्र पोर्टल के डैशबोर्ड तक पहुँचकर 24 घंटे बैंकों को किये गए आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- यह सरकारी छात्रवृत्ति और बैंकों द्वारा प्रदान किये गए शैक्षणिक ऋण के आवेदन और वितरण के लिये एकल खिड़की तंत्र प्रदान करता है।
- यह एक छत के नीचे शैक्षिक ऋण प्रदान करने वाले सभी बैंकों को लाने की भी कल्पना करता है।

आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता में सबसे आगे

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों की ऊर्जा दक्षता तत्परता सूचकांक (SEEPI) के अनुसार, आंध्र प्रदेश ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।
- विश्व बैंक ने पहले ही ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन उपायों में आंध्र प्रदेश को नंबर 1 स्थान दिया है, इसके बाद केरल, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र का स्थान आता है।
- आंध्र प्रदेश, नगर पालिकाओं में ऊर्जा दक्षता, कृषि मांग पक्ष में प्रबंधन तथा घरेलू एवं बिल्डिंग सेक्टर के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करके शीर्ष स्थान की दौड़ में अन्य राज्यों से आगे है।

भारतीय स्टार कछुआ

- 1,125 लुप्तप्राय भारतीय स्टार कछुए (Geochelone Elegana), जिन्हें तस्करी द्वारा बांग्लादेश ले जाया जा रहा था, को सिटी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में जब्त किया गया है।
- इंडियन स्टार टोर्टोइज (Indian Star Tortoise) को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर (IUCN) की लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची में 'अतिसंवेदनशील' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह प्रजाति वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में भी सूचीबद्ध है और विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के लिये प्रतिबंधित है।
- यह प्रजाति सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जब्ती के अधीन है।
- भारतीय स्टार कछुए भौगोलिक घटना के तीन व्यापक क्षेत्रों में पाए जाते हैं: उत्तर-पश्चिम भारत (गुजरात, राजस्थान) और आसपास के दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान, तमिलनाडु के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी कर्नाटक से ओडिशा तथा संपूर्ण श्रीलंका।
- 'विदेशों में पालतू जानवर' के रूप में उपयोग के लिये बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिये इन प्रजातियों का अवैध व्यापार किया जाता है।

प्रोजेक्ट मौसम

प्रोजेक्ट मौसम भारतीय संस्कृति मंत्रालय की एक परियोजना है जिसे सहयोगी निकायों के रूप में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India - ASI) एवं राष्ट्रीय संग्राहलय की सहायता से नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts - IGNCA), नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बहुआयामी हिन्द महासागर के संबंध में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसन्धान करना है ताकि विविधता से भरे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक अंतर्संबंधों को उजागर किया जा सकें।
- इसका उद्देश्य समुद्री मार्गों के अध्ययन से संबंधित विषयों पर शोध कार्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची हेतु ट्रांस-नेशनल नामांकन के रूप में प्रोजेक्ट मौसम के तहत स्थानों एवं स्थलों की पहचान करना भी है।
- मानसून पद्धतियों, सांस्कृतिक मार्गों तथा समुद्री परिदृश्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रोजेक्ट मौसम के अंतर्गत उन सभी प्रक्रियाओं और परिदृश्यों की जांच की जा रही है जो हिन्द महासागर तट के विभिन्न भागों के साथ-साथ उन भागों को भी जोड़ती है जो समुद्री तटक्षेत्र से जुड़े हुए है।

नोट :

- व्यापक अर्थ में प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य यह समझना है कि मानसून हवाओं के ज्ञान और चालन ने हिन्द महासागर की संस्कृति को पारस्परिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है। साथ ही यह भी पता लगाना है कि समुद्री मार्गों पर सहभागी ज्ञान प्रणालियों, परम्पराओं, प्रौद्योगिकियों तथा विचारों का क्या प्रभाव हुआ है।

  प्रोजेक्ट मौसम का प्रयास दो स्तरों पर स्वयं को अवस्थित करना है –

  1. वृहद् स्तर पर इसका लक्ष्य हिन्द महासागर के भूभाग के देशों के बीच संचार को जोड़ना और फिर से स्थापित करना है जिससे इन देशों के मध्य सांस्कृतिक मूल्यों और सरोकारों की बेहतर समझ विकसित हो सकें।
  2. सूक्ष्म स्तर पर इसका ध्यान इन देशों के क्षेत्रीय समुद्री वातावरण में राष्ट्रीय संवर्द्धन को समझना और प्रोत्साहित करना है।

इंटरनेट आधारित विज्ञान चैनल

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के मार्गदर्शन में विज्ञान प्रसार ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रदर्शित करने के लिये एक इंटरनेट आधारित विज्ञान चैनल (indiascience.in) लॉन्च किया है।

- चैनल में विषय-आधारित कार्यक्रमों की एक लाइब्रेरी होगी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित हर रोज लाइव सामग्री उपलब्ध होगी।
- यह भारत में विज्ञान को दर्शकों के लिये सुलभ बनाने की कल्पना करता है।
- इसमें एक द्विभाषी चैनल (हिंदी और अंग्रेज़ी) होगा जो निर्धारित प्रोग्रामिंग के साथ-साथ वीडियो-ऑन-डिमांड सुविधा प्रदान करेगा।
- इसमें इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सहित "संपूर्ण परिदृश्य" स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, पर्यावरण और वन्यजीवन, कृषि शामिल होगा।
- यह मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के योगदान पर ध्यान केंद्रित करेगा और दुनिया भर से नवीनतम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्य भी शामिल करेगा।

मैत्री 2018

- भारतीय सेना व रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 6 से 19 अगस्त, 2018 के दौरान आयोजित किया जाएगा। आतंकवाद का सामना करने के लिये यह युद्ध अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है।
- मैत्री 2018 प्लाटून स्तरीय युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य आंतकवाद विरोधी ऑपरेशन में रणनीतिक व तकनीकी कुशलता में वृद्धि करना है।
- इस दौरान दोनों सेनाएँ संयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, इसके अलावा वे योजनाबद्ध रूप से ऑपरेशन का क्रियान्वयन करेंगी।
- इस दौरान दोनों पक्ष के रक्षा विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा।
- भारत ने थाईलैंड द्वारा आयोजित कोबरा गोल्ड 2016 बहुपक्षीय उभयचर अभ्यास में भाग लिया है।
- 2005 से हिंद महासागर क्षेत्र में रॉयल थाईलैंड नौसेना और भारतीय नौसेना मिलकर इस समन्वयक गश्ती (CORPAT) प्रक्रिया में भाग ले रही है।

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति तथा सतीश काशीनाथ मराठे

केंद्र सरकार ने सतीश काशीनाथ मराठे और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन नियुक्तियों के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के बोर्ड में निदेशकों कि संख्या 10 हो गई है।

- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अनुसार, इनकी नियुक्ति चार साल की अवधि या "आगे के आदेश तक" के लिये की गई हैं।
- नियुक्ति प्रस्तावों को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा भेजा गया था, जो वित्त मंत्रालय के अधीन है।

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति

- गुरुमूर्ति स्वदेशी जागरण मंच के सह-संयोजक हैं।
- वह एक अर्थशास्त्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों के टिप्पणीकार भी हैं।

नोट :

सतीश काशीनाथ मराठे

- मराठे सहकार भारती नामक गैर सरकारी संगठन के संस्थापक हैं तथा बैंकिंग के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है।
- मराठे ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम शुरू किया तथा बाद में द यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष बनें।
- सितंबर 1991 में उन्हें जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड के चीफ एक्ज़ीक्यूटीव ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया।

डीएनडी 2.0 और मॉयकॉल का उमंग प्लेटफार्म के साथ एकीकरण

ट्राई ने उपभोक्ताओं तक पहुँच के महत्व को देखते हुए तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से संस्था के मोबाइल एप्प -डीएनडी 2.0 और मॉयकॉल को उमंग प्लेटफार्म के साथ जोड़ दिया है।

ट्राई मॉय-कॉल एप्प

- ट्राई मॉय-कॉल एप्प मोबाइल कॉल की गुणवत्ता पर निगरानी करने के लिये लोगों के सहयोग पर आधारित एक सहज और उपभोक्ता के लिये आसान प्रणाली है।
- यह एप्लीकेशन उपभोक्ताओं को मोबाइल कॉल की गुणवत्ता के बारे में उनके अनुभव को उसी समय साझा करने का अवसर उपलब्ध कराता है और उपभोक्ताओं के अनुभव और नेटवर्क के आंकड़े जुटाने में ट्राई की मदद करता है।

डीएनडी 2.0 एप्प

- डीएनडी (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सेवा देने वाला एप्प स्मार्ट फोन के उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर डीएनडी में पंजीकृत करने और अवांछित कॉलों और संदेशों की शिकायत करने की सुविधा देता है ताकि अवांछित काल्स और टेलीमार्केटिंग काल्स और संदेशों की शिकायत की जा सके।

जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता

- 'जल बचाओ, वीडियो बनाओ, पुरस्कार पाओ' की शुरूआत मंत्रालय ने भारत सरकार के माय-गव पोर्टल के सहयोग से किया था।
- इसका उद्देश्य लोगों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रतियोगिता में कोई भी भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकता है।
- इस प्रतियोगिता कि शुरुआत 10 जुलाई, 2018 को की गई थी।
- इसके तहत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने देशवासियों से जल संरक्षण, आदर्श जल उपयोग, जल संसाधन विकास और प्रबंधन के विषय में किये जाने वाले प्रयासों, महत्वपूर्ण योगदानों और उत्तम व्यवहारों पर वीडियो बनाकर अपलोडकरने की अपील की थी।

तीसरा ब्रिक्स फिल्म समारोह

चर्चा में क्यों ?

तीसरा ब्रिक्स फिल्म समारोह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में अंतर्राष्ट्रीय डरबन फिल्म समारोह (DIFF) के साथ 22-27 जुलाई, 2018 को संपन्न हुआ। समारोह के समापन दिवस को भारत दिवस के रूप में मनाया गया।

ब्रिक्स फिल्म समारोह के बारे में

- फिल्म समारोह का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के विश्व स्तरीय फिल्म निर्माण को उत्सव के रूप में मनाना है तथा इन देशों के बीच फिल्म के क्षेत्र में अधिक सहयोग को प्रेरित करना है।
- समारोह में स्पर्द्धा श्रेणी में प्रत्येक देश की दो फीचर फिल्में दिखाई गईं और गैर-स्पर्द्धा श्रेणी में तीन फीचर फिल्में दिखाई गईं। समारोह में कुल 24 फिल्में दिखाई गईं।
- स्पर्द्धा श्रेणी में फिल्मों ने गोल्डन राइनो पुरस्कार के लिये स्पर्द्धा में हिस्सा लिया।

नोट :

पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्में

- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: भनिता दास, विलेज रॉक स्टार्स
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म: अमित मासुरकर की न्यूटन
- विशेष ज्यूरी पुरस्कार: रीमा दास की विलेज रॉक स्टार्स

समारोह के दौरान दिखाई गई भारतीय फिल्में

- स्पर्द्धा वर्ग में
  - अमित मासुरकर की न्यूटन
  - रीमा दास की विलेज रॉक स्टार्स
- गैर-स्पर्द्धा वर्ग में
  - संदीप पमपल्ली की सींजर
  - जयराज की भयानकम

'निर्यात मित्र' मोबाइल एप

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में 'निर्यात मित्र' मोबाइल एप जारी किया।
- भारतीय निर्यातक महासंघ (एफआईईओ) द्वारा विकसित यह एप एंड्राइड और आईओसी प्लेटफॉर्म वाले सभी मोबाइल फोन पर उपलब्ध है।
- इसके जरिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की जा सकती है।
- इसमें आयात-निर्यात से जुड़ी नीतियाँ, जीएसटी की दरें, निर्यात के लिये मिलने वाली रियायतें, शुल्क तथा बाज़ारों तक पहुँचने के लिये आवश्यक निर्देश शामिल हैं।
- इसमें 87 देशों के डाटा को शामिल किया गया है।
- इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टैरिफ से जुड़ी सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं।

हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति पद हेतु निर्वाचित

- राज्यसभा उपसभापति पद के लिये हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को जीत मिली है।
- हरिवंश के नाम हेतु जदयू के आर.सी.पी. सिंह, भाजपा के अमित शाह, शिव सेना के संजय राउत और अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा ने प्रस्ताव किया था।
- प्रस्तुत प्रस्तावों पर मत विभाजन के बाद सभापति नायडू ने हरिवंश को उपसभापति निर्वाचित घोषित किया।
- उल्लेखनीय है कि कॉन्ग्रेस सदस्य पी.जे. कुरियन के पिछले महीने सेवानिवृत्त होने के बाद उपसभापति का पद खाली हुआ था।

कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व यूनेस्को की वैश्विक सूची में शामिल

- भारत के कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व को दुनिया के उच्चतम पारिस्थितिक तंत्रों में से एक यूनेस्को की विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व(डब्ल्यूएनबीआर)की सूची में जोड़ा गया है।
- सिक्किम में स्थित कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व एक राष्ट्रीय उद्यान भी है।
- यूनेस्को ने अपने 30वें सत्र में विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व में शामिल करने के लिये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व को नामित किया था, यह सत्र इंडोनेशिया के पालेम्बैंग में 23-27 जुलाई, 2018 को आयोजित किया गया था।
- इस सूची में शामिल अन्य भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदादेवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अंचनकमार-अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और अगस्त्यमाला हैं।
- उल्लेखनीय है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व भारत का 11वाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित डब्लूएनबीआर होगा।
- भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 11 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूएनबीआर हेतु नामित किया गया है।

नोट :

वैश्विक नवाचार सूचकांक 'जीआईआई-2018' को भारत में लॉन्च किया गया

- नीति आयोग ने जीआईआई में शीर्ष 10 रैंक के लिये रोडमैप तैयार करने हेतु सीआईआई के साथ हाथ मिलाया है।
- नीति आयोग के प्रधान सलाहकार एवं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव श्री रतन पी.वटल ने 08 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 को भारत में लॉन्च किया।
- इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के सहयोग से किया गया।
- भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में वर्ष 2017 के 60वें पायदान से चढ़कर वर्ष 2018 में 57वें पायदान पर पहुँच गया है।
- भारत पिछले दो वर्षों से जीआईआई में अपनी रैंकिंग में निरंतर सुधार कर रहा है।

विश्व जैव-ईंधन दिवस-2018

- 10 अगस्त 2018 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विश्व जैव-ईंधन दिवस का आयोजन किया गया।
- परंपरागत जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के तौर पर गैर-जीवाश्म ईंधनों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकार द्वारा जैव-ईंधन के क्षेत्र में की गयी पहलों को दर्शाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव-ईंधन दिवस आयोजित किया जाता है।
- पिछले तीन वर्षों से तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय विश्व जैव-ईंधन दिवस का आयोजन कर रहा है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे और उनके साथ इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री सम्मिलित हुए।
- उद्घाटन सत्र के बाद एथेनोल, जैव-डीजल, जैव-सीएनजी एवं दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधनों पर एक संवादात्मक सत्र अलग से आयोजित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि जैव-ईंधन कार्यक्रम भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया', स्वच्छ भारत और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाओं के साथ भी सुसंगत है।

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ज़ेडबीएनएफ)

- शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ज़ेडबीएनएफ) प्राकृतिक खेती विधियों के एक सेट को संदर्भित करती है, जहाँ फसलों की बुवाई और कटाई शून्य लागत प्रभावी ढंग से की जाती है।
- यह किसी भी उर्वरक, कीटनाशक या अन्य विदेशज तत्त्व को फसल और भूमि में उपयोग किये बिना प्राकृतिक रूप से फसलों की वृद्धि में विश्वास करती है।
- हाल ही में आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ज़ेडबीएनएफ में रुचि दिखाई है और संबंधित राज्यों में इस परियोजना को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
- भारत की बढ़ती खाद्य ज़रूरतों को देखते हुए ज़ेडबीएनएफ, देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये एक सही कदम है।

लाभ

- यह प्रणाली मिट्टी और जल प्रदूषण संबंधी खतरे की जाँच करेगी और फसलों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।
- यह खेती की शुरुआती लागत को कम करेगी जो अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय को दोगुना करने हेतु सरकार के प्रयासों की मदद करेगी।
- यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में योगदान देगी।
- इससे कृषि से प्राप्त जीडीपी के भाग में वृद्धि होगी।
- यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकती है।
- यह छुपे हुए भूख की समस्या को हल करेगा क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से उत्पादित फसलें सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से समृद्ध होगी।

नोट :

एकल खिड़की हब 'परिवेश' लॉन्च (PARIVESH: Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub)

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'विश्व जैव ईंधन दिवस' के अवसर पर 'परिवेश' को लॉन्च किया है।
- 'परिवेश' एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिये एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को विकसित किया गया है।
- इसमें न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की भावना को भी शामिल किया गया है।
- परिवेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के ई-शासन के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया है।
- परिवेश के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय, नियामक न होकर एक सुविधा प्रदान करने वाला मंत्रालय हो गया है।
- केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिये (पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र स्वीकृतियाँ) आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।
- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी), नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रणाली को डिज़ाइन और विकसित किया है।
- 'परिवेश' की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिये एकल पंजीयन है।

जम्मू और त्रिपुरा में स्थापित होगा स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर

- पीएमओ ने घोषणा की है कि जम्मू में उत्तर भारत का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थापित होगा और यह केंद्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के अधीन काम करेगा।
- जम्मू के अलावा उत्तर पूर्व के त्रिपुरा में भी स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर खोला जाएगा तथा वहाँ यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) अगरतला के अधीन काम करेगा।
- यह अनुसंधान केंद्र उन विद्वानों और युवाओं के लिये अवसर उपलब्ध कराएगा, जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रूचि रखते हैं।
- इन केंद्रों की स्थापना की घोषणा इसरो के वर्षभर चलने वाले 'साराभाई शताब्दी' कार्यक्रमों की शुरुआत और विक्रम साराभाई की 99वीं जयंती के अवसर पर की गई।
- ध्यातव्य है कि डॉ. विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक थे।

वीएस नायपॉल

- भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता विद्याधर सूरजप्रसाद नायपॉल, जो उपनिवेशवाद, धर्म और राजनीति पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी के लिये जाने जाते थे, का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- उनका जन्म 17 अगस्त, 1932 को त्रिनिदाद के चगवानस में हुआ था।
- उनका पहला उपन्यास 'द मिस्टिक मैसर' (The Mystic Masseur) था जो वर्ष 1951 में प्रकाशित हुआ था।
- उनकी चर्चित कृतियों में 'ए बेंड इन द रिवर' और 'ए हाउस फ़ॉर मिस्टर बिस्वास' शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 'ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास' को लिखने में उन्हें तीन वर्ष से अधिक का समय लगा था।
- नायपॉल को वर्ष 1971 में बुकर प्राइज़ ('इन अ फ्री स्टेट' किताब के लिये) और वर्ष 2001 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उनको 'मास्टर ऑफ इंग्लिश' भी कहा जाता है।

पार्कर सोलर प्रोब

नासा ने सूर्य का नजदीकी अध्ययन करने वाले पहले मिशन के तहत पार्कर सोलर प्रोब को सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया है।

- पार्कर सोलर प्रोब को डेल्टा -4 नामक हैवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
- पिछला निकटतम प्रोब हेलियोस-2 था, जो वर्ष 1976 में लॉन्च किया गया था।

नोट :

- इस यान का नाम पहले सोलर प्रोब प्लस था, जिसे 2017 में बदलकर खगोलशात्री ड्यूजिन पार्कर के नाम पर पार्कर सोलर प्रोब कर दिया गया।
- यह मानव इतिहास में पहली बार होगा, जब कोई यान सूर्य के वातावरण में प्रवेश करेगा।
- अंतरिक्ष यान 'पार्कर सोलर प्रोब' सूर्य की कक्षा के करीब 40 लाख मील के घेरे में प्रवेश करेगा।
- पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के ताप से बचाने के लिये इसमें स्पेशल थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम (thermal protection system-TPS) यानी हीट शील्ड लगाई गई है। यह शील्ड फाइबर और ग्रेफाइट (ठोस कार्बन) से तैयार की गई है।
- इस हीट शील्ड की मोटाई 11.43 सेमी. है। सूर्य की बाहरी कक्षा इसकी सतह के मुकाबले सैकड़ों गुना ज़्यादा गर्म होती है। इसका तापमान 5 लाख डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा हो सकता है।
- यह शील्ड यान के बाहर तकरीबन 1370 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सकेगी।
- सभी वैज्ञानिक उपकरणों एवं संचालन यंत्रों को इस शील्ड के पीछे व्यवस्थित किया जाएगा ताकि ये सभी यंत्र सूर्य की रोशनी से सीधे प्रभावित न हों।

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का निधन

लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष तथा सबसे लंबे समय तक सांसद रहे सोमनाथ चटर्जी का निधन हो गया है।

- सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई, 1929 को असम के तेजपुर में हुआ था।
- इनके पिता निर्मलचंद्र चटर्जी एक जाने-माने वकील और हिंदू महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे।
- वर्ष 1971 में सोमनाथ चटर्जी लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए और तब से 2009 तक लोकसभा के सदस्य रहे। इस बीच केवल एक बार (वर्ष 1984 में जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी से) उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
- वर्ष 1996 में उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' का पुरस्कार मिला।
- चटर्जी 1968 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) CPI (M) में शामिल हुए और 2008 में पार्टी से निकाले जाने तक इसमें रहे।
- वर्ष 1989 से 2004 तक वह लोकसभा में CPI(M) संसदीय दल के नेता भी रहे।
- वर्ष 2004 में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

जीवन सुगमता सूचकांक में पुणे शीर्ष पर

हाल ही में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने जीवन सुगमता सूचकांक (Ease of Living Index) जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शीर्ष 50 में भी स्थान नहीं बना सकी।

सूचकांक में शामिल शीर्ष दस शहर			
रैंक	शहर	रैंक	शहर
1.	पुणे	6.	ठाणे
2.	नवी मुंबई	7.	रायपुर
3.	ग्रेटर मुंबई	8.	इंदौर
4.	तिरुपति	9.	विजयवाड़ा
5.	चंडीगढ़	10.	भोपाल

- यह सर्वेक्षण देश के 111 शहरों में किया गया।
- दिल्ली को इस सूची में 65वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- उत्तर प्रदेश का रामपुर इस सूची में 111वें स्थान पर है।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, कोलकाता ने इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेने से मना कर दिया था।

नोट :

जीवन सुगमता सूचकांक के बारे में

- जीवन सुगमता सूचकांक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है, जिसके ज़रिये शहरों में बसने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया गया है।
- इस सूचकांक पर किसी शहर का आकलन चार प्रमुख मानकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें संस्थागत प्रबंधन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा बुनियादी ढाँचे की स्थिति शामिल है। इन चार मानकों को आगे 15 उपश्रेणियों और 78 संकेतों में वर्गीकृत किया गया है।

पेट्रोल संचालित वाहनों के लिये ब्लू स्टिकर

- सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के एक प्रस्ताव पर सहमति जताई है जिसके तहत वाहनों पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाए जाएंगे।
- होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाए जाने से वाहनों द्वारा इस्तेमाल होने वाले ईंधन की प्रकृति को इंगित किया जा सकेगा।
- हल्के नीले रंग के होलोग्राम आधारित स्टिकर का इस्तेमाल पेट्रोल और सीएनजी संचालित वाहनों के लिये, जबकि नारंगी रंग के समान स्टिकर डीज़ल वाहनों पर लगाए जाएंगे।
- वाहन के पंजीकरण की तारीख भी इन स्टिकर पर मुद्रित की जाएगी।

स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण में राजस्थान का जोधपुर सबसे साफ रेलवे स्टेशन

- तीसरे स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे साफ स्टेशन के मामले में प्रथम स्थान पर जोधपुर रेलवे स्टेशन तथा दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: जयपुर और तिरुपति रेलवे स्टेशन रहे।
- जोधपुर को ए-1 स्टेशन श्रेणी के तहत सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष विशाखापत्तनम पहले स्थान पर तथा जोधपुर,जयपुर और तिरुपति क्रमश:17वें 18वें 19वें स्थान पर थे।
- इस सर्वेक्षण में कुल 407 स्टेशन कवर किये गए हैं, इनमें से 75 स्टेशन ए-1 श्रेणी में तथा 332 स्टेशन को ए श्रेणी में शामिल हैं।
- ए-1 श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में (75 में से) पहले स्थान पर जोधपुर/उत्तर-पश्चिमी रेलवे, जबकि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमश: जयपुर/उत्तर-पश्चिमी रेलवे तथा तिरुपति/ दक्षिण-मध्य रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
- ए श्रेणी के स्टेशनों (कुल 332 में से) में पहले स्थान पर मारवाड़/उत्तर-पश्चिमी रेलवे, जबकि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमश: फुलेरा/उत्तर-पश्चिमी रेलवे तथा वारंगल/दक्षिण-मध्य रेलवे शामिल हैं।
- क्षेत्रीय रेलवे रैंकिंग में उत्तर पश्चिमी रेलवे को पहला तथा दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमश: दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्वी तट रेलवे को प्राप्त हुआ।
- पहला स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण आईआरसीटीसी ने वर्ष 2016 में किया था, जबकि दूसरा सर्वेक्षण क्यूसीआई द्वारा किया गया था।
- पिछले चार वर्षों के दौरान स्वच्छता कवरेज बढ़ा है। वर्ष 2014 में जहाँ स्वच्छता कवरेज 38 प्रतिशत था, वहीं यह बढ़कर 2018 में 83 प्रतिशत तक हो गया है।
- इस वर्ष के सर्वेक्षण में वाराणसी रेलवे स्टेशन 14वें स्थान से फिसलकर 69वें स्थान पर पहुँच गया है।
- ए-1 स्टेशन श्रेणी में मथुरा रेलवे स्टेशन को सबसे गंदा स्टेशन घोषित किया गया,जबकि दरभंगा स्टेशन इस वर्ष 52वें स्थान पर रहा।

'रोडमैप टुवर्ड्स क्लीनिंग इंडियाज़ एयर'

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'रोडमैप टुवर्ड्स क्लीनिंग इंडियाज एयर' नामक अध्ययन जारी किया है जिसके अनुसार अगर भारत वायु की गुणवत्ता हेतु WHO द्वारा तय किये गए मानकों तक पहुँच जाता है तो भारतीयों की औसत उम्र में लगभग 4 साल की वृद्धि हो जाएगी।

- यह अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के शोधकर्त्ताओं द्वारा किया गया है।
- इस अध्ययन के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण भारत को हर साल लगभग 5 खरब डॉलर अर्थात् करीब 350 खरब रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है।
- अध्ययन के अनुसार, लगभग 66 करोड़ भारतीय देश के सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों में निवास करते हैं।

नोट :

- शोधकर्त्ताओं के समूह द्वारा भारत को इस समस्या से निपटने के लिये कुछ सुझाव दिये गए हैं जो इस प्रकार हैं –
  - उत्सर्जन से संबंधित रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराना।
  - अत्यधिक उत्सर्जन करने वालों पर आर्थिक दंड लगाना।
  - लोगों को प्रदूषकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।

न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर बनी विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष

न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर ने विद्युत मंत्रालय में विद्युत् अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले श्रीमती न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थीं।

- श्रीमती न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर का जन्म कर्नाटक में 5 दिसंबर, 1955 को हुआ।
- वर्ष 1977 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय में महिला-पुरुष समानता से जुड़े विषय के साथ-साथ कानून की फेलोशिप के लिये भेजा।
- वर्ष 2013 में श्रीमती न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर को कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई।
- न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर कलकत्ता उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं।

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण

- विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण सांविधिक निकाय है जिसे नियामकीय आयोग और अधिनिर्णय अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई के उद्देश्य हेतु गठित किया गया।
- इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 110 के तहत 7 अप्रैल, 2004 को किया गया।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

रेखा शर्मा बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष

रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2017 में पूर्व अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम के पद छोड़ने के बाद से वह इस पद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

- राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women -NCW) भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है।
- यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वत: संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिये कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।
- आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थीं।

चिल्का झील में प्रस्तावित एयरोड्रोम परियोजना का विरोध

- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चिल्का झील में एयरोड्रोम स्थापित करने के लिये एक पायलट प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी।
- ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता और पर्यावरण कार्यकर्ता प्रफुल्ल समंतारा ने कहा कि चिल्का झील में प्रस्तावित एयरोड्रोम परियोजना का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोध किया जाएगा।
- प्रफुल्ल समंतारा के संगठन का नाम 'लोक शक्ति' है।
- प्रफुल्ल समंतारा 'ग्रीन नोबेल' के नाम से लोकप्रिय पुरस्कार को जीतने वाले भारत के छठे व्यक्ति हैं।
- यह पुरस्कार दुनिया के छह मानव सभ्यता वाले इलाकों अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप एवं द्वीपीय देश, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है।

नोट :

- एयरोड्रोम एक ऐसी जगह या क्षेत्र है जहाँ से छोटे विमान उड़ान भर सकते हैं या लैंडिंग कर सकते है।
- चिल्का एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है।
- इसे रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की प्राकृतिक आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया है।

'पूर्वोत्तर सर्किट विकास: इम्फाल और खोंगजोंग' परियोजना

- मणिपुर की राज्यपाल डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला ने इंफाल में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत "पूर्वोत्तर सर्किट विकास: इम्फाल और खोंगजोंग" परियोजना का उद्घाटन किया।
- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली यह पहली परियोजना है।
- स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में लॉन्च की गई थी और अब तक मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत 29 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के 5708.88 करोड़ रुपए की 70 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।
- इस परियोजना की लागत 72.30 करोड़ रुपए है और पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर, 2015 में इसकी स्वीकृति दी थी।
- इस परियोजना में दो स्थलों कांगला फोर्ट तथा खोंगजोंग को कवर किया गया है।
- मंत्रालय की दोनों योजनाओं को मिलाकर 15 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करती हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत से बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया बहाल करने का फैसला किया

- ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हेग संधि की व्यवस्थाओं के तहत भारत से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया बहाल करने का फैसला किया है।
- बच्चों को दूसरे देशों में गोद देने का काम करने वाली कुछ पंजीकृत भारतीय एजेंसियों के बच्चों की तस्करी में लिप्त होने की खबरों के बाद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया पर आठ साल पहले रोक लगा दी थी।
- भारत सरकार ने किशोर न्याय कानून 2015 लागू करके तथा गोद लेने की प्रक्रिया 2017 की अधिसूचना जारी कर दूसरे देशों में बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया को सख्त बना दिया है।
- बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया बहाल करने के लिये केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (कारा) तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय की ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ लगातार वार्ता जारी है।

केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।
- यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल करने एवं गोद देने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को भारतीय बच्चों को भारत में एवं अंतर-देशीय स्तर पर गोद लेने संबंधी प्रक्रिया को मॉनिटर एवं विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है।
- केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को हेग कन्वेंशन 1993 के अनुसार, अंतर-देशीय स्तर पर गोद लेने संबंधी प्रक्रिया विनियमित करने हेतु केंद्रीय प्राधिकरण बनाया गया है।

अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर में हुआ तथा उनका निधन 16 अगस्त, 2018 को भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली में हुआ।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए।
- वाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री पद हेतु चुने गए थे पहली बार उनका कार्यकाल वर्ष 1996 में केवल13 दिनों का था, दूसरा कार्यकाल वर्ष 1998 से 1999 तक ग्यारह महीने की समयावधि के लिये और इसके बाद तीसरा कार्यकाल पूर्ण समयावधि यानी वर्ष 1999 से 2004 तक रहा।

नोट :

- गौरतलब है कि वर्ष 1999 से 2004 के दौरान पूर्णकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले वे पहले गैर-कॉन्ग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
- मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में 1977 से 1979 तक वे विदेश मंत्री भी रहे।
- इस दौरान 4 अक्तूबर, 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया और ऐसा करने वाले वाजपेयी पहले व्यक्ति थे।
- वर्ष 2001 में वाजपेयी सरकार ने प्रसिद्ध सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था।
- उनके कार्यकाल के दौरान मई 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में पाँच भूमिगत परमाणु परीक्षण किये तत्पश्चात् भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण (मुस्कुराते हुए बुद्ध) 1974 में आयोजित किया।
- उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार तथा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न (वर्ष 2015 में) से भी सम्मानित किया गया था।
- उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को 'सुशासन दिवस' घोषित किया गया था।

SWAT टीम

- भारत की पहली, पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित SWAT टीम को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले में सुरक्षा हेतु तैनात किया गया।
- दिल्ली पुलिस की विशेष सेल के तहत आतंकवाद विरोधी उत्तरदायित्व के लिये इस टीम को एनएसजी द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।
- इस टीम की सभी 36 महिलाएँ पूर्वोत्तर से हैं और हाल ही इस टीम को दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया था।
- यह टीम AK-47 राइफल्स, MP5 मशीनगन, ग्लॉक 17 या 26 पिस्तौल और कॉर्नर शॉट डिवाइस जैसे अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं।

भारत का पहला आनुवंशिक संसाधन बैंक

- हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव आनुवंशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन हैदराबाद, तेलंगाना में सेलुलर और आण्विक जीवविज्ञान (सीसीएमबी) प्रयोगशाला के केंद्र में किया गया।
- यह भारत का पहला आनुवंशिक संसाधन बैंक है जहाँ आनुवंशिक सामग्री को भावी पीढ़ी के लिये संग्रहीत किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय और संरक्षित किये जाने योग्य जानवरों को संरक्षण प्रदान करना है।

सीसीएमबी (CCMB)

- यह आधुनिक जीवविज्ञान के अग्रगामी क्षेत्रों में शोध करने वाला एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है।
- इस अनुसंधान संगठन का उद्देश्य आधुनिक जीवविज्ञान के क्षेत्र में अग्रगामी एवं बहुआयामी शोधकार्य एवं उनके संभावित अनुप्रयोगों की खोज करना है। इसकी स्थापना दिनांक 01 अप्रैल, 1979 को हुई।
- इसकी स्थापना के समय सीसीएमबी क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में की गई, किंतु बाद में CSIR द्वारा वर्ष 1978 में आधुनिक जीवविज्ञान के क्षेत्र में अग्रगामी एवं बहु-आयामी शोधकार्य के लिये इस केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।
- वर्ष 1981-82 के दौरान सीसीएमबी को एक पूर्ण विकसित राष्ट्रीय प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया।

पिंगली वेंकैया

2 अगस्त को महान स्वंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया का 142वाँ जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर 142 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक रैली भी निकाली गई। उल्लेखनीय है कि पिंगली वेंकैया को राष्ट्र ध्वज को डिज़ाइन करने के लिये जाना जाता है।

- पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था।
- उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भटाला पेनमरू और मछलीपट्टनम से प्राप्त की थी।
- वेंकैया ने 19 साल की उम्र में अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सैनिक के रूप में कार्य किया। वहीँ ये महात्मा गांधी से मिले और उनके विचारों से प्रभावित हुए।
- उन्हें भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र से विशेष लगाव था।

नोट :

- 1906 से 1911 तक पिंगली ने मुख्य रूप से कपास की फसल की विभिन्न किस्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और बॉम्वोलार्ट कंबोडिया कपास पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया।
- वे संस्कृत, उर्दू और जापानी का अध्ययन करने के लिये लाहौर के एंग्लो वैदिक स्कूल में भी गए।
- 1918 से 1921 के बीच वेंकैया ने कॉन्ग्रेस के हर सत्र में स्वयं का ध्वज रखने का मुद्दा उठाया।
- प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जो क्रमश: हिंदू तथा मुसलमान समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग (सफेद) को भी शामिल किया गया।
- 1931 में कॉन्ग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफ़ेद और हरे तीन रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
- इनकी मृत्यु 4 जुलाई, 1963 को हुई।
- वर्ष 2009 में उन्हें सम्मान देते हुए भारत सरकार द्वारा उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया।

तेलंगाना में बनेगा भारत का पहला ब्लॉकचेन ज़िला

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भारत का पहला ब्लॉकचेन ज़िला लॉन्च करने हेतु टेक महिंद्रा न्यूक्लियस विज़न और इलेवन 01 फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

- ब्लॉकचेन ज़िला ब्लॉकचेन उत्कृष्टता का ऐसा केंद्र होगा जो भारत के ब्लॉकचेन स्टार्टअप व कंपनियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- इस समझौते के तहत ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के विकास के लिये पूरा पारितंत्र प्रदान किया जाएगा।
- सरकार के साथ करार करने वाली कंपनियाँ ब्लॉकचेन ज़िले के प्रमुख संस्थापक साझेदार के रूप में काम करेंगी।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

- जिस प्रकार हज़ारों-लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इंटरनेट का अविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डाटा ब्लॉकों (आँकड़ों) की लंबी श्रृंखला को जोड़कर उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है।
- ब्लॉकचेन तकनीक तीन अलग-अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट, पर्सनल 'की' (निजी कुंजी) की क्रिप्टोग्राफी अर्थात् जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है।

वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक - 2018

हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक – 2018 जारी किया गया है।

- इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ज़ारी इस रिपोर्ट में विश्व के 140 शहरों को उनकी रहने की स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान किया गया है।
- वर्ष 2018 के सूचकांक में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष इस सूचकांक में मेलबर्न शीर्ष पर था।
- सूचकांक के दस शीर्ष शहर - वियना, मेलबर्न, ओसाका, कैलगरी, सिडनी, वैंकूवर, टोक्यो, टोरंटो, कोपेनहेगन और एडीलेड।
- सीरिया की राजधानी दमिश्क इस वर्ष भी इस सूचकांक में सबसे नीचे है जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका को नीचे से दूसरा स्थान और कराची (पाकिस्तान) चौथा सबसे खराब शहर माना गया है।
- इस सूचकांक में भारत की राजधानी दिल्ली को 112वाँ और मुम्बई को 117वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- विदित हो कि यह पहली बार हुआ है जब किसी यूरोपीय शहर को इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का निधन

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि कोफी अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में दो बार (1997 से 2006 तक) कार्यभार संभाला था तथा इस पद पर पहुँचने वाले वे पहले अश्वेत अफ्रीकी थे।

- कोफ़ी अन्नान का जन्म 8 अप्रैल, 1938 को गोल्ड कोस्ट (वर्तमान देश घाना) के कुमसी नामक शहर में हुआ।

नोट :

- 1962 में कोफ़ी अन्नान ने अपना राजनीतिक सफ़र विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक बजट अधिकारी के रूप में शुरू किया था।
- 1965 से 1972 तक उन्होंने इथियोपिया की राजधानी अद्दीस अबाबा में संयुक्त राष्ट्र के इकॉनॉमिक कमीशन फ़ॉर अफ्रीका के लिये काम किया।
- 1980 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायोग का उप-निदेशक नियुक्त किया गया।
- 1 जनवरी, 1997 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला और तब से 31 दिसंबर, 2006 तक लगातार 10 साल तक इस पद पर बने रहे।
- वर्ष 2001 में कोफी अन्नान और संयुक्त राष्ट्र को नोबेल पुरस्कार से सह-पुरस्कृत किया गया।

अजीत वाडेकर

भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजीत वाडेकर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि अजीत वाडेकर के नेतृत्व में ही भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ष 1971 में पहली बार इंग्लैंड को उसकी ही ज़मीन पर हराया था।

- वाडेकर ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैच में की और 37 टेस्ट तथा दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- वह उन चुनिंदा क्रिकेटरों में से एक थे जिन्होंने एक क्रिकेट खिलाड़ी, कप्तान, कोच के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया।
- वाडेकर को वर्ष 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
- उन्होंने एकमात्र शतक वर्ष 1968 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ लगाया जिसमें उन्होंने 143 रन बनाए थे।
- वाडेकर ने आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ वर्ष 1974 में खेला।
- भारतीय क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान के लिये, वाडेकर को सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

पीएफआरडीए ने साइबर सुरक्षा से निपटने के लिये एक स्थायी समिति

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के मद्देनज़र साइबर सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिये कदम उठाने का सुझाव देने हेतु एक स्थायी समिति की स्थापना की है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

- इस अधिनियम को 19 सितंबर, 2013 में अधिसूचित और 1 फरवरी, 2014 से लागू किया गया।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) जिसके अभिदाताओं में केंद्र सरकार/राज्य सरकारों निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं, का नियमन पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है।
- भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से सबंधित योजनाओं के अध्ययन के लिये भारत सरकार ने वर्ष 1999 में OASIS (वृद्धावस्था सामजिक और आय सुरक्षा) नामक राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी थी।
- भारत सरकार द्वारा अंशदान पेंशन प्रणाली को 22 दिसंबर, 2003 में अधिसूचित किया गया जो 1 जनवरी, 2004 से लागू हुई और जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
- 1 मई, 2009 से एनपीएस का विस्तार स्वैच्छिक आधार पर देश के सभी नागरिकों के लिये किया गया जिसमें स्वरोज़गार, पेशवरों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।

गेहूँ के जटिल जीनोम को समझने में मिली सफलता

एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने, जिसमें 18भारतीय भी हैं, गेहूँ के जटिल जीनोम को समझने में सफलता प्राप्त की है जिसे अभी तक असंभव माना जा रहा था।

- इस जानकारी से उन जीनों की पहचान करने में मदद मिलेगी जो कि अनाज के उत्पादन, गुणवत्ता, बीमारियों और कीड़ों के प्रति प्रतिरोध के साथ-साथ सूखा, गर्मी, जलभराव एवं खारे पानी के प्रति गेहूँ की सहनशीलता के लिये उत्तरदायी होते हैं।
- के जीनोम को समझने में मिली सफलता से मौसम की मार को सहन कर सकने योग्य गेहूँ की प्रजातियों को विकसित करनें में मदद मिलेगी जिससे कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित किया जा सकेगा।

नोट :

SAAW और हेलीना का सफल परीक्षण

देश में विकसित किये गए SAAW (स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन) का परीक्षण राजस्थान के चंदन रेंज से भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया।

- इसके अलावा टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलीना का भी राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया गया।
- इन दोनों हथियारों को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है।
- SAAW युद्धक सामग्री से लैस था और यह सटीकता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधने में सफल रहा।
- इसमें बेहतरीन दिशासूचक यंत्र का इस्तेमाल किया गया है, जो विभिन्न ज़मीनी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है।
- हेलीना दुनिया में अत्याधुनिक टैंक रोधी हथियारों में से एक है।
- SAAW को भारतीय वायुसेना के लिये जबकि हेलीना मिसाइल को भारतीय थलसेना के लिये विकसित किया जा रहा है।

एशियन गेम्स 2018:बजरंग पूनिया ने जीता पहला स्वर्ण पदक

हरियाणा के झज्जर ज़िले के 24 वर्षीय भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने 18वें एशियन गेम्सके पहले ही दिन देश के लिये पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

- बजरंग ने यह मेडल पुरुषों के 65 किलोग्राम भारवर्ग की फ्रीस्टाइल स्पर्द्धा में जापान के पहलवान ताकातिनी दायची को हराकर जीता।
- बजरंग ने सेमीफाइनल मुकाबले में मंगोलिया के बाटमगनाई बैटचुलुन को 10-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

बजरंग पूनिया की बड़ी उपलब्धियाँ

स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
एशियन गेम्स 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 एशियन चैंपियनशिप 2017 एशियन इंडोर गेम्स 2017 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2017 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2016	एशियन गेम्स 2014 एशियन चैंपियनशिप 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 वर्ल्ड अंडर-23 चैंपियनशिप 2013	एशियन चैंपियनशिप 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2013 एशियन चैंपियनशिप 2013

एशियन गेम्स के बारे में

- 18वें एशियाई खेलों (एशियन गेम्स) का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1962 में जकार्ता में इन खेलों का आयोजन किया गया था।
- एशियाई खेल- 2018 का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में किया जा रहा है। यह पहली बार है जब एशियाई खेलों का आयोजन दो शहरों में किया जा रहा है।
- एशियाई खेल- 2018 के उद्घाटन समारोह में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भारतीय दल की अगुवाई की।
- एशियाई खेलों में एशिया के 45 देशों के लगभग 11,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी 40 खेलों की 465 स्पर्द्धाओं में भाग लेंगे।
- एशियाई खेलों को एशियाड नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक चार वर्ष में किया जाता है।
- 18वें एशियाई खेलों के तीन शुभंकर भिन-भिन (स्वर्ग की चिड़िया), अतुंग (एक हिरण) और काका (एक गैंडा) है।
- इन तीन शुभंकरों ने एक शुभंकर द्रावा का स्थान लिया है। ये तीनों शुभंकर देश के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कैनाइन डिस्टेंपर वायरस

हाल ही में असम के एक चिड़ियाघर में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण कम-से-कम आठ सियारों की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि अब से कुछ समय पूर्व तक इस चिड़ियाघर में सियारों की संख्या 18 थी।

नोट :

कैनाइन डिस्टेंपर

- कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरस है जो कुत्ते के श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, श्वसन के साथ-साथ और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आँखों को भी प्रभावित करता है।
- मूत्र, रक्त या लार के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से यह वायरस एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते तक जाता है।
- कैनाइन डिस्टेंपर पहली बार यूरोप के स्पेन में 1761 में सामने आया।
- कैनाइन डिस्टेंपर के खिलाफ पहला टीका इटली के पंटोनी (Puntoni) ने विकसित किया था।

'लीज़न ऑफ मेरिट' पुरस्कार

पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित पुरस्कार 'लीज़न ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व सेना प्रमुख को यह पुरस्कार अगस्त 2014 से दिसंबर 2016 तक सेना प्रमुख के रूप में असाधारण सेवा के लिये प्रदान किया गया है।

- अमेरिकी सरकार ने इस पुरस्कार के लिये दलबीर सिंह सुहाग के नाम की घोषणा मार्च 2016 में ही की गई थी।
- सुहाग यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय हैं इससे पहले यह पुरस्कार भारत के राजेंद्र सिंह जाडेजा को वर्ष 1946 में दिया गया था।
- जनरल दलबीर सिंह सुहाग को दी गई ये उपाधि चार मुख्य उपाधियों का मिश्रण है। इसमें डिग्री ऑफ चीफ कमांडर, डिग्री ऑफ कमांडर, डिग्री ऑफ ऑफिसर और डिग्री ऑफ लेगिनियर शामिल हैं।
- लीजन ऑफ मेरिट संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों का एक सैन्य पुरस्कार है जो उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों तथा असाधारण आचरण के लिये दिया जाता है।

तिरुवनंतपुरम में एक महीने के भीतर चक्रवात चेतावनी केंद्र की स्थापना

- केरल और कर्नाटक के समुद्र तटों पर हाल के दिनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और उनसे होने वाली गंभीर मौसमीय घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में एक चक्रवात चेतावनी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
- मंत्रालय अगले एक महीने के भीतर इस केंद्र को स्थापित करने की योजना बना रहा है। वर्तमान में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पास केवल चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद और मुंबई में चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं।
- इससे केंद्र सरकार केरल और कर्नाटक की ज़रूरतों को पूरा करेगी और सभी राज्यों को मौसम की चेतावनियों तथा तटीय बुलेटिन (मछुआरों आदि के लिये) जारी करने के लिये पूर्वानुमान उपकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराएगी।
- इस कदम से भारतीय मौसम विभाग के केरल में स्थित वर्तमान पूर्वानुमान गतिविधियों को और मज़बूती मिलेगी।
- मंत्रालय वर्ष 2019 के अंत तक मैंगलोर में भी एक और सी-बैंड डोप्लर मौसम राडार स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो केरल के उत्तरी हिस्सों को कवर करेगा।
- वर्तमान में केरल में दो डोप्लर मौसम राडार हैं जिनमें एक कोच्चि और दूसरा तिरुवनंतपुरम में स्थित है।

'पाणिनी भाषा लैब' और 'अटल बिहारी वाजपेयी टावर'

- विदेश मंत्री ने मॉरीशस में महात्मा गांधी संस्थान (एमजीआई) में 'पाणिनी भाषा प्रयोगशाला' का उद्घाटन किया।
- भारत सरकार द्वारा उपहार में दी गई यह प्रयोगशाला, मॉरीशस में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने में एमजीआई की मदद करेगी।
- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद मॉरीशस के प्रसिद्ध 'साइबर टॉवर' का नाम बदलकर 'अटल बिहारी वाजपेयी टावर' किया गया है।
- यह घोषणा मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने की।
- उल्लेखनीय है कि 11वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन 18-20 अगस्त, 2018 तक मॉरीशस में आयोजित किया गया और इसी दौरान उपर्युक्त दोनों घोषणाएँ की गई।

नोट :

कुलदीप नैयर

हाल ही में अनुभवी पत्रकार कुलदीप नैयर का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

- कुलदीप नैयर का जन्म सियालकोट (पकिस्तान) में हुआ था।
- वह ऐसे पहले पत्रकार थे, जिन्हें आपातकाल की घोषणा के बाद जेल में रखा गया था।
- वह भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिपूर्ण संबंधों में गहरी दिलचस्पी रखते थे।
- अपनी आत्मकथा 'बियॉन्ड द लाइंस' में, उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादीर खान के साथ अपने साक्षात्कार के बारे में लिखा, जिससे पता चला कि पाकिस्तान के पास परमाणु उपकरण हैं, इससे पहले इस बात का केवल अनुमान लगाया जाता था।
- एक पत्रकार के रूप में, उन्होंने राज्य द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में विस्तार से लिखा।
- वह यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त भी रहे तथा राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किये गए थे।
- 1999 में उन्हें नॉर्थवेस्ट यूनिवर्सिटी ने अल्यूमिनी मेरिट अवॉर्ड से सम्मानित किया था।
- साल 2003 में कुलदीप नैयर को एस्टर अवॉर्ड फॉर प्रेस फ्रीडम और साल 2007 में शहीद नियोगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- उन्होंने लगभग 15 किताबें लिखी जिनमें 'बियॉन्ड द लाइंस: एन ऑटोबायोग्राफी', 'इंडिया आफ्टर नेहरू', 'विदाउट फीयर: द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह', 'डिस्टेंट नेबर्स: अ टेल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट', 'वॉल ऐट वाघा – इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस', 'सप्रेशन ऑफ जजेस', 'द जजमेंट: इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया', और 'इमरजेंसी रिटोल्ड' प्रमुख थीं।

कौसर (Kowsar) लड़ाकू विमान

- हाल ही में ईरान ने अपने पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान 'कौसर' का अनावरण किया।
- चौथी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान का निर्माण केवल देश की रक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।
- यह लड़ाकू विमान अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बहुउद्देशीय रडार से लैस है।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM)

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) के तहत पांडुलिपियों को सर्वसुलभ बनाने के लिये एक एप विकसित किया जा रहा है जिसके माध्यम से देश भर से एकत्रित तीन लाख पांडुलिपियां ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी होंगी।

- इससे पहले Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) ने भारत संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे संगीत, आयुर्वेद और मौखिक लोक परंपराओं पर ऑनलाइन ऑडियो और विडियो सामग्री उपलब्ध कराने की भी शुरुआत की थी।

मिशन के बारे में

- पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना के रूप में फरवरी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की, जिसका विशिष्ट उद्देश्य भारत की पांडुलिपियों के ज्ञान तत्व का पता लगाना, प्रलेखन करना, संरक्षण करना और प्रसार करना था।
- अपने कार्यक्रम और अधिदेश में यह मिशन एक अनूठी परियोजना है तथा यह भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा की खोज करने एवं इसे परिरक्षित करने में जुटा है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में अनुमान के तौर पर पाँच मिलियन पांडुलिपियाँ हैं जो संभवत: विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है।
- देश के सभी राज्यों में विशेष रूप से अभिचिह्नित पांडुलिपि संसाधन केंद्रों और पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों के साथ कार्य करते हुए यह मिशन विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों से लेकर विभिन्न स्थानों जैसे- मंदिरों, मठों, मदरसों, विहारों और निजी संग्रहों में रखी पांडुलिपियों के आँकड़ों के संग्रहण का कार्य करता है।

निजी केमिस्ट को ऑक्सीटॉसिन की बिक्री की अनुमति

हाल ही में केंद्र सरकार ने निजी खुदरा रसायनविदों अर्थात प्राइवेट केमिस्टों को 1 सितंबर से ऑक्सीटॉसिन बेचने की अनुमति दे दी है।

- ध्यातव्य है कि 27 अप्रैल, 2018 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि 1 जुलाई से प्राइवेट केमिस्ट ऑक्सीटॉसिन की बिक्री नहीं कर सकेंगे। परंतु, ऑक्सीटॉसिन की आपूर्ति में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन की तारीख को 1 सितंबर तक के लिये स्थगित कर दिया था।

नोट :

ऑक्सीटॉसिन

- ऑक्सीटॉसिन एक हार्मोन है जो मस्तिष्क में अवस्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है।
- मनुष्य के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण ऑक्सीटॉसिन को 'Love हार्मोन' व 'Joy हार्मोन' आदि नामों से भी जाना जाता है।
- गर्भवती महिलाओं में प्रसवोत्तर रक्तस्राव (postpartum haemorrhage -PPH) की रोकथाम और इलाज के लिये ऑक्सीटॉसिन दी जाती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त जानकरी के अनुसार यह दुनिया भर में मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण होती है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया भर में मातृ मृत्यु के लगभग 35 प्रतिशत के लिये यही PPH ज़िम्मेदार होता है।

एंटी निकोटीन उत्पादों पर GST

हाल ही में सरकार द्वारा एंटी निकोटीन उत्पादों पर 18% GST लगाने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि जहाँ एक ओर सिगरेट पर 28 प्रतिशत का "सिन टैक्स" अधिरोपित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर NRT पर 18 प्रतिशत के कर का भार डाला गया है।

- सभी NRT (Nicotine Replacement Therapy) उत्पादों में निकोटीन पैच, लोज़ेंजेस, और मौखिक स्ट्रिप्स के साथ-साथ निकोटीन गम सबसे लोकप्रिय है।
- GST के अनुपालन से पहले इन उत्पादों पर कुल 11.3 प्रतिशत का का भार था, जिसमें 6 प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5.3 प्रतिशत वैट (Value-added Tax - VAT) भी शामिल था।
- इस संबंध में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर GST को 5 प्रतिशत तक कम दिया जाता है, तो इसकी कीमतों में 7 फीसदी तक की कमी होने की संभावना है।

छठा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन

23 अगस्त, 2018 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में छठे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के सहयोग से किया है।

- पर्यटन मंत्रालय द्वाराआयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की थीम - "बुद्ध मार्ग – सजीव विरासत" है।
- सम्मेलन का उद्देश्य भारत में बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करना तथा देश के बौद्ध स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके जरिये बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले समुदायों और देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी विकसित होते हैं।
- इस सम्मेलन में धार्मिक/आध्यात्मिक,अकादमिक और राजनयिक व व्यापारिक आयाम शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में इन 29 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं - ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, कंबोडिया, कनाडा, चीन, फ्राँस, जर्मनी, हॉन्गकॉन्ग, इंडोनेशिया, जापान, लाओ पीडीआर, मलेशिया, मंगोलिया, म्याँमार, नेपाल, नॉर्वे, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्लोवाक गणराज्य, स्पेन, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और वियतनाम।

पृष्ठभूमि

- पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक दो वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित करता है। पिछला सम्मेलन (अक्टूबर, 2016) सारनाथ/वाराणसी और बोधगया में आयोजित किया गया था।
- पर्यटन मंत्रालय ने उन देशों को भी आमंत्रित किया है, जहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसमें आसियान देश और जापान शामिल है। आसियान, आईबीसी-2016 का विशिष्ट अतिथि था, जबकि जापान आईबीसी – 2018 का 'सहयोगी देश' है।

खो-खो को एशियाई ओलंपिक परिषद की मान्यता

हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने भारत के पारंपरिक खेल खो-खो को मान्यता प्रदान की है. इस निर्णय के प्रभाव में आने के बाद खो-खो को एशियन इंडोर गेम्स में प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया जाएगा।

एशियाई ओलंपिक परिषद

- यह एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ इसकी सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय कुवैत में है।
- इसके वर्तमान अध्यक्ष शेख फहद अल-सबा हैं।

नोट :

खो-खो खेल

- खो-खो मैदानी खेलों के सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है जिसका शुरुआत प्रागैतिहासिक भारत में हुई मानी जाती है। मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण व प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए इसकी खोज हुई थी।
- सन् 1914 में डेक्कन जिमखाना पूना द्वारा इस खेल में प्रारंभिक नियमों का प्रतिपादन किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई।

विश्व बैंक ने विश्व का पहला ब्लॉकचेन बॉण्ड लॉन्च किया

विश्व बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था की दुनिया में सबसे क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पहली बार ब्लॉकचेन जारी किये हैं। पब्लिक के लिये जारी होने वाला यह अपनी तरह का पहला बॉण्ड है, जिसका पूरा संचालन ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगा।

- योजना का प्रबंधन करने वाले कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक इन बॉण्ड को दो वर्षों के लिये जारी किया जाएगा।
- विश्व बैंक ने इस डिजिटल बॉण्ड को 'बॉन्डी' नाम दिया है।

क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन) की तरह होगी ब्लॉकचेन बॉण्ड तकनीक

- ब्लॉकचेन बॉण्ड की तकनीक काफी हद तक क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन) से मिलती जुलती है ।
- लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की मदद से जारी होने वाला ब्लॉकचेन बॉण्ड बाकायदा असली मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का होगा।
- पूरी तरह विकसित वित्तीय ढ़ाँचे वाले ऑस्ट्रेलियाई बाज़ार में इस बॉण्ड का परीक्षण सबसे मुफीद माना जा रहा है।
- यहाँ विदेशी निवेशक पैसे लगाने में सहज भी महसूस करते हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खरीद-फरोख्त पर भरोसा भी रखते हैं, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यापार की जाने वाली करेंसी में से एक है।
- वैसे तो इस बॉण्ड को ब्लॉकचेन तकनीक पर जारी किया गया है, लेकिन इसके लिये भुगतान अभी चल रहे स्विफ्ट सिस्टम से भी किया जा सकता है।

यूरोप का नया वायु मानचित्रण उपग्रह एओलस लॉन्च

यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) एओलस (aeolus) उपग्रह दुनिया भर में वायु की निगरानी के लिये तीन साल के मिशन हेतु 22 अगस्त को अंतरिक्ष में भेजा गया।

- एओलस दुनिया का पहला पवन मानचित्रण उपग्रह है और फ्रेंच गुयाना के कोरू में गुयाना स्पेस सेंटर से वेगा रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया।
- कक्षा में एओलस शक्तिशाली लिडार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए समताप मंडल तक पृथ्वी की सतह से हवाओं की माप करेगा, जो वैश्विक स्तर पर होगा।
- एओलस द्वारा एकत्रित आँकड़ों से मौसम पूर्वानुमान में सुधार और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिये मूल्यवान जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- ESA ने 1999 में एओलस मिशन को मंज़ूरी दे दी थी, लेकिन उपग्रह के उपकरणों के विकास में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा क्योंकि एक शक्तिशाली पराबैंगनी लेज़र बनाने की जटिलता जो वैक्यूम में काम कर सकती है, मुख्य समस्या बनी हुई थी।

विश्व हिंदी सम्मलेन

- भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय और मॉरीशस सरकार के सहयोग से 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 18-20 अगस्त 2018 तक मॉरीशस में किया गया।
- भारत के अतिरिक्त मॉरीशस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 11वें विश्व हिंदी सम्मलेन के साथ तीसरी बार इस आयोजन की मेज़बानी कर रहा है।
- इस अवसर पर मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरूद्ध जगन्नाथ ने कहा कि हम भारत की संतान हैं और भारत हमारी माता है। इस तरह एक बेटे की ज़िम्मेदारी पूरी करते समय हम हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयासों का समर्थन करते हैं।

नोट :

अभी तक आयोजित विश्व हिंदी सम्मलेन इस प्रकार हैं-

1.	प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन	नागपुर, भारत	10-12 जनवरी,1975
2.	द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन	पोर्ट लुई, मॉरीशस	28-30 अगस्त,1976
3.	तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन	नई दिल्ली, भारत	28-30 अक्तूबर,1983
4.	चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन	पोर्ट लुई, मॉरीशस	02-04 दिसंबर,1993
5.	पाँचवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन	पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो	04-08 अप्रैल,1996
6.	छठा विश्व हिंदी सम्मेलन	लंदन,यू. के.	14-18 सितंबर,1999
7.	सातवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन	पारामारिबो,सूरीनाम	06-09 जून, 2003
8.	आठवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन	न्यूयार्क,संयुक्त राज्य अमरीका	13-15 जुलाई, 2007
9.	नौवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन	जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका	22-24 सितंबर, 2012
10.	दसवाँ विश्व हिंदी सम्मेलन	भोपाल, भारत	10-12 सितंबर, 2015

चीता पुनर्प्रवेश परियोजना

- हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को राज्य के नौरदेही अभयारण्य में चीता को फिर से प्रवेश कराने की योजना को पुनर्जीवित करने के लिये पत्र लिखा है।
- इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना की कल्पना वर्ष 2009 में की गई थी जो निधियन में कमी के कारण बाधित हो गई थी।
- देश की आखिरी मादा चीता की मौत 1947 में छत्तीसगढ़ में हुई थी। इसके उपरांत धरती के सबस तेज़ जानवर को सन् 1952 में भारत से विलुप्त (Extinct) घोषित कर दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि आईयूसीएन की रेड डाटा बुक में इसे सुभेद्य (Vulnarable) वर्ग में रखा गया है।
- भारत के वन्यजीवन संस्थान ने देहरादून में छः साल पहले ₹ 260 करोड़ की लागत से चीता के पुनः प्रवेश परियोजना तैयार की थी।
- उल्लेखनीय है नौरदेही अभयारण्य चीता के लिये सबसे उपयुक्त स्थलों में से एक है क्योंकि इसके कम घने जंगल तेज़ गति से दौड़ने के लिये अनुकूल हैं। इसके अलावा अभयारण्य में चीता के लिये शिकार भी बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है।
- पूर्व कार्य-योजना के अनुसार लगभग 20 चीतों को अफ्रीका के नामीबिया से नौरदेही स्थानांतरित किया जाना था। गौरतलब है कि नामीबिया चीता संरक्षण कोष ने तब भारत को मादा चीता दान करने की इच्छा जाहिर की थी।

शेयरों की पुनर्खरीद

- पुनर्खरीद एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से एक सूचीबद्ध कंपनी बाज़ार से शेयर वापस खरीदती है। पुनर्खरीद को खुली बाज़ार खरीद या निविदा प्रस्ताव मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है।
- खुले बाज़ार तंत्र के तहत कंपनी द्वितीयक बाज़ार से शेयरों की पुनर्खरीद करती है जबकि निविदा प्रस्ताव के तहत शेयरधारक पुनर्खरीद प्रस्ताव के दौरान अपने शेयरों की निविदा दे सकते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से अधिकांश कंपनियों ने खुले बाज़ार मार्ग को प्राथमिकता दी थी।

कंपनियाँ क्यों करती है पुनर्खरीद ?

- साधारण रूप में कोई भी कंपनी तभी पुनर्खरीद करती है जब उसके पास पर्याप्त नकद आरक्षित मौजूद होता है या उसे ऐसा प्रतीत होता है कि बाज़ार में उसके शेयर का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है।
- इस तंत्र को अपनाने के लिये कंपनी को सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती है। कोई कंपनी शेयरों की पुनर्खरीद के लिये अपनी कुल मुक्त आरक्षित (Free reserve) और भुगतान पूंजी (Paid-up capital) का अधिकतम 25% का ही उपयोग कर सकती है।

नोट :

- हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पुनर्खरीद के नियमों में संशोधन किया है जो खुदरा निवेशकों को प्रस्ताव में उचित हिस्सा देता है और पुनर्खरीद प्रस्ताव में खुदरा शेयरधारकों के लिये 15% आरक्षण निर्धारित करता है।

लाभ

- चूँकि पुन: खरीदे गए शेयर समाप्त हो जाते हैं इसलिये प्रति शेयर पर होने वाली कमाई स्वत: बढ़ जाती है।
- शेयरधारकों को एक आकर्षक निकास विकल्प मिलता है, विशेषकर तब जब शेयरों का कारोबार कम-से-कम किया जाता है क्योंकि आमतौर पर पुनर्खरीद मौजूदा बाज़ार कीमत की तुलना में अधिक कीमत पर की जाती है।
- यह शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए एक तरीके के रूप में लाभांश से भी अधिक कर-कुशल है।

कमियाँ

- इसके बाद अधिमानी आवंटन (preferential allotment) शेयर जारी करने पर समयबद्ध सीमा भी आरोपित कर दी जाती है।
- एक कंपनी पुनर्खरीद बंद होने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर दूसरा पुनर्खरीद प्रस्ताव नहीं दे सकती है।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी

- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) द्वारा ओडिशा के चिल्का झील के निकट चिल्का विकास प्राधिकरण (CDA) के आर्द्रभूमि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में एक क्षेत्रीय इकाई की शुरुआत की जाएगी।
- BNHS की क्षेत्रीय इकाई पक्षी प्रवासन और जल पक्षियों की गिनती तकनीकों पर स्वयंसेवकों के साथ वन्यजीव और CDA कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- यह केंद्र नमूनों को इकट्ठा करके एवियन रोग पर शोध करेगा और नालाबाना पक्षी अभयारण्य की निगरानी करेगा।
- 1883 में स्थापित।
- मुंबई आधारित।
- BNHS पूरे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर संरक्षण पर काम कर रहा एक अग्रणी गैर-सरकारी संगठन है।

प्रथम जैव-ईंधन उड़ान

- जेट्रोफा बीज से निर्मित तेल और विमानन टरबाइन ईंधन के मिश्रण से प्रणोदित उड़ान देश की पहली जैव जेट ईंधन संचालित उड़ान होगी।
- उल्लेखनीय है कि यह उड़ान सेवा दिल्ली से देहरादून के बीच संचालित हुई, जिसमें 43 मिनट का समय लगा। यह सेवा स्पाइस जेट (Bombardier Q-400) द्वारा मुहैया कराया गया। इस उड़ान में चालक दल के पाँच सदस्यों सहित कुल 25 व्यक्ति सवार थे।
- विमान के ईंधन में जैव-ईंधन और विमानन टरबाइन ईंधन का अनुपात 25:75 था। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, विमानन टरबाइन ईंधन के साथ 50% की दर से जैव ईंधन मिश्रित करने की अनुमति प्राप्त है।
- उल्लेखनीय है कि देहरादून स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को स्वदेशी रूप से ईंधन के निर्माण में आठ वर्ष का समय लग गया।
- ध्यातव्य है कि 2008 में वर्जिन अटलांटिक द्वारा वैश्विक स्तर पर पहली टेस्ट उड़ान के बाद ही संस्थान ने जैव ईंधन पर अपना प्रयोग कार्य शुरू किया था।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शांति मिशन, 2018

- SCO शांति मिशन अभ्यास, 2018 चेबरकुल (रूस) में औपचारिक तौर पर शुरू हुआ। यह अभ्यास शांति मिशन श्रृंखला में नवीनतम है। इस अभ्यास में सभी आठ सदस्य देशों की सैनिक टुकड़ियाँ भाग ले रही हैं।
- यह अभ्यास संगठन देशों की सशस्त्र सेनाओं को बहुराष्ट्रीय और संयुक्त माहौल के शहरी परिदृश्य में आतंकवाद की कार्रवाइयों से निपटने के लिये प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा।
- अभ्यास के दायरे में पेशेवर बातचीत, अभ्यास और प्रक्रियाओं की पारस्परिक समझ, संयुक्त कमांड एवं नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना तथा शहरी काउंटर आतंकवादी परिदृश्य में आतंकवादी खतरे को खत्म करना आदि शामिल है।

नोट :

- इस अभ्यास में 1700 सैन्यकर्मियों के साथ रूस सबसे बड़े भागीदार के रूप में है, इसके बाद 400 के सैन्यकर्मियों के साथ चीन और 200 के साथ भारत का स्थान है।
- गौरतलब है कि इस अभ्यास के तहत पहली बार भारत और पाकिस्तान के सेनाओं ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लिया।

शंघाई सहयोग संगठन

- SCO 2001 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं।
- SCO का मुख्यालय: बीजिंग (चीन) में स्थित है।
- SCO की उत्पत्ति 26 अप्रैल, 1996 को स्थापित शंघाई पाँच समूह के देशों चीन, कज़ाखस्तान, रूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलकर हुई थी।
- 2001 में उज़्बेकिस्तान शंघाई पाँच में शामिल हो गया और इसे शंघाई सहयोग संगठन के रूप में पुन: नामित किया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO में पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में शामिल हुए हैं।

जी. सतीश रेड्डी बने DRDO के नए अध्यक्ष

- प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जी. सतीश रेड्डी को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- जी. सतीश रेड्डी को दो साल के लिये DRDO के अध्यक्ष पद हेतु नियुक्त किया गया है और इसी अवधि के दौरान वह डीओडीआरडी के सचिव भी रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इस पद पर एस. क्रिस्टोफर कार्यरत थे उनका कार्यकाल मई 2018 में पूरा हो गया था ।
- जी. सतीश रेड्डी को भारत में मिसाइल प्रणाली के अनुसंधान और विकास के साथ अंतरिक्ष विज्ञान की कई तकनीकों के विकास में योगदान लिये जाना जाता है।
- इन्हें मई 2015 में रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।
- मिसाइल और सामरिक प्रणाली (डीजी, एमएसएस) के महानिदेशक के रूप में, उन्होंने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरीज - एएसएल, डीआरडीएल और आरसीआई, आईटीआर, टीबीआरएल और अन्य तकनीकी सुविधाओं का नेतृत्व किया।

हिंद महासागर सम्मेलन

- भारत की विदेश मंत्री ने वियतनाम की राजधानी हनोई में 27 अगस्त को हिंद महासागर सम्मेलन के तीसरे संस्करण में भाग लिया।
- इस साल के सम्मेलन का विषय 'क्षेत्रीय वास्तुकला का निर्माण' था और इसमें 43 देशों ने हिस्सा लिया।
- इससे पूर्व वर्ष 2016 और वर्ष 2017 का यह सम्मेलन क्रमश: सिंगापुर और श्रीलंका में आयोजित किया गया था।
- हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका के भागीदारों के साथ मिलकर किया जाता है।
- यह एक पहल है जिसके द्वारा एक ही छत के नीचे राज्य के नेताओं, राजनयिकों और नौकरशाहों को लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि एक-दूसरे के बीच समझ को मज़बूत किया जा सके।

इंडिया फाउंडेशन

- इंडिया फाउंडेशन दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, जो भारतीय राजनीति और विदेश मामलों के मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित है।

हस्तसाल मीनार

- हस्तसाल की लाट या मीनार का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था।
- यह मीनार दिल्ली के निकट हस्तसाल गाँव में स्थित है।
- इस मीनार का उपयोग शिकारखाना के रूप किया जाता था।
- हस्तसाल मीनार के निर्माण में लखोरी ईंट का प्रयोग किया गया है। यह एक ऊपर उठे हुए मंच पर 16.87 मीटर ऊँची तीन मंजिला मीनार है। प्रत्यके मीनार का व्यास निचले मंज़िल से कम है, जहाँ तक संकीर्ण सीढ़ियों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

नोट :

- कुतुबमीनार की भाँति ही मीनार का प्रत्येक मंज़िल अष्टकोणीय अंगूठी से घिरा है साथ ही लाल बलुआ पत्थर से निर्मित छज्जा भी लगा हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि इसे 'मिनी क़ुतुब मीनार' भी कहा जाता है।
- कला एवं सांस्कृतिक विरासत के लिये भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट (INTACH) द्वारा मीनार की पुनर्स्थापना के लिये विस्तृत योजना तैयार की गई है।

कला एवं सांस्कृतिक विरासत के लिये भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट (INTACH)

- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी धर्मार्थ संगठन है।
- इसे भारत में विरासत जागरूकता और संरक्षण का नेतृत्व करने के दृष्टिकोण से 1 9 84 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।
- वर्ष 2007 में, संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ एक विशेष सलाहकार दर्जे से सम्मानित किया था।

वोस्टोक - 2018

- रूस सितंबर माह (11-15 सितंबर) में पिछले चार दशकों में सबसे बड़े युद्धाभ्यास आयोजित करने की योजना बना रहा है। इस युद्धाभ्यास में चीनी और मंगोलियाई सेनाएँ भी शामिल होंगी।
- वोस्टोक – 2018 या पूर्व – 2018 नामक यह युद्धाभ्यास केंद्रीय और पूर्वी रूसी सैन्य ज़िलों में आयोजित होगा और इस अभ्यास में लगभग 300,000 सैनिक, 1000 से अधिक सैन्य विमान, दो रूसी नौसेना बेड़े और इसके सभी हवाई फौज इकाइयाँ शामिल होगी।
- उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ द्वारा सन 1981 में 'जापद- 81' नामक अभ्यास आयोजित किया गया था। यह सोवियत संघ का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था जिसमें लगभग 100,000 से 150,000 सैनिकों से भाग लिया था।

बुद्धमाल महोत्सव

- यह फसल कटाई के दौरान मनाया जाने वाला त्योहार है जो असम राज्य में प्रत्येक पाँच साल की अवधि में एक बार मनाया जाता है।
- इस त्योहर में विभिन्न समुदाय के लोग समाज की समृद्धि एवं कल्याण तथा अच्छी फसल की कामना के लिये एकत्रित होते हैं।

अफ्रीकी स्वाइन बुखार

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) चीन से दक्षिण पूर्व एशिया या कोरियाई प्रायद्वीप तक अफ्रीकी स्वाइन फीवर के फैलने की चेतावनी ज़ारी किया है।
- चीन ने एक महीने से भी कम समय में अपने चार प्रांतों में अत्यधिक संक्रामक बीमारी के प्रसार की सूचना दी है।
- अफ्रीकी स्वाइन बुखार घरेलू सूअरों की एक बेहद संक्रामक तीव्र रक्तस्राव वाली बीमारी है।
- यह बीमारी टिक द्वारा प्रसारित होती है।
- इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिये कोई औषधि या टीका नहीं है, इसके लिए एकमात्र ज्ञात विधि संक्रमित पशुधन को बड़े पैमाने पर मारना है।
- अफ्रीकी स्वाइन बुखार मनुष्यों के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करता है।

अरनमुला नौका दौड़

- केरल में हालिया बाढ़ के कारण नौका दौड़ 'अरनमुला वल्लमकली' बिना किसी उत्सव के ही आयोजित की गई। पिछले 50 वर्षों में ऐसा पहली बार है जब प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले इस नौका दौड़ का आयोजन बिना किसी उत्सव के ही किया गया है।
- अरनमुला नौका दौड़ केरल की सबसे पुराना नदी नाव त्योहार है, जो ओणम (अगस्त-सितंबर) के दौरान आयोजित किया जाता है।
- यह केरल के पथनमथित्ता (Pathanamthitta) ज़िले में पाम्पा नदी में श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित पार्थसारथी नामक हिंदू मंदिर के समीप मनाया जाता है।
- इस त्योहार में गायन करते हुए और दर्शकों के शोर-शराबे के बीच साँप की आकृति वाली नौकाओं को जोड़े में दौड़ाया जाता है।

नोट :

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के तृतीय संस्करण – 'स्मार्ट इंडिया हैकथॉन -2019' का शुभारंभ किया।
- एसआईएच-2019 जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं के समाधान के लिये छात्रों को मंच मुहैया करवाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इससे नवाचार की संस्कृति तथा समस्या समाधान की मानसिकता विकसित होती है।
- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और इंटर इंस्टीट्यूशनल इनक्लूसिव इनोवेशन सेंटर (I4 C) की एक पहल है।
- IISCs, IITs, NITs और AICTE/UGC से अनुमोदन प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को समस्या समाधान की सृजनात्मक प्रतिस्पर्द्धा में भाग तथा तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
- इसमें पहली बार उद्योगों एवं गैर-सरकारी संगठनों के समस्या-विवरण भी शामिल किये जाएंगे।
- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2019 के दो उप संस्करण होंगे –
  - सॉफ्टवेयर संस्करण (36 घंटे का सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्द्धा) तथा
  - हार्डवेयर संस्करण (5 दिन की लंबी अवधि की हार्डवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्द्धा)

  इससे पूर्व दो संस्करणों का आयोजन वर्ष 2016 और 2017 में किया गया था।

ओपन इनोवेशन मॉडल

यह एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत किसी संगठन से संबंधित समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास ज्ञान और कर्मचारियों तथा विशेषज्ञों के अपने सामान्य आंतरिक पूल से परे विशेषज्ञता के दोहन के माध्यम से किया जाता है। यह नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये बाहरी पूल के साथ आंतरिक पूल को जोड़ने हेतु एक ढाँचा प्रदान करता है।

'डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार-2017'

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मधावी छात्रों को डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय मेधा पुरस्कार प्रदान किये गए।
- डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की स्थापना 24 मार्च, 1992 में की गई थी और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।
- पुरस्कार योजना वर्ष 2002-03 में शुरू की गई थी और डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन दसवीं कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अनुजाति जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पहचान करता है।
- फाउंडेशन 12वीं कक्षा के सभी विषयों यथा- विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन करता है।
- योजना के तहत मेधा प्रमाण पत्र, डॉ. अम्बेडकर पर किताबें और भारतीय संविधान की एक प्रति के अलावा अपने-अपने वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्रों को क्रमश: 60,000, 50,000 और 40,000 रुपए की नकद राशि दी जाती है।
- इस मेधा पुरस्कार योजना के लिये योग्यता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  1. दसवीं कक्षा के लिये छात्रों का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना आवश्यक।
  2. बारहवीं कक्षा के लिये छात्रों का सिर्फ अनुसूचित जाति श्रेणी से होना ज़रूरी।

प्रगति (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation)

- यह एक मंच है जो प्रधानमंत्री को संबंधित केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों के साथ मुद्दों पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है।
- इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की मदद से डिज़ाइन किया गया है।
- यह एक तीन-स्तरीय प्रणाली है (पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव)।

नोट :

- प्रगति के तीन उद्देश्य हैं:
  - शिकायत निवारण
  - कार्यक्रम कार्यान्वयन
  - परियोजना निगरानी
- प्रगति मंच अद्वितीय रूप से तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों को एक साथ लाता है: डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।
- यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है।
- हालाँकि, राज्य के राजनीतिक अधिकारियों को शामिल किये बिना राज्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत राज्य की राजनीतिक कार्यकारी को कमज़ोर कर रही है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह पीएमओ जैसे संवैधानेतर कार्यालय में शक्ति के संकेद्रण का कारण बन रहा है।
- प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय की उपस्थिति और विनिमय के साथ यह ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही लाने के लिये एक मज़बूत प्रणाली है।

  यह ई-शासन और सुशासन में एक अभिनव परियोजना है।
- यह हर महीने चौथे बुधवार को 3.30 बजे आयोजित होता है और प्रगाति दिवस के रूप में जाना जाता है।

सह्याद्रि ककाडू-2018 अभ्यास में शामिल

- दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में चार महीने की तैनाती के बाद भारतीय नौसेना का जहाज
- सह्याद्रि ऑस्ट्रेलिया में डार्विन बंदरगाह पर आयोजित ककाडू-2018 सैन्याभ्यास में शामिल हुआ।स
- ह्याद्रि ने दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनाती के दौरान गुआम में मालाबार-2018 और हवाई में रिमपैक-2018 के बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था।

ककाडू अभ्यास

- वर्ष 1993 से शुरू ककाडू अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) द्वारा आयोजित और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना (RAAF) द्वारा समर्थित एक महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय क्षेत्रीय समुद्री अभ्यास है।
- यह अभ्यास हर दो साल की अवधि पर डार्विन और उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्रों (NAXA) में आयोजित होता है।
- समुद्री अभ्यास ककाडू-2018 का चौदहवाँ संस्करण 29 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा।
- ककाडू अभ्यास का नाम डार्विन से दक्षिण-पूर्व 171 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित ककाडू राष्ट्रीय पार्क से लिया गया है।

छठी RCEP मंत्री स्तरीय बैठक सिंगापुर में आरंभ

- वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु सिंगापुर में आयोजित छठी RCEP व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
- इस बैठक में प्रमुख रूप से 10 आसियान देश तथा 6 आसियान एफटीए साझेदार देश शामिल होंगे।
- यह बैठक 30-31 अगस्त, 2018 तक चलेगी।

नोट :

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

यह एक प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौता है, जो आसियान के दस सदस्य देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) और छह उन देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड) के बीच का संघ है, जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है।

नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग

- उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ.सत्य पाल सिंह ने AICTE में नवाचार उपलब्धियों पर नवाचार प्रकोष्ठ एवं संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA) को लॉन्च किया।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2010-2020 के दशक को 'नवाचार दशक' कहा है।
- भारत विश्व मंच पर नवाचार के संदर्भ में पाँच वर्ष पहले 86वें स्थान पर था, जो इस वर्ष 57वें स्थान पर पहुँच गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवाचार प्रकोष्ठ

- नवाचार प्रकोष्ठ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है जिसे एआईसीटीई ने स्थापित किया है।
- इसका उद्देश्य देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहन देना है।
- नवाचार प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्यों में युवा छात्रों को प्रोत्साहित, प्रेरित और शिक्षित करना है।
- इसके तहत युवा छात्रों को नए विचारों से परिचित कराया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार क्लबों के नेटवर्क के ज़रिये उनमें नवाचार के प्रति रुझान पैदा किया जाएगा

The Vision

नोट :